एकादश माला, खंड 9, अंक 9

मंगलवार, 4 मार्च, 1997
13 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(भाग एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 9 चौथा सत्र, 1997/1918 (शक)]

अंक 9, मंगलवार, 4 मार्च, 1997/13 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 142 से 147	1-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 148 से 160	30-67
अतारांकित प्रश्न संख्या 1520 से 1749	67-370
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	375-399
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	375-397
सभा पटल पर रखे गए पत्र	399-402
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
छठा प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**	403
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**	403
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1996-97	404-405
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	405-418
केरल में प्राकृतिक रबड़ और अन्य नकदी फसलों की कीमतों में भारी गिरावट	
प्रो. पी. जे. कुरियन	405-418
श्री बोल्ला बुल्ली रमैया	406-418
श्री पी. सी. थामस	411-417
राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक -पुरःस्थापित	419
राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश के बारे में विवरण - **सभा पटल पर रखा गया**	419
नियम 377 के अधीन मामले	420-423
(एक) कुशीनगर और फाजिल नगर का राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	420

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात को द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(दो) राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन किये जाने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों को मंजूर किये जाने की आवश्यकता

श्री वी. धनन्जय कुमार 420

(तीन) खाना पकाने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन से प्रोपेन गैस के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण साहू 421

(चार) नक्सलवाद से प्रभावित जिलों विशेष रूप से बिहार में औरंगाबाद जिले के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रम की घोषणा किये जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह 421

(पांच) त्यौहारों के अवसर पर हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर दी जाने वाली छूट को वापस लिये जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. पी. षणमुगा सुन्दरम 422

(छः) महाराष्ट्र सरकार को पंजाब और हरियाणा से गेहूं की सीधी खरीद करने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार 422

(सात) उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरिवंश सहाय 423

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया

और

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक – पारित 424–448

विचार करने का प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव 424

श्री पी. चिदम्बरम 426

प्रो. रासा सिंह रावत 428

श्री अजय चक्रवर्ती 432

जस्टिस गुमान मल लोढा 433

श्री बलाई चन्द्र राय 437

श्री राम कृपाल यादव 442

खंड 2 से 4 और 1 448

पारित करने का प्रस्ताव 448

विषय कालम

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) विधेयक. 449–472

विचार करने का प्रस्ताव

प्रो. रासा सिंह रावत 449

श्री पी. चिदम्बरम 453

जस्टिस गुमान मल लोढा 455

कुमारी ममता बनर्जी 459

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 464

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 471

लोक सभा

मंगलवार, 4 मार्च, 1997/13 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए राजसहायता

*142. **श्रीमती शीला गौतम:**+
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए राजसहायता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी राजसहायता दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की 1.8.1975 से लागू पर्वतीय परिवहन राजसहायता योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के बेस सप्लाई डिपो से प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की सड़क द्वारा ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति राज्यों को की जाती है। यह योजना प्रमुख पर्वतीय राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए लागू है।

प्रमुख भूमि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का संचालन करने के लिए परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

इन योजनाओं का प्रमुख प्रयोजन इन राज्यों में खाद्यान्नों की अपेक्षाकृत ऊंची ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति करना है।

इनके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई के संबंध में राजसहायता देने के लिए कोई योजना लागू अथवा विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती शीला गौतम: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि खाद्यान्नों की ढुलाई के संबंध में राजसहायता देने के लिए कोई योजना लागू अथवा विचाराधीन नहीं है। इस गुमराह करने वाले उत्तर से कुछ भी समझ में नहीं आता कि गरीबों की सहायता करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, तो इस प्रकार के उत्तर से तो गरीबों को राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार ने गरीबों को राहत देने के विचार से खाद्यान्नों पर ढुलाई करने के लिए जो योजना लागू करने के संबंध में जो जवाब दिया है वह सही नहीं है। जो जवाब आपने सभापटल पर रखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि यह जवाब सही नहीं है।

मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के लिए यह योजना लागू की है, तो क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे नैनीताल या अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी वगैरह ऐसे क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, क्या इन क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की ढुलाई करने के लिए सब्सिडी देने की योजना को लागू करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने शायद जवाब को ठीक से पढ़ा नहीं है। मैंने यह नहीं कहा है कि यह योजना लागू नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि राजसहायता देने के लिए कोई योजना अभी विचाराधीन है कि नहीं, मैंने इसका उत्तर दिया है कि अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 1-8-1975 से राजसहायता देने के लिए पर्वतीय परिवहन राजसहायता योजना (हिली स्टेट ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम) लागू है। इस स्कीम के तहत उन्हीं राज्यों को राजसहायता दी जाती है जो प्री डोमीनेंटली हिली स्टेट हैं, न कि हिली एरिया हैं। अब आप इसको समझ जाएंगी और आपको स्पष्ट हो जायेगा कि यह स्कीम हिली एरिया में नहीं चल रही है बल्कि जो प्री डोमीनेंटली हिली स्टेट हैं, यानी जिन राज्यों में 51 प्रतिशत भाग पहाड़ी है, उनमें यह योजना लागू है और देश में ऐसे नौ राज्य हैं।

श्रीमती शीला गौतम: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के इस उत्तर को सुनकर संतुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी राहत अवश्य मिली है और मैं तो इसका मतलब यह समझती हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनको उत्तराखंड कहा जाता है, उस क्षेत्र को आप उत्तराखंड राज्य की घोषणा और राज्य का दर्जा देने के बाद इस योजना को लागू करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का संचालन करने के लिए परिवहन प्रभारों की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती रही है, परन्तु इसमें संघ राज्यों का कोई जिक्र नहीं है। क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या रहा है? (ब) क्या मंत्री जी पैरा दो में उत्तर की आखिरी लाईन देखने का कष्ट करेंगे जिसमें लिखा है कि राजसहायता देने के लिए कोई योजना लागू नहीं है। पैरा दो में कहा गया है कि राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का संचालन करने के लिए परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। मैं कौन सा उत्तर सही मानूं क्योंकि दोनों आपके ही उत्तर हैं। आप जरा इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने ठीक ही पूछा है। अभी तक जो नौ हिली स्टेट्स हैं उन्हीं में यह लागू है। माननीय सदस्या ने पूछा है कि यूनियन टैरीटरीज में कहीं लागू है या नहीं? पूरे देश में दो यूनियन टैरीटरीज अंडमान और निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप है, उसमें यह लागू है। इन्होंने दो साल का ब्यौरा पूछा है। अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट के तहत इन दोनों यूनियन टैरीटरीज में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए 23 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिये गये हैं। 1995-96 में 28 करोड़ 89 लाख रुपये सब्सिडी राजसहायता के रूप में दी गयी है और 1996-97 में 31 करोड़ 67 लाख रुपये दिये गये हैं जिसमें दोनों यूनियन टैरीटरीज भी हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, शीला गौतम जी के प्रश्न का जवाब दिया गया है, उससे मुझे यह लगता है कि वह उत्तर परिपूर्ण नहीं है और हमेशा यही होता है। अभी आपने यह बताया कि केन्द्रीय सरकार की यह योजना 1.8.75 से लागू है। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए फिर से कोई ठोस विचार करना चाहिए क्योंकि 1975 से यह लागू की गयी है और आज 1997 चल रहा है। 22 साल के बाद भी यही योजना चालू रहेगी तो दूसरे प्रदेशों का क्या होगा? लॉस्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि इनके अलावा सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई के संबंध में राज सहायता देने के लिए कोई योजना लागू अथवा विचाराधीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करके पूछना चाहती हूं कि क्या आप 21 या 22 साल के बाद कोई योजना बनाने जा रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इस योजना का लक्ष्य जितने भी पहाड़ी स्टेट्स हैं, उन सबमें उचित दाम पर आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना है। जो फूड ग्रेन है जैसे चावल है या गेहूं है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाला समाज का जो वंचित अंग है, ऐसे लोगों को उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए खर्च वहन करती है। यह इस योजना का उद्देश्य है। जहां तक माननीय सदस्या ने पूछा है कि आगे कोई विचार है या नहीं? आप इस संबंध में विस्तार से लिखकर हमें दे दीजिए। मैं भी जब इस जवाब को देख रहा था तो मुझे लगा कि जो हिली स्टेट्स हैं उनको तो इसमें कवर किया गया है लेकिन जो हिली एरियाज हैं.... *(व्यवधान)*

श्रीमती शीला गौतम: चाहे उत्तर प्रदेश ही क्यों न हो।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : हिली एरियाज के बारे में आप कुछ योजना बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यही तो कहने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

वह एक अच्छा उत्तर देने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे खुद अहसास हो रहा था। ऐसा लगता है कि जो हिली एरियाज छूट गये हैं उसमें कुछ फाइनेंशियल स्थिति होगी लेकिन तब भी चूंकि सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इसलिए हम सोचते हैं कि जो हिली एरियाज बचे हुए हैं उनका भी मैं सर्वे करवा लेता हूं और ऐसे इलाकों में पुन: विचार करने की मैं आवश्यकता महसूस करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। मेरे विचार से इसके पश्चात् और कोई अनुपूरक नहीं है। मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न संख्या 143

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इतना अच्छा जवाब दिया है और क्या जरूरी है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। उन्होंने कहा है कि वह अन्य क्षेत्रों का भी ध्यान रखेंगे। और क्या बच जाता है?

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीक्कारा): महोदय, मुझे एक मौका दें *(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, मैं अन्य प्रश्न पर आ चुका हूँ। आप भी पहले मंत्री थे।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

साल और सागवान का जब्त किया जाना

***143. श्री⁺ जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश वन विभाग ने कुछ समय पहले हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से करोड़ों रुपये की खैर, साल और सागवान की लकड़ी पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में पूरे देश में वनों से पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया; और

(घ) यदि हां, तो न्यायालय के आदेश को सभी राज्यों में लागू करने के लिए कौन से उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हाँ। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने मई-जून, 1996 में हरियाणा और दिल्ली के सीमावर्ती जिलों से खैर, साल और अन्य विविध इमारती लकड़ियों को जब्त किया है।

(ख) कुल मिलाकर लगभग 76 घन मीटर खैर और अल्प मात्रा में साल और विविध प्रकार की लकड़ियाँ बरामद की गई थीं। जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 12,47,700 रु. अनुमानित किया गया। दो मामलों को न्यायालयों के पास भेज दिया गया है क्योंकि दोषियों ने मामलों के संबंध में समझौता करने से मना कर दिया।

(ग) जी, हाँ। उच्चतम न्यायालय ने अपने 12.12.1996 के अंतरिम आदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः स्वीकृत कार्य योजनाओं के अतिरिक्त वनों में वृक्षों की कटाई को निलंबित कर दिया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने का परामर्श दिया है।

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, वन कटाई में खास तौर से नेपाल का जो तराई का इलाका है, उसमें नेपाल के वन माफिया भी आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वन क्षेत्र में वॉच टावर के लिए, वन रक्षकों के लिए, आधुनिक हथियार के लिए और सारी चीजों के लिए 12.17 करोड़ रुपये का एक प्रपोजल रखा था। मंत्री जी की तरफ से यह जवाब आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए केवल ये निर्देश दे दिये गये हैं कि उसका कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्था के लिए और बार्डर से तराई एरिया में वनों की जो कटाई होती है, उसे रोकने के लिए नेपाल सरकार से वार्ता करके एक प्रपोजल भेजा था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस बारे में क्या किया गया है?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: अध्यक्ष महोदय, जंगलात की हिफाजत का जो सवाल पूरे देश के सामने है, आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। इस जमन में जो सवाल था, उसका जवाब आ गया है। लेकिन अब आप नेपाल की तराई का जो सवाल उठा रहे हैं, उस बारे में मिनिस्ट्री की काठमांडु में मीटिंग हुई और नेपाल सरकार से यह सवाल उठाया गया। गालीबन मैं पहले दिन से ही पूरे पर्यावरण के सवाल पर सोच रहा हूं और यह सवाल बहुत ही कठिन है। जहां तक नेपाल के साथ बातचीत का ताल्लुक है, मैंने सबसे पहले यह सोचा है कि नुकसान का अंदाजा लगाया जाए। मेरे नोटिस में यह बात आ गई है कि इस तराई में जंगलात साफ करके कुछ लोग बस गए हैं जो अब हमारे इलाके में जंगलात का नुकसान कर रहे हैं। चूंकि यह हमारे दोस्त का मामला है, हमसाया मुल्क का मामला है, इसमें पूरे एहतराम के साथ बात की जाएगी, नुकसान का अंदाजा होगा और जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसे रोका जाएगा। इस सिलसिले में जो कार्यवाही होगी, उसे मैं मौके पर सदन के सामने रखूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सारी स्थिति का ज्ञान है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने 12.17 करोड़ रुपये का जो प्रपोजल भेजा है, उस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से उस बारे में जानना चाहता हूं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: यू. पी. गवर्नमेंट के प्रपोजल के बारे में मुझे इस वक्त कोई इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि सवाल असल जंगलात के तहाफुज का है, जंगलात में क्या नुकसान हो रहा है। यू. पी. में जो लकड़ी पकड़ी गई थी, उसके लिए हमारे पास कानून हैं, तमाम कवानीन हमारे पास हैं। वहां कानून का उल्लंघन किया गया है, इसीलिए जो 16 केसेज थे, उनमें से दो के बगैर सब केस कम्पाउंड हो गये हैं और जो दो हैं, उसके बाद उनको कोर्ट में लिया गया है। अब सवाल है, यू. पी. गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल भेजा होगा, उस पर गौर होगा, लेकिन हमने जो कार्रवाई की है, यू. पी. के गवर्नर को हमने एक खत लिखा है, जिसमें उनको बताया गया है कि वहां जंगलात का जो नुकसान हो रहा है, वह पूरी तौर से रुकना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल उन्हें पूरा मौका मिला था। मेरी कोशिश होगी कि जिन्हें कल मौका नहीं मिल पाया था उन्हें आज मौका दिया जाए।

.... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार में खासकर के सिबू जिले में मीलों मील जंगल कट गया है और खैर की लकड़ी तो सब जगह कट रही है, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है और उसके संरक्षण के लिए सरकार कुछ उपाय करने जा रही है?

प्रो. सैफुद्दीन सोज: जनाब, यह एक जनरल किस्म का सवाल है कि दरख्त गिराये जा रहे हैं, जंगल खराब हो रहा है। यह पूरे देश में होता होगा, इस सिलसिले में सवाल है। आप किसी खास जगह की बात करेंगे तो मैं सोचूंगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: छोटा नागपुर जिले का जो जंगल है, जो सबसे कीमती जंगल देश का सिबू जिले का है, उस जंगल को मीलों-मील साफ कर दिया गया है। साल के वृक्ष लगातार कट रहे हैं और खैर की लकड़ी तो हर जगह कट रही है, तो इस पर सरकार ने आज तक संरक्षण करने के कोई उपाय किये हैं क्या? अगर समूचे देश का पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं तो वहां का इतना गम्भीर सवाल है, जो हर साल उठ रहा है, इस पर कुछ संरक्षण की बात करें, इस बारे में कुछ बतायें, तब तो काम चले।

प्रो. सैफुदीन सोज: जहां तक मौअज्जिज मैम्बर ने सिबू डिस्ट्रिक्ट की बात की है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इंतजार करें। वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आसान प्रश्न गृहीत नहीं करता। मैं जटिल प्रश्न ही गृहीत करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज: चूंकि एक खास जिले की बात की गई है, तो मैं सिबू जिले पर अपनी तवज्जह मरकूज करूंगा। जो कार्रवाई होगी, उसका ऑनरेबिल मैम्बर को जवाब भेज दिया जायेगा।

[अनुवाद]

मैं इसका ध्यान रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, बिहार में छह हजार एकड़ जमीन में जंगल कट गया है और उसकी बिहार सरकार को जानकारी है। उस जमीन को काटकर सामन्तों को खेत बांटे गये हैं। बांटने वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं. यह कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बात है। मैं नाम लेकर बताता हूं, नोट किया जाये और इसकी इन्क्वायरी की जाये। यह पर्यावरण का मामला है। कैमूर में भदुहा सब डिवीजन में चैनपुर ब्लॉक में बतास गांव, कौवाखोह, गलियारी .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: *आप यह इन्कोर्मेशन लिखकर दीजिए, सवाल* पूछने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री लालमुनी चौबे: यह बात है कि पर्यावरण के मामले में बिहार में जो रहा है, वह अद्‌भुत है। सारण्डा वन में जो पड़ता है, चाइबासा डिस्ट्रिक्ट में वहां आग लगा दी गई और आग तीन साल तक लगी रही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सखुआ का जंगल सारण्डा वन में इतना घना है, इतनी डैन्सिटी है कि वह लकड़ी बहुत महंगी है। तस्करों ने उसे जला दिया, इसलिए कि पर्यावरण विभाग उसको नीलाम करे या उसको लीज पर दे, क्योंकि वहां पर कॉपर ओर मिलता है और उसका प्रोडक्ट सोना है, गोल्ड है, इसके लिए तस्करों ने जंगल की शाखों को जला दिया। मैं चाहता हूं कि बिहार में इसकी इन्क्वायरी कराई जाये। पर्यावरण का मामला इण्टरनेशनल मामला बना हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और उचित कार्रवाई करके जंगलों का संरक्षण करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मांग एक सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित: फारेस्ट विभाग के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और रेंजर हैं, वे इलइक्वीप्ड हैं। उनके पास हथियार नहीं हैं, साधन नहीं हैं, जीपें नहीं हैं। इस कारण गुंडे और तस्कर उनको डराते हैं और उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। यह स्थिति पूरे देश में है। इसलिए स्टाफ को वैलइक्वीप्ड करने के लिए और तस्करों से मुकाबला करने के लिए शासन की क्या योजना है? क्योंकि महाराष्ट्र में..

अध्यक्ष महोदय: आपने सवाल पूछ लिया, अब यह 'क्योंकि' की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

आप कारण भी नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज: कुछ जिलों की बातें उठाई जा रही हैं, जो भी रिकार्ड में आ गया है, मैं उसको देखूंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित: क्या देखेंगे?

प्रो. सैफुद्दीन सोज: आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो आप फिर पूछ लेना। जहां तक जिलों की बातें हैं, अपने-अपने संसदीय क्षेत्र हैं, जो रिकार्ड में आ गया है, उस पर मैं तवज्जोह दूंगा और माननीय सदस्यों को जवाब मिलेगा। जहां तक फारेस्ट पालिसी की बात है मैं जनाब के माध्यम से आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूं कि फारेस्ट को बचाने के लिए मंत्रालय में जो काम हो रहा है, मुझे उस पर इत्मीनान है। इसी सिलसिले में माननीय

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसम्बर, 1996 को जो फैसला दिया है, वह बड़ा वसी है। उसमें नार्थ-ईस्ट से लेकर जम्मू-कश्मीर तक... (व्यवधान) पहले मेरी बात तो सुनिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बहस न करें।

मंत्री जी, कृपया संक्षिप्त उत्तर दें।

[हिन्दी]

प्रो. सैफुद्दीन सोज: फारेस्ट को महफूज रखने के लिए पूरा देश चिंतित है। खसूनन इस एवान को चिंता है, उसको मैं समझ रहा हूं। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊंगा। मंत्रालय की पालिसीज को अमल में लाने के लिए काफी काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. साहब ऐसा नहीं होता।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: उनको हथियार दिये जाएंगे, वह भी बताऊंगा। पहले जो आपने तरह-तरह के सवाल उठाए हैं जंगलात के बारे में, उनका जवाब दे दूं। यह एक जायज चिंता है और हम सबकी चिंता है। इस सिलसिले में हमारे मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को आगाह किया है। जंगलात को महफूज रखने के लिए पूरे देश की चिंता है। जो उल्लंघन होता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप संक्षेप में बोलें। इससे और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी बताया गया है। इस पूरे मसले के लिए हाई पावर कमेटी, जिसमें विशेषज्ञ हैं, बनाई गई है, जो इन सारे मसलों को देखेगी। जहां तक जंगलात के स्टाफ के बारे में आपने कहा, जिनको जंगल में जाना पड़ता है, मैं इत्मीनान कर लूंगा कि अगर उनके पास वे सहूलियतें नहीं हैं, तो वे उपलब्ध कराई जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने को कहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती भगवती देवी: हमारे यहां जंगल में खैर की अवैध कटाई बड़े पैमाने पर होती है। बड़े लोगों के ट्रक वहां जाते हैं और लकड़ी काटकर इन लोगों की फैक्टरीज में पहुंचा देते हैं और वे बड़े लोग उससे अपना व्यापार करते हैं। केन्द्र सरकार जवाब दे कि जिन लोगों की फैक्टरीज में ऐसे खैर की लकड़ी अवैध रूप से पहुंचती है, उसके लिए वह क्या कार्रवाई कर रही है?

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज: महोदय, यह एक आम प्रश्न है। मैं जंगल को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ।

नागा-कुकी हिंसा

*144. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री चित्त बसु:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड में भड़की नागा-कुकी हिंसा की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हिंसा को भड़काने हेतु जिम्मेदार कारक कौन से हैं; और

(ग) वहां हिंसा रोकने तथा फिर से शान्ति स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख) यह कहना सही नहीं होगा कि नागालैंड में नागा-कुकी हिंसा में किसी प्रकार की तेजी आई है। वास्तव में, पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1996 के दौरान इस प्रकार की घटनाओं में तेजी से कमी आई है। तथापि, नागालैंड के कोहिमा जिले में 9 दिसम्बर, 1996 को कुकी-नागा जातीय हिंसा की केवल एक वही घटना हुई थी जिसमें 29 कुकी मारे गए थे। इस घटना के लिए नैशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच गुटीय दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(ग) नागालैंड सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों में मौजूदा सुरक्षा प्रबंधों की पुनरीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने की सलाह दी गई है। पड़ौसी मणिपुर राज्य को भी जवाबी हमलों की संभावना के प्रति सचेत किया गया था।

श्री बीर सिंह महतो: अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि नागालैण्ड और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और घृणा का वातावरण व्याप्त है। मंत्री द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि दिसम्बर, 1996 में नागालैण्ड के कोहिमा जिले में नागा-कुकी के बीच एक जातीय संघर्ष में 29 कुकी लोगों की हत्या कर दी गई। कल भी वहाँ संघर्ष हुआ है। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागा-कुकी और ईसाई समुदायों के बीच सौहार्द और शांति बनाये रखने के लिए कोई प्रयत्न किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: महोदय, नागालैण्ड में कुकी समुदाय के लोगों की संख्या काफी कम है जबकि बगल के मणिपुर राज्य में उनकी संख्या काफी है। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का कारण ऐतिहासिक है जिसके बारे में मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। नागा या अधिकतर

नागा यह मानते हैं कि इन दोनों राज्यों के बीच का क्षेत्र उनका है जिस पर कुकी लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं जबकि कुकी लोग यह मानते हैं इन क्षेत्रों पर सदियों से उनका अधिकार रहा है इसलिए वहाँ रहने का उनका पूरा अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर और बर्मा के बीच मोड़ नामक एक सीमावर्ती शहर है। यह सीमा पर स्थित है। भारत और बर्मा के बीच सामान लाने और ले जाने की दृष्टि से मणिपुर हाल ही में एक बहुत ही व्यस्त व्यावसायिक केन्द्र बन गया है। ऐसे भी समाचार मिले हैं कि नशीली दवाओं की तस्करी इस सीमा से की जाती है। इसके परिणामस्वरूप लोगों द्वारा काफी रुपया कमाया जा रहा है और इसलिए यह भी एक कारण है कि उस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए कुकी और नागा बहुत बेचैन हैं।

श्री बीर सिंह महतो: महोदय, वहाँ दो आतंकवादी ग्रुप हैं। नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड, इसाक मुलवह ग्रुप और दूसरा है कुकी नेशनल आर्मी। वे नरम पंथी लोगों को खामोश कर देते हैं लेकिन दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के इच्छुक हैं।

लेकिन अर्धसैनिक बलों की भूमिका संदिग्ध है। समाचार पत्रों से यह भी पता चलता है कि अर्धसैनिक बल तब तक कुछ कार्यवाही नहीं करते जब तक हमला नहीं हो जाता। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अर्धसैनिक बलों को कोई स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: महोदय, मैं ठीक से नहीं समझ पाया कि सदस्य किस निर्देश की बात कर रहे हैं। उनका आरोप प्रेस में छपी खबरों पर आधारित है। उनका मानना है कि अर्धसैनिक बल तब तक कुछ कार्यवाही नहीं करते जब तक आक्रमण नहीं हो जाता। उनकी बातों से मैं यही समझता हूँ कि हमें अर्धसैनिक बलों को यह निर्देश देना चाहिए कि इन आतंकवादी ग्रुपों से निपटने के दौरान उन्हें आक्रामक होना चाहिए और अधिक सक्रिय रहना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत, मैं समझता हूं कि अर्धसैनिक बलों की कभी-कभी इस बात के लिए निंदा की जाती है कि वह अधिक सक्रिय हैं तथा अधिक आक्रामक हैं।

लेकिन जहाँ तक इन दोनों दलों का संबंध है तो मैं सदस्य के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि वहाँ जारी हिंसा और हत्याओं से आम आदमी बहुत अधिक तंग आ चुके हैं। वे शांति और सदभाव बहाल किये जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ रहने वाले, कुछ ऐसे नरमपंथियों से मिलकर जो वहां कार्य कर रहे हैं तथा चर्च से जुड़े लोग जो नागा लोगों में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और इस हिंसात्मक संघर्ष को त्याग कर सुलह का रास्ता अपनाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं, सरकार ने इस दिशा में कुछ पहल की है।

श्री थ. चौबा सिंह: महोदय, माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1996 के दौरान, अर्थात एक वर्ष में, कोहिमा, नागालैंड में मणिपुर के, तंकुल्स नामक कितने नागाओं की हत्या हुई है। कल भी तंकुल्स नामक चार नागाओं का कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था जिनमें से दो की हत्या कर दी गई। लेकिन उनमें से दो लोग बचकर भाग गए। मैं माननीय मंत्री से इस घटना का ब्यौरा जानना चाहता हूँ। कल अपराह्न 5 बजे इसटंकुल्स नामक नागा समुदाय के संयुक्त सचिव के परिवार का अपहरण कर लिया गया। उनमें से दो की हत्या कर दी गई और दो बचकर निकल भागे। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस घटना का ब्यौरा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: महोदय, मैं सदस्य द्वारा उठाई गई कल हुई घटना से पूरी तरह अवगत हूँ। हमें अभी वहाँ से पूरी सूचना का इंतजार है।

जहाँ तक हत्याओं की घटनाओं आदि का संबंध है तो वर्ष 1996 में नागालैण्ड में केवल एक ऐसी घटना हुई उसमें 29 लोग मारे गए थे तथा कोई भी घर नहीं जला था। अब ऐसी घटनाओं में कुछ सुधार हो रहा है तथा ये कम हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह फिर से नहीं भड़केगा। यह फिर भड़क सकता है।

इसके अतिरिक्त, विगत चार वर्षों और इस वर्ष फरवरी माह तक नागा-कुकी के बीच मणिपुर में हुई हिंसा संबंधी आंकड़े दर्शाये गये हैं। मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूँ। 1996 के दौरान मणिपुर में 58 ऐसी घटनायें हुईं। दोनों ओर से मरने वाले लोगों की संख्या 58 थी—जिनमें 25 नागा समुदाय के लोग थे और 33 कुकी समुदाय के लोग। 136 घर जलाये गए थे—जिनमें 106 नागा समुदाय के घर थे और 30 कुकी समुदाय के।

अत:, इन दोनों आदिवासियों के बीच संघर्ष की छिट-पुट घटनायें जारी हैं। इनमें पिछले वर्ष कुछ कमी आयी है। लेकिन हम सजग हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के भाग-सी का जवाब गृह मंत्री जी ने केवल रस्मी तौर पर दिया है। आप स्वयं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आते हैं और जानते हैं कि नागा और कुकी के बीच आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं और ये कई बार बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। ऐसे में यह जवाब देना कि हमने दोनों राज्य सरकारों को सतर्कता के निर्देश दे दिये हैं और इतना कह कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना, न तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह इंसरजेंसी की समस्या है। एनएससीएन जितनी स्ट्रोंग होती है उतने कनफलिक्ट बढ़ते हैं। मैं

आपसे जानना चाहती हूं कि आपसे पहले वाली सरकार ने एन एस सी एन के साथ कुछ संपर्क साधने के प्रयत्न किये थे और कुछ मंत्री उसमें भूमिका भी निभा रहे थे। आपके राज्य में वह संपर्क और प्रयास कितने आगे बढ़े हैं, बढ़े भी हैं या नहीं बढ़े हैं और यदि नहीं बढ़े हैं तो क्या आप इस तरह का प्रयास करने की कोशिश करेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: ये जो एनएससीएन के लोग हैं, आप जानते हैं कि ये दो प्रधान दल हैं। इनमें एक के लीडर केपलोंग साहब हैं और दूसरे आरजेक मुड़वा हैं। ये दोनों ग्रुप हैं। इन दोनों के साथ कुछ-कुछ संपर्क है। आपने शायद पहले की सरकार के बारे में पूछा था। उन्होंने भी प्रयास किया था और हमारी सरकार बनने के बाद भी कुछ प्रयास हुआ, लेकिन इसके बाद यह रिपोर्ट मिली है कि इन ग्रुपों के नेताओं के अंदर थोड़ी-थोड़ी इच्छा भी प्रकट हो रही है कि वह कुछ बातचीत की तरफ आने को तैयार हैं। लेकिन उनको मानने वाले जो लोग हैं, उनके जो फोलोअर्स हैं वे असंतुष्ट हैं। वे नहीं चाहते कि उनके लीडर सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बात करें। इसके बारे में अब हम यह देख रहे हैं, यह मुश्किल हो गई है कि जो आरजेक मुड़वा ग्रुप है उनके नेता लोग वहां नहीं रहते हैं, वे बाहर रहते हैं। वे कुछ दिन पहले बैंकाक में रहते थे। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि वे शायद बैंकाक से मनीला की तरफ जा रहे हैं। वे क्यों जा रहे हैं, यह मुझे नहीं मालूम। उनके साथ ताल्लुक रखना आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और अगर आगे चल कर ताल्लुक हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए तो हाउस को जरूर बताया जाएगा।

[अनुवाद]

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972

*145. **डा. असीम बाला:**
श्री महबूब जहेदी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एककों को राष्ट्रीय उद्यानों में होटल इत्यादि के लिए बड़े-बड़े भवनों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है जैसाकि कर्नाटक में नागरहोल के मामले में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्रों में निर्मित ऐसे सभी होटलों को बंद कराने अथवा इस प्रकार के भवन निर्माणों तथा परियोजना मंजूरियों को वापस लेने का है ताकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य वन्यजीव वार्डन अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यानों के नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण का प्रत्यायोजित प्राधिकारी है। इस प्रयोजनार्थ, वह आवश्यक/उपयुक्त समझने पर भवनों का निर्माण कर सकता है/निर्माण की अनुमति दे सकता है। तथापि, नागरहोल नेशनल पार्क के मामले में कर्नाटक सरकार ने एक निजी कंपनी को राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर भवन और उसके परिसर को पट्टे पर दे दिया था। यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित मुकद्दमें की विषयवस्तु था और हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निजी कंपनी को तत्काल समस्त कार्य-कलापों को रोकने और राज्य सरकार को संपत्ति सौंपने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की। अपील को मंजूर कर दिया गया है और उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा. असीम बाला (नवद्वीप): महोदय, इस वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश और राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों के नियंत्रण, संरक्षण और रख-रखाव के लिए निर्धारित पदाधिकारी मुख्य वन्य जीव वार्डन है। वे चाहे तो भवनों का निर्माण करवाने या निर्माण करने की अनुमति यथावश्यक और यथोचित रूप से दे सकते हैं। उनके पास पूर्ण अधिकार है और दूसरों को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने एक निजी कंपनी को इन सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने यह कहकर इस आदेश का विरोध किया था कि यहां तक कि उच्च न्यायालय भी इन गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता।

असम में चिड़ियाघर के 1700 जानवर क्षय रोग से ग्रस्त हैं। असम साइंस फोरम ने कहा कि ये जानवर उचित प्रबंधन और उचित खाद्य की कमी के कारण मर जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न है?

डा. असीम बाला: हां।

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह से ये सभी सूचनाएं देना जारी नहीं रख सकते। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री के पास ये सभी जानकारियाँ हैं। आप कृपया प्रश्न पूछें।

डा. असीम बाला: कीटनाशकों का लापरवाही से प्रयोग किये जाने के कारण माहना और अन्य बहुत से मौसमी पक्षियों जैसे दुर्लभ पक्षी उद्यानों में नहीं आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, जो कि बहुत पुराना है, को संशोधित किया जायेगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुछ निर्माणकारी गतिविधियां हो सकती हैं।

श्री राजीव प्रताप रुडी : परन्तु प्रश्न कुछ और पूछा गया है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: हां, मैं उसी पर आ रहा हूँ। नगरहोल पार्क में कुछ इमारतें बनी हुई थी।

श्री राजीव प्रताप रुडी: माननीय सदस्य ने अलग ही प्रश्न पूछा है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मूल प्रश्न नगरहोल पार्क के संबंध में है .... *(व्यवधान)*। मैं उसी पर पहुंच रहा था। मेरे सामने नगरहोल पार्क के संबंध में प्रश्न है।

डा. असीम बाला: आपने नगरहोल पार्क के संबंध में उत्तर दे दिया है। आपको मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है।

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है उसकी पृष्ठभूमि में साधारण सा प्रश्न यह है कि क्या इस अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है कि नहीं?

प्रो. सैफुद्दीन सोज: हम इसमें और संशोधन करने का सोच रहे हैं। अगर इसकी आवश्यकता हुई तो वह भी किया जाएगा। इस काम के लिए एक समिति है। उसके बारे में सोचा जाएगा।

डा. असीम बाला: हाल ही में मैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में चिड़ियाघर में गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चिड़ियाघर है। परंतु पर्याप्त धन की कमियों के कारण इसका सही ढंग से रख-रखाव नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी राज्य या किसी केन्द्र शासित प्रदेश के चिड़ियाघर के उचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जायेगा या नहीं?

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मैं इस प्रश्न के संबंध में सोचूंगा और वे सभी सुविधाएं प्रदान करूंगा जो माननीय सदस्य चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे इस बारे में लिखते हैं तो मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी सहायता करूंगा।

श्री वी. धनंजय कुमार: मैं उच्च न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत करता हूं जिसमें नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण की परिकल्पना की गई है। परंतु साथ ही मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के जंगलों को नुकसान पहुंचाए जाने से वन्य जीवन संकट बढ़ता है और वन्य जंतु कृषि उत्पादों पर अधिक से अधिक हमला कर रहे हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: यह बहुत ही अस्पष्ट प्रश्न है। आप क्या विशेष बात जानना चाहते हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार: राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। वन्य जंतु बहुत बार आस-पास के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर हमला करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संरक्षित क्षेत्रों में ऐसे निर्माणों की अनुमति दिये जाने से वन्य जंतुओं का संकट बढ़ेगा।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: वन्य प्राणी अधिनियम इतना व्यापक है कि सभी प्रकार के विकास कार्यों का ध्यान रखा जा सकता है। जब भी कहीं ऐसा संकट आता है तो वन्य प्राणी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाता है और आस-पास रहने वाली जनता को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

*146. **श्री डी. पी. यादव:**
श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। लक्ष्य के अनुसार अनुमोदित 78 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) की राज्यवार सूची संलग्न है (अनुबंध-I)।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) योजना आयोग को सभी ग्रामीण जिलों के लिए एक व्यापक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के रूप में कार्य करने हेतु वर्तमान कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जाएगा। फिर भी, नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का निर्णय योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त निधि के आवंटन के अनुरूप किया जाता है।

अनुबंध

1992-96 के दौरान स्वीकृत नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जिला	संस्थान का नाम	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4	5
क्षेत्र–I				
1.	हिमाचल प्रदेश	1. ऊना	हिमाचल प्रदेश कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पालमपुर	1993
		2. मंडी	–वही–	1993
		3. कांगड़ा	संगठनात्मक अनु. एवं शिक्षा फाउंडेशन, नई दिल्ली	1993
		4. किन्नौर	वाई.एस.पी.यू.एच.एंड.एफ., सोलन	1995
		5. शिमला	–वही–	1995
2.	जम्मू एवं कश्मीर	1. लेह	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1993
		2. कठुआ	शिव ग्रामोद्योग मंडल	1993
3.	पंजाब	1. संगरूर	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	1993
		2. फरीदकोट	–वही–	1994
		3. जालंधर	–वही–	1994
4.	हरियाणा	1. पानीपत	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	1993
		2. अम्बाला	सोसायटी फॉर क्रियेशन ऑफ हैवन ऑन अर्थ, गुड़गांवा	1993
5.	दिल्ली	1. दिल्ली	नेफेड/एन.एच.आर.डी.एफ., नई दिल्ली	1995
क्षेत्र–II				
1.	पश्चिम बंगाल	1. वर्धवान	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड	1994
		2. वीरभूम	विश्व भारती शांति निकेतन, बोलेपुर	1994
2.	बिहार	1. आरा, भोजपुर	सी. एस. सी. ए. डी. ए.	1994
		2. धनबाद	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, सिन्दरी	1994
		3. जमुई	खादी ग्रामोद्योग संघ, खादीग्राम, जमुई	1994
		4. मधुबनी	एस.के. चौधरी, शिक्षा न्यास, मधुबनी	1994
		5. दरभंगा	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार	1996
		6. शेखपुरा	–वही–	1996
		7. सुपौल	–वही–	1996
क्षेत्र–III				
1.	असम	1. गोलाघाट	असम कृषि विश्वविद्यालय,	1994
		2. काचर	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	1994
		3. तिनसुकिया	–वही–	1996

1	2	3	4	5
2.	मिजोरम	1. लुंगलेट	मिजोरम सरकार	1994
क्षेत्र–IV				
1.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	राष्ट्रीय कृषि संस्थान, लखनऊ	1994
		2. शाहजहांपुर	गोविन्द वल्लभपंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1994
		3. पिथौरागढ़	–वही–	1994
		4. मुजफ्फरनगर	स्वामी कल्याण देव न्यास	1994
		5. बाराबंकी	भारत ग्रामीण विकास संस्थान	1996
क्षेत्र–V				
1.	आंध्र प्रदेश	1. विशाखापटनम	भाग्य तुला चैरिटेबल ट्रस्ट येल्लामनाचिली, विशाखापटनम	1995
		2. पश्चिमी गोदावरी	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1995
		3. वारंगल	–वही–	1996
2.	महाराष्ट्र	1. नासिक	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	1994
		2. परभणी	जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, परभणी	1994
		3. कोल्हापुर	डी.वाई. पाटिल शिक्षा सोसायटी, कोल्हापुर	1994
		4. बुलडाना	सतपुड़ा शिक्षा सोसायटी	1994
		5. नागपुर	केन्द्रीय कपास अनु. संस्थान, नागपुर	1994
		6. अमरावती	शोरन साधना ट्रस्ट, अमरावती	1995
		7. अमरावती	श्रम सफल्या फाउंडेशन, अमरावती	1995
		8. नानदेड	ज.ला.ने. शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, नानदेड	1994
		9. शोलापुर	शबरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर	1994
		10. अकोला	सुविदे फाउंडेशन रिसोड, अकोला	1994
		11. सिंधदुर्ग	पोइप फ्लौटपदान सहकार समिति	1995
क्षेत्र–VI				
1.	गुजरात	1. भड़ौच	भारतीय कृषि-उद्योग फाउंडेशन, पुणे	1994
		2. बड़ोदरा	मंगल भारती, बड़ोदरा	1994
2.	राजस्थान	1. राजसमांद	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1994
		2. बरान	–वही–	1994
		3. दौसा	–वही–	1994

1	2	3	4	5
क्षेत्र–VII				
1.	मध्य प्रदेश	1. सिओनी	ज.ला.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1994
		2. टीकमगढ़	ज.ला.ने. कृषि विश्वविद्यालय,	1994
		3. खण्डवा	–वही–	1994
		4. राजगढ़	ज.ला.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1994
		5. सोरगुजा	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय	1994
		6. गुना	ज.ला.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1994
		7. रतलाम	कलूखेड़ा शिक्षत समिति	1994
2.	उड़ीसा	1. धेनकन्नाल	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	1994
		2. केन्द्रपाड़ा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, भुवनेश्वर।	1994
		3. अंगुल	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	1994
क्षेत्र–VIII				
1.	कर्नाटक	1. मैसूर	जे.एस.एस. ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर	1994
		2. कोलार	कर्नाटक वेलफेयर सोसायटी, चिकवलपुर	1994
		3. वेल्लारी	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1994
		4. बेलगाम	बेलगाम समेकित ग्रामीण विकास सोसायटी, बेलगाम	1994
		5. रायचूर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1994
2.	केरल	1. पेथेम्नाम्थित्ता	ग्रामीण विकास के लिए क्रिस्चियन एजेंसी, थिरुवल्ला	1994
		2. क्विलोन	केरल कृषि विश्वविद्यालय	1994
		3. इन्दुक्की	बापूजी सेवक समाज, चक्कुपल्लभ, इदुक्की	1994
3.	लक्षद्वीप	1. मिनीकाय	के.स.मा.अनु.सं. का क्षेत्रीय केन्द्र, लक्षद्वीप	1996
4.	तमिलनाडु	1. धरमापुरी	तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड	1994
		2. सलेम	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	1994
		3. नेल्लई कट्टाबोम्मन	रत्नावेल सुब्रहमणियम शिक्षा ट्रस्ट, डिंडिगुल	1994
		4. मदुरै 5. कामराजार	विकास और संचार ट्रस्ट के लिए केन्द्र, थेनी मेयरस ट्रस्ट, मदुरै	1994
		6. तंजावुर	भक्तवा ट्रस्ट, मद्रास	1995
		7. चिदाम्बरनर	एस. सी. ए. डी., चेरनेदेवी तिरूनलवेल्ली	1995
		8. पी.एम.टी.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	1996
5.	पांडिचेरी	1. कराइकल	पांडिचेरी सरकार	1994

[हिन्दी]

श्री डी. पी. यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है परन्तु 1995 तक इस देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या कुल 237 थी और गत वर्ष सिर्फ 78 और विज्ञान केन्द्रों का अनुमोदन किया गया है। मान्यवर, वैसे तो यह सरकार किसानों की रहनुमाई करने का दावा करती है और इससे पहले भी किसानों की रहनुमाई करने वाली सरकारें आती रही हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इतने बड़े मुल्क में जहां 80 प्रतिशत लोग खेती का काम करते हैं और भारत कृषि प्रधान देश है तो इतने बड़े मुल्क के लिये इतनी कम संख्या में कृषि विज्ञान केन्द्र क्यों हैं? सरकार इससे अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए क्या कर रही है और निकट भविष्य में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने जवाब में बताया है कि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए योजना आयोग को प्रोपोजल भेजी गयी है। राज्यों में जो फार्मर्स ट्रेनिंग सैंटर्स हैं, उनको अपग्रेड करके कृषि विज्ञान का दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी हैड क्वार्टर्स हैं, वे मैनेज कर लेंगे। इसलिए उनके लिये वैसा प्रावधान कर दिया गया है। अभी हमारे पास 253 जिले बचे हुये हैं जिनमें फार्मर्स ट्रेनिंग सैंटर्स हैं उनको अपग्रेड करना है लेकिन विश्व बैंक की सहायता का इन्तजार है, वहां से आ जाने पर करेंगे। उसके बाद जोनल फार्मर्स सैंटर हैं, उनको अपग्रेड कर देंगे तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि 140 जिले बच जाते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेज में 88 और सैंकिड स्टेज में 49 का करने का सोच रहे हैं। क्योंकि अभी बजट में प्रावधान नहीं है, इसलिए हम दो स्टेज में करना चाहते हैं।

श्री डी. पी. यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग 'घ' का उत्तर देते हुये बताया है कि योजना आयोग ने सभी ग्रामीण जिलों के लिये व्यापक प्रस्ताव भेजा है लेकिन यह नहीं बताया कि उसमें किसानों, खेतिहर महिलाओं और बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या सीमा निर्धारित की गयी है और कैसे उनके हित में होगा या वे केन्द्र कब स्वीकृत होंगे तथा उनका प्रशिक्षण कब शुरू होगा? साथ ही विशेषकर उत्तर प्रदेश में किन-किन प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जायेगा और इसका वार्षिक व्यय क्या होगा?

श्री चतुरानन मिश्र: अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र का व्यय 2.5 करोड़ रुपया तय किया गया है। यह सभी राज्यों के लिए बराबर का मानदंड रहेगा जिसकी सूची मैंने दे दी है और उसका भी सूची में हवाला दिया है जहां नहीं हुआ है। फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मर्स ट्रेनिंग केन्द्रों का भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उसमें ऐसा है कि कृषि विज्ञान केन्द्र का क्या-क्या काम होगा, उसको हम थोड़ा सा विस्तारित करना चाहते हैं। एक ही केन्द्र में सब काम नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी में मछली का उत्पादन ज्यादा हो, दूसरे में नहीं हो। इसलिए जो कृषि विज्ञान केन्द्र मछली-बहुल क्षेत्र में होगा, उसके लिए भी प्रावधान करेंगे। पशुपालन लगभग हरेक में होगा और फारेस्टरी का भी कुछ जगह हो सकता है। फ्रूट्स का अलग है। हार्टिकल्चर में भी दो हिस्से हैं-फल और सब्जियां। यह देखकर हम हर तरह के साइंटिस्ट्स का प्रावधान करेंगे और उसी तरह से टैक्निकल हैण्ड्ज लेंगे, सोयल टैस्टिंग करेंगे। अगर किसी तरह की बीमारी होगी तो नजदीक से वैज्ञानिक आकर उनकी मदद करेंगे। ये सब इसके फंक्शंस हैं जिनको हम चाहते हैं कि वे करें।

कुमारी सुशीला तिरिया: अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे जिले हैं जो कृषि प्रधान हैं। क्या कृषि प्रधान जिलों को भी आपकी नीति के तहत प्रायोरिटी देने का प्रावधान है या इसके लिए कुछ गाइडलाइन्स रख रहे हैं?

दूसरा प्रश्न यह है कि आठवीं और नवीं योजना में जो प्रपोजल आलरेडी हैं और थोड़े प्रपोजल जो अप्रूव्ड हैं, उनके बारे में आप क्या चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: यह तो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स का ही है और रूरल डिस्ट्रिक्ट जितने हैं, कमोबेश कृषि प्रधान हैं। कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग करेंगे। लेकिन कृषि प्रधान सभी जिले हैं। लेकिन हमने कहा है कि अलग-अलग सबजेक्ट है। कहीं हार्टिकल्चर का है, कहीं फिशरीज का है। अलग-अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे।

कुमारी सुशीला तिरिया: जहां पर कृषि प्रधान जिले हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है। जहां इंडस्ट्रीज हैं, वहां ज्यादा काम हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री बी. आर. पाटिल: मैं कृषि मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बीजापुर में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने का विचार था। बीजापुर में सभी सुविधाओं से युक्त कृषि अनुसंधान केन्द्र है जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि जैसे ही निधियां उपलब्ध होंगी वैसे ही कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे बीजापुर में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर विचार कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सभी जिले मेरे विचाराधीन हैं। हां, उस पर भी विचार किया जायेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं वचन देता हूँ कि प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए।

श्री बी. आर. पाटिल: मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर बीजापुर के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री चतुरानन मिश्र: जब मैंने कहा 'सभी जिले', इसका यह मतलब नहीं होता कि उसमें एक जिला न हो। जब मैं कहता हूं 'सभी', इसका मतलब है बीजापुर इसका एक हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र का उन्नयन किया जाए और मैं निश्चित रूप से यह करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र दिया जायेगा और वैसा किया भी है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र अमरावती में दो कृषि विज्ञान केन्द्र दिये गये हैं। जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई कृषि नहीं है, उनको भी ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र दिये गये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कृषि विज्ञान केन्द्र देने में क्या नार्म्स अपनाए गए हैं और एक ही जिले में दो कृषि विज्ञान केन्द्र क्यों दिये हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: हमसे पहले के जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया है। हम उसको कैसे हटा सकते हैं? हम चाहते हैं कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र दें लेकिन जहां पहले से ही हैं, उसको हम कैसे हटा दें?

श्रीमती रजनी पाटील : अध्यक्ष जी, पहली बार आपने मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय: पहली बार! अच्छा!

श्रीमती रजनी पाटील: इस सत्र में पहली बार मौका दिया है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में पूरे देश में अभी तक आपने जितने कृषि विज्ञान केन्द्र दिये हैं, उसका कुछ परिणाम आया है? क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी योजनाएं कागज पर आदर्श और अच्छी रहती हैं लेकिन उनका परिणाम जब हम देखते हैं तो लोगों का रिएक्शन उसके बारे में बहुत गलत होता है। क्या इसके बारे में आपने कोई उपाय किये हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: कृषि विज्ञान केन्द्रों के कामों पर हमने विचार किया है, काफी कृषि विज्ञान बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती रजनी पाटील: इसीलिए मेरा पूछना यह है कि आपने इसके लिए कोई कमेटी बनाई या कोई और स्टेप्स लिये हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: इन केन्द्रों का काम अच्छे ढंग से चले, उसके लिए हमने एक सोशल ऑडिट कमेटी बनाई है, जिसमें एक एम. पी., एक एम.एल.ए., एक एग्री., साइंटिस्ट और एग्री. इकोनोमिस्ट हैं और उस राज्य का ए.पी.सी. भी है। इस कमेटी को तमाम विज्ञान केन्द्रों की जांच करके रिपोर्ट भेजनी है। माननीय सदस्यों ने इसे शुरू किया है, कुछ और तेजी से कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

*147. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया है ताकि गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि अदा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस मौसम में अब तक चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है तथा कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाना है;

(ग) उक्त निर्णय लिये जाने के समय चीनी के राष्ट्रीय स्टाक की स्थिति क्या थी; और

(घ) कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया जा चुका है तथा उसका लागत दर तथा देशवार ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार चीनी के निर्यात की अनुमति प्रदान कर रही है ताकि फैक्ट्रियाँ अधिशेष खुली बिक्री स्टॉक तथा गन्ना बकाये का निपटान कर सके।

(ख) और (ग) चालू चीनी मौसम में 31.1.1997 तक चीनी का कुल उत्पादन 55.17 लाख टन था। इसमें से 4.50 लाख टन खुली बिक्री चीनी की दिसम्बर, 1996 से किस्तों में सामान्य निर्यात की अनुमति दे दी गई है। उस समय 7.12.96 तक, लेवी तथा खुली बिक्री चीनी—दोनों के डिस्पैचों को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्टॉक लगभग 65 लाख टन था।

(घ) 4.50 लाख टन आबंटन के प्रति निर्यात की स्थिति निम्नवत थी:-

क्र.सं.	दिनांक 1996-97	आबंटन (लाख टन)	पार्टी	*निर्यात (लाख टन)	देश
1.	12.12.96	1.00	आई.एस.जी.आई. ई.आई.सी.	0.77	पाकिस्तान, इंडोनेशिया और रूस
2.	3.1.97	1.00	एस.टी.सी.	0.04	पाकिस्तान
3.	4.2.97	2.50	डीजीएफटी/एपेडा	**	
	कुल	4.50		0.81	

* निर्यात के आंकड़े अनंतिम हैं।

** एपेडा ने 17.2.1997 को एक व्यापार नोटिस जारी किया है। इस नोटिस की प्रतिक्रिया के आधार पर असरणीबद्ध पद्धति के तहत निर्यात किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, चीनी उद्योग और किसान दोनों ही एक बहुत बड़े संकट में हैं। चीनी का एक बहुत बड़ा भंडार है और केवल उत्तर प्रदेश में ही किसानों के बकाए लगभग 900 करोड़ रुपए हैं।

इसे देखते हुए, जैसाकि वक्तव्य में कहा गया है सरकार ने 4.5 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी है। परंतु निर्यात सीमा की घोषणा में विलंब किये जाने से कुछ खास प्रत्युत्तर नहीं आया है। केवल 0.81 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में ब्राजील की चीनी आने के कारण कमी आई है।

इसे देखते हुए, क्या सरकार के पास इस संकट को कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन किसानों को बहुत बड़ी बकाया राशि नहीं दी गई है उन्हें शीघ्र ही सहायता प्रदान की जाएगी, की कोई योजना है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा है। भुगतान के संबंध में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, वह मैं समझता हूं कि...

श्री माधवराव सिंधिया: मैंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं पूछा है, मैंने उसको सिर्फ एक उदाहरण के रूप में पेश किया था, मैंने पूरे राष्ट्र की बात की थी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक परसेंट बकाया है, 99 परसेंट भुगतान हो चुका है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। माननीय सदस्य की चिंता निर्यात के संबंध में है कि वह तेजी से कैसे किया जाए ताकि गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि निर्यात के संदर्भ में सरकार ने पिछले सत्र में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में जो शूगर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एक्ट, 1958 था, उसको रिपील करने का एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया था और लोक सभा ने उसको पारित किया था और पारित करने के बाद जब राज्य सभा में यह गया तो उस सदन में इस पर और डिसकशन की मांग हुई। उस समय हमारे पास चीनी का स्टॉक 80 लाख टन था। 31 जनवरी, 1997 में हमारे पास स्टॉक 86.48 लाख टन था। अभी हमने 15 जनवरी को एक आर्डीनेंस जारी किया, जिससे कि चीनी का निर्यात जल्दी और समय से हो सके और किसानों को समय से पैसे का भुगतान हो सके, इस दिशा में सरकार ने तुरंत फैसला लिया है कि अभी हम स्टॉक को रोक नहीं सकते हैं इसलिए हम तत्काल आर्डीनेंस जारी करेंगे और वही हमने 15 जनवरी को किया और उसके तहत इन प्रक्रियाओं को लागू होने में समय लगा है। अभी महानिदेशक, फारेन ट्रेड का दो लाख 50 हजार टन चीनी के निर्यात करने के नोटीफिकेशन हमने जारी कर दिये हैं और जिनको निर्यात करना है वे ए. पी. ई. डी. ए. (एपेडा) में रजिस्ट्रेशन करायें, फिर उनका चीनी का निर्यात होगा। इसमें कोई और बाधा नहीं है। निर्यात करने की प्रक्रिया अध्यादेश के जरिये खुल चुकी है।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: पूरे चीनी चक्र में काफी उतार-चढ़ाव हैं। इसमें एक निर्धारित पद्धति अपनाई जाती है। पहले न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है तब एस. ए. पी. निर्धारित किया जाता है और फिर मिलें कहती हैं कि वे हर साल भुगतान नहीं कर सकती। खेती की पद्धति बदलती है। यह उत्तर प्रदेश में मेंथोल जैसी फसल की तरफ

प्रवृत्त हो जाती है। मैंथोल उत्पादन का जापान को निर्यात किए जाने की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले वर्ष में चीनी की कमी होगी। दाम बढ़ेंगे और मिलों को लाभ होगा। किसान पुन: इस ओर आकर्षित होंगे और फिर गन्ने की अधिकता होगी। इस प्रकार यह एक निर्धारित पद्धति है।

क्या सरकार इस मामले को राज्यों के साथ उठाने और इसे उत्पादन लागत और वसूली लागत से जोड़कर—जैसा कि यह न्यूनतम सांविधिक मूल्य को जोड़ती है–इस ढांचे को तैयार करना चाहती है? इसी प्रकार अगर एस. ए. पी. को किसी फार्मूले से जोड़ने का कोई तरीका होता तो मिलों के मनमाने व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे सरकार के साथ उठा रहे हैं या नहीं? केवल एक वाक्य में उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसके अंतर्गत कोई भी स्टेट एडवाइजरी प्राइस फिक्स नहीं कर सकती, उसे केन्द्रीय सरकार ही फिक्स करेगी। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी बना दी है। हर राज्य में एडवाइजरी प्राइस अलग-अलग दाम रहे हैं। हम जो स्टेट्यूटरी मिनिमम प्राइस फिक्स करते हैं, वह एक दाम हैं। इस बार हमने स्टेट्यूटरी प्राइस बढ़ा दी है, पिछले साल के 42 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर इसे 45 रुपए 90 पैसे कर दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पर्यावरणीय परियोजनाएं

*141. **श्री आर. एल. पी. वर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र की सहायता से शुरू की गई पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों तथा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली सम्भावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में बिहार में केन्द्र सरकार की सहायता से शुरू की गई पर्यावरणीय परियोजनाओं और उनके वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी चल रही परियोजनाओं के निकट भविष्य में चलते रहने की संभावना है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रमुख उद्देश्य	केन्द्रीय वित्त पोषण के मानदंड	स्थिति	गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	गंगा कार्य योजना चरण-I	नदी जल प्रदूषण का निवारण	100%	चल रही है।	130.00	45 योजनाओं में से 41 योजनाएं पूर्ण
2.	गंगा कार्य योजना चरण-II	नदी जल प्रदूषण का निवारण	50%	–वही–	158.03	17 परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. स्वीकृत
3.	राष्ट्रीय नदी कार्य योजना	नदी जल प्रदूषण का निवारण	50%	–वही–	132.23	9 योजनाओं के लिए डी पी आर स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
4.	विस्तृत परियोजना व्यावहारिता प्रतिवेदनों की तैयारी	झील/नदियों के प्रदूषण का निवारण	50%	पायलट अध्ययन	10.00	3 झीलों अर्थात मोती झील, मुजफ्फरपुर मैन, बरेला चौर और 3 नदियों अर्थात् गंडक, बागमती बूढ़ी गंडक का अध्ययन शुरू
5.	पर्यावरण वाहिनी योजना	सक्रिय जन-भागीदारी के लिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100%	चल रही है।	0.34	हजारीबाग, रोहतास और रांची जिलों में 3 पर्यावरण वाहिनियां गठित
6.	कबार झील का संरक्षण	कबार झील की प्रबंध कार्य योजना का कार्यान्वयन	100%	-वही-	31.36	लागू नहीं
7.	प्रदूषण के निवारण के लिए सहायता	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ करना	100%	-वही-	15.20	वित्तीय संस्वीकृति के आधार पर लक्ष्य निर्धारित

डी.पी.आर. : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

[अनुवाद]

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान

***148. श्री एल. रमना:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार से पर्यटकों और ट्रेकरों के लिए बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्यान को यहां के स्थानीय लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ के लिए खोलने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, हाँ। नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अवक्रमित और प्रदूषित पारि-प्रणाली का पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए इसमें दर्शकों और पालतू पशुओं के प्रवेश पर सख्ती से नियंत्रण लगाना जरूरी समझा गया है। तदनुसार, उद्यान में सभी ट्रेकिंग और पर्वतारोहण अभियान निषिद्ध कर दिए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक लाभों के लिए नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बाहर सामान्य विकास गतिविधियों और पारि-विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में कल्याण योजनाएं

***149. श्री भगवान शंकर रावत:**
श्री एन. एस. वी. चित्तयन:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ जिलावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) कल्याण योजनाओं और उन पर वहन किये गये व्यय का ब्यौरा:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त धनराशि	
		1994-95	1995-96
1	2	3	4
1. अनुसूचित जाति विकास			
1.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	6297.51	5839.03
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	282.77	–
3.	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास	4505.00	3816.00
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	735.68	1685.24
5.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	166.31	162.16
6.	पुस्तक बैंक	54.00	15.00
7.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	–	31.82
8.	अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	–	66.90
9.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	–	–
10.	अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की प्रतिभा उन्नयन	4.93	–
11.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन	178.51	399.43
12.	अनसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (स्वैच्छिक संगठनों को सीधे सहायता दी जाती है)	198.06	170.95
2. अनुसूचित जनजाति विकास			
1.	आदिवासी उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	70.41	104.08
2.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	31.50	31.50
3.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	–	1.12
4.	गैर-सरकारी संगठन	3.25	6.19

1	2	3	4
3. अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों का कल्याण			
1.	परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	34.84	36.72
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	1376.41	93.68
3.	बहुक्षेत्रीय विकास योजना	शून्य	28.60
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	949.00	121.00
4. विकलांग कल्याण			
1.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	162.74	562.03
2.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	59.41	75.33
3.	विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	141.00	1.01
4.	सहायक यंत्र एवं उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता	693.63	582.00
5. समाज रक्षा			
1.	बेसहारा बच्चों का कल्याण	22.65	14.80
2.	वयोवृद्धों का कल्याण	75.02	70.72
3.	समाज रक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	–	23.11
4.	किशोर समाज कुसंमजन निवारण एवं नियंत्रण	45.15	–
5.	शिशु गृह योजना	1.27	3.93
6.	मद्य निषेध एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम की योजना	140.09	135.39

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का जिला-वार आबंटन नहीं किया जाता। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों को उससे प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलभ्यता

*150. **श्री काशी राम राणा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलभ्यता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलभ्यता में कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) देश में पिछले कुछ वर्षों में अनाज की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता में सामान्यत: वृद्धि हुई है।

पिछले चार वर्षों अर्थात् 1993 से 1996 तक अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार है:-

वर्ष	अनाज की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता (कि.ग्रा./वर्ष)
1993	169.4
1994	172.0
1995	185.3
1996	181.3

(ख) देश में 1996 में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी का कारण अनाज के उत्पादन में 6.46 मिलियन टन की कमी तथा जनसंख्या में वृद्धि है।

(ग) समुचित मूल्यों पर अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनाज के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

इस संबंध में सरकार फसलों से संबंधित निम्नलिखित योजनाएं चला रही है:-

(i) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

(ii) गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

(iii) मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

(iv) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

[अनुवाद]

धार्मिक अल्पसंख्यक बहुल जिले

*151. **श्री मुख्तार अनीस:**
श्री विजय गोयल:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को धार्मिक अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों में से प्रत्येक जिले में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की कुल आबादी में प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की कुल आबादी की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) उन जिलों में उन्हें कौन सी सुविधाएं व रियायतें प्रदान की गई हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) सरकार ने 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की है। हाल ही में मंत्रालय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संशोधित सूची प्राप्त हुई है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्यक की कुल जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है:

मुस्लिम	-	12.12%
ईसाई	-	2.34%
सिख	-	1.94%
बौद्ध	-	0.76%
पारसी	-	0.01%

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

	जिला	मुस्लिम	प्रतिशतता	ईसाई	प्रतिशतता	सिख	प्रतिशतता	बौद्ध	प्रतिशतता	पारसी	प्रतिशतता	कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या	जिले की कुल जनसंख्या	जिले के लिए अल्पसंख्यक जनसंख्या की प्रतिशतता.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर प्रदेश														
1.	रामपुर	556532	47.22	7366	0.62	41589	3.53	120	0.01	1	0.00	607807	1178621	51.57
2.	बिजनौर	765063	39.45	1818	0.09	22494	1.16	751	0.04	शून्य		790525	1939261	40.76
3.	मुरादाबाद	1198807	38.06	6737	0.21	7939	0.25	1324	0.04	शून्य		1215106	3149406	38.58
4.	सहारनपुर	843399	31.55	3698	0.14	21188	0.79	623	0.02	शून्य		880731	2673561	32.94
5.	मुजफ्फर नगर	653584	28.74	1770	0.08	8989	0.40	565	0.02	शून्य		665175	2274487	29.25
6.	मेरठ	700144	25.30	9938	0.36	6597	0.24	4241	0.15	शून्य		721052	2767246	26.06
7.	बहराइच	554404	25.02	1767	0.08	3441	0.16	84	0.00	शून्य		560013	2216245	25.27
8.	गोंडा	637222	22.48	360	0.01	959	0.03	शून्य	0.00	शून्य		638620	2834562	22.53
9.	गाजियाबाद	390124	21.17	1606	0.09	8202	0.45	1253	0.07	शून्य		402676	1843130	21.85
10.	पीलीभीत	212938	21.12	1255	0.12	39323	3.90	1	0.00	शून्य		254358	1008312	25.23
11.	देवरिया	724329	20.72	1354	0.04	132	0.00	102	0.00	शून्य		725926	3496564	20.76
12.	बाराबंकी	407404	20.45	572	0.03	234	0.01	74	0.00	शून्य		408300	1992074	20.50
13.	बस्ती	729866	20.40	1052	0.03	325	0.01	457	0.01	शून्य		731700	3578069	20.45
पश्चिम बंगाल														
14.	मुर्शिदाबाद	2169121	58.66	3760	0.10	399	0.01	81	0.00	शून्य		2173408	3697552	58.78
15.	मालदा	919918	45.27	4020	0.20	127	0.01	108	0.01	शून्य		924283	2031871	45.49

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	पश्चिम दीनाजपुर	860797	35.79	19481	0.81	153	0.01	279	0.01	शून्य		881927	2404947	36.67
17.	बीरभूम	469212	22.39	5010	0.24	258	0.01	123	0.01	शून्य		656420	2095829	31.32
18.	नादिया	713776	24.08	20504	0.69	204	0.01	230	0.01	शून्य		734721	2964253	24.79
19.	24-परगना (उत्तर)	2563751	23.87	55381	0.52	6913	0.06	4526	0.04	5	0.00	2630708	10739439	24.50
20.	24-परगना (दक्षिण)													
21.	कूच बिहार	368176	20.78	1333	0.08	14	0.00	273	0.02	शून्य		379799	1771643	21.44
22.	हावड़ा	598448	20.52	4640	0.16	2478	0.08	645	0.02	9	0.00	606248	2916861	20.78
केरल														
23.	मालापुरम	1573988	65.51	57217	2.38	2	0.00	शून्य	0.00	शून्य		1631207	2402701	67.89
24.	कोझकोडे	762207	33.95	107711	4.80	30	0.00	6	0.00	7	0.00	869954	2245265	38.75
25.	कन्नानोर	720192	25.69	267710	9.55	110	0.00	1	0.00	4	0.00	988013	2803467	35.24
26.	पालघाट	472787	23.13	76690	3.75	7	0.00	7	0.00	शून्य		549491	2044399	26.88
27.	ह्वानद	136091	24.56	135504	24.46	64	0.01	3	0.00	शून्य		271602	554026	49.02
बिहार														
28.	पूर्णिया	1495557	41.59	3408	0.09	645	0.02	57	0.00	शून्य		1499434	3595707	41.70
29.	कटिहार	527379	36.92	2166	0.15	1116	0.08	186	0.01	शून्य		531024	1428622	37.17
30.	दरभंगा	432751	21.55	764	0.04	403	0.02	8	0.00	शून्य		433930	2008193	21.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कर्नाटक													
31. बिदार	179295	17.99	29250	2.94	428	0.04	20804	2.09	शून्य		229822	996591	23.06
32. गुलबर्गा	345638	16.61	14302	0.69	203	0.01	531	0.03	शून्य		360987	2080643	17.35
33. बीजापुर	305159	12.71	2704	0.11	127	0.01	20	0.00	9	0.00	309105	2401782	12.87
महाराष्ट्र													
34. ग्रेटर मुम्बई	1219930	14.80	394687	4.79	51808	0.63	467716	5.67	50053	0.61	2188158	8243405	26.54
35. औरंगाबाद	388646	15.97	23972	0.99	2640	0.11	192094	7.89	86	0.00	607850	2433420	24.98
आन्ध्र प्रदेश													
36. हैदराबाद	811787	35.91	62689	2.77	7848	0.35	1421	0.06	391	0.02	884156	2260702	39.11
37. कर्नूल	407981	16.95	69567	2.89	55	0.00	शून्य	0.00	शून्य		477616	2407299	19.84
हरियाणा													
38. गुड़गांव	261645	30.80	658	0.08	4032	0.47	94	0.01	शून्य		266449	849598	31.36
मध्य प्रदेश													
39. भोपाल	209389	23.40	10929	1.22	6765	0.76	8133	0.91	10721		236485	894739	26.43
राजस्थान													
40. जैसलमेर	56378	23.19	124	0.05	383	0.16	शून्य	0.00	शून्य		169094	243082	69.56
गुजरात													
41. कच्छ	197164	18.77	1277	0.12	929	0.09		0.00	11	0.00	199453	1050161	18.99

विवरण II

वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार ने 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एक बहु-क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की है जिसे कल्याण मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जा रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए 1.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई, जिसमें से 55.40 लाख रु. की राशि अब तक निर्मुक्त कर दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के माध्यम से अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं:-

(1) **शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम:** यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े उन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मूलभूत शैक्षिक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1993-94 में शुरू की गई थी जिनके लिए प्रारंभिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आठवीं योजना के 16.27 करोड़ रु. के आबंटन में से, इस योजना के अंतर्गत 8.97 करोड़ रु. खर्च किया गया है।

(2) **मदरसा और मकतब का आधुनिकीकरण:** इस योजना का उद्देश्य विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि अतिरिक्त विषयों की पढ़ाई शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मदरसा और मकतबों के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है। आठवीं योजना के 1.00 करोड़ रु. के आबंटन के मुकाबले इन योजनाओं पर 1.72 करोड़ रु. की राशि का वहन किया गया।

(3) **सामुदायिक पॉलिटेक्निक्स:** यह योजना वर्ष 1978-79 में शुरू की गई और इसके अंतर्गत सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के लिए, तथा 100 से अधिक अभिज्ञात तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यवसायों में अनौपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार तथा दैनिक रोजगार के अवसर के सृजन के लिए मुख्य केन्द्रों के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई।

गेहूं की खरीद

*152. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने धनराशि के अभाव में नहीं अपितु प्राइवेट डीलरों के साथ सांठ-गांठ करने के कारण गेहूं नहीं खरीदा था जबकि पंजाब के बाजारों में गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध था;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की इस चूक की जांच कराने के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर की जाती है। सरकार द्वारा वसूली मूल्य यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किये जाते हैं कि किसानों को मजबूरन बिक्री न करनी पड़े। किसान उन मूल्यों पर अपना उत्पाद अन्य को बेचने के लिए स्वतंत्र है जो उनके लिए लाभकारी हों।

इस संबंध में पंजाब सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आटा मिलों को गेहूं का आवंटन

*153. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल:**
श्री विनय कटियार:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने अपने प्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए आटा मिलों को निगम के गेहूं का आवंटन/आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान पकड़े गए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके परिणामस्वरूप देश में खुले बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के आवंटन में अनियमितताओं की कुछ घटनाएं नोटिस में आई हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) रोलर फ्लोर मिलों को आपूर्ति किए गए गेहूं की मात्रा काफी कम है। अत: इसका गेहूं के मूल्यों में हुई वृद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं है। खाद्यान्नों को उपभोक्ताओं की आवश्यकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से पूरी की जाती है। जिनके लिए मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हाल में भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के सतर्कता प्रभाग में एक विशेष स्क्वाड बनाया गया है। स्क्वाड का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार प्रधान क्षेत्रों में अचानक जांच की आवृत्ति/अन्वेषण में तेजी लाना है इन क्षेत्रों में वसूली केन्द्र, रेल शीर्ष और अधिक हानि वाले डिपो शामिल हैं। यदि किसी के द्वारा प्राधिकार का दुरुपयोग करने संबंधी मामला प्रकाश में आता है तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। अनुदेशों में किसी भी श्रेणी के उपयोगकर्ता के लिए विहित सीमा से अधिक गेहूं का आवंटन करने में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं है।

विवरण

रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं के आवंटन में अनियमितताओं संबंधी उन मामलों का राज्यवार ब्यौरा जिनका पता पिछले एक वर्ष के दौरान लगाया गया है

क्र.सं.	राज्य	मामले का सार	की गई कार्रवाई
1.	केरल	कार्य न कर रही रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं जारी करने के मामले का पता चला है।	दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।
2.	पश्चिम बंगाल	जुलाई, 1996 के दौरान पांच रोलर फ्लोर मिलों को विहित सीमा से अधिक गेहूं जारी किया गया है।	जिस संयुक्त प्रबंधक (पी.ओ.) ने रोलर फ्लोर मिलों को अधिक मात्रा में गेहूं जारी किया गया था उसे संयुक्त प्रबन्धक (पी.ओ.) के पद से बदल दिया गया है।
3.	उड़ीसा	कुछ पार्टियों/रोलर फ्लोर मिलों को विहित सीमा से अधिक गेहूं जारी किया गया था।	उड़ीसा में खुली बिक्री योजना के अधीन गेहूं की बिक्री करने के समय अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्ड के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।
4.	हरियाणा	तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध 6.1.1997 को रोहतक में जिला पुलिस प्राधिकारियों द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट में प्रमुख आरोप यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम हरियाणा के एजेंटों ने खुली बिक्री योजना के अधीन गेहूं का आवंटन करने के लिए अवैध पारितोषण मांगा था। प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट में प्राईवेट व्यापारियों के अलावा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम हरियाणा और दो अन्य के नाम हैं।	भारतीय खाद्य निगम के दो कर्मचारी और तीन अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को मुअत्तल भी किया गया है। तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा की सेवाएं उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दी गई हैं। जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद

*154. **श्री संतोष मोहन देव:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा जल बंटवारे के लिए भारत-बंगलादेश समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद समाप्त करने के लिए बंगलादेश ने भारत की सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में उसके बाद उग्रवाद पर किस सीमा तक नियंत्रण किया गया है;

(घ) क्या बंगलादेश ने चकमा शरणार्थी समस्या को सुलझाने के लिए सहमति जतायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (ग) बंगलादेश की नई सरकार के सकारात्मक रवैये से यह संभावना है कि बंगलादेश में विद्रोहियों को बेस और ट्रांजिट सुविधाओं की मनाही होगी और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा परिदृश्य में सुधार आने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ) बंगलादेश सरकार ने चकमा शरणार्थियों के त्वरित प्रत्यावर्तन के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। चकमा शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन शीघ्रता से करने के लिए बंगलादेश में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने 27 फरवरी से 1 मार्च, 1997 के बीच त्रिपुरा में चकमा शिविरों का दौरा किया।

[हिन्दी]

उर्वरक का आयात

*155. **श्री शिवराज सिंह:**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकृत आयात नीति के परिणामस्वरूप गत छह माह के दौरान काफी अधिक मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका देश की सरकारी तथा निजी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के उर्वरक उत्पादन में कितनी कमी हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी वे तीन मुख्य उर्वरक हैं जिनका इस समय आयात किया जा रहा है। यूरिया, मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन एक मात्र उर्वरक है जिसका आयात सरकारी खाते में नामित सरणीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। सितम्बर, 96 से फरवरी, 97 के दौरान 17.28 लाख मी. टन यूरिया का आयात किया गया जो गत वर्ष के समकालीन अवधि की तुलना में कम है।

डी ए पी और एम ओ पी के आयातों को क्रमश: 17.9.1992 और 17.6.1993 से असरणीबद्ध कर दिया गया। तब से इनका आयात स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है। उर्वरक विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1996-97 (जनवरी, 97 तक) के दौरान 5.05 एल एम टी डी ए पी का आयात किया गया जबकि गत संपूर्ण वर्ष के दौरान 14.06 एल एम टी डी ए पी का आयात किया गया था।

चूंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार नहीं हैं अत: सम्पूर्ण आवश्यकता को आयातों के जरिये पूरा किया जाता है। 1996-97 (जनवरी, 97 तक) के दौरान एम ओ पी के आयात 7.34 लाख मी. टन बताए गए हैं जबकि 1995-96 के दौरान 21.92 लाख मी. टन का आयात किया गया था।

(ग) और (घ) यूरिया और डी ए पी के आयात प्रत्येक वर्ष मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किये जाते हैं। इससे स्वदेशी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न एककों में गैस आपूर्ति के कम स्तर, उपस्कर संबद्ध तकनीकी कठिनाईयों, वित्तीय बाधाओं, औद्योगिक संबंध समस्याओं आदि के कारण 1996-97 (जनवरी, 97) तक के दौरान लक्ष्य की तुलना में यूरिया के संबंध में 5.28 लाख मी. टन कम है। तथापि डी ए पी का उत्पादन उसी अवधि के दौरान लक्ष्य की तुलना में अधिक रहा है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूर्ति

***156. श्री येल्लैया नंदी:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1997 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मासिक आवंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को जितना अतिरिक्त आवंटन किया गया है उसका खाद्यान्नवार और मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों और अन्य मदों की जितनी मात्रा आबंटन के लिए मांग की गई है, उसका खाद्यान्नवार और मदवार ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को की गई अतिरिक्त सप्लाई, उनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं का आवंटन, पिछली मांगों, उठान के रुखों, तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य संगत कारकों के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त अतिरिक्त मांगों पर विचार किया जाता है तथा साथ ही निर्धारित मानदंडों पर सुरक्षित भंडार बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के आधार पर आवंटन किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का आवंटन 1991 की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के आधार पर हर महीने किया जाता है। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति वर्ष एक लाख मी. टन का अतिरिक्त कोटा त्यौहार कोटा के रूप में भी निर्मुक्त किया जाता है, जिसे उनके मासिक लेवी कोटे के अनुपात में उनके इच्छित महीने में आवंटित किया जाता है। चीनी की उपलब्धता की स्थिति बेहतर होने के कारण पंचांग वर्ष 1996 के लिए त्यौहार के कोटे को दुगुना कर दिया गया था और साथ ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिसम्बर, 1996 के माह के बाद से मासिक लेवी कोटे में लगभग 10% की तदर्थ वृद्धि की गई है और तदनुसार रिलीज आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जहाँ तक मिट्टी के तेल का संबंध है, यह प्रयास किया जा रहा है कि जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता, राष्ट्रीय औसत में कम है, उन्हें राष्ट्रीय औसत स्तर तक लाया जाए। इस समय मिट्टी के तेल की अपेक्षित मांग का केवल 60% ही देश के भीतर उत्पादन किया जाता है और शेष मात्रा आयात की जाती है।

जहाँ तक खाद्य तेल का संबंध है जब भी बाजार में इसके मूल्य तेजी से बढ़ते हैं, केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार निगम के जरिए पामोलीन जैसे तेल का आयात करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित करती है।

जहाँ तक साफ्टकोक का संबंध है, राज्य सरकारों को इसका आवंटन सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के पास धारित भंडार में से किया जाता है।

दिसम्बर 1996 से मार्च 1997 के दौरान गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा साफ्टकोक के मासवार तथा राज्यवार आवंटन से संबंधित सूचना संलग्न विवरण पर दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यवार विस्तृत आवंटन (दिस. 1996 से मार्च 1997)

(मी. टन)

राज्य	गेहूं				चावल				चीनी				मिट्टी का तेल				खाद्य तेल				खाद्य कोड			
	दि. 96	जन. 97	फ. 97	मा. 97	दि. 96	जन. 97	फ. 97	मा. 97	दि. 96	जन. 97	फ. 97	मा. 97	दि. 96	जन. 97	फ. 97	मा. 97	दि. 96	जन. 97	फ. 97	मा. 97	दि. 96	जन. 97	फ. 97	मा. 97
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. आन्ध्र प्रदेश	15000	15000	15000	15000	210000	210000	210000	210000	30189	28284	28301	28298	52345	52345	52345	52345								
2. अरुणाचल प्रदेश	600	600	600	600	8600	8600	8600	10600	375	375	375	375	806	806	806	806					100	100	100	100
3. असम	27000	30000	30000	30000	52300	55000	55000	55000	9599	11048	9601	9601	21398	21398	21398	21398					1000	1000	1000	1000
4. बिहार	57100	57100	57100	57100	33500	33500	33500	33500	40748	36748	42748	36748	53959	53959	53959	53959					60000	60000	60000	60000
5. गोवा	3100	3100	3100	3100	7500	7500	7500	7500	653	508	508	508	2306	2306	2306	2306								
6. गुजरात	60000	70000	70000	70000	35000	35000	35000	35000	17589	17588	17589	17589	67862	67862	67852	67862	3000	5000			2000	2000	2000	2000
7. हरियाणा	18550	18560	18560	20000	3000	3000	3000	3000	7004	7057	7004	7057	13258	13258	13258	13258								
8. हिमाचल प्रदेश	10000	12000	12000	12000	11400	11400	11400	11400	1999	2060	1999	2260	4779	4779	4779	4779					2500	2500	2500	2500
9. जम्मू और कश्मीर	30000	30000	30000	30000	44000	44000	44000	44000	3692	3740	4555	3735	9417	8639	8639	8639					2500	2500	2500	2500
10. कर्नाटक	28000	30000	30000	30000	122260	122260	122260	122260	19140	19140	19139	19140	41566	41566	41566	41566	500	2500						
11. केरल	42000	40500	42500	42500	158000	158000	158000	158000	12375	12375	12377	12375	24475	23308	23308	23308								
12. मध्य प्रदेश	50000	50000	60000	65000	48340	60000	60000	60000	28186	28231	28186	28231	42378	42378	42378	42378					5000	5000	5000	5000
13. महाराष्ट्र	80000	90000	100000	100000	71500	71500	71500	71500	33572	33572	33572	33572	128577	128577	128577	128577	2000	2000	800		2000	2000	2000	2000
14. मणिपुर	2700	2700	2700	2700	10000	10000	10000	10000	822	822	822	822	1792	1792	1792	1792					100	100	100	100
15. मेघालय	2500	2500	2500	2500	16500	17000	17000	17000	974	774	774	774	1640	1640	1640	1640					100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16. मिजोरम	1900	1900	1900	1900	8010	8010	8010	8010	367	315	315	315	637	637	637	637				250	250	250	250	
17. नागालैंड	600	800	800	600	6000	7000	7000	6000	697	567	566	566	1118	1118	1180	1118				1000	1000	1000	1000	
18. उड़ीसा	33000	40000	50000	50000	100000	100000	100000	100000	13474	13474	14474	13474	18975	18975	18975	18975				1800	1800	1800	1800	
19. पंजाब	10000	12000	15000	20000	1500	1500	1500	1500	8746	8801	8743	8809	27685	27685	27685	27685								
20. राजस्थान	117000	122000	127000	130000	7000	4000	4000	4000	18799	18801	18802	18801	28813	28813	28813	28813								
21. सिक्किम	600	600	600	600	5300	5300	5300	5300	208	175	175	175	643	643	643	643				1000	1000	1000	1000	
22. तमिलनाडु	22300	22300	22300	22300	147700	165000	165000	165000	23750	23752	23749	23750	59171	56836	56836	56836								
23. त्रिपुरा	1800	1800	1800	1800	16200	16200	16200	16200	1205	1204	1206	1206	2548	2548	2548	2548				500	500	500	500	
24. उत्तर प्रदेश	30000	98800	103800	103800	45800	40000	40000	40000	59252	53429	59253	59427	96017	94071	94071	94071				20000	20000	20000	20000	
25. पं. बंगाल	90000	105000	110000	110000	65000	65000	65000	65000	29093	29092	29092	29092	63634	63634	63634	63634	1000	500		65000	65000	65000	65000	
26. अं.नि. द्वीप स.	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1694	2	–	390	390	390	390		25						
27. चंडीगढ़	1800	1800	1800	1800	300	300	300	300	393	404	389	403	1779	1779	1779	1779								
28. दा.व.न.ह.	250	250	250	750	500	500	500	500	61	61	61	61	264	264	264	264								
29. दमन व दीव	200	200	200	200	600	600	600	600	43	43	43	43	250	250	250	250								
30. दिल्ली	60000	60000	65000	65000	20000	20000	20000	20000	12091	12096	12090	12101	20278	20278	20278	20278	500	500		9000	9000	9000	9000	
31. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	486	–	–	75	75	75	75								
32. पांडिचेरी	750	750	750	750	2000	2000	2000	2000	505	473	473	473	1264	1264	1264	1264								
योग:	856750	920260	975260	989580	1257810	1282170	1282170	1283170	375608	373189	376984	369781	790099	783873	783935	783873	7000	10525	800	173850	173850	173850	173850	

[हिन्दी]

गेहूँ का आयात और वर्तमान स्टाक

*157. **श्री अशोक अर्गल:**
श्री आर. साम्बासिवा राव:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं का दो मिलियन टन से अधिक आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने यह बताया है कि एजेंसियों के पास उपलब्ध स्टाक को ध्यान में रखते हुए हमें और गेहूं का आयात करना होगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय कुल कितना गेहूं उपलब्ध है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयातित गेहूं की आपूर्ति के लिए कौन सी सरकारी एजेंसियां नियुक्त की गई हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितना स्टाक उपलब्ध है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं। सरकार ने 1996-97 के दौरान दो मिलियन टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के पास रखे स्टाक के अलावा 1.2.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 23.60 लाख टन गेहूं का स्टाक होने का अनुमान है।

(ङ) सरकार ने आयातित गेहूं की आपूर्ति करने के लिए किसी अन्य सरकारी एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है। भारत में पहुंचने के पश्चात गेहूं की समस्त मात्रा का भंडारण और वितरण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाएगा। 28.2.97 की स्थिति के अनुसार लगभग पांच लाख टन आयातित गेहूं की कुल आमद होने की आशा है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

*158. **श्री बी. एल. शर्मा ''प्रेम'':**
कर्नल राव राम सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक अपराध दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) से (घ) वर्ष 1995 की तुलना में 1996 के दौरान बड़े अपराध शीर्षों के अधीन अपराध में प्रतिशत वृद्धि/गिरावट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ शीर्षों के अधीन अपराध की घटनाओं में कमी हुई जबकि कुछ अन्य शीर्षों के तहत इसमें वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अपराध दर निम्नलिखित से भी प्रभावित होती है:-(क) प्रतिदिन राजधानी में आती-जाती रहने वाली जनसंख्या में तीव्र वृद्धि; (ख) शहर में होने वाले विभिन्न अपराधों में बाहरी अपराधियों की संलिप्तता; (ग) पारिवारिक चौकसी में शिथिलता; (घ) सामाजिक नियंत्रणों का कमजोर पड़ना और सामाजिक पारस्परिक क्रिया में बढ़ती हिंसा; और (ङ) राजनैतिक एवं ट्रेड यूनियन गतिविधियां। समस्त सूचित अपराधों को बिना किसी अपवाद के दर्ज करने के संबंध में सभी पुलिस थानों को दिये गये निर्देश भी उच्चतर आंकड़ों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेवार हैं।

अपराध निवारण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है:-

(1) गश्त की मौजूदा बीट प्रणाली की समीक्षा की गई है और इसे अधिक प्रभावी बनाया गया है। ज्ञात बदमाशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि न होने के कारण पुलिस के जाल से प्राय: बच निकलने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखो के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।

(2) खतरनाक अपराधियों के आवागमन के बारे में आसूचना लगातार तैयार की जाती है और इन अपराधियों की धर-पकड़ के लिए छापे मारे जाते हैं। खासतौर से अंधेरी रातों में गश्त बढ़ा दी गई है क्योंकि आपराधिक गिरोहों में ऐसी रातों में ही सक्रिय होने की प्रवृत्ति होती है।

(3) जेल से रिहा हुए अपराधियों की गतिविधियों तथा उनके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए साधनों का सत्यापन किया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है।

(4) नौकरों के पूर्ववृत्त सत्यापन अभियान पर नए जोशो-खरोश से काम किया गया। अपने नौकरों का सत्यापन कराने के लिए नागरिकों को सक्रिय करने के लिए विभिन्न कालोनियों में ऐसे अभियान आयोजित किए गए।

(5) राजधानी की विभिन्न कालोनियों में ''पड़ोसी निगरानी योजना'' शुरू की गई है। बीट अधिकारी समय-समय पर वृद्ध नागरिकों के पास जाते रहते हैं।

(6) जघन्य अपराधों का पता लगाने के लिए अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है; और

(7) जघन्य अपराधों सहित गंभीर अपराधों की जांच-पड़ताल प्रभावी तरीके से करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधीन एक विशेष कार्य बल बनाया गया है।

विवरण

1995 और 1996 के दौरान दिल्ली में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अपराध की घटनाओं में प्रतिशत वृद्धि/गिरावट को दर्शाने वाला विवरण

अपराध शीर्ष	1995	1996	1995 की तुलना में 1996 में प्रतिशत बढ़ोत्तरी/गिरावट
हत्या	525	518	-1.33
लूटपाट	553	609	+ 10.13
डकैती	42	32	- 23.81
अपहरण/व्यपहरण	1242	1250	+ 0.64
बलात्कार	377	484	+ 28.38
महिलाओं से छेड़छाड़	521	694	+ 33.20
दहेज मौत	167	133	- 20.36
406 भा.दं.सं. (दहेज से संबंधित)	60	20	- 66.67
498-ए भा.दं.सं. (पति अथवा उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता)	1042	862	- 17.27
दहेज निषेध अधिनियम	15	4	-73.33
महिलाओं का अपहरण/व्यपहरण	877	925	+ 5.47
छेड़खानी	2796	2059	- 26.36

स्वैच्छिक संगठन

*159. **श्री सोहन वीर:**

डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबों, अनाथ बच्चों, पीड़ित महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी इन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96	
		गैर सरकारी संगठनों की सं.	निर्मुक्त राशि	गैर-सरकारी संगठनों की सं.	निर्मुक्त राशि	गैर सरकारी संगठनों की सं.	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	85.32	59	179.44	56	181.78
2.	असम	1	1.47	1	1.53	2	6.53
3.	बिहार	8	13.69	19	48.99	17	48.60
4.	दिल्ली	18	216.89	21	246.05	18	228.88
5.	हरियाणा	3	5.63	7	15.42	5	16.54
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2.40	–	–	–	–
7.	जम्मू और कश्मीर	1	2.42	1	1.22	–	–
8.	कर्नाटक	17	71.62	22	124.82	22	117.95
9.	मध्य प्रदेश	7	15.88	13	33.39	13	35.90
10.	महाराष्ट्र	3	48.54	7	52.42	7	52.51
11.	मणिपुर	5	9.78	6	13.91	6	15.55
12.	उड़ीसा	16	30.06	28	95.96	28	62.99

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	राजस्थान	6	7.15	13	13.34	12	20.08
14.	तमिलनाडु	5	13.88	11	23.72	10	18.77
15.	त्रिपुरा	1	1.06	2	5.07	2	5.54
16.	पंजाब	–	–	2	3.78	2	1.45
17.	उत्तर प्रदेश	52	101.27	74	198.86	71	170.75
18.	पश्चिम बंगाल	22	116.53	26	117.39	27	95.72
19.	चंडीगढ़	–	–	1	0.75	1	1.10
	कुल	199	743.59	313	1169.76	299	240.64

अनुसूचित जनजाति विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

1.	आन्ध्र प्रदेश	4	10.74	7	9.18	10	27.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	71.89	5	83.39	5	84.50
3.	असम	4	20.65	4	25.94	3	15.09
4.	बिहार	6	31.62	6	34.95	8	35.26
5.	गुजरात	2	4.32	2	2.36	1	1.07
6.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	1	10.81
7.	कर्नाटक	2	19.44	3	22.15	3	15.80
8.	केरल	5	19.70	5	28.11	5	29.42
9.	मध्य प्रदेश	2	15.85	2	3.91	2	12.54
10.	महाराष्ट्र	6	42.62	5	56.96	6	40.73
11.	मणिपुर	1	1.05	2	3.97	2	3.05
12.	मेघालय	2	52.34	2	48.63	2	68.91
13.	नागालैंड	1	1.08	–	–	2	1.96
14.	नई दिल्ली	5	29.79	5	63.67	5	36.75
15.	उड़ीसा	10	43.37	15	52.86	16	70.63
16.	राजस्थान	1	10.49	1	11.36	1	10.79
17.	तमिलनाडु	2	12.19	4	12.89	4	17.80
18.	त्रिपुरा	–	–	2	4.22	2	1.45
19.	उत्तर प्रदेश	1	1.28	1	3.25	1	6.18
20.	पश्चिम बंगाल	7	14.73	8	25.81	7	40.11

1	2	3	4	5	6	7	8
विकलांग कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान							
1.	आन्ध्र प्रदेश	27	99.40	49	279.08	50	432.27
2.	असम	1	0.51	4	5.81	2	3.76
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	0.96	–	–
4.	बिहार	13	27.50	24	46.66	21	60.72
5.	चण्डीगढ़	2	1.16	2	0.90	2	2.33
6.	दिल्ली	22	107.29	33	159.45	30	149.74
7.	गोवा	1	4.84	2	6.65	2	7.47
8.	गुजरात	17	22.42	16	32.74	13	28.49
9.	हरियाणा	–	–	5	15.87	6	14.96
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	26.28	1	15.36
11.	जम्मू और कश्मीर	2	3.48	2	4.45	2	3.08
12.	कर्नाटक	25	114.25	48	207.43	43	216.68
13.	केरल	28	59.71	44	138.95	46	158.33
14.	मध्य प्रदेश	9	15.54	13	8.71	4	1.87
15.	महाराष्ट्र	25	79.66	46	106.40	22	80.61
16.	मणिपुर	2	8.30	3	17.61	3	17.98
17.	मेघालय	2	2.98	2	4.98	2	4.25
18.	मिजोरम	–	–	1	2.16	1	3.04
19.	उड़ीसा	4	10.64	10	32.71	7	37.97
20.	पांडिचेरी	–	–	1	2.50	–	–
21.	पंजाब	–	–	8	13.89	6	13.91
22.	राजस्थान	5	22.74	7	36.47	7	38.05
23.	तमिलनाडु	33	70.73	64	146.20	49	99.59
24.	त्रिपुरा	2	3.11	2	7.75	1	1.79
25.	उत्तर प्रदेश	35	152.87	75	364.17	53	639.17
26.	प. बंगाल	22	273.24	31	166.34	28	164.04

1	2	3	4	5	6	7	8
समाज रक्षा प्रभाग के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (अनाथ बच्चे)							
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	3.87	7	26.31	8	26.27
2.	असम	–	–	3	3.60	2	6.05
3.	गुजरात	7	8.05	9	25.02	7	28.91
4.	कर्नाटक	3	6.44	6	22.09	6	17.06
5.	केरल	2	1.62	2	3.39	2	5.82
6.	मध्य प्रदेश	–	–	3	9.23	4	16.38
7.	महाराष्ट्र	24	32.87	26	65.29	20	38.18
8.	मणिपुर	–	–	1	5.54	1	3.70
9.	मिजोरम	–	–	1	1.23	–	–
10.	उड़ीसा	6	8.14	6	9.78	6	16.27
11.	राजस्थान	–	–	4	3.63	3	11.97
12.	तमिलनाडु	9	23.90	9	45.42	10	23.30
13.	त्रिपुरा	–	–	–	0.52	1	2.40
14.	उत्तर प्रदेश	6	12.33	6	23.91	18	18.73
15.	पश्चिम बंगाल	9	25.57	26	80.87	23	96.64
16.	दिल्ली	10	18.22	9	23.53	9	34.96
17.	हरियाणा	1	1.62	–	–	–	–

[अनुवाद]

परिवहन संबंधी अड़चनों के कारण गेहूं की कमी

*160. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों और भारतीय खाद्य निगम के विचारानुसार गेहूं की वर्तमान कमी परिव्यय संबंधी अड़चनों के ही कारण है;

(ख) क्या ऐसी खबर है कि यदि परिवहन संबंधी अड़चनों को शीघ्र ही दूर नहीं किया गया तो चावल की भी कमी हो सकती है;

(ग) क्या विभिन्न स्थानों में गेहूं और चावल के परिवहन हेतु रेलवे तथा अन्य परिवहन एजेंसियों से परिवहन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान वर्ष 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उठान में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई। यह उठान 55 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की बढ़ी हुई मांग को पिछले कुछ महीनों में संचलन के लिए रेलवे रैकों की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करके पूरा किया गया है। खाद्यान्नों के संचलन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख रेल मार्गों पर ''इन्फ्रास्ट्रक्चर'' को मजबूत करने सहित विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। चूंकि तटवर्ती राज्यों में गेहूं की मांग अधिकांशत: आयातित गेहूं से पूरी कर लिए जाने की संभावना है इसलिए उत्तरी भाग से चावल का संचलन करने के लिए अधिक रेलवे रैक्स उपलब्ध हो सकेंगे।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए रेल मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बनाए रखा जाता है और बैठकें की जाती हैं।

अर्जेन्टीना का गेहूं

1520. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय राज्य व्यापार निगम को अर्जेन्टीना से गेहूं आयात की संभावना पर विचार करने के लिए अंतिम रूप से निर्देश दिए हैं क्योंकि अर्जेन्टीना का गेहूं आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के गेहूं से सस्ता है और एक मिलियन टन से अधिक का अनुबंध पहले ही किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्जेन्टीना से गेहूं मंगवाने का अभी तक आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि इस गेहूं के बारे में धारणा यह है कि यह केवल डबलरोटी बनाने के लिए उपयुक्त है न कि चपाती बनाने के लिए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास/मुम्बई पत्तन पर 173 अमरीकी डालर प्रति टन (सी. एण्ड एफ.) की दर पर अर्जेन्टीना से एक लाख टन गेहूं का आयात करने के ठेके को अंतिम रूप दिया है।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई

1521. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के विस्तार को बढ़ावा दे रही है और इस उद्देश्य के लिए 90 प्रतिशत छूट प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली लागू की जा रही है और इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य-वार कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि की राजसहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस योजना का लाभ सीमित क्षेत्रों के केवल बड़े किसान ही उठा रहे हैं और अधिकांश किसान इस छूट का उपयोग केवल पाईप खरीदने में ही कर रहे हैं और वे शेष उपकरण खरीद ही नहीं पाते; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे/सीमांत तक महिला किसानों को 90 प्रतिशत राजसहायता और अन्य किसानों को 70 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है।

(ख) टपका सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र तथा स्थापित छिड़काव प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए टपका और छिड़काव सिंचाई पद्धतियों के लिए आबंटित धन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण III और IV में दिया गया है।

(घ) राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिकतर किसान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजति, छोटे और सीमांत तथा महिला किसान हैं। राजसहायता तभी निर्मुक्त की जाती है यदि पूरी टपका सिंचाई स्थापित हो जाये और राज्यीय अधिकारी उसका सत्यापन कर दें।

(ङ) नियमित मानिटरिंग, टपका सिंचाई के प्रदर्शन, राज्यीय पदाधिकारियों तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके तथा अनुकूली अनुसंधान आयोजित करके इस योजना के उद्देश्य हासिल किये जाते हैं।

विवरण I

वर्ष 1992-96 के दौरान टपका सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (है. में)

क्रम सं.	राज्य	कुल (1992-96) उपलब्धि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	7245.00
2.	असम	0.00
3.	बिहार	0.00
4.	गोवा	204.72
5.	गुजरात	3670.00
6.	हरियाणा	1123.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17.39
8.	जम्मू और कश्मीर	31.00
9.	कर्नाटक	14719.00
10.	केरल	3439.00
11.	मध्य प्रदेश	1447.00
12.	महाराष्ट्र	30203.00
13.	मणिपुर	90.00
14.	मेघालय	0.00
15.	मिजोरम	0.00
16.	नागालैंड	175.00
17.	उड़ीसा	1276.00
18.	पंजाब	709.00
19.	राजस्थान	842.50
20.	तमिलनाडु	12209.00
21.	त्रिपुरा	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	467.00
23.	पश्चिम बंगाल	9.00
24.	सिक्किम	79.00
25.	दादर और नागर हवेली	3.00
26.	दमन और दीव	28.65
27.	दिल्ली	4.00
28.	लक्षद्वीप	0.00
29.	अरुणाचल प्रदेश	75.00
30.	चण्डीगढ़	0.00
31.	अंडमान और निकोबार	0.00
32.	पांडिचेरी	60.00
	योग	78151.26

विवरण II

वर्ष 1992-96 के दौरान छिड़काव सिंचाई प्रणाली के लिए लगाए गए सेटों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	लगाए गए सेटों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	13411
2.	गुजरात	10789
3.	हरियाणा	3328
4.	कर्नाटक	5194
5.	मध्य प्रदेश	10097
6.	महाराष्ट्र	13785
7.	राजस्थान	22723
8.	तमिलनाडु	10811
9.	उत्तर प्रदेश	8013
10.	अन्य राज्य	1591
	योग	99742

विवरण III

टपका सिंचाई के तहत 1996-97 के दौरान दी गई राजसहायता

क्रम सं.	राज्य का नाम	रुपये (लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	944.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.90
3.	असम	55.09
4.	बिहार	184.16
5.	गोवा	25.10
6.	गुजरात	321.84
7.	हरियाणा	142.37
8.	हिमाचल प्रदेश	16.20
9.	जम्मू और कश्मीर	17.42
10.	कर्नाटक	832.66
11.	केरल	168.89
12.	मध्य प्रदेश	321.10
13.	महाराष्ट्र	1485.22
14.	मणिपुर	5.99
15.	मेघालय	5.99
16.	मिजोरम	6.08
17.	नागालैंड	12.15
18.	उड़ीसा	129.62
19.	पंजाब	54.86
0.	राजस्थान	60.71
1.	सिक्किम	5.99
2.	तमिलनाडु	370.10
3.	त्रिपुरा	8.37
1.	उत्तर प्रदेश	59.36
.	पश्चिम बंगाल	11.97
	दादर और नागर हवेली	4.45
	दिल्ली	3.25
28.	दमन और दीव	4.45
29.	लक्षद्वीप	4.45
30.	पांडिचेरी	0.00
	कुल	5272.18

विवरण IV

छिड़काव सिंचाई के अंतर्गत 1996-97 के दौरान दी गई राजसहायता

(रु. लाखों में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	1996-97 के दौरान आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1540.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.75
3.	असम	18.75
4.	बिहार	276.25
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	693.50
7.	हरियाणा	606.00
8.	हिमाचल प्रदेश	18.75
9.	जम्मू और कश्मीर	19.00
10.	कर्नाटक	788.50
11.	केरल	–
12.	मध्य प्रदेश	2147.75
13.	महाराष्ट्र	1789.37
14.	मणिपुर	89.00
15.	मेघालय	1.87
16.	मिजोरम	1.87
17.	नागालैंड	1.87
18.	उड़ीसा	665.75
19.	पंजाब	37.50
20.	राजस्थान	2095.87

1	2	3
21.	सिक्किम	7.50
22.	तमिलनाडु	1087.25
23.	त्रिपुरा	-
24.	उत्तर प्रदेश	1152.81
25.	पश्चिम बंगाल	37.50
	योग	14233.97

[अनुवाद]

भूमि सीमा समझौता

1522. श्री अमर रायप्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान/बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता को लागू करने के संबंध में कौन-कौन से बकाया मुद्दे हैं;

(ख) उन 23 भारतीय इंक्लेव के क्या नाम हैं जिनका हस्तांतरण बांग्लादेश में नहीं किया जा सकता है;

(ग) क्या लंबे समय से सरकार इंक्लेव के हस्तांतरण की समस्या पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक इस समस्या को सुलझा लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) भारत-बंगलादेश भूमि-सीमा समझौता, 1974 से संबंधित तीन लंबित मुद्दे हैं:

(1) इन्क्लेवों की अदला-बदली,

(2) प्रतिकूल कब्जों का हस्तांतरण, और

(3) सीमाकंन के कार्य को पूरा करना।

भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगलादेश के बीच विभाजन रेडक्लिफ अवार्ड के आधार पर किया गया था, जिसने भारत और पूर्वी पाकिस्तान/बंगलादेश के कुछ छोटे इन्क्लेवों को, एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में छोड़ दिया था। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में 11 अहस्तांतरणीय भारतीय इन्कलेव थे। अहस्तांतरणीय इन्क्लेवों का तात्पर्य इन्क्लेवों के भीतर उन इन्क्लेवों या क्षेत्रों से है, जिन्हें पहले इन्क्लेव समझा जाता था लेकिन जो सीमांकन के बाद समीपस्थ हो गए और अब वे इन्क्लेव नहीं रहे।

इन्क्लेवों की अदला-बदली सीधे बंगलादेश के साथ सीमांकन के साथ जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से इसके अनुसार होगी। भारत-बंगलादेश भू-सीमा के लगभग 41 किलोमीटर का सीमांकन अभी पूरा किया जाना है। सरकार का प्रस्ताव बंगलादेश के साथ सीमांकन के कार्य को संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा करने का है।

बांसगांव में बम विस्फोट

1523. श्री रामसागर: क्या **गृह मंत्री** बासगांव में बम विस्फोट के बारे में 27 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3243 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। उत्तर प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार, यह घटना 25.3.1996 को हुई थी। बम विस्फोट के परिणामस्वरूप 11 व्यक्ति मारे गए तथा 41 घायल हुए थे। जांच-पड़ताल से इस घटना में आठ व्यक्तियों के लिप्त होने का पता चला है। पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। एक व्यक्ति ने न्यायालय में समर्पण कर दिया था। दो व्यक्तियों की चल और अचल सम्पत्ति को कुर्क कर लिया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

चीनी की मानक लागत

1524. श्री राम नाईक: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान चीनी मिल परियोजना की मानक लागत निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या मूल्य-वृद्धि होने के कारण मानक लागत तथा वास्तविक लागत में काफी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मानक लागत में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संशोधित मानक लागत को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों के लिए कोई मानक लागत निर्धारित नहीं की

है हालांकि वित्तीय संस्थान परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय वित्तपोषण संबंधी पैटर्न और पूंजी पर लाभ की संभावना को ध्यान में रखते हुए कुछ निश्चित मानकों की पालना कर रहे हैं। वित्तीय संस्थान सामान्यतया ऋण-इक्विटी अनुपात और परियोजना की वित्तीय सक्षमता से संबंधित होते हैं। चूंकि राज्य सरकारें सहकारी समितियों की इक्विटी का अधिकांश भाग देती हैं और इन्हें ऋण की गारंटी भी देनी होती है, इसलिए यूनिट-विशेष के लिए कुल वित्त की उपलब्धता का प्रश्न उनके, सहकारी समिति और वित्तीय संस्थानों के बीच हल किया जाना होता है।

(घ) से (च) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने 2500 टी.सी.डी. की नई चीनी फैक्ट्री की लागत 40 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

ताड़ तेल प्रसंस्करण उद्यम

1525. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आंध्र प्रदेश सहकारी तेल बीज परिसंघ के साथ 17 करोड़ रुपये मूल्य के देश में विकसित ताड़ तेल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी के निर्यात के माध्यम से प्रचुर विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है;

(घ) क्या नई प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे आन्ध्र प्रदेश के लोगों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हाँ। भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा आन्ध्र प्रदेश सहकारी तिलहन संघ के बीच 11.20 करोड़ रुपये के एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) इस समझौता ज्ञापन की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:-

(1) आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले के अश्वरापेट में 10 मीटरी टन ताजा फल गुच्छे/प्रति घंटे की परिसंस्करण क्षमता वाली एक पाम आयल मिल की स्थापना जिसका विकास देश में ही भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा किया गया है।

(2) यह परियोजना भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की निगरानी में प्रोजेक्ट के लिए लाइसेन्स प्राप्त इन्जीनियरिंग कम्पनियों द्वारा किया जाएगा।

(3) इस बात की गारण्टी होगी कि इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हो।

(ग) जी, हां। भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी पैकेज में इतनी क्षमता है कि अफ्रीकी तथा सुदूर पूर्व के देशों को निर्यात किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। प्रति हैक्टेअर पाम आयल की प्राप्ति अन्य सभी तिलहनी फसलों से अधिक है। नयी प्रौद्योगिकी पैकेज से आयल पाम से और अधिक तेल प्राप्त किया जा सकता है और इससे उत्पादकों को अपनी खेती को बढ़ाने के लिए आकृष्ट किया जा सकेगा जिससे खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों में आयल पाम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश सहकारी तिलहन संघ के साथ-साथ निजी उद्यमी भी आयल पाम संसाधन ईकाईयों की स्थापना करने में आगे आये हैं। चूंकि आयल पाम से अन्य परम्परागत तिलहनी फसलों की अपेक्षा अधिक तेल प्राप्त होता है अत: आधुनिक परिसंस्करण ईकाईयों से आयल पाम से और अधिक तेल प्राप्त किया जा सकेगा और आन्ध्र प्रदेश के किसानों को इस फसल की खेती के लिए अधिक लाभ की दृष्टि से आकृष्ट किया जा सकेगा।

पशु विज्ञान केन्द्र

1526. **श्री संदीपान थोरात:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "श्वेत क्रांति" को बढ़ावा देने हेतु पशुपालन के वैज्ञानिक विकास हेतु देश भर में पशुपालन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की राज्य-वार वर्तमान स्थिति और इसमें आने वाली उलझनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) मिश्रित पशुधन उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना की एक नई योजनागत स्कीम को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इस स्कीम में पशुधन प्रदर्शन एककों की स्थापना की व्यवस्था है जिनमें ग्रामीण युवकों को पशुधन के वैज्ञानिक पालन-पोषण में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे उत्पादक और आय सृजन उद्यम के रूप में पशुधन पालन का व्यवसाय कर सकें।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए नि:शक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 को लागू करना

1527. **श्री परसराम भारद्वाज:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अभी तक नि:शक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के उपनियमों, विनियमों को नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक बना लिया जायेगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 75 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने नियम बनाए हैं तथा उन्हें दिनांक 31.12.1996 के एस.ओ. सं. 908 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2-धारा-3-उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। दिनांक 25.2.97 को अधिसूचना की प्रतियां सभा पटल पर रखी गई।

अरालाम के केन्द्रीय राज्य फार्म के लिए वेतन ढांचा

1528. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालाम के श्रमिकों के वेतन ढांचे में संशोधन करने तथा इसे अधीगृहीत करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) केन्द्रीय राज्य फार्म अरालाम कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड की एक इकाई है। भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों के लिए दो प्रकार की वेतन संरचना अपनाई गई है– अर्थात औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न तथा केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न। औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान दिनांक 1.1.1992 से संशोधित किए गए। जहां तक केन्द्रीय राज्य फार्म, आरालाम के कर्मचारियों/मजदूरों की मजदूरी में संशोधन का प्रश्न है, यहां यह उल्लेखनीय है कि उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है।

केन्द्रीय राज्य फार्म आरालाम के कर्मचारियों/मजदूरों की मजदूरी में संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केरल सरकार है। उनकी मजदूरी में संशोधन केरल राज्य सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन करने पर ही किया जाएगा। इस समय केन्द्रीय राज्य फार्म आरालाम के प्रबंध को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर उल्लिखित स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति करने वाली डेरियां

1529. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी को दुग्ध उपलब्ध कराने वाली डेरियां कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन डेरियों के अनुपालनार्थ सांविधिक प्राधिकरण द्वारा क्या मानदंड/नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन डेरियों में दुग्ध उत्पादन के लिए अपनायी गई पद्धतियों में किन्हीं खामियों/हानिकारक पद्धतियों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी अपनी दूध की आपूर्ति राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों के संघों/डेयरियों से प्राप्त कर रही हैं। इन डेयरियों/संघों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ये डेयरियां/संघ खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1955 तथा उसके तहत बने नियमों और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के विभिन्न प्रावधानों द्वारा विनियमित होती हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेयरी को दूध की आपूर्ति करने वाले विभिन्न परिसंघों के संघों/डेयरियों के स्थान

राज्य सहकारी परिसंघ का नाम	दूध की आपूर्ति करने वाली डेयरी/संघ का स्थान	
	दिल्ली दुग्ध योजना	मदर डेयरी
1	2	3
प्रादेशित सहकारी डेयरी परिसंघ लि., लखनऊ	बुलन्दशहर	मुरादाबाद
	मेरठ	अलीगढ़
	अलीगढ़	आगरा
	हापुड़	मुजफ्फरनगर

1	2	3
	मुरादाबाद	हापुड़
	बदायूं	मेरठ
	एटा	बुलन्दशहर
		मथुरा
राजस्थान सहकारी डेयरी	हनुमानगढ़	जोधपुर
परिसंघ, जयपुर	पाल्ली	बीकानेर
	बीकानेर	हनुमानगढ़
	भीलवाड़ा	पाल्ली
	जोधपुर	अजमेर
	अलवर	अलवर
		भीलवाड़ा
हरियाणा डेयरी विकास	रोहतक	रोहतक
सहकारी परिसंघ लि., चण्डीगढ़	जींद	बल्लभगढ़
		अम्बाला
पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध	अमृतसर	लुधियाना
उत्पादक परिसंघ लि., चंडीगढ़	संगरूर	भटिण्डा
	भटिण्डा	पटियाला
	जालन्धर	संगरूर
	पटियाला	जालन्धर
		गुरदासपुर
गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन	कोई नहीं	आणंद
परिसंघ लि., आणंद, गुजरात		गोदरा

परियोजनाओं की स्वीकृति

1530. **श्री चिन्तामन वानगा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नावा मुम्बई स्थित नरूल और दक्षिण मुम्बई में रेडियो क्लब के निकट जल परिवहन परियोजना संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) परियोजना प्रस्तावकों से परियोजना के बारे में अन्य विवरण की प्रतीक्षा है। निर्णय लेने के लिए अपेक्षित आंकड़े प्राप्त होने पर प्रस्ताव की जाँच की जाएगी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

1531. **श्री विश्वेश्वर भगत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत योजना संख्या 5697 की स्वीकृति के संबंध में मार्च, 1996 के दौरान एक उच्च स्तरीय मिशन ने मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो मिशन द्वारा की गई सिफारिशें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) के मूल्यांकन मिशन ने मार्च, 1996 के दौरान मध्य प्रदेश का दौरा दिया।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) मूल्यांकन मिशन ने सिफारिश की कि परियोजना 5697-वानिकी कार्यकलापों के जरिये खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना, के तहत मध्य प्रदेश में खाद्य सहायता को जारी रखा जाए।

(ग) इस परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा जिसको जनवरी, 1997 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में बिक्री

1532. **श्री नामदेव दिवाथे:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार में व्यापारियों को खाद्यान्न बेचने के लिए नियुक्त किए गए भारतीय खाद्य निगम के विपणन अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से सांठगांठ करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्य-वार भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले ध्यान में आए/सूचित किए गए/दर्ज किए गए;

(ग) कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए और कितने मामलों में जांचकार्य पूरा कर लिया गया है और कितने मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के संचालन को सुचारू बनाने और भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जानें का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों

के विरुद्ध ध्यान में लाए गए/सूचित किए गए/पंजीकृत किए गए राज्यवार मामले निम्नानुसार हैं:-

	1994	1995	1996
मुख्यालय	14	18	46
उत्तरी जोन	344	372	608
पश्चिमी जोन	119	105	73
पूर्वी जोन	70	73	45
उत्तर-पूर्वी जोन	23	23	15
दक्षिणी जोन	45	50	90
	615	641	877

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों को सुव्यवस्थित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अपने मुख्यालय के सतर्कता प्रभाग में एक विशेष "स्क्वायड" का गठन किया है। इस "स्क्वायड का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार प्रमुख क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण/जांच की "फ्रीक्वेंसी" बढ़ाना है। इन क्षेत्रों में वसूली केन्द्र, रेल शीर्ष और अधिक हानि वाले डिपो शामिल हैं।

विवरण

केन्द्रीय जांच ब्यूरो आदि को भेजे गए मामले

1. 1996-97 (28.2.1997 तक) के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो को चार मामले भेजे गए थे जो निम्नानुसार हैं:

(i) पंजाब के पटियाला जिले में कथित वित्तीय अनुचित प्रयोग और चावल की उठाईगिरी करने से संबंधित मामला शुरू में स्थानीय पुलिस के पास दर्ज किया गया था। संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात् उपर्युक्त मामला जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है।

(ii) हरियाणा में खाद्यान्नों की ढुलाई पर लगभग 49 लाख रुपए के परिहार्य खर्च और ढुलाई की उच्चतर दर मंजूर करने से संबंधित मामला दिनांक 30.1.97 को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है।

(iii) रोहतक जिले (हरियाणा) में 6.1.97 को एक प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट दाखिल की गई थी जिसमें कुछ पार्टियों को खुली बिक्री के गेहूं के आवंटन में रिश्वत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। खाद्य मंत्रालय ने इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की सिफारिश भेजी थी।

(iv) यह आरोप प्राप्त हुआ था कि जबलपुर से भेजे गए खाद्यान्नों को उसके नजदीक के भारतीय खाद्य निगम के डिपो में पहुंचने में असाधारण रूप से 3-4 महीने का लम्बा समय लग गया। यह भी आरोप लगाया गया था कि ट्रकों द्वारा ले जाया गया स्टाक काला बाजार में बेच दिया गया था। दिनांक 26.2.97 को यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है।

2. अभी तक इन मामलों में से किसी की भी जांच पडताल पूरी नहीं हुई है।

डाबरी गांव में गोलीबारी

1533. श्री आई.डी. स्वामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा डाबरी गांव में दिनांक 15.10.1996 को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के मामले में जांच तथ्यान्वेषी समिति गठित करने के आदेश दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) दिल्ली के उप-राज्यपाल ने इस घटना की जांच के आदेश दिये थे और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

उर्वरकों पर राजसहायता

1534. श्री बादल चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों पर राजसहायतानुदान के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने के बाद संशोधित दरों की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारत सरकार सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन उर्वरकों पर राजसहायता दे रही है। अवधारण मूल्य और अधिसूचित बिक्री मूल्य के अंतर को विवरण की गुंजाइश में से घटाकर

किसी निर्माता इकाई को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। इस राजसहायता के अतिरिक्त भारत सरकार विनियंत्रित फास्फेट युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर भी रियायत दे रही है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने पहली अप्रैल, 1997 से विभिन्न विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की दरों को संशोधित कर दिया है। स्वदेशी डी.ए.पी. पर रियायत की संशोधित दर 3750 रु. प्रति मी. टन, आयातित डी.ए.पी. पर 2250 रुपये प्रति मी. टन, एम.ओ.पी. पर 2,000 रुपये प्रति मी. टन, एस.एस.पी. पर 600 रुपये प्रति मी. टन और स्वदेशी यौगिक उर्वरकों पर समानुपातिक हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद हेतु विनिर्देश

1535. श्रीमती मीरा कुमार: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कुछ निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन कर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो उन विनिर्देशों का विवरण क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न के पहुंचने के बीच इन विनिर्देशों के पालन में शिथिलता आ जाती है;

(घ) क्या विनिर्देशों में इस प्रकार शिथिलता को रोकने हेतु कोई बंदोबस्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय पूल के लिए वसूली एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्नों की वसूली सख्ती से भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार की जाती है। वसूल किए गए खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक ढंग के गोदामों में किया जाता है और अनाज को विभिन्न कारकों से बचाने के लिए आवश्यक रोग निरोधी उपचार किये जाते हैं। कीट जन्तु बाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानदण्डों के अनुरूप गेहूं और चावल का ठोस स्टाक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किया जाता है।

विवरण I

संख्या 8-8/96-एस. एंड आई.
भारत सरकार
खाद्य मंत्रालय
(खाद्य प्रापण और वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर, 1996

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेश।

विषय : विपणन मौसम 1996-97 के लिए धान, चावल और खरीफ के मोटे अनाजों की एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियां।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ विपणन मौसम 1996-97 के लिए धान, चावल और खरीफ के मोटे अनाजों की एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियां अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। तथापि, सुचारू वसूली प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए चावल की खरीदारी अपवर्तन की निम्नलिखित मदों के संबंध में एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियों में अधिकतम विहित सीमा के अतिरिक्त की जा सकती है।

(1) **क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त अनाज:** कच्चे चावल के संबंध में क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त अनाज केवल 3% तक स्वीकार किया जाएगा। 2% तक कोई कटौती नहीं होगी। 2% से 3% तक कटौती 1/2 मूल्य (आधा मूल्य कटौती) की दर पर लागू होगी।

(2) **छोटा टोटा:** समुचित टोटे की प्रतिशतता में किसी प्रकार का परिवर्तन के बिना छोटे टोटे की अधिकतम प्रतिशतता 2% तक वसूल की जाएगी। 1% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी। 1% से 2% तक मूल्य कटौती 1/2 मूल्य (आधा मूल्य कटौती) की दर पर लागू होगी।

(3) **भूसी रहित अनाज:** चावल के सभी समूहों के लिए मूल्य कटौती के साथ भूसी रहित अनाज 13% तक स्वीकार किया जाएगा। 10% तक कोई कटौती नहीं होगी। 10% से ऊपर और 13% तक कटौती 1/4 मूल्य (एक चौथाई मूल्य कटौती) की दर पर लागू होगी।

(4) **निम्नतर श्रेणियों का अपमिश्रण:** चावल खरीफ विपणन मौसम 1995-96 की तरह 14% तक निम्नतर श्रेणी के अपमिश्रण के साथ वसूल किया जा सकता है।

(5) **नमी तत्व:** मूल्य कटौतियों (कच्चा और सेला) के साथ अधिकतम 15% नमी तत्वों वाले चावल की वसूली की जाएगी। 14% तक कोई कटौती नहीं होगी। 14% से 15% के बीच पूर्ण मूल्य की दर पर कटौती लागू होगी।

अनुरोध है कि सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रश्नगत अनाज की वसूली कठोरता से इन विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए

ताकि भण्डारण और बाद में जनता को जारी करने के दौरान किसी भी समस्या/शिकायत से बचा जा सके।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय
हस्ता./-
(डा. सोने लाल)
संयुक्त आयुक्त (भंडा. तथा अनु.)

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्य), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
4. प्रबंधक (गुण नियंत्रक), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
5. प्रबंधक (वसूली), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
6. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
7. प्रबंधक निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली।
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय।

धान की सभी किस्मों की एक समान विनिर्दिष्टियां

(विपणन मौसम 1996-97)

धान ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठी, शुष्क, साफ-सुथरी, अच्छे खाद्य मान की सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगी और फफूंदी, घुनों, बदबू, बदरंग, आरजिमोन मैक्सिकाना (सत्यानाशी), केसारी हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों से मुक्त होगी और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप होगी।

धान का वर्गीकरण उत्तम, बढ़िया और साधारण समूहों में किया जाएगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा %
1	2	3
1.	विजातीय पदार्थ	
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0
2.	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुना हुआ अनाज	3.0
3.	कच्चा, सिकुड़ा अनाज	3.0
4.	निम्नतर किस्मों का सम्मिश्रण	10.0
5.	नमी	18.0

नोट: 1. उपर्युक्त वर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक ब्यूरो की विधियों, भारतीय मानक 4333 (भाग-I), भा.मा. 4333 (भाग-II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा.मा. : 2813-1970 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

2. नमूने लेने की विधियों का अनाजों और दालों के नमूने लेने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 2814-1964 भारतीय मानक विधियों के आधार पर अनुपालन करना होगा।

3. कार्बनिक विजातीय पदार्थ के लिए 1.0% की समूची सीमा के अन्दर जहरीले बीज 0.5% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतुरा और अकरा के बीज (वियाया जाति) क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।

चावल की उत्तम, बढ़िया/साधारण किस्मों की एक समान विनिर्दिष्टियां

(विपणन मौसम 1996-97)

चावल ठोस व्यापारिक स्थिति, मीठा, शुष्क, साफ-सुथरा, अच्छे खाद्य मान का सम्पूर्ण, अनाज के रंग और आकार के मामले में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, बदबू, बदरंग, किसी भी रूप में आरजिमोन मैक्सीकाना (सत्यानाशी) और केसारी अथवा हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण अथवा रंग देने वाले पदार्थों और नीचे अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण के मानकों के अनुरूप होगा।

(विनिर्दिष्टियों की अनुसूची)

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा (%)		
		उत्तम	बढ़िया/साधारण	
1	2	3	4	
1.	टोटे			(इस सीमा में उत्तम कच्चे चावल के लिए 22% तक छूट दी गई है और बढ़िया/साधारण चावल के लिए 24% होगी।
	कच्चा	22.0	24.0	
	सेला	16.0	17.0	

1	2	3	4
2.	विजातीय पदार्थ		
	कच्चा/सेला	0.5	0.5
3.	क्षतिग्रस्त/मामूली क्षतिग्रस्त		
	कच्चा	2.0	2.0
	सेला	4.0	4.0
4.	बदरंग अनाज		
	कच्चा	3.0	3.0
	सेला	5.0	5.0
5.	चाकी अनाज		
	कच्चा	6.0	6.0
6.	लाल अनाज		
	कच्चा	3.0	3.0
	सेला	4.0	4.0
7.	निम्नतर श्रेणियों का सम्मिश्रण		
	कच्चा/सेला	12.0	12.0
8.	भूसी रहित अनाज		
	कच्चा/सेला	10.0	10.0
9.	नमी की मात्रा कच्चा/सेला	14.0	14.0

चावल की उत्तम, बढ़िया और साधारण किस्मों की विनिर्दिष्टियों के लिए लागू नोट्स

नोट–1

उपर्युक्त वर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के "विश्लेषण की भारतीय मानक संस्था की विधियों" संख्या भारतीय मानक: 4333 (भाग–I) 1967 और भा.मा. 4333 (भाग–II) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भारतीय मानक 2813–1970 समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है। भूसी रहित अनाज वह साबुत अथवा टोटा चावल कर्नल होगा जिसकी सतह के 1/4 हिस्से पर भूसी चढ़ी होगी और उसका निम्नानुसार निर्धारण किया जाएगा:-

विश्लेषण विधि:

पोटरीडिश (80 × 70 मिमी.) में पांच ग्राम मिल्ड चावल (अन्य वर्तनों को निकालकर ठोस लेकिन टोटा को शामिल करके) लें। इस अनाज को मेथीलिन के नीले घोल (आसुत जल में भार द्वारा 0.05%) में डुबो दें और इसे लगभग एक मिनट तक रखें और उसके बाद उसमें से मेथीलिन के नीले घोल को निकाल दें तथा इसे लगभग 20 मिली. हल्के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (आयतन के हिसाब से आसुत जल में 5% का घोल) से धोएं। अब पानी से धोएं। नीले धब्बे वाले अनाज पर लगभग 20 मिली. मेटानिल का पीला घोल (आसुत जल में भार द्वारा 0.05%) डालें और लगभग एक मिनट रखें। मैल निकाल दें और ताजे पानी से दो बार धोएं (धब्बेदार अनाज को ताजे पानी में रखें और भूसी-रहित दानों को गिनें। विश्लेषणाधीन 5 ग्राम नमूने में अनाज के दानों की कुल संख्या की गणना करें। तीन टोटों को एक साबुत अनाज के रूप में गिना जाएगा।

गणना

$$\text{भूसी रहित अनाज की प्रतिशतता} = \frac{\text{एन} \times 100}{\text{डब्ल्यू}}$$

एन = 5 ग्राम नमूने में भूसी रहित अनाज की संख्या

डब्ल्यू = 5 ग्राम नमूने में कुल अनाज

2. भारतीय मानक "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" समय-समय पर यथासंशोधित से भारतीय मानक 2814–1964 में दी गई नमूने लेने की विधि का अनुसरण किया जाना होगा।

3. पूर्ण गिरी के आकार के 1/8 से भी कम टोटों को कार्बनिक विजातीय पदार्थ माना जाएगा। टोटे की समूची सीमा के अन्दर 1/8 से 1/4 आकार के छोटे टोटे एक प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। टोटों का आकार निश्चित करने के लिए मुख्य श्रेणी के चावल की औसत लम्बाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. किसी भी ढेर में अकार्बनिक विजातीय पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि वह इससे अधिक होता है तो उस दशा में स्टाक को साफ किया जाना चाहिए और उसे सीमा के अन्दर लाया जाना चाहिए। चावल के वे दाने अथवा इसके टोटे जिन पर धूल लगी हो उन्हें अकार्बनिक विजातीय पदार्थ समझा जाएगा।

5. चावल के मामले में, जिसे प्रेशर पारबायरिंग तकनीक से तैयार किया जाता है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेला बनाने की सही प्रक्रिया अपनायी जाती है अर्थात् दिया गया दबाव, जितने समय के लिए दबाव दिया गया, उचित श्लेषीकरण, वातन, कुटाई से पूर्व शुष्कीकरण पर्याप्त होना चाहिए ताकि सेला चावल का रंग और उसे पकाने का समय सही हो और अनाज पपड़ी से मुक्त हो।

मक्का के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

(विपणन मौसम 1996-97)

मक्का शुष्क और जियामेज का पका हुआ अनाज होगा। इसका आकार और रंग एक जैसा होगा। यह बिक्री करने के लिए ठोस होगी और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगी।

मक्का मीठा, ठोस, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिकोन मेक्सीकाना तथा केसरी रंगने वाले पदार्थों, दोमट मिट्टी, घुन, ब ; हानिकर पदार्थों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई सीमा को छोड़कर अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त होगी:-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा%
1.	विजातीय तत्व	1.5
2.	अन्य खाद्यान्न	2.0
3.	सिकुड़ा और कच्चा अनाज	3.0
4.	क्षतिग्रस्त अनाज	1.5
5.	मामूली क्षतिग्रस्त, बदरंग और लगा हुआ अनाज	4.5
6.	घुना हुआ अनाज	1.0
7.	नमी	14.0

नोट:

1. उपर्युक्त संघटकों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक ब्यूरो की विधियों, संख्या भारतीय मानक 4333 (भाग-1)-1967 और भा.मा. 4333 (भाग-2) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा.मा. : 2813-1970 समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

2. नमूने लेने की विधियों का बड़े आकार के खाद्यान्नों के नमूने लेने के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक 3714-1978 भारतीय मानक विधियों के आधार पर अनुपालन करना होगा।

3. विजातीय पदार्थ के लिए 1.5 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर अकार्बनिक पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और जहरीले बीज भी 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतुरा और अकरा के बीज (विसिया जाति) क्रमश: 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

बाजरा के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 1996-97)

बाजरा शुष्क और पेन्नीसेटुआ टाइफोयड्स का पका हुआ अनाज होगा। इसका आकार और रंग एक जैसा होगा। यह बिक्री करने के लिए ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगा।

बाजरा मीठा, ठोस, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिकोन मेक्सीकाना तथा केसरी, रंगने वाले पदार्थों, दोमट मिट्टी, घुन, बदबू, हानिकर पदार्थों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई सीमा को छोड़कर अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त होगी:-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा%
1.	विजातीय तत्व	1.5
2.	अन्य खाद्यान्न	3.0
3.	क्षतिग्रस्त अनाज	1.5
4.	सिकुड़ा और कच्चा अनाज	4.0
5.	मामूली क्षतिग्रस्त, बदरंग	2.5
6.	घुना हुआ अनाज	1.0
7.	नमी	14.0

नोट:

1. उपर्युक्त संघटकों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक ब्यूरो की विधियों, भारतीय मानक 4333 (भाग-1) 1967 और भा.मा. 4333 (भाग-2)-1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा.मा. : 2813-1970 समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।

2. नमूने लेने की विधियों का अनाजों और दालों के नमूने के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक 2814-1964 भारतीय मानक विधियों के आधार पर अनुपालन करना होगा।

3. विजातीय पदार्थ के लिए 1.5 प्रतिशत की रामूची सीमा के अन्दर अकार्बनिक पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और जहरीले बीज भी 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतुरा और अकरा के बीज (विसिया जाति) क्रमश: 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

4. ''ग्लूम'' सहित कर्नल को खराब अनाज नहीं माना जाएगा। वास्तविक विश्लेषण के दौरान ''ग्लूम'' निकाल दिया जाएगा और उसे कार्बनिक विजातीय तत्व माना जाएगा।

5. क्षतिग्रस्त अनाज के लिए 1.5 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर अर्गटी कर्नल 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ज्वार के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 1996-97)

ज्वार शुष्क और सोरगम वुलगर का पका हुआ अनाज होगा। इसका आकार और रंग एक जैसा होगा। यह बिक्री करने के लिए ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप भी होगा।

ज्वार मीठा, ठोस, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिकोन मेक्सीकाना तथा केसरी, रंगने वाले पदार्थों, दोमट मिट्टी, घुन, बदबू, हानिकर पदार्थों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई सीमा को छोड़कर अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा:-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा%
1.	विजातीय तत्व	1.5
2.	अन्य खाद्यान्न	3.0
3.	सिकुड़ा और कच्चा अनाज	4.0
4.	क्षतिग्रस्त अनाज	1.5
5.	मामूली क्षतिग्रस्त और बदरंग अनाज	1.0
6.	घुना हुआ अनाज	1.0
7.	नमी	14.0

नोट:

1. उपर्युक्त संघटकों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक ब्यूरो की विधियों, भारतीय मानक 4333 (भाग-1) 1967 और भा.मा. 4333 (भाग-2) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा.मा. 2813-1970 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।
2. नमूने लेने की विधियों का अनाजों और दालों के नमूने लेने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक 2814-1964 भारतीय मानक विधियों के आधार पर अनुपालन करना होगा।
3. विजातीय पदार्थ के लिए 1.5% की समूची सीमा के अन्दर अकार्बनिक पदार्थ 0.5% से अधिक नहीं होंगे और जहरीले बीज भी 0.5% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतुरा और अकुरा के बीज (विसिया जाति) क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
4. ''ग्लूम'' सहित कर्नल को खराब अनाज नहीं माना जाएगा। वास्तविक विश्लेषण के दौरान ''ग्लूम'' निकाल दिया जाएगा और उसे कार्बनिक विजातीय तत्व माना जाएगा।

रागी के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 1996-97)

रागी शुष्क और एल्यूसीन कोकाना का पका हुआ अनाज होगा। इसका आकार और रंग एक जैसा होगा। यह बिक्री करने के लिए ठोस होगी और खाद्य अपमिश्रण मानकों के अनुरूप भी होगी।

रागी मीठी, ठोस, साफ, साबुत और किसी भी रूप में आर्जिकोन मेक्सीकाना तथा केसरी, रंगने वाले पदार्थों, दोमट मिट्टी, घुन, बदबू, हानिकर पदार्थों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई सीमा को छोड़कर अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त होगी:-

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्र.सं.	संघटक	अधिकतम सीमा%
1.	विजातीय तत्व	2.0
2.	अन्य खाद्यान्न	1.0
3.	क्षतिग्रस्त अनाज	1.0
4.	मामूली क्षतिग्रस्त अनाज	2.0
5.	नमी	12.0

नोट:

1. उपर्युक्त संघटकों की परिभाषा और विश्लेषण की विधियों का खाद्यान्नों के विश्लेषण की भारतीय मानक ब्यूरो की विधियों, भारतीय मानक 4333 (भाग-1) 1967 और भा.मा. 4333 (भाग-2) 1967 और खाद्यान्नों की शब्दावली भा.मा. : 2813-1970 समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाना है।
2. नमूने लेने की विधियों का अनाजों और दालों के नमूने लेने के लिए समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक 2814-1964 भारतीय मानक विधियों के आधार पर अनुपालन करना होगा।
3. अकार्बनिक विजातीय पदार्थ के लिए 2.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर अकार्बनिक पदार्थ 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और जहरीले बीज भी 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतुरा और अकरा के बीज (विसिया जाति) क्रमश: 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4. भूसी सहित कर्नल को खराब अनाज नहीं माना जाएगा। वास्तविक विश्लेषण के दौरान ''भूसी'' को निकाल दिया जाएगा और उसे कार्बनिक विजातीय तत्व माना जाएगा।

विवरण II

सभी किस्मों के भारतीय गेहूं के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

(विपणन मौसम 1996-97)

गेहूँ

(क) देशी लाल, दड़, अन्य मैक्सिकन और बढ़िया देशी फार्म किस्मों का शुष्क तैयार अनाज होगा अर्थात् ट्रिटिकम वलगारे, टी. काम्पेक्टम, टी. फैरोकोक्कम, टी. डुरुम, टी. एस्टीवम और टी. डिकोक्कम।

(ख) स्वाभाविक आकार, रूप और रंग का होगा।

(ग) मीठा साफ-सुथरा, पूर्ण और फफूंद, जीवित कीड़ों, बदबू, बदरंग, हानिकारक पदार्थों के सम्मिश्रण जिसमें विषाक्त खर-पतवार बीज और अन्य अशुद्धियां शामिल हैं लेकिन जिसमें निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर, मुक्त होगा।

(घ) ठोस व्यापारिक हालत में होगा, और

(ङ) उसमें किसी भी रूप में आरजिमोन मैक्सिकाना (सत्यानाशी) और केसारी, रंग छोड़ने वाले पदार्थ, पेस्टीसाइड्स, फूंजीसाइड्स और कोई बदबूदार, हानिकारक तथा विषाक्त पदार्थ नहीं होंगे।

(च) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप होगा।

गेहूं की उचित औसत किस्म में विभिन्न वर्तनों की अधिकतम अनुमेय सीमा को बताने वाली सूची।

विजातीय पदार्थ %	अन्य खाद्यान्न %	कर्नल बंट और अर्गट से प्रभावी अनाज सहित क्षतिग्रस्त अनाज %	मामूली क्षतिग्रस्त अनाज %	सिकुड़ा हुआ और टोटा अनाज %
0.75	5.00	3.00	8.00	10.00

नोट:

1. 12 प्रतिशत से अधिक लेकिन 14 प्रतिशत तक की नमी की पूर्ण मूल्य पर कटौती की जाएगी। 14 प्रतिशत से अधिक नमी तत्व वाले स्टाक को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. विजातीय पदार्थों के लिए निर्धारित समूची सीमा के अन्दर जहरीले खर-पतवार, बीज 0.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जिसमें धतूरा और अकरा (विसिया जातियां) क्रमश: 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।
3. छिलके सहित कर्नल को खराब अनाज नहीं समझा जाएगा और प्रत्यक्ष विश्लेषण के दौरान छिलके को हटाया जाएगा और इसे कार्बनिक विजातीय पदार्थ समझा जाएगा।
4. क्षतिग्रस्त अनाजों के लिए निर्धारित समूची सीमा के अन्दर अर्गट से प्रभावित अनाज 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
5. यदि स्टाक में जीवित जन्तुबाधा मौजूद है तो प्रधुमन प्रभारों के रूप में एक रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जायेगी।
6. गणना द्वारा निर्धारित घुने हुए अनाज के मामले में निम्नलिखित मूल्य कटौतियां की जाएंगी:
   (1) मौसम की शुरूआत से अगस्त के अन्त तक, प्रत्येक 1% अथवा उसके किसी भाग के लिए एक रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।
   (2) पहली सितम्बर से अक्तूबर के अन्त तक एक प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन इससे किसी प्रकार की अधिकता होने की दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके किसी भाग के लिए एक रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।
   (3) पहली नवम्बर से मौसम के अन्त तक दो प्रतिशत तक कोई कटौती नहीं की जाएगी लेकिन उससे किसी प्रकार की अधिकता होने के कारण प्रत्येक एक प्रतिशत अथवा उसके भाग के लिए एक रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कटौती की जाएगी।
   (4) जिस स्टाक में तीन प्रतिशत से अधिक घुना हुआ अनाज होगा, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विश्लेषण की विधि:

यह विधि समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के स.भा.मा. 4333 (भाग-1 और 2), 1967 के अनुसार होगी, सिवाय घुने हुए अनाज के जिसका निर्धारण गणना विधि द्वारा किया जाएगा।

परिभाषा:

विजातीय पदार्थ

इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में रेत, कंकड़, कूड़ा, रोड़े, पत्थर, गोबर, चिकनी मिट्टी के ढेले

और शीशे और धातु के जर्रे आदि शामिल होंगे। कार्बनिक पदार्थ में भूसी, खर-पतवार बीज, तिनके और न खाने योग्य अन्य अनाज शामिल होंगे।

सिकुड़ा अनाज

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जो पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं।

टोटे

गिरियों के टुकड़े जोकि पूर्ण गिरियों के आकार के तीन-चौथाई से भी कम आकार के होते हैं।

घुना हुआ अनाज

वे गिरियां आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खायी हुई होती हैं।

मामूली क्षतिग्रस्त अनाज

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े जोकि सतही तौर पर क्षतिग्रस्त अथवा बदरंग हो जाते हैं लेकिन जिसके कारण पदार्थ की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

क्षतिग्रस्त अनाज

गिरियां अथवा गिरियों के टुकड़े, जो हीट-माइक्रब्स, नमी अथवा मौसम के कारण अंकुरित हो जाती हैं अथवा अन्दर से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

अन्य खाद्यान्न

गेहूं के अलावा कोई भी खाद्यान्न।

जौ के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

(विपणन मौसम 1996-97)

जो निम्नानुसार होगा:

(क) यह होर्डियम वल्गेयर का शुष्क पक्का अनाज होगा।

(ख) इनका आकार, रूप और रंग एक समान होगा।

(ग) नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमा को छोड़कर यह मीठा, साफ, सम्पूर्ण और दोमट मिट्टी, जीवित कीटाणुओं, बदबू, बदरंग, हानिकर पदार्थों और अन्य सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

(घ) यह बिक्री करने के लिए ठोस होगा।

(ङ) इसमें किसी भी रूप में आर्जिकोन मैक्सीकाना और केसरी, रंगने वाले पदार्थों, कीटनाशक दवाइयों, फफूंदनाशक दवाइयों और कोई हानिकर और विषाक्त सामग्री का सम्मिश्रण नहीं होगा।

(च) यह खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप होगा।

विभिन्न अवयवों की अधिकतम अनुमेय सीमा बताने वाली अनुसूची:

विजातीय तत्व %	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	मामूली क्षतिग्रस्त और लगे हुए दाने %	कच्चे और सिकुड़े हुए दाने %
1.0	5.0	3.0	8.0	8.0

नोट:

1. विजातीय तत्व की समूची सीमाओं के अन्दर विषाक्त खर-पतवार के बीज 0.5% से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकारा (विसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होगी।

2. 12% से अधिक लेकिन 14% तक की नमी के मामले में पूर्ण छूट होगी। 14% से अधिक नमी तत्व वाला स्टाक अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. घुने हुए अनाज के मामले में अन्य कटौतियों के अतिरिक्त निम्नानुसार मूल्य संबंधी कटौतियां की जाएंगी:-

   (i) मौसम की शुरूआत से लेकर अगस्त के अंत तक प्रत्येक 1% अथवा उसके भाग के लिए कटौती की दर 1/- रुपये प्रति क्विंटल होगी।

   (ii) पहली सितम्बर से अक्तूबर के अंत तक 1% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उससे अधिक के लिए प्रत्येक 1% अथवा उसके भाग के लिए 1/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी।

   (iii) पहली नवम्बर से मौसम के अंत तक 2% तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जबकि उससे अधिक होने पर प्रत्येक 1% अथवा उसके भाग के लिए 1/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी।

   (iv) 3% से अधिक घुने हुए दाने होने की दशा में स्टाक को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. जिस स्टाक में जीवित जंतुबाधा होगी उस मामले में प्रधूमन प्रभारों के रूप में एक रुपया प्रति क्विंटल की दर से वसूली की जाए।

परिभाषा

विजातीय तत्व

इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व शामिल होते हैं। अकार्बनिक तत्वों में रेत, कंकड़, गर्दा, रोड़े, पत्थर, मिट्टी, खड़िया और गारे के ढेले शीशे और धातु के टुकड़े आदि शामिल होंगे। कार्बनिक तत्वों में तिनके, भूसी, खर-पतवार और अन्य अखाद्य अनाज तथा गोबर शामिल होंगे।

अन्य खाद्यान्न

जौ के अलावा अन्य कोई खाद्यान्न।

क्षतिग्रस्त अनाज

ऐसे दाने अथवा दानों के टुकड़े जो अंकुरित हों अथवा गरमी, जीवाणुओं, नमी अथवा मौसम के कारण अंदर से क्षतिग्रस्त हो गए हों।

मामूली क्षतिग्रस्त और लगा हुआ अनाज

ऐसे दाने अथवा दानों के टुकड़े जो बाहर से क्षतिग्रस्त अथवा बदरंग हों लेकिन जिनकी गुणवत्ता कुप्रभावित न हुई हो।

कच्चा और सिकुड़ा अनाज

दाने अथवा दानों के टुकड़े जो पूर्णतया विकसित नहीं हुए हों।

घुना हुआ अनाज

वे दाने जिनमें आंशिक अथवा पूर्ण छिद्र हों।

हिमालय के हिमनद

1536. **श्री भीम प्रसाद दाहाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के समग्र हित में हिमालय के हिमनदों तथा वनस्पति और जीव जन्तुओं की सुरक्षा हेतु कोई मास्टर योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ''जी रेंज'' के प्रस्तावित अधिग्रहण से सिक्किम के उत्तरी जिले में पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संबद्ध मंत्रालय के साथ कोई चर्चा हुई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हाथी द्वारा विध्वंस

1537. **श्री केशव महंत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1997 के ''असम ट्रिब्यून'' में ''एलीफेंट डिप्रीडेशन्स कॉजिंग सीरियस प्रोब्लम्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार के पास 200 जंगली हाथियों को पकड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में असम में जंगली हाथियों द्वारा किये जा रहे विध्वंस को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, हां। समाचार में हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि और आवास की कमी के कारण व्यापक रूप से लूटमार करने का आरोप लगाया गया है। यह सुझाव भी है कि लूटपाट को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में हाथियों को पकड़ कर उनकी जनसंख्या को घटाया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हाँ। हाथियों की लूटपाट को कम करने के प्रयोजनार्थ असम सरकार से 1991 में लगभग 200 हाथियों और उत्तरवर्त्ती वर्षों में 100 हाथियों को पकड़ने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 1996 में असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पुन: 200 हाथियों को पकड़ने का अनुरोध किया। 1992-93 में असम सरकार को 12 हाथियों तथा 1995-96 में 20 और हाथियों को पकड़ने की अनुमति दी गई ताकि लूटपाट को कम करने के लिए इस पद्धति की कुशलता का मूल्यांकन किया जा सके। आज की तारीख तक असम सरकार ने केवल 20 हाथियों को पकड़ा है और शेष हाथियों को पकड़ा जाना शेष है।

चड्ढा समिति

1538. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.ए.आर. की तकनीकी सेवाओं में विभिन्न विसंगतियों को देखने के लिए चड्ढा समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

वर्तमान तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी I से III के स्थान पर टी-1 से टी-9 के ग्रेड तक चालू (रनिंग) वेतनमान का ढांचा (टी-1, टी-3 और टी-6 ग्रेडों में सेवा में सीधी प्रविष्टि सिफारिश की गई। कोई व्यक्ति प्रवेश के समय प्राप्त की गई योग्यताओं के आधार पर टी-1, टी-3 और टी-6 ग्रेड से टी-9 ग्रेड तक जा सकता है। 5 वर्षीय पदोन्नति के लिए मात्रात्मक मूल्यांकन को अपनाते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अंकों पर आधारित नई मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की भी सिफारिश की गई है। श्रेणी III के लिए वर्तमान 5 वर्षीय मूल्यांकन प्रणाली के स्थान पर सात वर्षीय मूल्यांकन प्रणाली का प्रस्ताव है। अग्रिम वेतन वृद्धि/वेतन वृद्धियां समाप्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) चड्ढा समिति की सिफारिशों पर वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की दिनांक 17.2.97 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई। भारत सरकार के पांचवें वेतन आयोग में प्रस्तावित सुनिश्चित सेवा प्रौन्नति योजना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भर्ती नियमों के संशोधन पर अस्थाई रोक लगा दी है। चड्ढा समिति ने प्रमुख पुनर्संगठन का प्रस्ताव रखा है जिसके लिए मंत्रिमंडल तथा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होगी ताकि अनेक अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकें। अत: वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने चड्ढा समिति से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया है कि वह अपनी सिफारिशों की जांच पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में करें। संशोधित सिफारिशें प्राप्त होने पर रिपोर्ट को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। *[हिन्दी]*

विकलांग व्यक्ति

1539. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या की तुलना में बजट में बहुत कम राशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विकलांग व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप बजट प्रावधान करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (च) केवल तीन विकलांगताओं को शामिल करते हुए वर्ष 1981 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण का अनुमान था कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.8% विकलांग व्यक्ति हैं। चार प्रकार की विकलांगताओं को शामिल करते हुए उसी संगठन द्वारा किए 1991 के नमूना सर्वेक्षण का विकलांग के रूप में 1.9% जनसंख्या का अनुमान इन दोनों में से किसी भी सर्वेक्षण में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया।

यह नमूना सर्वेक्षण 15 राज्यों में किया गया।

वर्ष 1996-97 के लिए कल्याण मंत्रालय में विकलांग कल्याण क्षेत्र हेतु बजट प्रावधान 45.90 करोड़ रु. है। वर्ष 1997-98 में इसे 107.04 करोड़ रु. तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। विकलांगों के लिए कोई विशेष संघटक योजना नहीं है।

सरकार एक व्यापक विधान अर्थात् नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लाने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्थानों तथा शीर्ष स्तरीय संस्थानों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान करने के अलावा विकलांगों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित आवश्यक जनशक्ति भी प्रशिक्षित करती है। भारतीय पुनर्वास परिषद इस क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा व्यावसायियों के मानकीकरण के लिए कार्य कर रहा है।

सरकार द्वारा विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों स्थापन सेवाओं आदि की स्थापना तथा विकास सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के उद्देश्य से किये जा रहे कार्यकलापों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी जा रही है।

श्रम मंत्रालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) देश के विभिन्न भागों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करता है। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा विभाग जैसे अन्य मंत्रालयों के भी कार्यक्रम हैं जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित हैं।

कल्याण मंत्रालय विकलांगों को रोजगार योजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना के लिए किये गये वास्तविक व्यय के 80% तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करता रहा है। सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के मामले में यह सहायता शत-प्रतिशत हो जाती है। इस समय देश के विभिन्न भागों में 47 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 41 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

विकलांगों को पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों, पी.सी.ओ. तथा कियोस्कों तथा बिक्री के स्टालों के आबंटन के लिए तरजीह देने के अतिरिक्त हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

म्यांमार के शरणार्थी

1540. **श्री आनंद रत्न मौर्य:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने म्यांमार से स्वदेश भेजे गए भारतीयों को लाइसेंस और परमिट जारी करने के मामले में सुविधाएं और प्राथमिकता देने संबंधी कोई अनुदेश राज्यों को जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य उन अनुदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन अनुदेशों का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी, हां। श्रीमान्। वर्ष, 1965 में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये थे कि बर्मा से प्रत्यावर्तित लोगों को कारोबार हेतु ऋण प्रदान करने के अलावा उन्हें जहां किसी व्यवसाय या व्यापार के लिए लाइसेंस, परमिट, आदि की आवश्यकता होती है, वहां इन्हें प्रदान करने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

(ख) इन निदेशों का कार्यान्वयन न किये जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तम नस्ल की गाय और भैंसें

1541. **श्री बची सिंह रावत ''बचदा'':** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों की कमी के कारण अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसों की नस्लें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य के उत्तरांचल क्षेत्रों में उत्तम नस्ल की गाय और भैंसों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। राज्य सरकार के पास गोपशु सांडों तथा भैंस सांडों और वर्ण संकरित सांडों के उत्पादन के लिए 12 ''बुल मदर फार्म'' हैं जिसमें देहरादून में एक बुल मदर फार्म शामिल है जो प्रजनन तथा उच्च क्षमता वाले पशुओं के उत्पादन के लिए सिंधी तथा जर्सी रैड सिंधी वर्ण संकरित सांडों का उत्पादन करता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु डेयरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुधारू गायों तथा भैंसों का वितरण आरंभ किया है। गोपशु तथा भैंस विकास संबंधी राज्य सरकार के प्रयासों के अलावा भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम तथा हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी योजना के विस्तार के अंतर्गत चालू योजना अवधि के दौरान गोपशु तथा भैंस सुधार के लिए केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया है।

[अनुवाद]

ऊतक संवर्धन

1542. **श्री सुशील चन्द्र:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऊतक संवर्धन के प्रचार-प्रसार के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) देश में साधारण किसान को ऊतक संवर्धन की तकनीक सिखाने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं; और

(घ) ऊतक संवर्धन तकनीक अपनाने से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) निर्यात और स्वदेशी मंडियों के लिए टिशूकल्चर पौधों के उत्पादन हेतु लगभग 70 वाणिज्यिक लघु प्रसार इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। इनमें से 30 इकाइयां पहले से ही उत्पादन कर रही हैं तथा फलों, बागानी फसलों, सजावटी फसलों, वानिकी पौधों आदि के लगभग 40 मिलियन पौधे प्रति वर्ष उत्पादित कर रही है, जबकि स्थापित वार्षिक क्षमता 110 मिलियन पौधे हैं।

(ग) टिशूकल्चर एक विशिष्ट उच्च प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में उद्यमों का विकास जैव प्रौद्योगिकी विकास द्वारा किया जा रहा है, विशेषकर उनके लघु प्रसार प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के प्रस्तावित कार्यक्रम के माध्यम से।

(घ) आलू, गन्ने, केले, रसभरी, नींबू जाति के फलों, शकरकन्द, छोटी इलाइची, अदरक, हल्दी जैसी फसलों के मामले में टिशूकल्चर प्रौद्योगिकी पहले ही वाणिज्यिक बनाई जा चुकी है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

1543. **श्री दिलीप संघानी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों को उनके मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके आश्रितों की पात्रता तय करने हेतु क्या मानदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत मृतक स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों की विधवाएं, अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां, माता और पिता को, केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही परिवार पेंशन और अन्य सुविधाओं के प्रयोजनार्थ, परिवार के सदस्यों/आश्रितों को पात्र माना जाता है। वास्तविक और जरूरतमंद मामलों में उन स्वतंत्रता सेनानियों जो पेंशन पाने के पात्र नहीं है, के आश्रितों को भी गृह मंत्री विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को और उनकी विधवाओं/परिचारक को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी) की सुविधा।

(ख) केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा भी दी गई है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी को आबंटित सरकारी आवास में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद भी एक निर्धारित अवधि तक इस आवास को रखने के पात्र हैं।

(घ) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिभारों के बिना और मात्र आधे किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

घुसपैठ

1544. **श्री छीतुभाई गामीत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1996 के 'दैनिक जागरण' में ''आतंकवादियों व तस्करों को खाकी वर्दीधारी आफीसरों का समर्थन'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष हैं तथा इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच-पड़ताल चल रही है।

[अनुवाद]

सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आय सीमा

1545. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत आय सीमा को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया है और दो वर्षों में एक बार संशोधित किया जाएगा।

वन भूमि का हस्तांतरण

1546. **श्री विजय पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संगमरमर उत्खनन हेतु वन भूमि का बनासकंठा जिले में हस्तांतरण करने संबंधी गुजरात सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के बनासकंठा जिले में 44 चल रही पार्टियों के संबंध में संगमरमर उत्खनन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 190 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी दिनांक 27.1.1997 को दे दी गई है।

भूमि संबंधी विवाद के कारण बिहार में हिंसा

1547. **श्री तारिक अनवर:**
श्री चित्त बसु:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में भूमि संबंधी विवाद के कारण होने वाली हिंसा से निबटने के लिए सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने उन सुझावों को लागू किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार सरकार ने इस समस्या से निबटने के लिए और अधिक केन्द्रीय बलों की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य द्वारा मांगी गई/उपलब्ध कराई गई बलों का क्या ब्यौरा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

(घ) और (ङ) राज्य में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए 45 दिनों की अवधि के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 15 कम्पनियों को तैनात करने का अनुरोध किया है। तथापि, अन्यत्र वचनबद्धता के कारण बल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं पाया गया। तथापि, बिहार सरकार को सलाह दी गयी है कि स्थिति से निपटने के लिए वह अपने संसाधनों और जन-शक्ति का अधिकतम प्रयोग करे।

नई कृषि नीति

1548. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:**
डा. असीम बाला:
श्री के.एच. मुनियप्पा:
डा. कृपासिन्धु भोई:
श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई कृषि नीति के प्रारूप संकल्पों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो नई कृषि नीति के प्रारूप संकल्प की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नई कृषि नीति की घोषणा कब तक किये जाने की संभावना है।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) सरकार द्वारा तैयार कृषि नीति संकल्प के मसौदे पर हाल ही में 19 फरवरी, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श किया गया। संकल्प के मसौदे में निम्नलिखित प्रमुख बातों पर बल दिया गया है:-

(1) क्षेत्रीय और फसली असंतुलन को दूर करना

(2) कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करना

(3) कृषि क्षेत्र को भी उसी तरह से सुविधाएं देना जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की जा रही हैं। परन्तु बिना किसी विनियमन और कर संग्रह तंत्र के

(4) किसानों को उनके खेतों के नजदीक उपयुक्त दर पर आदान उपलब्ध कराना

(5) किसानों को उपयुक्त ब्याज दर पर आसानीपूर्वक ऋण उपलब्ध कराना

(6) मानव संसाधन विकास

(7) कृषि अनुसंधान पर प्रकाश डालना

(8) कृषि क्षेत्र में नियंत्रण में ढील देना

सम्मेलन में दिये गये सुझाव को देखते हुए संकल्प के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गैस आधारित उर्वरक कारखाने

1549. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन हाजिरा (गुजरात) गैस पाइप लाइन से जुड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों को गैस की कमी के परिणामस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) हजीरा स्थित लैंड फाल प्वाइंट से तथा एच. बी. जे. पाइपलाइन द्वारा निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों को आपूर्ति की जाती है:-

(1) कृषक भारती कोआपरेटिव लि. का हजीरा एकक;

(2) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी का बड़ौदरा एकक;

(3) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. का विजयपुर एकक;

(4) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. का आंवला एकक;

(5) इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स और कैमिकल्स लि. का जगदीशपुर एकक;

(6) चंबल फर्टिलाइजर्स और कैमिकल्स लि. का गडेपन एकक;

(7) टाटा कैमिकल्स लि. का बबराला एकक; और

(8) ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. का शाहजहांपुर एकक।

(ग) और (घ) जनवरी, 1997 में ओ एन जी सी ने 23 दिनों का आंशिक शटडाऊन किया था जिससे उपर्युक्त उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई। जनवरी, 1997 के दौरान इस कारण उत्पादन में 2.02 लाख टन की गिरावट आई। ओ एन जी सी ने प्लेटफार्मों की गैस संचलन क्षमता में वृद्धि करने के लिए साऊथ बेसिन फील्ड में प्लेटफार्म बदलने के काम को पूरा कर लिया है। इससे, हजीरा में गैस की प्राप्ति में बढ़ोत्तरी हो गई। ओ एन जी सी संयंत्रों की बेसिन फील्ड में अतिरिक्त कुएं खोदने की योजना है जिससे हजीरा से बाहर और एच बी जे पाइपलाइन पर आपूर्ति के और अधिक बढ़ने की आशा है।

पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियां

1550. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में वर्ष 1996 के दौरान आतंकवाद की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उन घटनाओं में कितने नागरिक, आतंकवादी तथा सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या कुछ व्यक्तियों को इन घटनाओं के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) वर्ष, 1996 के दौरान पंजाब में आतंकवाद से संबंधित 3 घटनाएं हुई।

(ख)

	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या
सिविलियन	1	2
आतंकवादी	3	शून्य
सुरक्षा बल कार्मिक	शून्य	शून्य

(ग) पंजाब में फरवरी, 1992 में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद, राज्य में सुरक्षा बलों ने केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा दी जा रही आसूचना की मदद से आतंकवाद पर काबू पा लिया था और पंजाब में शांति और सामान्य स्थिति बहाल कर ली थी। इस बात का पता इस तथ्य से चलता है कि 1996 में राज्य में आतंकवादी हिंसा की केवल तीन संदिग्ध घटनायें सूचित की गई। तथापि, सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाने और आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

शुष्क कृषि क्षेत्र

1551. **श्री बी. के. गढ़वी:**
श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भुज के फार्म में स्थित रीजनल रिसर्च स्टेशन आफ सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट में शुष्क क्षेत्र कृषि के संबंध में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह रिसर्च स्टेशन वहां कब से कार्यरत है;

(ग) अब तक इस स्टेशन के प्रशासन और अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) उक्त स्टेशन से कितना उत्पादन हुआ है और यह कितने मूल्य का है; और

(ङ) इस स्टेशन में किये गये प्रयोग के क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना 1987 में गुजरात में भुज के नजदीक कुकमा गांव में की गई थी।

(ग) आज तक स्थापना पर 22 लाख रु. तथा निर्माण कार्य पर (कार्यालय भवन, फार्म गृह, आवासीय मकान, भूगत जल भडांरण गृह) 29.22 लाख रु. खर्च किए गए हैं। इस तरह स्थापना और निर्माण कार्यों पर कुल 57 लाख रु. व्यय किया गया है।

(घ) आज तक 98,000 रु. का कृषि उत्पाद बेचा गया है।

(ङ) उक्त केन्द्र में किए गए परीक्षणों के परिणाम निम्नलिखित हैं:

1. **उपयुक्त घासों की पहचान** : लेसियूरस सिन्डिकस प्रजाति सं. 1952, सेन्चरस सिलियरिस प्रजाति सं. 75 (मारवाड़ अंजन), सी. सेटीजेरस प्रजाति सं. सी.ए.जैड.आर.आई.-76 (मारवाड़ धामन) की पहचान की गई।
2. **वृक्ष की प्रजातियों की पछंटाई:** वृक्ष की प्रजातियों में सुबबूल या इजरायली बबूल की तुलना में नीम का वृक्ष अधिक उपयुक्त पाया गया।

3. **फल की फसलों की पहचान:** बेर का कल्टीवर गोला और सेब अधिक उपयुक्त पाए गए हैं।

4. **वैकल्पिक भूमि उपयोग:** वन चरागाह पद्धति में सेंचरस सिलियरिस और सी. सेंटीजेरस को अजादिराचटा इंडिका और अकेसिया टारटिलिस के साथ उगाया गया।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में अपराध की घटनाएं

1552. **श्री थावर चन्द गहलौत:**
श्रीमती केतकी देवी सिंह:
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
श्री पंकज चौधरी:
श्री नारायण अठावले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गाड़ियों में डकैती और लूटमार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान रेलगाड़ियों में डकैती और लूटमार की कितनी घटनाएं हुई और इन घटनाओं में कितने रुपए का माल लूटा गया और कितने व्यक्ति मारे गए/जख्मी हुए; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। लूटी गयी वस्तुओं के मूल्य और घटनाओं में मारे गए/जख्मी हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) रेलवे में अपराधों सहित, अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, उनका पता लगाना और उन्हें रोकने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। राज्यों में, राजकीय रेलवे पुलिस नामक एक पृथक संगठन सामान्यतया होता है, जो पूर्णत: रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर किए गए अपराधों से निपटता है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनकी पुलिस संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सलाह देती है और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

विवरण

वर्ष 1994 से 1996 के दौरान रेलगाड़ियों में डकैती (ड) लूटपाट (लू) सेंधमारी (सें.) की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994			1995			1996			टिप्पणी (1996 के आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं)
		ड.	लू.	सें.	ड.	लू.	सें.	ड.	लू.	सें.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	7	0	1	9	0	1	4	0	नवम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	0	सितम्बर
3.	असम	0	14	9	7	4	6	6	8	6	जून
4.	बिहार	73	68	0	35	32	1	ऊ.न.	ऊ.न.	ऊ.न.	–
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	गुजरात	6	15	0	4	13	0	6	7	0	नवम्बर
7.	हरियाणा	0	0	0	0	2	0	0	0	1	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	0	9	अगस्त
10.	कर्नाटक	1	32	0	14	25	0	0	20	0	दिसम्बर
11.	केरल	0	1	0	0	0	0	0	1	0	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	मध्य प्रदेश	2	15	0	5	6	0	1	6	11	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	18	70	0	17	56	0	12	49	0	
14	मणीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	फरवरी
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	1	3	0	4	10	1	4	6	0	जुलाई
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	जुलाई
20.	राजस्थान	1	3	0	0	4	0	0	4	0	अक्तूबर
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	1	4	0	2	8	3	2	4	0	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	8	64	0	10	41	4	19	65	0	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	37	58	0	55	82	0	45	38	0	सितम्बर
कुल (राज्य)		158	355	9	154	292	15	97	212	27	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	ऊ.न.	ऊ.न.	ऊ.न.	
30.	दिल्ली	0	2	0	0	0	0	4	1	0	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अक्तूबर
32.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल (संघ शासित)		0	2	0	0	0	0	4	1	0	
कुल (अखिल भारत)		158	357	9	154	292	15	101	213	27	

[अनुवाद]

शुष्क भूमि का विकास

1553. श्री शान्ति लाल पुरषोत्तम दास पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विभिन्न राज्यों में फसल उगाने के लिए शुष्क भूमि के विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक प्राप्त किये गये लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या संस्थान का विचार अपने भुज स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन को किसी अन्य एजेन्सी को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं, फिर भी केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को राजस्थान और गुजरात राज्यों के शुष्क-इको सिस्टम के लिए शुष्क भूमि विकास पर अनुसंधान कार्य करने का विशेष कार्यादेश सौंपा गया है।

(ख) और (ग) संस्थान ने निम्नलिखित के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है:

(1) बालू के टीले की स्थिरता;

(2) वृक्ष और घासों की प्रजातियों (अकेसिया टारटिलिस, प्रोसोपिस प्रजाति, अकेसिया सेनेगल, अकेसिया निलोटिका, उप प्रजाति-क्यूप्रेसिफोरमिस और उपयुक्त घासें जैसे-लेसियूरस सिन्डिकस, सेंक्रस, सिट्रलस, कोलोसिन्थिस) की पहचान और उनका रखरखाव।

(3) जल का भंडारण, संरक्षण और उपयोग;

(4) उपयुक्त फसलों एवं उनकी किस्मों (कलस्टर बीन-मारू ग्वार, मोथ बीन-और कुल्थी-मारू कुल्थी-1, बाजरा, सी. जैड. आई. सी.-923) की पहचान।

(5) बागवानी फसलों जैसे-बैर-गोला, सेब और मुन्डिया, अनार-जलोर-सीडलेस, आंवला कंचन और कृष्णा का पता लगाना और उनमें सुधार लाना।

(6) वन-चारागाह के लिए अच्छी घासों जैसे-सेंक्रस सिलियरिस-सी.ए.जैड.आर.आई.-75-मारवाड़ धामन, सेंक्रस सेटीजरस-सी.ए.जैड.आर.आई.-76-मारवाड़ अंजन, लेसियूरस सिंडिकस:सी.ए. जैड.आर.आई. में सुधार लाना।

(7) वैकल्पिक भूमि उपयोग पद्धति (कृषि-बागवानी, बागवानी-चरागाह, वन-चरागाह) का विकास।

(8) चारे की कमी वाली अवधि के लिए चारे का संरक्षण; पशुधन का उत्पादन और प्रबंध;

(9) सौर्य ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए यंत्रों (सौलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर कैबिनेट ड्रायर) का विकास।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूरिया का आयात

1554. श्री रामकृपाल यादव:
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया आयात के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) वर्तमान समय में आयात कर रही कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(ग) वर्तमान समय में किन-किन देशों से यूरिया का आयात किया जा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) इस समय, यूरिया सरकार के मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अधीन है। मांग एवं स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकारी खाते में यूरिया का आयात किया जाता है। विद्यमान नीति के अनुसार यूरिया का आयात केवल नामजद सरणीबद्ध एजेंसियों अर्थात् एम.एम.टी.सी. लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस.टी.सी.) तथा इंडियन पोटाश लि. (आई.पी.एल.) के माध्यम से सरणीबद्ध है।

(ग) और (घ) 1996-97 के दौरान फरवरी, 97 तक विभिन्न देशों से आयात की गई यूरिया की मात्रा निम्नानुसार है:-

देश का नाम	मात्रा (लाख टन में)
बंगलादेश	1.44
सी.आई.एस.	6.84
कुवैत	3.86
लीबिया	2.14
कतार	2.95
रोमानिया	1.60
साऊदी अरेबिया	2.98
यू.ए.ई.	1.47
योग	23.28

चीनी का उत्पादन और आवश्यकता

1555. **श्री सुरेन्द्र यादव:**
जस्टिस गुमान मल लोढा:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय चीनी की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता देश में चीनी की आवश्यकता से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसकी आवश्यकता तथा उत्पादन क्षमता के संबंध में सरकार का क्या आकलन है; और

(ङ) सम्पूर्ण उत्पादन के समुचित उपयोग हेतु सरकार की क्या योजना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) सरकार ने उन नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं, जिन्हें 31.3.1994 के बाद आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं, के लिए प्रोत्साहन योजना स्वीकृत कर दी है। नई तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए सामान्य खुली बिक्री कोटा सहित प्रोत्साहन का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) देश में 31.1.1997 तक वार्षिक संस्थापित चीनी उत्पादन क्षमता 131.079 लाख टन थी जबकि 1996-97 मौसम के लिए हमारी आवश्यकता लगभग 138 लाख टन थी। तथापि, पिछले मौसम के पूर्वावशिष्ट स्टाक तथा इस मौसम के उत्पादन के कारण चालू चीनी मौसम की आवश्यकता को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार आंशिक नियंत्रण की नीति अपना रही है। इस नीति के तहत कुल उत्पादन का 40% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए प्राप्त किया जाता है तथा शेष 60% खुले बाजार में मासिक रिलीज व्यवस्था के माध्यम से बेचने की अनुमति दी जाती है। खुली बिक्री चीनी के अधिशेष स्टाक में से चीनी के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

विवरण

नई प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य खुली बिक्री कोटे सहित अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	नई	2500 टी.सी.डी.	विस्तार 1250 टी.सी.डी. से 2500 टी.सी.डी.		विस्तार 2500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी.	
	उ.प्रा.क्षे.	अ.प्रा.क्षे.	उ.प्रा.क्षे.	अ.प्रा.क्षे.	उ.प्रा.क्षे.	अ.प्रा.क्षे.
पहला	100	100	85	100	80	90
दूसरा	100	100	85	100	80	90
तीसरा	100	100	85	100	80	90
चौथा	100	100	85	100	80	90
पांचवां	100	100	85	100	80	90
छठा		100				
सातवां		100				
आठवां		100				

नोट: (1) सीमा:

उ.प्र.क्षे. के लिए 50000 मी. टन तथा अ.प्रा.क्षे. के लिए 44000 मी. टन

अधिक उत्पादन के संबंध में उ.प्रा.क्षे. के लिए 25000 मी. टन तथा अ.प्रा.क्षे. के लिए 22000 मी. टन

अधिक उत्पादन के संबंध में उ.प्रा.क्षे. के लिए 50000 मी. टन तथा अ.प्रा.क्षे. के लिए 44,000 मी. टन

उ.प्रा.क्षे. उच्च प्राप्ति क्षेत्र तथा अ.प्रा.क्षे. अन्य वसूली क्षेत्र को दर्शाता है।

लघु चीनी मिलों का विकास

1556. श्री अमर पाल सिंह: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना उत्पादकों के हित में लघु चीनी उद्योग के विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) वर्तमान में लघु चीनी उद्योग के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यूनतम लाभकारी क्षमता 2500 टी.सी.डी. मानी गई है।

हथियारों तथा बंदूकों के आयात पर रोक

1557. डा. बलिराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रिवाल्वर, राइफल तथा बंदूक के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हथियारों के लाइसेंसधारकों को ऊंची कीमत पर स्वदेशी बाजार से हथियार खरीदने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो हथियारों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) देश के कुछ भागों में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 13.11.1986 से निजी प्रयोग हेतु आग्नेयास्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस समय आयात की अनुमति, कुछ शर्तों के अंतर्गत, निवास स्थानान्तरण नियमों के अधीन तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेल विभाग की संस्तुति पर खेलों के उद्देश्य हेतु खिलाड़ियों को है।

(ग) और (घ) आग्नेयास्त्रों हेतु जनता की वास्तविक जरूरतों की पूर्ति मोटे तौर पर नीचे बताए गए प्रबंधों द्वारा की जाती है।

(1) गैर-निषिद्ध बोर की एम एल तथा बी एल बंदूकें निजी क्षेत्र में भी बनाई जाती हैं और अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र विक्रेताओं के माध्यम से खुले बाजार में लाइसेंस धारकों को उपलब्ध हैं।

(2) रिवाल्वर/पिस्तौलों सहित आग्नेयास्त्रों का निर्माण रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध कारखानों में किया जाता है और सिविलियन प्रयोग हेतु इन्हें जारी किया जाता है।

(3) अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं द्वारा आग्नेयास्त्रों की बिक्री/खरीद।

(4) लाइसेंस धारकों के बीच आग्नेयास्त्रों की बिक्री/हस्तांतरण।

हथियारों की कीमतें, बाजार की शक्तियों द्वारा विनियमित हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेटों को इस बात के पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं कि वे डीलरों/विनिर्माताओं के परिसरों का निरीक्षण कर सकें और हथियारों एवं गोली-बारूद के भंडार तथा इसकी प्राप्ति एवं निपटान का लेखा-जोखा अथवा कोई अन्य रजिस्टर अथवा दस्तावेज जांच सकें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हथियारों एवं गोली-बारूद के व्यवसाय में कोई अनियमितता न हो।

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात से वापस भेजे गए कामगार

1558. प्रो. पी. जे. कुरियन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैध दस्तावेज न होने के कारण संयुक्त अरब अमीरात से कुल कितने भारतीय कामगारों को वहां से वापस भेजा गया है;

(ख) उनमें से कितने कामगार समुचित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद वापस लौट गए हैं; और

(ग) शेष कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय और श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, 45,844 भारतीय, जिनके पास वैध वीजा नहीं थे, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदत्त आम माफी कार्यक्रम के अंतर्गत 1996 में भारत वापस आए। इसके अतिरिक्त, लगभग 15,000 भारतीय भी, जिनके पास वैध वीजा नहीं थे लेकिन पारपत्र थे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत वापस आए।

इन भारतीयों में से उचित कागजात प्राप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात वापस चले जाने वालों की वास्तविक संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि संबंधित भारतीय मजदूरों को, भारत से जाते समय या संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर, जब वे वहां भारतीय मिशन को रिपोर्ट करते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि वे संयुक्त अरब अमीरात से वापस लौटे हुए हैं। तथापि, पारपत्र कार्यालय को विशेष निर्देश जारी किये गये हैं कि वापस आए इन व्यक्तियों को संयुक्त अरब अमीरात या किसी अन्य देश को रोजगार

के लिए तत्काल वापस जाने के लिए नये/डुप्लीकेट पारपत्र जारी करने संबंधी अनुरोधों को शीघ्रता से निपटाएं।

वापस आये इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कोई स्कीम/केन्द्रीय निधि तैयार/स्थापित नहीं की गई है।

सीमा का निर्धारण

1559. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों से भारत की भूमि सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो ये सीमा किन-किन वर्षों के दौरान निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या इन सीमाओं के अन्दर के सभी भूभाग भारतीय अधिकार क्षेत्र और प्रशासन के अधीन हैं;

(घ) यदि नहीं, तो किसी पड़ौसी देश के कब्जे में कितना भू-भाग है; और

(ङ) पड़ोसी देशों से उस भू-भाग को हासिल करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों द्वारा कर्नाटक के दौरे

1560. **श्री के.सी. कोंडय्या:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के बाद से प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा कर्नाटक के कितने दौरे किये गए;

(ख) उपर्युक्त दौरों के दौरान कर्नाटक में किन-किन स्थानों का दौरा किया गया। ऐसे प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या है और उस पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ग) उपर्युक्त दौरों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) अपनी सरकारी हैसियत से प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा देश में ही की जाने वाली यात्राएं, बहुआयामी उद्देश्यों जैसे राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलने, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने, विभिन्न समारोहों तथा सम्मेलनों में हिस्सा लेने आदि आदि के लिए की जाती हैं। ऐसी यात्राओं संबंधी सूचना, केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। केन्द्रीय रूप से केवल विदेश यात्राओं संबंधी सूचना रखी जाती है।

[हिन्दी]

गोरखपुर उर्वरक फैक्ट्री

1561. **श्री कुंवर सर्वराज सिंह:**
श्री हरिवंश सहाय:
श्री बृज भूषण तिवारी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बंद पड़ी उर्वरक संयंत्रों को फिर से खोलने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इसे कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ. सी. आई.) के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित बन्द पड़ी उर्वरक फैक्टरी को पुन: शुरू करना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। कृभको ने एफ सी आई की विद्यमान अवस्थापना का उपयोग करके गोरखपुर में नेफथा पर आधारित एक नये मानक आकार का अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित करने में रुचि दर्शाई है।

[अनुवाद]

वन भूमि का आबंटन

1562. **श्री पी. एस. गढ़वी:**
श्री जयसिंह चौहान:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात में औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि का आबंटन करने के बारे में प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिए कोई विगरानी रखी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित वन भूमि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (घ) गुजरात राज्य से 31.12.96 तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग के लिए कुल मिलाकर 530 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समय, केन्द्र सरकार के पास केवल एक प्रस्ताव लम्बित पड़ा है और यह औद्योगिक उपयोग के लिए वन भूमि के आबंटन से संबंधित नहीं है। 102 प्रस्तावों पर राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे लेने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका।

(ङ) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उपयोग के लिए अंतरित वन भूमि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात (क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर) में पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उपयोग के लिए अंतरित वन भूमि के ब्यौरे

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	वन क्षेत्र शामिल	स्थिति
1.	जी.ए.आई.एल., गुजरात की पाइप लाइन	0.095 हे.	3.1.95 को अनुमोदित
2.	गुजरात अल्कालीज और कैमिकल्ज लि. गुजरात को पाइप लाइन बिछाने के लिए	00.0275 हे.	4.5.95 को अनुमोदित
3.	आई.पी.सी.एल. गुजरात को पाइप लाइन बिछाने के लिए	8.47 हे.	30.11.95 को अनुमोदित
4.	धर्मश्री मोरारजी केमिकल्ज कम्पनी लि. के पक्ष में जिला जामनगर गुजरात में पाइप-लाइन बिछाने और स्टोरेज के निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग।	41.65 हे.	8.4.96 को अनुमोदित
5.	इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्ज कम्पनी लिमिटेड, गुजरात के कोप्पर स्मेलटर प्रोजेक्ट के लिए	17.5 हे.	29.8.96 को अनुमोदित

असम में हिंसा

1563. श्री अय्यन्ना पटरुधु: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान असम के कोकराझार और अन्य क्षेत्रों में विस्फोट की कितनी वारदातें हुई; और

(ख) असम में हिंसा में कमी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालू वर्ष के दौरान कोकराझार जिले में बम विस्फोट की एक घटना की सूचना मिली है। चालू वर्ष के दौरान असम के अन्य क्षेत्रों से बम विस्फोट की तीन घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ख) स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर सेना और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती की गई है। रेलवे संरक्षा बल तथा राज्य सरकार से कहा गया है कि रेलवे की सम्पत्ति, रेलवे स्टेशनों आदि की संरक्षा के लिए वे विशेष उपाय करें। सेना, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विद्रोह विरोधी अभियानों के सहयोजन एवं समन्वय के लिए एक एकीकृत मुख्यालय बनाया गया है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर राज्य एवं केन्द्रीय सरकार दोनों ही स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

खुली बिक्री हेतु गेहूं

1564. जस्टिस गुमान मल लोढा:
श्री नीतीश कुमार:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री भक्त चरण दास:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने आगामी चार महीनों के लिए खुले बाजार में गेहूं के बिक्री मूल्यों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके अधिकतम और न्यूनतम निर्धारित मूल्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार कितने गेहूं की बिक्री की जाएगी;

(घ) क्या चालीस प्रतिशत की इस अभूतपूर्व वृद्धि से मैदा, आटा, सूजी और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या लगभग सभी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं। 4.2.97 से संशोधित हुए गेहूं के मूल्य अगले आदेशों तक लागू हैं।

(ख) संशोधित दरों के अनुसार खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन गेहूं के न्यूनतम मूल्य 4900/- रुपये प्रत टन और अधिकतम मूल्य 7900/- रुपये प्रति टन है।

(ग) 1997-98 के दौरान गेहूं की खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) को जारी रखने का अथवा अन्य निर्णय गेहूं की वसूली की आगामी प्रवृत्ति उपलब्ध होने के बाद लिया जायेगा।

(घ) गेहूं की खुली बिक्री अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित किये बिना बाजार मूल्यों पर सन्तुलित प्रभाव डालने के लिए की जाती है। खुली बिक्री के अभाव में गेहूं/गेहूं उत्पादों के बाजार मूल्यों में अधिक वृद्धि हो गई होती।

(ङ) और (च) मूल्य वृद्धि करने के विरोध में कुछेक राज्य सरकारों, रोलर फ्लोर मिलों, संघों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश तट पर तेल का रिसाव

1565. **श्रीमती शारदा टाडीपारथी:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1997 में आन्ध्र प्रदेश तट पर तेल का रिसाव होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और पर्यावरण पर तेल के रिसाव का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश के जिन मछुआरों के जाल तेल के रिसाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए उन्हें मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रभावित समुद्री जीवन को बचाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) जी, हां। तटरक्षक दल मुख्यालयों की सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर तेल बिखराव के कारण कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दुग्ध के पाउडर

1566. **श्री छीतूभाई गामीत:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दुग्ध पाउडर की अधिकांश मात्रा अंतर्राष्ट्रीय कीटनाशक मानकों के अनुरूप है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इसकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी उपलब्धता पर्याप्त मानी गयी है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) भारत में निर्मित दुग्ध चूर्ण का परीक्षण खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों में यथा निर्धारित कीटनाशक अपशिष्टों संबंधी मानकों के अधीन किया जाता है। समस्त निर्यातित दूध को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा निर्धारित मानकों अथवा खरीददार द्वारा अपेक्षित किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अतिरिक्त नमूनों की पूर्ति करनी होती है बशर्ते कि ये नमूने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों से कम न हों।

(ख) दूध की प्रति व्यक्ति पौषणिक आवश्यकता 220 मिली लीटर/दिन होने का अनुमान लगाया गया है जो लगभग 28 ग्राम दुग्ध चूर्ण प्रतिदिन के बराबर होता है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश

1567. **श्री प्रभु दयाल कठीरिया:**
श्री सत्यदेव सिंह:
कुमारी उमा भारती

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बावजूद कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और तकनीकी सहयोग में वृद्धि हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

संगठनों को विदेशी सहायता

1568. **श्री लालमुनी चौबे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण विकास कार्य में रत उन संगठनों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या सरकार को इन संगठनों के कार्यकलापों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा

1569. **श्री प्रमोद महाजन:**
श्री बादल चौधरी:
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के आतंकवादी संगठनों को देश के इन क्षेत्रों और कुछ अन्य राज्यों में विद्रोहात्मक गतिविधियों को जारी करने के लिए बंगलादेश, भूटान और म्यांमार स्थित कैम्पों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इन देशों के सामने इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में ऐसे शिविर हैं जिनका प्रयोग पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों द्वारा सुरक्षित आश्रय, शरण स्थल और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। इन देशों के साथ मामला उठाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे गलत तत्वों को अपनी भूमि का प्रयोग भारत के हितों के प्रतिकूल नहीं करने देंगे।

गैर-सरकारी संगठनों के लिए नीति

1570. **श्री बी. एम. सुधीरन:**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य:
श्री बनवारी लाल पुरोहित:
श्री बादल चौधरी:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों की स्वीकृति के पश्चात गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 मई, 1996 से 31 जनवरी, 1997 तक की अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या इनमें से कुछ संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग किये जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण के संबंध में अध्ययन करने हेतु किसी दल का गठन किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विभिन्न कल्याण योजनाओं में मानदंड तथा प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं जिनके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) दिनांक 1.5.1996 से 31.1.1997 तक की अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (लक्षित समूहवार) को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) संलग्न विवरण के अनुसार 22 गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है। उनके लिए सहायता अनुदान रोक दिये गये हैं तथा 5 मामलों में संबंधित राज्य सरकारों से जांच करने को कहा गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दी गई योजनावार वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	योजना	(रु. लाख में) गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता (28.2.1997 तक)
(1)	अनुसूचित जाति कल्याण	रु. 41.59 करोड़
(2)	अनुसूचित जनजाति कल्याण	रु. 2.59 करोड़
(3)	अल्पसंख्यक कल्याण	रु. 15.96 लाख
(4)	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण	रु. 5.85 करोड़
(5)	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना	रु. 91.81 लाख
(6)	वृद्धावस्था से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना	रु. 480.40 लाख
(7)	समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना	रु. 19.81 लाख
(8)	विकलांग कल्याण	रु. 6.90 करोड़

चावल की खरीद

1571. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी:**
श्री अनन्द कुमार हेगड़े:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा 1995-96 तथा 1996-97 के लिए चावल की खरीद, इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन राज्यों द्वारा चावल की खरीद निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं की गई है;

(घ) खरीद में राज्यवार कितनी कमी हुई है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों के लिए धान की वसूली स्वैच्छिक रूप से होती है। इसी प्रकार, लेवी योजना के अधीन चावल की वसूली मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई धान पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी राज्य में चावल की वसूली के लिए इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

खरीफ विपणन मौसम 1995-96 और 1996-97 के दौरान चावल की राज्य-वार वसूली को बताने वाला विवरण संलग्न है। 1996-97 मौसम की वसूली अभी जारी है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 1995-96 और 1996-97 के दौरान चावल की राज्यवार वसूली बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल की वसूली	
	1995-96	1996-97 (27.2.97 की स्थिति के अनुसार)
क. केन्द्रीय पूल में अंशदान देने वाले:		
आंध्र प्रदेश	36.82	22.59
असम	0.02	–
बिहार	नगण्य	नगण्य
हरियाणा	6.80	11.24
कर्नाटक	0.78	0.78
मध्य प्रदेश	6.87	4.66
महाराष्ट्र	0.38	0.26
उड़ीसा	4.56	2.85
पंजाब	34.62	41.74
राजस्थान	0.02	0.03
उत्तर प्रदेश	7.20	7.30
पश्चिम बंगाल	1.33	1.16
चण्डीगढ़	–	0.07
जोड़	99.49	92.68
ख. केन्द्रीय पूल में अंशदान न देने वाले:		
तमिलनाडु	0.97	5.75
जोड़	100.46	98.43

नगण्य - 500 टन से कम।

[हिन्दी]

उर्वरक हेतु राजसहायता

1572. श्री जगतवीर सिंह द्रोण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा आयातित उर्वरकों पर राजसहायता घटाने के प्रयोजनार्थ धारण मूल्य योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया है तथा इस संबंध में इसका एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समिति गठित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो गठन की तारीख तथा इसके निर्देश पद और संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 28.1.1997 को एक समिति का गठन किया गया है और समिति का संघटन निम्नवत् है:-

1.	प्रोफेसर सी.एच. हनुमंथा राव योजना आयोग के पूर्व सदस्य	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर जी.एस. भल्ला कृषि-अर्थशास्त्री	सदस्य
3.	श्री पी.बी. कृष्णास्वामी पूर्व सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य
4.	अध्यक्ष, बी.आई.सी.पी. (पदेन)	सदस्य
5.	श्री ओ.एन. कपूर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, भारतीय परियोजना एवं विकास लि.	सदस्य
6.	श्रीमती कांता आहूजा अर्थशास्त्री, जयपुर	सदस्य
7.	कार्यकारी निदेशक, एफ.आई.सी.सी. (पदेन)	सदस्य-सचिव

विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) समिति को अपनी सिफारिशें 6 मास में प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं।

विवरण

समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

(1) आर्थिक सुधारों के वृहत् उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उर्वरकों के लिए अवधारण मूल्य स्कीम के कार्यकरण की समीक्षा करना और प्रणाली की कमियों को सुधारना। समिति वैकल्पक पद्धति का सुझाव भी दे सकती है जो व्यापक आधार, वैज्ञानिक और पारदर्शी होनी चाहिये।

(2) उद्योगों के लिए प्रोत्साहनों की अन्यथा अथवा पर्याप्तता की समीक्षा करना। निबल मूल्य पर लाभांश की संगतता, क्षमता समुपयोजन के मानकों, मूल्य ह्रास आदि से जुड़े मुद्दे।

(3) नयी उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में समुचित पूँजी मानकों और ऋण इक्विटी अनुपात सुझाना।

(4) आदान मूल्य नीति और अवधारण मूल्य स्कीम पर इसके प्रभाव की समीक्षा।

(5) समान भाड़ा प्रणाली की समोक्षा करना और इसे संगत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना, इसमें दूरी कम करने के लिए देश में आर-पार आवागमन को न्यूनतम करना।

(6) उर्वरक सब्सिडी को उचित स्तर पर रखते हुए शस्य विज्ञानीय रूप से वांछित एन.पी.के. के खपत अनुपात की दृष्टि से उर्वरक उद्योग के नियंत्रित और अनियंत्रित खंडों के संबंध में नीतियों, जो उर्वरकों की उपलब्धता और नियंत्रित व अनियंत्रित उर्वरकों के संगत मूल्यों को अतिक्रमित करती है, में समरूपता लाने के लिए उपाय सुझाना।

(7) अन्य कोई मद जिसे उपयुक्त समझा जाये।

[अनुवाद]

चीनी की खुली बिक्री पर उसके मूल्य में वृद्धि का प्रभाव

1573. श्री प्रदीप भट्टाचार्य: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि से खुली बिक्री की चीनी के मूल्य भी प्रभावित होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकान वालों द्वारा कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ खुली बिक्री के चीनी के मूल्य में समानता लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होने की दृष्टि में यह सम्भावना नहीं है कि 10.2.97 से लेवी चीनी के खुदरा निर्णय मूल्य बढ़ाकर 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम करने से मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) दोहरे मूल्य तंत्र सहित चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति के अंतर्गत लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य और मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य समान स्तर पर लाने के लिए एक योजना तैयार करना अपेक्षित नहीं है। मुक्त बिक्री के लिए प्रत्येक मास चीनी की विवेकपूर्ण निर्मुक्तियां करके मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों को उस स्तर पर बनाए रखा जाता है जो उपभोक्ताओं की पहुंच में हो और इसी समय चीनी फैक्ट्रियों के लिए पर्याप्त प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है ताकि वे गन्ना उत्पादक किसानों की बकाया राशि अदा कर सकें।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पामोलीन के आयात पर प्रतिबंध

1574. **श्री अजय मुखोपाध्याय:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पामोलीन के आयात को सीमित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उसका आबंटन नाममात्र का करने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस निर्णय के फलस्वरूप खाद्य तेलों के बाजार भाव पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का सामना कैसे करने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1997 के लिए पामोलीन का कुल कितना आबंटन किया गया है और राज्यों को राज्यवार कुल कितने पामोलीन की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल, गेहूँ, चीनी तथा मिट्टी के तेल की तरह पामोलीन का वितरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है। सरकार, जब भी आवश्यक होता है बाजार दखल कार्रवाई के उपाय के रूप में राज्य व्यापार निगम के जरिये पामोलीन का आयात करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उसका वितरण करती है।

(ङ) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी तथा फरवरी, 1997 के लिए आयातित पामोलीन की कुल 11,325 मी. टन मात्रा आवंटित की गई है, जिसे राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध मौजूदा स्टाक में से सप्लाई किया जाना है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (मात्रा मी. टन में)
गुजरात	5000
कर्नाटक	2500
महाराष्ट्र	2800
पश्चिम बंगाल	500
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	500
कुल	11,325

[हिन्दी]

हिंदी भाषा को लागू करना

1575. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान राष्ट्र भाषा हिन्दी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह लागू करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) क्या फ्रांसीसी भाषा को विदेशी होने के कारण त्याग कर इंग्लैंड तथा रूस ने क्रमश: अंग्रेजी तथा रूसी भाषा को अपनाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) केन्द्र की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन नीतिगत तरीके से प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव से निरंतरत: आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोत्तरी हो रही है।

(ग) अन्य राष्ट्रों से संबंधित इस सूचना के विवरण सरकार के पास नहीं हैं।

[अनुवाद]

चीनी मिलों के लिए लाइसेंसिंग नीति

1576. **श्री उत्तम सिंह पवार:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों में हो रहे अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चार वर्षों के लिए लाइसेंस जारी नहीं करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने फिलहाल चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग को जारी रखने का निर्णय किया है और दिनांक 10.1.1997 को संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है और *अन्य बातों के साथ-साथ* इसमें विस्तार परियोजनाओं के लिए स्वत: लाइसेंस प्राप्त करना शामिल है। घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाना समाप्त करना अपेक्षित नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने के अधिक मूल्य के लिए आन्दोलन

1577. **श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा:**
श्री मंगल राम प्रेमी:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1997 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''आफेंसिव अगेंस्ट केन प्राइसिस प्लैन्ड'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के किसान चीनी मिलों को सप्लाई किये जाने वाले गन्ने के अधिक मूल्य के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय किसान यूनियन ने केन्द्र सरकार से दोहरी मूल्य नीति खत्म करने के लिए आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वृक्षारोपण

1578. **डॉ. कृपासिन्धु भोई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क खानों को संचालित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अयस्कों का खनन करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदण्डों का मूल्यांकन करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) निजी कंपनियां सड़कों, पट्टा क्षेत्रों, अत्यधिक कूड़े वाले कूड़ा-स्थलों, प्रयोग न किये जाने वाले पछोड़न तालाबों एवं कालोनियों के आस-पास वृक्षारोपण कर रही हैं।

(ग) पर्यावरण मानकों पर नजर रखने के लिए विभिन्न विशेष उपाय किये गये हैं। इनमें धूल भरे क्षेत्रों में जल का छिड़काव करना, ड्रिलों सहित धूल खींचने वाले यंत्रों का प्रयोग, नियंत्रित विस्फोट, निर्देशित चैनलों का विकास, निस्तारण से पूर्व खान के जल का उपचार, खुदाई किये गये क्षेत्रों का सुधार तथा पुनर्वास तथा वृक्षारोपण शामिल है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता शिकायतों के लंबित मामले

1579. **श्री दत्ता मेघे: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भिन्न-भिन्न अदालतों/मंचों के पास निपटान के लिए राज्य-वार कितने उपभोक्ता मामले लम्बित हैं;

(ख) 1996-97 के दौरान और आज तक राज्य-वार कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) शेष मामले को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जिला मंचों में निपटाए गए तथा अनिर्णित मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अत: इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभ से निपटाए गए	अनिर्णित मामले	निम्नांकित मासांत को
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	66738	12937	9/96
अरुणाचल प्रदेश	106	34	10/96
असम	3005	826	4/96

1	2	3	4
बिहार	15724	10503	10/96
गोवा	1546	593	10/96
गुजरात	25588	16148	9/96
हरियाणा	30037	10149	9/96
हिमाचल प्रदेश	6155	1077	9/96
जम्मू और कश्मीर	5837	1045	8/96
कर्नाटक	30534	11419	8/96
केरल	66431	5033	10/96
मध्य प्रदेश	23425	11510	12/95
महाराष्ट्र	43563	17040	9/96
मणिपुर	601	10	9/95
मेघालय	99	38	6/96
मिजोरम	147	12	11/96
नागालैण्ड	6	7	9/94
उड़ीसा	12470	2065	9/96
पंजाब	12046	3039	9/96
राजस्थान	73453	10618	9/96
सिक्किम	60	7	10/96
तमिलनाडु	28608	5008	9/96
त्रिपुरा	487	81	9/96
उत्तर प्रदेश	86060	49821	8/96
पश्चिम बंगाल	4767	15006	9/96
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	107	12	9/96
चंडीगढ़	4469	3527	6/96
दादरा और नगर हवेली	10	10	8/96
दमण और दीव	16	16	9/96
दिल्ली	28000	9710	10/96
लक्षद्वीप	24	2	11/96
पांडिचेरी	1077	72	11/96
कुल	569196	197375	

[अनुवाद]

दलितों के लिए आरक्षण

1580. श्री वी. प्रदीप देव: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने नवम्बर, 1996 में दलितों हेतु नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को निजी क्षेत्रों में लागू करने तथा इसकी अधिकतम 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा को समाप्त करने के संबंध में विचार करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री के समक्ष एक रैली में इस प्रकार की मांग की गई थी, यह प्रत्युत्तर दिया गया था कि इसकी जांच की जाएगी।

अमरनाथ यात्रा

1581. श्री मोहन रावले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1996 में कश्मीर में हुई अमरनाथा यात्रा त्रासदी की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल की गई टिप्पणियों और सिफारिशों का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) संपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 18.12.1996 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई थी।

(ग) और (घ) सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है तथा राज्य सरकार से रिपोर्ट में सुझाए गए अनुसार, उचित उपचारी/तैयारी उपाय करने के लिए कहा गया है ताकि ऐसी दुर्घटना दुबारा न हो। भारत सरकार इस संबंध में जम्मू व कश्मीर सरकार को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी।

उपभोक्ता मदों संबंधी बढ़े हुये अधिकतम मुद्रित मूल्य

1582. डा. जी. आर. सरोदे: क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मदों पर मुद्रित अधिकतम मूल्य अधिकांश बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत पैकेज में रखकर बेची जाने वाली वस्तु का खुदरा बिक्रय मूल्य उस पर "सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य.....", या "अधिकतम खुदरा मूल्य..... रु. सभी करों सहित" लिखकर अंकित करना होता है।

अधिकतम खुदरा मूल्य वह अधिकतम मूल्य है जिस पर किसी उत्पाद को बेचा जा सकता है। वास्तविक बिक्री मूल्य कई कारणों से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम हो सकता है।

खुदरा विक्रेताओं को बहुत ज्यादा मार्जिन दिये जाने के संबंध में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, सरकार उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सेवा करने के लिए संबंधित ग्रुपों और संगठनों के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

सूरजमुखी का उत्पादन

1583. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी:**
श्री हरिवंश सहाय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां सूरजमुखी का उत्पादन हो रहा है तथा इन राज्यों में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में हुए सूरजमुखी के कुल उत्पादन वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूरजमुखी के उत्पादन में इस वर्ष थोड़ी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सूरजमुखी के उत्पादन में वृद्धि की गरज से किसानों को राजसहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश प्रमुख सूरजमुखी उत्पादक राज्य हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान सूरजमुखी का राज्य-वार क्षेत्र और उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश में इस वर्ष यानि 1996-97 के दौरान सूरजमुखी का कुल उत्पादन 13.8 लाख मी. टन होने का अनुमान है जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

(ङ) और (च) सूरजमुखी, अन्य तिलहनों सहित, का उत्पादन बढ़ाने के लिए, 22 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बीजों का उत्पादन और वितरण, मिनीकिटों का वितरण, रिजोबियम कल्चर, जिप्सम/पायराइट्स, उन्नत कृषि उपकरण, पौध रक्षण उपस्कर, किसानों का प्रशिक्षण, स्प्रिंकलर सैट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों के लिए राजसहायता देकर वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए किसानों के खेतों में प्रमुख तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

विवरण

सूरजमुखी के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान

ए-क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)
पी-उत्पादन ('000 मीटरी टन)

क्र.सं.	राज्य		1993-94	1994-95	1995-96
1	2		3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	ए	389.6	402.6	372.1
		पी	217.4	284.4	267.1
2.	बिहार	ए	5.0	10.7	8.0
		पी	2.0	4.7	4.8
3.	हरियाणा	ए	40.0	34.4	50.0
		पी	65.0	56.5	75.0
4.	कर्नाटक	ए	1469.3	389.5	1013.7
		पी	474.8	355.1	405.1
5.	मध्य प्रदेश	ए	18.4	13.0	12.4
		पी	6.5	3.8	4.2
6.	महाराष्ट्र	ए	571.5	510.1	496.3
		पी	354.1	280.9	307.2

1	2		3	4	5
7.	नागालैण्ड	ए	2.5	1.5	2.5
		पी	2.0	0.8	2.5
8.	उड़ीसा	ए	5.6	1.9	2.3
		पी	2.9	1.0	1.2
9.	पंजाब	ए	85.0	95.0	103.0
		पी	146.0	147.0	159.0
10.	राजस्थान	ए	4.8	3.7	3.1
		पी	1.6	0.9	0.7
11.	तमिलनाडु	ए	39.9	45.0	56.4
		पी	33.1	41.7	52.1
12.	उत्तर प्रदेश	ए	35.9	39.5	37.3
		पी	42.6	40.7	45.1
13.	पश्चिम बंगाल	ए	0.3	0.4	0.4
		पी	0.2	0.3	0.3
	अखिल भारत	ए	2667.8	1997.3	2157.5
		पी	1348.2	1217.8	1324.3

[अनुवाद]

पश्चिम पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना

1584. श्री मंगत राम शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर राज्य में आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया है; और

(ग) क्या सरकार के पास जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार ऐसे प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये का अनुदान देने संबंधी कोई प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु के मछुआरे

1585. श्री एन. डेनिस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के समुद्रतट में मछुआरों की दयनीत स्थिति की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) तमिलनाडु तट सहित तटवर्ती क्षेत्रों में मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की योजनाओं के अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

(i) तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(1) पारम्परिक नौकाओं का मोटरीकरण (2) मध्यम नौकाओं की शुरूआत, तथा (3) प्लाइवुड नौकाओं की शुरूआत।

(ii) मछली पकड़ने की 20 मीटर से कम लम्बाई वाली यंत्रीकृत नौकाओं को आपूर्ति किए जाने वाले हाई स्पीड डीजल आयल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(iii) समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन एवं कृत्रिम शैलभित्तियों तथा समुद्री कृषि परियोजना की शुरूआत।

(iv) मात्स्यिकी बन्दरगाहों (बड़े तथा छोटे पत्तनों पर) तथ. मछली उतारने के केन्द्रों के विकास संबंधी योजना।

(v) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण" योजना के तहत सामूहिक बीमा तथा बचत-सह-राहत।

अनुसंधान संस्थान

1586. श्री गुलाम रसूल कार:
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान संस्थानों का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार उपरोक्त योजनावधि में नए अनुसंधान संस्थान खोलने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो नए संस्थान को स्थापित किये जाने के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) महोदय, नौवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद चालू अनुसंधान संस्थाओं तथा कुछ नये संस्थाओं का आवश्यकता के अनुसार सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव कर रही है। समाकलन/दर्जा बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संस्थाओं और नए संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जब नौवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार कर लिया जायेगा तब प्रस्तावित नयी संस्थाओं के स्थान का पता लगाया जायेगा।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

1. नौवीं योजना के दौरान चालू संस्थाओं का प्रस्तावित सुदृढ़ीकरण

1क. समेकित किये जाने वाले प्रस्तावित संस्थाएं

* जौ नेटवर्क-गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल के साथ
* राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के साथ ए.आई.सी.आर.पी. के पूरी तरह उपयोग में न लाये गये पौधे
* चुकन्दर नेटवर्क प्रायोजना-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के साथ
* तम्बाकू पर ए.आई.सी.आर.पी.-केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के साथ
* शुष्क फलियों पर ए.आई.सी.आर.पी.-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के साथ
* बागवानी फसल पर ए.आई.सी.आर.पी.-तथा फल तथा सब्जियों की अखिल भारतीय समन्वित फसल के कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रायोजना अखिल भारतीय समन्वित फसल के कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के साथ।
* खुम्बी पर ए.आई.सी.आर.पी.-राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र के साथ
* काजू पर ए.आई.सी.आर.पी.-राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र के साथ
* भेषजीय तथा संगधीय पौधों पर ए.आई.सी.आर.पी.-राष्ट्रीय भेषजीय तथा संगधीय पौधा अनुसंधान केन्द्र के साथ
* खर-पतवार नियंत्रण पर ए.आई.सी.आर.पी.-राष्ट्रीय खर-पतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के साथ
* दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण अनुसंधान केन्द्र पर ए.आई.सी.आर.पी. तथा मृदा जांच फसल अनुक्रिया पर ए.आई.सी.आर.पी.-समेकित पौध पोषण प्रणाली पर ए.आई.सी.आर.पी. के साथ
* जैविक नाइट्रोजन निर्धारण पर ए.आई.सी.आर .पी.-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के साथ।
* जुताई मांग केन्द्र पर ए.आई.सी.आर.पी.-प्रस्तावित स्थित उत्पादन प्रणाली संस्थान के साथ
* कुएं तथा पम्प पर ए.आई.सी.आर.पी.-जल प्रबन्ध पर ए.आई.सी.आर.पी. के साथ
* कृषि वानिकी पर ए.आई.सी.आर.पी.-राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र के साथ
* पावर टिलर पर ए.आई.सी.आर.पी.-अखिल भारतीय समन्वित कृषि तथा मशीनरी अनुसंधान प्रायोजना के साथ
* गुड़ पर ए.आई.सी.आर.पी.-फसल के कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर ए.आई.सी.आर.पी. के साथ
* कृषि निकासी केन्द्र पर ए.आई.सी.आर.पी.-पी डी जल प्रबंध के साथ
* राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो तथा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के साथ

1ख. उन्नयन के लिए प्रस्तावित संस्थाएं

- राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र-शुष्क बागवानी को केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
- पी डी-सब्जी अनुसंधान को केन्द्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान
- राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र-आर्किड को राष्ट्रीय आर्किड तथा पुष्पोत्पादन अनुसंधान केन्द्र
- पी डी फसल प्रणाली अनुसंधान को भारतीय स्थित उत्पादन प्रणाली संस्थान
- पी डी जल प्रबंध अनुसंधान को पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स
- मौसम विज्ञान पर ए.आई.सी.आर.पी. को कृषि मौसम विज्ञान प्रायोजना निदेशालय

- भा.कृ.अ.प. अनुसंधान काम्पलैक्स गोवा तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र कैनिंग केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान को तटीय उत्पादन प्रणाली पर नेटवर्क
- विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला के घटकों के समाकलन द्वारा विशाल उत्पादन प्रणाली नेटवर्क, केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान तथा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी काम्पलैक्स
- खुरपका तथा मुंहपका रोग पर ए.आई.सी.आर.पी. को रा.अ.के.-खु.मु.रोग
- भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी नेटवर्क को भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी पर ए.आई.सी.आर.पी.
- अखिल भारतीय समन्वित सुअर अनुसंधान प्रायोजना को राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र
- अखिल भारतीय समन्वित पशु रोग प्रबोधन तथा निगरानी अनुसंधान प्रायोजना को राष्ट्रीय पशु रोग प्रबोधन तथा निगरानी अनुसंधान केन्द्र

2. नौवीं योजना के लिए प्रस्तावित नयी संस्थाएं

- प्रोजेक्ट ऑन ट्रायबल क्राप्स
- ए.आई.सी.आर.पी. ऑन सोलेनेकस वैजीटेबल्स
- ए.आई.सी.आर.पी. ऑन कुकरबिट, ओकरा तथा रूट वेजिटेबल्स
- ए.आई.आर.सी.आर.पी. आन कोलो, पी एण्ड बीन वेजिटेबल्स
- रीजनल स्टेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसीज रिसर्च
- ए.आई.सी.आर.पी.-इंजीनियरिंग मेजर्स फार एफिशियेन्ट लैण्ड एण्ड वाटर यूज
- ए.आई.सी.आर.पी. ऑन गैस्ट्रो इन्टेसटिनल पेरासीटीज्म
- ए.आई.सी.आर.पी. ऑन न्यूअर फीड्स एण्ड प्रीपरेशन ऑफ कमप्लीट फीड
- ए.आई.सी.आर.पी. आन रुमैन माइक्रोबायल डायनामिक
- नेटवर्क प्रोग्राम आन हेमोरहेजिक सैपटिकेमीया
- नेटवर्क आन लिगनिन बायोडिग्रेडेशन
- नेटवर्क आन फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट यूसिंग रिप्रोडेक्टिव आबायो-टेक्नोलाजी
- नेटवर्क आन क्रासब्रेड एनिमल्स फोर हिल्स
- ए.आई.सी.आर.पी. फ्रेशवाटर प्राउन कल्चर एट सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फ्रैशवाटर एक्वाकल्चर
- ए.आई.सी.आर.पी. शेलफिश मैरीकल्चर एट सैन्ट्रल मैरिन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
- रूरल अवेरनेस वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम
- नेशनल टेलेन्ट सर्च स्कालरशिप
- एग्रीकल्चर एजुकेशन मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
- सब्बेटिकल लीव
- प्रीडाक्टरल फैलोशिप फोर ओवरसीज स्टूडेंट फ्राम सार्क एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीस
- इस्टेबिल्समेंट आफ इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोगरेम फ्रंटलाइन डेमनस्ट्रेशन इन वेरियस आसपैक्ट्स ऑफ क्राप प्रोडक्शन

क्लोरीनयुक्त कीटनाशक

1587. **प्रो. अजित कुमार मेहता:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक क्लोरीनयुक्त कीटनाशक जिसमें से कुछ का स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और जिन्हें विश्व भर में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देने का लक्ष्य है उनका उत्पादन देश में जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्लोरीन आधारित उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं; और

(घ) सरकार ऐसे रसायनों के उत्पादन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए क्या उपाय करने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) कुछ आर्गेनो-क्लोरीन कीटनाशी दवाएं जैसे डी.डी.टी., इण्डोसल्फान, बी.एच.सी. और लिण्डेन देश में निर्मित की जा रही हैं। देश में इनके सतत प्रयोग के लिए सरकार ने इनकी समीक्षा की है और इण्डो-सल्फान के अलावा अन्य कीटनाशी दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, बी.एच.सी. के विनिर्माण और प्रयोग पर 1.4.1997 से प्रतिबंध लग गया है।

(ख) इन कीटनाशी दवाओं के प्रयोग को अनुमति देने के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) सुरक्षित और सस्ते विकल्पों की अनुपलब्धता।

(2) भारतीय परिस्थितियों में तुलनात्मक रूप से जैविक अवक्रमणता अधिक होना।

(3) विशिष्ट कृमि समस्यायें और विशेष कृषि जलवायुवीय परिस्थितियाँ।

(ग) और (घ) क्लोरीन कॉस्टिक सोडा उद्योग का एक उपोत्पाद है। यह सामान्य उद्देश्यों के लिए काम आने वाला रसायन है और इसके कई प्रयोग हैं। देश में लगभग 30 विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा लगभग 7,00,000 मी. टन तरल क्लोरीन का उत्पादन किया जाता है। क्लोरीन पर आधारित विभिन्न रसायनों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार को ऐसे रसायनों के उत्पादन को हतोत्साहित करने का कोई इरादा नहीं है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

1588. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और केन्द्र के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके खिलाफ कदाचार/अपराध करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रथम सूचना रिपोर्टें, आरोप-पत्र केन्द्रीय ज़ांच ब्यूरो पुलिस और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मामले दर्ज किये जाने, विभागीय जांच करने आदि जैसी कार्यवाही शुरू की गयी है अथवा की जाने की प्रक्रिया में है;

(ख) प्रति वर्ष भ्रष्टाचार और/अथवा सम्बद्ध अपराधों के कारण ऐसे मामलों की संख्या क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में कदाचार और अन्य अपराध किये जाने के कारण ऐसी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में उचित निषेधात्मक उपाय अपनाने के बारे में विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक संयंत्रों के लिए भारत-ओमान संयुक्त उद्यम परियोजना

1589. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान के सहयोग से देश में कुछ उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान भारत-ओमान संयुक्त उद्यम के अंतर्गत देश में कितने उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना की लागत और क्षमता कितनी होगी तथा इनकी स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों की स्थापना हेतु ओमान के साथ तय की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) ओमान के सहयोग से भारत में कोई उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दूध के मूल्य

1590. **श्री जी. ए. चरण रेड्डी:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा दिल्ली में बेचे जा रहे टोण्ड दूध के मूल्य में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा ऐसी रियायत के कारण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसकी उत्पादन क्षमता पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है तथा काफी ज्यादा हानि उठानी पड़ रही है जो प्रतवर्ष बढ़ती जा रही है; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी के मूल्य में समानता लाने तथा दिल्ली दुग्ध योजना की हानि की भरपाई करने और इसे अर्थक्षम इकाई बनाने हेतु कौन-कौन से उपाय करने पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बिक्री किये जा रहे टोण्ड दूध के एक लीटर की मौजूदा बिक्री कीमतें इस प्रकार हैं:-

	पोली पैक में	थोक बिक्री के जरिए
मदर डेयरी	12/- रुपये	11/- रुपये
दिल्ली दुग्ध योजना	7/- रुपये	कोई थोक बिक्री नहीं।

दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री मूल्य सामान्यतया अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण की पूरी लागत से कम रखे गए थे। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को इसके संचालन के लिए बजट समर्थन प्रदान करना आवश्यक हो गया।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

1591. **श्री हरिवंश सहाय:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कप्तानगंज चीनी मिल के प्रदूषित जल के कारण भारी संख्या में मछलियां मर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप सारा इलाका प्रदूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस चीनी मिल और प्रदूषण फैलाने वाली अन्य चीनी मिलों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जल निकायों में अशोधित बहिस्रावों को छोड़ने से मछलियों सहित अन्य जल-प्राणियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के कैप्तानगंज स्थित मैसर्स कनोरिया सूगर एण्ड जनरल मैन्युफैक्चरिंग क. लि. ने अपने बहिस्राव के शोधन के वास्ते बहिस्त्राव शोधन संयंत्र उपलब्ध करा लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस इकाई को बहिस्राव शोधन संयंत्र के समुचित संचालन तथा रख-रखाव के लिए निर्देश दिए हैं।

(ख) बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में अन्य सभी चीनी इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने-अपने बहिस्राव शोधन संयंत्रों का समुचित संचालन और रख-रखाव करें।

पशु संबंधी बीमारियां

1592. **डा. महादीपक सिंह शाक्य:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पशु रोगों के उपचार संबंधी योजनाओं को निजी क्षेत्र विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाने को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं को तैयार करने से पहले कतिपय विशेषज्ञों से सलाह ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण

1593. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:**
श्रीमती मीरा कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 1997 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित ''पोल्यूशन टर्निंग इन्टू इनवाइरनमेण्ट क्राइसिस'' शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.सी.आर. शहरों में प्रदूषण का स्तर निर्धारित करने हेतु हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) पर्यावरण संबंधी प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु छोटे और मझौले उद्योगों को दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन किस प्रकार के हैं और उनकी मांग क्या है; और

(ङ) एन.सी.आर. शहरों को प्रदूषण से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरन का एक सर्वेक्षण किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 33 शहरों/नगरों का चयन किया गया जिनमें उत्तर प्रदेश के 14 नगर, हरियाणा के 16 नगर तथा राजस्थान के 3 नगर शामिल थे। यह मानीटरन शीत, ग्रीष्म और मानसून-पूर्व तीन विभिन्न मौसमों में तीस दिनों तक लगातार जारी रखा गया और इसमें निलम्बित कणिकों, नाइट्रोजन आक्साइड तथा सल्फर डाइआक्साइड जैसे पैरामीटरों को शामिल किया गया। निलम्बित कणिकीय पदार्थों को छोड़कर अन्य प्रदूषकों का औसत परिवेशी स्तर उनकी निर्धारित सीमाओं से नीचे पाया गया।

(घ) लघु और मझौले उद्योगों के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं उनमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट, उत्पाद शुल्क में छूट, लघु इकाइयों के समूहों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की कुल लागत के 50% तक केन्द्रीय और राज्य सब्सिडी, आदि शामिल हैं।

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

(2) उद्योगों को स्थान दिलाने और उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं।

(3) उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

(4) उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण लगाएं। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(5) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में यमुना तथा भूमिगत जल की गुणवत्ता का नियमित रूप से निगरानी करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न नदियों में निगरानी कार्य शुरू करें।

(7) भारत सरकार ने औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा आवासीय क्षेत्रों तथा शांत क्षेत्रों के लिए शोर मानक अधिसूचित किए हैं।

(8) शोर के स्तर को निर्धारित सीमा तक बनाए रखने के लिए विभिन्न उपकरणों के संचालन के लिए कार्य-संहिताएं तैयार की गई हैं।

(9) जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

पाइराजिनामाइड का निर्माण

1594. श्री हरिन पाठक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को क्षय रोग रोधी दवाई पाइराजिनामाइड के निर्माण में प्रयोग होने वाली डी ए एम एन तथा साइनोपाइराजिन के कर ढांचे में विसंगति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का औचित्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) डी.ए.एम.एन. तथा 2-साइनोपाइराजिन के शुल्क ढांचे में ऐसी कोई विसंगति नहीं है। यह भिन्नतापूर्ण शुल्क ढांचा स्तरीय शुल्क ढांचे तथा लम्बे समय से सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के सिद्धांतों के अनुसार है।

(ग) इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट और अभ्यावेदनों का परीक्षण किया गया तथा स्तरीय कर ढांचे को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन और मूल्य

1595. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि का पिछले दस वर्ष से अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पृथक रूप से चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमानत: कितना उत्पादन होगा;

(घ) क्या सरकार ने चीनी उत्पादन और इसके उपभोक्ता मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान खुले बाजार में चीनी का न्यूनतम और अधिकतम उपभोक्ता मूल्य कितना रहा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 तथा 1995-96 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन क्रमश: 146.43 तथा 164.29 लाख टन था।

(ग) चालू मौसम 1996-97 के दौरान लगभग 140 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) 1994-95 तथा 1995-96 मौसम के दौरान, चीनी के खुले बाजार मूल्य में बहुत ही कम विचलन हुआ था। 1994-95 तथा 1995-96 मौसमों के दौरान देश के चार मुख्य बाजारों में एस-30 ग्रेड चीनी के थोक चीनी मूल्य की रेंज निम्नवत थी:-

मौसम	थोक मूल्यों की रेंज (रु. प्रति क्विंटल)
1994-95	1010-1460
1995-96	1138-1510

राष्ट्रीय गन्ना नीति

1596. श्री राजकेशर सिंह:
श्रीमती केतकी देवी सिंह:
श्री पंकज चौधरी:
कुमारी उमा भारती:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय गन्ना नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) 1996 की सिविल विविध रिट याचिका सं. 36889 में इलाहाबाद उच्च

न्यायालय ने निदेश दिया है कि केन्द्रीय सरकार चीनी और गन्ना के संबंध में भारत में प्रचलित नियमों में पूरी तरह संशोधन करने की सिफारिशें करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करेगी।

चीनी और गन्ना से संबंधित ऐसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने से संबंधित मामला विचाराधीन है।

गेहूं और चावल की आर्थिक और बंधी लागत

1597. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री नवल किशोर राय:
श्रीमती मीरा कुमार:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पछले कुछ वर्षों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित गेहूं और चावल की आर्थिक लागत और बंधी लागत लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रतिवर्ष गेहूं और चावल की आर्थिक लागत और बंधी लागत कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष में भी आर्थिक लागत और बंधी लागत का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन लागतों के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन लागतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यावरणीय परिवर्तनों संबंधी अध्ययन

1598. **श्री सत्यदेव सिंह:**
कुमारी उमा भारती:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वायुमंडल में कार्बन डायक्साईड की बढ़ती हुई मात्रा के कारण पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों तथा खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसी केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्र के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) जी, नहीं। देश की विद्यमान अनुसंधान संस्थाओं में वायुमंडल में कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा में परिवर्तन से संबंधित अध्ययन किये जाते हैं। इस समय इस प्रयोजन के लिए अलग केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षाएं

1599. **श्री मंगल राम प्रेमी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में उप-निरीक्षक के पद के लिए वर्ष 1992-93 की विभागीय परीक्षा में बैठने वाले पुलिस कर्मियों को दोबारा बुलाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश जारी करने का क्या कारण है; और

(घ) सरकार की इस सबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

1600. **श्री एन. जे. राठवा:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों/लड़कियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के रूप में राशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अब तक) के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह योजना पात्र लड़के तथा लड़कियों को शामिल करती है।

विवरण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रो को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1440.612	2980.339	2394.90
2.	असम	314.885	625.985	शून्य
3.	बिहार	451.00	शून्य	शून्य
4.	गोवा	0.90	0.48	शून्य
5.	गुजरात	707.00	762.75	494.89
6.	हरियाणा	75.49	70.70	2.26
7.	हिमाचल प्रदेश	3.8352	14.38	24.73
8.	जम्मू और कश्मीर	62.39	79.23	62.34
9.	कर्नाटक	830.997	1078.82	1374.526
10.	केरल	510.646	41.294	97.40
11.	मध्य प्रदेश	725.23	820.89	1982.79
12.	महाराष्ट्र	2084.482	2557.20	2371.80
13.	मणिपुर	115.56	227.78	374.50
14.	मेघालय	143.275	96.60	371.843
15.	मिजोरम	142.40	122.40	144.50
16.	नागालैंड	शून्य	243.427	404.90
17.	उड़ीसा	313.559	741.291	531.43
18.	पंजाब	73.80	237.05	शून्य
19.	राजस्थान	311.68	665.40	934.75
20.	तमिलनाडु	778.17	693.00	1817.74
21.	त्रिपुरा	82.181	82.358	29.346
22.	उत्तर प्रदेश	386.9588	1669.82	1040.00
23.	पश्चिम बंगाल	शून्य	635.286	142.30
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.75	1.28	1.85
25.	दमन और दीव	1.60	2.64	2.089
26.	दादर और नगर हवेली	4.06	5.68	शून्य
27.	पांडिचेरी	11.30	26.03	20.00
28.	गुवाहाटी प्रोजेक्ट	2.00	3.00	3.00
	कुल	9635.00	14485.63	14623.884

[अनुवाद]

राजस्थान की योजनाएं

1601. श्री परसराम मेघवाल: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मंत्रालय की स्वीकृति के लिए कुछ योजनाएं जैसे जनता जल योजना, 349 पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिए बी.टी. सड़कों का निर्माण, समुदाय लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, राजस्थान राज्य के डुंगरपुर जिले का समग्र विकास आदि करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक स्वीकृत की गई योजनाएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में नए जिलों का सृजन

1602. **श्री के. एच. मुनियप्पा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य में कम से कम 14 नए जिलों का सृजन करने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार, राज्य में जिलों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कर्नाटक राज्य में कम से कम 14 नए जिले बनाए जाने जैसी कोई मांग नहीं है।

रज्जु मार्ग के लिए वन भूमि

1603. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ एकड़ वन भूमि के अधिग्रहण और मैसूर के निकट चामुंडी हिल्स में रज्जु मार्ग के निर्माण के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वन भूमि के लिए मंजूरी मांगी गई है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि रज्जु मार्ग के निर्माण से उस क्षेत्र का प्राकृतिक पर्यावरण खराब हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चामुंडी हिल में रज्जु मार्ग के निर्माण के लिए 2.22 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का दिनांक 15.12.95 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) यह सूचित किया गया है कि रज्जु मार्ग के निर्माण से प्राकृतिक पर्यावरण बिगड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में केवल झाड़ीदार वन हैं। चामुंडी हिल्स में रज्जु मार्ग के निर्माण के लिए 2.22 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस शर्त पर मंजूरी दी गई थी कि प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार के लिए रज्जुमार्ग के किसी एक तरफ 4.44 हेक्टेयर भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादन

1604. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ने की खेती के लिए किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए गत तीन वर्षों में राज्य-वार प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को विशेष रूप से गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कोई नया कार्यक्रम तैयार किया है अथवा तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1995-96 में गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को फ्रन्टलाइन एवं खेतों में प्रदर्शनों तथा किसानों के प्रशिक्षण के जरिये गन्ने की खेती संबंधी प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए तथा कृषि उपस्करणों की सप्लाई और अच्छी क्वालिटी के बीज की अधिक उपलब्धता तथा टपका सिंचाई की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

(ख) चूंकि यह योजना 1995-96 में ही शुरू की गई थी, इसलिए पिछले दो वर्षों अर्थात् 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान दी गई राज्यवार धनराशि (केन्द्रीय अंश) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली के विकास की योजना, जिसमें मौजूदा घटक सम्मिलित हैं, नौवीं योजना के दौरान सक्षम एजेंसियों के अनुमोदन की शर्त पर कार्यान्वयन हेतु तैयार की जा रही है।

विवरण

गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास के अंतर्गत 1995-96 तथा 1996-97 में दी गई राज्यवार धनराशि (केन्द्रीय अंश)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	धनराशि (रु. लाखों में)	
	1995-96	1996-97 फरवरी 97 तक
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	210.92	205.01
असम	43.66	41.00
बिहार	159.13	151.09
गोवा	15.04	14.99

1	2	3
गुजरात	166.64	166.32
हरियाणा	112.82	101.88
कर्नाटक	247.92	249.22
केरल	25.56	24.21
मध्य प्रदेश	87.08	80.80
महाराष्ट्र	507.12	536.84
मणिपुर	13.27	13.11
मिजोरम	13.16	13.11
नागालैंड	15.62	14.93
उड़ीसा	54.73	42.62
पंजाब	124.40	63.42
राजस्थान	56.60	59.06
तमिलनाडु	232.66	233.78
त्रिपुरा	18.16	13.12
उत्तर प्रदेश	810.29	720.90
पश्चिम बंगाल	36.19	30.80
पांडिचेरी	19.67	18.17

कम्प्यूटरीकृत लॉटरी

1605. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूरे देश में कम्प्यूटरीकृत लॉटरी शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) देश में लाटरी का धंधा राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्र सरकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां इसके लिए पात्र नहीं बनती हैं।

[अनुवाद]

परिस्त्रवण-तालाबों की स्वीकृति

1606. **श्री के. कंडासामी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि प्रयोजनार्थ वन्य भूमि में परिस्त्रवण तालाब (चैक डैम) बनाने संबंधी तमिलनाडु व अन्य राज्यों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या प्रस्तावित कदम उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना

1607. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने मैथिली और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) मैथिली और भोजपुरी सहित अनेकों भाषाएं भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ताकि इसके लिए वस्तुगत मानदण्डों का एक सैट तैयार किया जा सके जिसके अनुसार इस प्रकार के सभी प्रस्तावों की जांच करके उन्हें अंतिम रूप से निपटाया जा सके।

[अनुवाद]

शुष्क कृषि भूमि पर खेती

1608. **श्री शरत पटनायक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि पर खेती को बढ़ावा देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1972-73 से इस राज्य में कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत स्व-स्थाने मृदा और जल संरक्षण

नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए फसल प्रदर्शन, नई प्रबन्धन निधियां, चरागाह विकास और नवीकरण आदि को बढ़ावा दिया जाता है। 1995-96 से इस कार्यक्रम का क्षेत्र बढ़ाया गया है तथा अब उड़ीसा के पांच जिलों क्रमशः बोलानगीर, कालाहांडी, धेनकनाल, झुलवली तथा संभलपुर के 47 प्रखंड इसके अंतर्गत आते हैं। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत 258 पनधारा क्षेत्रों में स्थित 3.89 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया है जिसमें सूखा प्रवण जिलों में स्थित क्षेत्र भी सम्मिलित है। यह योजना नमी के संरक्षण तथा उचित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देती है।

राज्य सरकार भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पनधारा प्रबन्ध, वर्षा के पानी के स्व-स्थाने संरक्षण, उचित कृषि, वैज्ञानिक उपायों तथा प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रही हैं।

उड़ीसा के चावल उत्पादक क्षेत्र

1609. **श्री मुरलीधर जेना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में चावल उत्पादक क्षेत्रों के विशेषकर राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): उड़ीसा के चावल उत्पादक क्षेत्रों में वे सभी जिले आते हैं जिनमें विभिन्न स्तर पर चावल का उत्पादन होता है। जनजातीय और पिछड़े चावल उत्पादक क्षेत्रों में इस राज्य के बोलंगीर, बालासोर, गंजम, कालाहांडी, कन्धामल (फूलबनी), क्योंझर कोरापुट, मयूरभंज, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ जिले आते हैं।

वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, 1975

1610. **श्री नवल किशोर राय:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति तेल उत्पाद आदेश, 1975 में संशोधन किया गया है;

(ख) क्या नए संशोधनों में निकल की अधिकतम सांद्रता को शामिल लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या सीमाएं हैं; और

(घ) क्या संगत भारतीय मानकों में भी तदनुसार संशोधन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वनस्पति तेल उत्पाद (गुणवत्ता मानक) आदेश, 1975 को नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की दिनांक 15 मार्च, 1995 की अधिसूचना जी. एस. आर. सं. 139 (ई) के तहत संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना के तहत वनस्पति में निकल की अधिकतम मात्रा 1.5 पीपीएम विनिर्दिष्ट कर दी गयी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) वनस्पति के लिए भारतीय मानक (आई. एस.)-10633 : 1986 तथा बेकरी शार्टनिंग के लिए आई.एस. 10634: 1986 जुलाई 1994 में संशोधन किये गये जिनमें निकल की अधिकतम मात्रा 1.5 पी पी एम विनिर्दिष्ट कर दी गयी है।

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1611. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री नामदेव दिवाथे:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या पेचीदगियां हैं;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बार संशोधन किया गया और प्रत्येक बार कीमत में कितनी वृद्धि हुई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) सरकार ने 11.3.96 को चीनी मौसम 1996-97 के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा कर दी थी। ये मूल्य 8.5% चीनी की मूल रिकवरी पर 45.90 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं और इनमें इस स्तर से अधिक प्रत्येक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.57 रुपए के प्रीमियम की व्यवस्था है। इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान नियमित अन्तराल पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में संशोधन किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

वर्ष	सांविधिक न्यूनतम मूल्य
1	2
1990-91	8.5% चीनी की मूल रिकवरी पर 23 रुपये प्रति क्विंटल बशर्ते कि 8.5% से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए 27.0586 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए।

1	2
1991–92	8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी पर 26 रुपए प्रति क्विंटल बशर्ते कि 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 30.5882 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए।
1992–93	8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी पर 31 रुपये प्रति क्विंटल बशर्ते कि 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 36.4706 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए।
1993–94	8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी पर 34.50 रुपये प्रति क्विंटल बशर्ते कि 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 40.5882 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए।
1994–95	8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 39.10 रुपये प्रति क्विंटल बशर्ते कि 8.5 प्रतिशत से अधिक 10 प्रतिशत तक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 46 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए और 10 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 60 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए।
1995–96	8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी पर 42.50 रुपये प्रति क्विंटल बशर्ते कि 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.54 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाए।

शहीदों के मकबरे

1612. श्री चमन लाल गुप्त: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों में मारे गए उग्रवादियों के शहीदों के मकबरे/विशेष कब्रें (मजार-ए-शहीदा) बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो मारे गए, दफनाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम और राष्ट्रीयता क्या है; और

(ग) जम्मू और अन्य स्थानों पर इन स्थलों की देखभाल करने वाले संगठन का नाम क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ओ.जी.एल. के अंतर्गत चीनी का निर्यात

1613. श्री संदीपान थोरात: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर महाराष्ट्र से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें खुले आम लाइसेंस के अंतर्गत चीनी निर्यात की अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी के रिकार्ड उत्पादन तथा ज्यादा लागत वाली सूची के मद्देनजर जिसमें चीनी का निर्यात कोटा ओ.जी.एल. के अंतर्गत दिये जाने वाले निर्यात कोटे के पैटर्न पर चीनी उत्पादक राज्यों को दिये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 6 जुलाई, 1996 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि निर्यात के लिए कम से कम 30 से 40 लाख टन चीनी महाराष्ट्र से रिलीज की जाए और इस निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंस के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाए ताकि चीनी फैक्ट्रियों को उनके अधिशेष स्टॉक का निपटान करने में पूरी सहायता दी जा सके।

(ग) और (घ) दिनांक 15.1.1997 को चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) अध्यादेश, 1997 के प्रख्यापित होने के परिणामस्वरूप चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध किया गया है जबकि निजी व्यक्ति, फर्में, चीनी फैक्ट्रियां आदि द्वारा कृषि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्राधिकरण (एपेडा) से पंजीकरण आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद खाद्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर निर्यात किया जा सकता है।

नदियों की सफाई

1614. श्री भक्त चरण दास: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य की नदियों की सफाई तथा शहरों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाने हेतु संबंधी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार से कटक में महानदी तथा तालचेर, चांदबाली और धर्मशाला शहरों में ब्राह्मिणी नदी के प्रदूषण निवारण की स्कीमें प्राप्त हुई हैं। इन स्कीमों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के भाग के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। इन स्कीमों का कार्य शुरू हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीज संबंधी नीति

1615. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीज संबंधी नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रति इकाई भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादकता बढ़ाकर अतिरिक्त उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु स्वयं-परागण फसलों, जैसे गेहूँ और चावल के लिए बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने हेतु किन-किन उपायों पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) वर्तमान बीज नीति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा डा. एम. वी. राव, कुलपति, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक बीज नीति समीक्षा दल का गठन किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवीं योजना में प्रमाणित बीजों के वितरण के प्रक्षेपण में अब तक प्राप्त दर से अधिक बीज प्रतिस्थापन दर की परिकल्पना की गयी है। नीचे दिये गये उपायों के माध्यम से इस उपलब्धि हेतु प्रयास किये जायेंगे:-

(i) किसानों द्वारा प्रमाणित बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फसल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रमाणित बीजों के वितरण पर सब्सिडी दी जाती है।

(ii) उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सभी राज्यों के दुर्गम तथा सुदूर क्षेत्रों में प्रमाणित बीजों के वितरण पर परिवहन सब्सिडी दी जाती है।

(iii) प्रमाणित बीजों के उपयोग को प्रमाणित बीजों के प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

(iv) मिनिकिट कार्यक्रमों तथा अग्रणी प्रदर्शनों के माध्यम से विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों के लिए उपयुक्त नई किस्मों को समय-समय पर निर्मुक्त करके लोकप्रिय बनाया जाता है।

वैज्ञानिकों के रिक्त पद

1616. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत किये जाने के बाद से वरिष्ठ स्तर पर तथा अनुसंधान प्रबंध श्रेणियों में वैज्ञानिकों के कितने पद भरे गए;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए इसमें से कितने पद आरक्षित थे; और

(ग) वास्तव में कितने पद भरे गए तथा कितने पद रिक्त हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) महोदय, मंडल आयोग के लागू होने के समय से अब तक कुल 190 वरिष्ठ वैज्ञानिकों के पद तथा 92 अनुसंधान प्रबंधक के पद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भरे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/2/73-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 23.6.75, जिसमें समय-समय पर सुधार किया गया है, में निहित भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर की गई नियुक्तियों में वर्ग "क" (क्लास-1) तक के पदों पर तथा उस ग्रेड के सबसे निचले ग्रेड वाले पद पर भी किया जाता है।

तदनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के लिए रुपये 2200 से 4000 के वेतनमान वाले वैज्ञानिक पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। रुपये 3700-5700 और उसके ऊपर वाले वरिष्ठ श्रेणी के वैज्ञानिक पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता।

(ग) वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिकों के कुल 1507 पद तथा अनुसंधान प्रबन्ध के 92 पद वास्तव में भरे गये हैं तथा 892 वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिकों तथा 55 अनुसंधान प्रबंधक के पद अभी रिक्त हैं।

आर.डी.एक्स. जब्त करना

1617. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद पुलिस ने कश्मीर के उग्रवादियों के नेता की रिहाई हेतु सभी राजनीतिज्ञों का अपहरण करने के लिए पाक गुप्तचर एजेंसी "आई.एस.आई." के द्वारा रचे गये षडयंत्र का पर्दाफाश किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में अस्थिरता पैदा करने के संबंध में बहुत बड़ी साजिश रची गयी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों में आर.डी.एक्स. जब्त किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने स्थिति का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन राज्यों में उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु इन्हें क्या-क्या सहायता प्रदान की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर इस प्रकार की रिपोर्टों की जानकारी रहती है। इस प्रकार के किसी इरादे को विफल करने के लिए सभी संबंधित एजेन्सियां कड़ी निगरानी रख रही हैं।

(ग) से (ङ) कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब करने के लिए हाल ही में आर.डी.एक्स. विस्फोटकों, शस्त्र, गोला-बारूद इत्यादि की देश में तस्करी करने की घटनाएं हुई हैं। राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति की सरकार को जानकारी है तथा इन ताकतों के नापाक इरादों को विफल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें शामिल हैं:-आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, मौजूदा विनियमों को कड़ाई से लागू करना तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच निकट समन्वय स्थापित करना।

बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति

1618. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के किसानों, विशेषकर इलाहाबाद के किसानों को बीजों तथा उर्वरकों की समुचित मात्रा में आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौता

1619. श्री आर. साम्बासिवा राव: क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेरी उद्योग के विकास के लिए भारत-फ्रांस नयाचार (प्रोटोकाल) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी फ्रांसीसी कंपनी के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य में डेरी उद्योग के कार्य में सुधार हेतु सरकार ने अद्यतन प्रौद्योगिकी के कितने उपस्कर प्राप्त किए हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों की घोर अवज्ञा

1620. श्री रामसागर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश भर के औद्योगिक एककों द्वारा हानिकर प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किये जाने और उन्हें डम्प करने को रोकने संबंधी कानून लागू करने के मामले में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न्यायालय के निर्णय की घोर अवज्ञा के मामले को गंभीरता से लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कानून को लागू किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थ (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 1989 का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के उपबंधों के उल्लंघन से निपटने के लिए अधिकार देना।
2. राज्य सरकारों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के विभिन्न उपबंधों का प्रवर्तन।
3. आर्सेनिक, साइनाईड तथा पारा युक्त परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध।
4. प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पद

1621. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990 से 1996 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने विकलांग व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों में नियुक्त किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय (डी.जी.ई. एण्ड टी.) से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1990-95 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से संबंधित उनके रोजगार रजिस्टरों में संख्या के साथ देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा किये गये रजिस्ट्रेशनों तथा स्थापना की संख्या

वर्ष	वर्ष के दौरान किए गए रजिस्ट्रेशन	वर्ष के दौरान किए गए स्थापनों की संख्या						कुल	वर्ष के अंत में रोजगार कार्यालय में दर्ज संख्या
		केन्द्र सरकार	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	राज्य सरकार	अर्द्ध सरकारी स्थापनाएं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्थानीय निकाय	निजी स्थापनाएं		
1990	43089	554	84	2276	555	249	221	3939	295846
1991	42074	770	77	2474	688	288	302	4599	313393
1992	44705	544	66	2156	626	304	610	4306	323220
1993	49330	279	52	2599	627	252	642	4451	337602
1994	43732	364	13	2784	463	224	637	4485	340304
1995	48317	324	47	2033	300	210	718	3706	352743

नोट :

1. इन आंकड़ों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों से संबंधित सूचना शामिल है।
2. इस सूचना में दृष्टिहीन, मूक तथा बधिर, अस्थि स्वांस विकृतियों वाले तथा नकारात्मक कुष्ठ व्यक्ति शामिल हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987

1622. **श्री केशव महंत:**
डा. अरुण कुमार शर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में तनाव तथा हिंसा के वातावरण को देखते हुए राज्य में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 को लागू करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत माह के दौरान त्रिपुरा में इन घटनाओं में कितने व्यक्तियों की जानें गईं; और

(घ) इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 1996 के दौरान मारे गए 176 व्यक्तियों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 24 फरवरी, 1997 तक 80 व्यक्ति मारे गए हैं।

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिसमें सम्मिलित हैं:- समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करना, विद्रोह-विरोधी अभियानों का उन्नत समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान करना, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती, राज्य पुलिस बल को सुदृढ़ करना, इण्डिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति, शस्त्र और गोला बारूद और सुरक्षा संबंधी अन्य उपस्करों को प्राथमिक के आधार पर रिलीज करना। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा में 17 पुलिस स्टेशन क्षेत्रों को, शस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि विद्रोही तत्वों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती

1623. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पुलिस का कार्य राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे पटवारी द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटवारी संवर्ग ने वेतन, भत्ते, वर्दी और नियमित पुलिस कर्मियों के समान हथियारों की मांग करते हुए पिछले एक वर्ष से पुलिस कार्य करने का बहिष्कार कर दिया है;

(ग) क्या पटवारियों द्वारा पुलिस कार्य का बहिष्कार करने के कारण कई आपराधिक मामले लम्बित हैं और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है; और

(घ) पटवारियों द्वारा बहिष्कार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पशु के चरने पर प्रतिबंध

1624. **श्री भीम प्रसाद दाहाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम सरकार ने वन क्षेत्रों में पशुओं के चरने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी वन क्षेत्रों में पशुओं के चरने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) देश के सभी वन क्षेत्रों में चराई पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 अन्य बातों के इस पर विचार किया गया है कि समुदायों के सहयोग से वन क्षेत्रों में चराई नियंत्रित की जानी चाहिए। विशेष संरक्षण क्षेत्र, छोटे पौधे और पुनरुद्धार क्षेत्र चराई से पूर्णतया सुरक्षित रखने चाहिए। राष्ट्रीय नीति में वन क्षेत्रों में अनावश्यक पशुधन के बड़े-बड़े झुंड रखने से लोगों को निरूत्साहित करने के लिए समुचित चराई फीस की उगाही करने का भी प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के अंतर्गत लंबित मामले

1625. **श्री सुशील चन्द्र:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस राहत आयुक्त, भोपाल के न्यायालय में लंबित मामलों की तिमाहीवार संख्या कितनी है;

(ख) आयुक्त के कार्यालय में 1996-97 के दौरान कितने नये मामले दर्ज किये गये तथा प्रतिमाह कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या माननीय न्यायाधीश की आयुक्त के रूप में नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की गयी है या अंशकालिक आधार पर; और

(घ) गैस राहत आयुक्त का मुख्यालय कहां है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) कल्याण आयुक्त के न्यायालय में भोपाल गैस विभीषिका के लंबित मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

श्रेणी	3 माह से अधिक लंबित	6 माह से अधिक लंबित	9 माह से अधिक लंबित	12 माह से अधिक लंबित	कुल
01 (व्यक्तिगत चोट)	77	34	259	187	557
04 (मृत्यु)	64	450	250	21	785

(ख) (1) भोपाल गैस विभीषिका के कल्याण आयुक्त के न्यायालय में वर्ष 1996-97 में दायर किये गये मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	श्रेणी	
	01 (व्यक्तिगत चोट)	04 (मृत्यु)
1996	917	434
1997 (फरवरी, 97 तक)	52	40

(2) माहवार मामले का निपटान निम्न प्रकार है:

वर्ष	माह	श्रेणी	
		01	04
1	2	3	4
1996	जनवरी	12	09
	फरवरी	36	13
	मार्च	19	14

1	2	3	4
	अप्रैल	34	23
	मई	30	12
	जून	58	1
	जुलाई	22	24
	अगस्त	15	14
	सितम्बर	–	–
	अक्तूबर	11	15
	नवम्बर	9	33
	दिसम्बर	7	12
1997	जनवरी	8	23
	फरवरी	12	10

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इन्दौर बेंच के वर्तमान न्यायाधीश के पास भोपाल में कल्याण आयुक्त का समवर्ती प्रभार है।

[अनुवाद]

गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा

1626. श्रीमती मीरा कुमार: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विभिन्न चयनित क्षेत्रों में गन्ने से चीनी प्राप्ति के वास्तविक प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने से % चीनी प्राप्ति सहित वास्तविक उत्पादन परिणाम शर्करा निदेशालय को प्रस्तुत करना होता है। इस पर आधारित, गन्ने से % चीनी की प्राप्ति प्रत्येक क्षेत्र/जोन के लिए निर्धारित की जा रही है।

(ख) 1995-96 मौसम के दौरान गन्ने से % चीनी की क्षेत्रवार प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1995-96 (अनन्तिम) मौसम के लिए चीनी % गन्ने की राज्यवार वसूली को बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	गन्ने से चीनी की रिकवरी
1.	पंजाब	8.70
2.	हरियाणा	8.35
3.	राजस्थान	8.90
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	8.92
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	8.72
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	8.42
7.	मध्य प्रदेश	9.10
8.	दक्षिण गुजरात	10.63
9.	सौराष्ट्र	9.17
10.	दक्षिण महाराष्ट्र	11.33
11.	उत्तरी महाराष्ट्र	9.49
12.	मध्य महाराष्ट्र	10.32
13.	उत्तरी बिहार	8.82
14.	दक्षिणी बिहार	फैक्ट्रियों में कार्य नहीं हुआ
15.	असम	8.33
16.	उड़ीसा	8.81
17.	पश्चिम बंगाल	6.04
18.	नागालैण्ड	6.87
19.	आन्ध्र प्रदेश	9.54
20.	कर्नाटक	9.81
21.	तमिलनाडु	8.34
22.	पाण्डिचेरी	8.74
23.	केरल	8.75
24.	गोंआ	10.05
	अखिल भारत	9.43

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों की कुल संख्या

1627. श्री दिलीप संघानी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार कुल संख्या क्या है;

(ख) कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जा रही है और कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के स्थान पर अन्य सुविधाएं/सहायता दी जा रही है और इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने परिवारों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे परिवारों से सम्पर्क स्थापित किया है और क्या सरकार को इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) देश में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया की कुल संख्या के बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) 31 जनवरी, 1997 तक जिन मामलों में सम्मान पेंशन प्रदान की गई उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, जो वास्तव में सम्मान पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा जो पेंशन के स्थान पर अन्य सुविधाएं/सहायता प्राप्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके परिवारों के पात्र सदस्यों/आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं के ब्यौरे विवरण-II में दी गई सूची में दर्शाए गए हैं।

(ग) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, की पहचान करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण I

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें 31.1.97 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई
1.	आन्ध्र प्रदेश	11116
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	4345
4.	बिहार	24600
5.	गोवा	911
6.	गुजरात	3575
7.	हरियाणा	1665
8.	हिमाचल प्रदेश	504
9.	जम्मू और कश्मीर	1783
10.	कर्नाटक	9986
11.	केरल	2819
12.	मध्य प्रदेश	3343
13.	महाराष्ट्र	16513
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	4172
19.	पंजाब	6891
20.	राजस्थान	791
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	4074
23.	त्रिपुरा	886
24.	उत्तर प्रदेश	17932
25.	पश्चिम बंगाल	22400
26.	अंडमान और नि. द्वीप समूह	2
27.	चण्डीगढ़	89
28.	दा. और न. हवेली	–
29.	दमन और दीव	33
30.	दिल्ली	2032
31.	लक्षद्वीप	–
32.	आई.एन.ए.	22079
33.	पांडिचेरी	313
	जोड़	163099

विवरण II

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं और उसकी मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार के सदस्यों/आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे:

(i) स्वतंत्रता सेनानियों को और उनकी विधवाओं/परिचारक को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी) की सुविधा।

(ii) केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा भी दी गई है।

(iii) दिल्ली/नई दिल्ली में उनके नाम या उनके आश्रितों में से किसी के नाम कोई निजी मकान न होने पर दिल्ली में डाक्टरी इलाज कराने के प्रयोजन हेतु अखिल भारतीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल के रिहायशी आवास की सुविधा दी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी को आवंटित सरकारी आवास में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति, स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद भी एक निर्धारित अवधि तक इस आवास को रहने के पात्र हैं।

(iv) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, के लिए बाबा खडग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास की सुविधा।

(v) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिभारों के बिना और मात्र आधे किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1628. श्री मुख्तार अनीस:
श्री किशन लाल दिलेर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1996 के दौरान राज्यवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) इनमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग हताहत हुए तथा महिलाओं के साथ बलात्कार और घरों में आग लगने के कितने मामले हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के आरोप में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने लोगों पर मुकदमें चलाए गए; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) चूंकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों सहित अपराधों को दर्ज करने, इनकी जांच करने, पता लगाने तथा इन्हें रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। अपनी ओर से केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र लिखती रही है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के मामले में वे अतिशय चौकस रहें और कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए पहले ही से लागू विशिष्ट कानूनों और विधायी उपबंधों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें।

विवरण I

अप्रैल से दिसम्बर, 1996 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं

राज्य	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	926	125
अरूणाचल प्रदेश	0	5
असम	0	0
बिहार	उ.न.	उ.न.
गोवा	0	0
गुजरात	1339	291
हरियाणा	31	1
हिमाचल प्रदेश	52	3
जम्मू और कश्मीर	4	5
कर्नाटक	692	108
केरल	405	71
मध्य प्रदेश	3062	1072
महाराष्ट्र	969	229
मणिपुर	0	0

1	2	3
मेघालय	उ.न.	उ.न.
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	150	38
पंजाब	5	0
राजस्थान	3811	846
सिक्किम	9	25
तमिलनाडु	1127	79
त्रिपुरा	0	0
उत्तर प्रदेश	7419	250
पश्चिमी बंगाल	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
चण्डीगढ़	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	उ.न.	उ.न.
दिल्ली	10	0
लक्षद्वीप	0	0
पांडिचेरी	9	0
जोड़	20020	3148

विवरण II

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हत्या, चोट पहुंचाने, बलात्कार और आगजनी के अपराधों की घटनाएं

राज्य	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	आगजनी	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	आगजनी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	11	177	28	3	3	29	5	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0	0	0
असम	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	20	146	9	9	7	48	9	1
हरियाणा	3	4	7	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	2	8	0	0	0	1	0
जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	2	0	1
कर्नाटक	6	28	3	0	1	48	4	2
केरल	3	102	22	0	1	9	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	36	505	203	22	15	116	128	10
महाराष्ट्र	9	83	33	3	5	46	24	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	2	28	1	0	0	11	2	0
पंजाब	0	0	3	0	0	0	0	0
राजस्थान	32	122	79	30	14	31	29	4
सिक्किम	1	3	0	0	0	5	1	0
तमिलनाडु	3	890	3	9	0	54	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	239	727	219	182	4	28	7	10
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
संघ शासित क्षेत्र								
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
दा. और ना. हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	366	2817	618	258	52	427	214	28

विकलांग व्यक्तियों की स्थिति

1629. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1997 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''डिस्एबिल्ड ए नेगलेक्टिड लाट इन इंडिया'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विकलांग व्यक्तियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में एक विकलांगता सूचकांक तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 108 गैर सरकारी संगठनों सहित ''डिसेबुल्ड पीपुल्स इंटरनेशनल'' के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

(ग) अब तक सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया सूत्रबद्ध नहीं की गई है क्योंकि विकलांगता सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त प्रणाली विज्ञान के वैज्ञानिक आधार की जानकारी विस्तृत रूप से नहीं है। भारत में विकलांगों की स्थितियों में सुधार के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नाम से एक व्यापक विधेयक को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विकलांगों तथा उनको मुख्य धारा में लाने के लिए समान अवसर प्रदान करना है, कल्याण मंत्रालय कई योजनाओं को संचालित कर रहा है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद तथा फिटमेंट, विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण पुनर्वास आदि की स्थापना तथा विकास जैसे कार्य करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं की देखरेख करने वाले चार राष्ट्रीय संस्थान तथा दो शीर्ष स्तरीय संस्थान पाठ्यक्रम चला रहे हैं ताकि विकलांगों के लाभ के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो। ये संस्थान विकलांगों के लिए अन्य सेवाएं भी प्रदान करते रहे हैं। विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रमों, और व्यवसायियों के मानकीकरण के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नामक एक सांविधिक निकाय की स्थापना की गई है।

1995 के अधिनियम में सरकार के अधीन पहचान की गई नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों को विशेष श्रेणियों के लिए कम से कम 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वेन्डिंग स्टॉलों, कियोस्कों तथा दूकानों का प्रावधान करके तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन, पेट्रोल पम्पों, मिट्टी तेल डिपो आदि के वितरण में तरजीह देते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के स्थापन में सहायता के उद्देश्य से 47 विशेष रोजगार कार्यालयों और सामान्य रोजगार कार्यालयों में 41 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। विशेष रोजगार कार्यालयों तथा विशेष सैलों की स्थापना पर केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: 80% और 100% व्यय का वहन किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम निगमित किया गया है।

बच्चों को गोद लेने संबंधी हेग कन्वेंशन

1630. **श्रीमती भावनावेन देवराज भाई चिखलिया:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1993 में बच्चों को गोद लेने संबंधी हेग कन्वेंशन की भारत द्वारा पुष्टि कर दी गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बच्चों को गोद लेने संबंधी नियम विदेशियों के नियम से अलग हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गोद लेने के संबंध में समान कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक लाये जाने की सम्भावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) हेग में दिनांक 10-29 मई, 1993 को सम्पन्न हेग कंवेंशन को अंतिम अधिनियम के विभिन्न खंडों की जांच इस अधिनियम पर अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व इस मंत्रालय में अन्य मंत्रालयों के परामर्श से की जा रही है।

(ग) और (घ) भारत में इस समय दो अधिनियमों के अंतर्गत बच्चों के दत्तक ग्रहण किये जा सकते हैं। हिन्दू चाहे वे भारत में रह रहे हों या विदेश में रह रहे हों, में हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम (एच.ए.एम.ए.), 1956 के अंतर्गत बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं जबकि, अन्य धर्मों के लोग अर्थात् ईसाई, मुसलमान,

पारसी, यहूदी आदि चाहे वे भारतीय नागरिक हों या अभिरक्षक अधिनियम, 1890 के अंतर्गत अभिभावकत्व में दत्तक ग्रहण कर सकते हैं।

तथापि, अनाथ तथा निराश्रित बच्चों अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने ऐसे दत्तक ग्रहणों के लिए अनुसरण किये जाने वाले दिशानिर्देशों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 29 मई, 1995 को जारी किए हैं।

संशोधित दिशानिर्देश में यथानिर्धारित अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए नियमों के एक भिन्न सैट का कारण यह है कि इसमें अनेक सुरक्षोपायों तथा प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है जिनका अनुपालन दत्तक ग्रहण उद्देश्यों के लिए विदेश भेजे जाने वाले उन बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाना होता है, जिनमें राज्य सरकार, स्थापन एजेंसियां, विदेशी एजेंसियां, दत्तक ग्रहण करने वाले विदेशी माता-पिता, कल्याण मंत्रालय (कारा) आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) दत्तक ग्रहण के बारे में एक समान अधिनियम का प्रावधान करने के लिए बाल दत्तक ग्रहण विधेयक संसद में वर्ष 1972 में तथा वर्ष 1980 में भी प्रस्तुत किया गया था लेकिन क्रमशः मुसलमान तथा पारसी समुदायों के कड़े विरोध को देखते हुए इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। इस समय दत्तक ग्रहण के बारे में एक समान अधिनियम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चीनी के परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति

1631. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेवी चीनी के वितरण के मामले में निकटतम रेलवे स्टेशन से चीनी नाम निर्देशित आवंटी के व्यवसाय स्थल तक केवल रेलवे माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यवसायी संगठनों और गुजरात सरकार से विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों से बहुत दूर और असम्बद्ध स्थानों पर स्थित बिक्री केन्द्रों के मामले में वास्तविक न्यूनतम परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या ऐसे ही अभ्यावेदन अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) 1.4.1996 तक ढुलाई प्रभार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर या तो (क) वास्तविक रेल भाड़े के आधार पर, अथवा (ख) सड़क से वास्तविक ढुलाई प्रभारों के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य थे। यह उस राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित ढुलाई प्रभारों की दर तक सीमित थे। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं हैं वहां वास्तविक रेल भाड़े की सीमा तक राज्य सरकार की दरों की अनुमति दी जा सकती है। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें और रेल शीर्ष नहीं हैं वहां राज्य सरकार की दरों की अनुमति दी जा सकती है।

ढुलाई की वास्तविक न्यूनतम लागत की अनुमति देने के लिए सरकार ने गुजरात सरकार सहित भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से काफी अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। उनकी समस्याओं पर विचार करने के बाद 1.4.1996 से ढुलाई प्रभारों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था।

अब ढुलाई प्रभारों का भुगतान प्रत्येक राज्य के लिए एक ''फ्लैट'' दर पर किया जाता है। यह दर संबंधित राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों में हुए खर्च के विधिवत अनुमोदित लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की जानी है।

थाणे में औद्योगिकीकरण संबंधी गतिविधियां

1632. **श्री राम नाईक :**
श्री चिन्तामन वानगा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्र के 1991 के उस अध्यादेश जिसके कारण थाणे जिले में दहानु तालुका के 25 कि.मी. के क्षेत्र में सभी औद्योगिकीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया था, का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र में थाणे जिले के छः तालुकों में 25 जनवरी को उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी वाहनों के ''बंद'' की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिबंध रद्द करने के प्रयोजन से सरकार को सम्बद्ध विभिन्न सार्वजनिक स्थलों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या जिस अध्यादेश के प्रति विरोध जताया गया है उस पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दहानु तहसील के आसपास के 25 कि.मी. क्षेत्र में गुजरात राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (च) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के

अन्तर्गत जून 1991 में जारी दहानु मामलों से संबंधित अधिसूचना पर मंत्रालय में इस समय महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज

1633. **श्री संतोष मोहन देव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी यात्रा के दौरान इन राज्यों के विकास के लिए एक कार्य योजना बनाने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह योजना कार्यान्वित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य योजना को कब तक पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के अपने दौरे के अंत में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहलों के बारे में 27.10.96 को गुवाहाटी में एक वक्तव्य दिया था।

इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है और इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्रियान्वित कर दिये जाने की उम्मीद है।

मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

1634. **श्री बी. के. गढ़वी:**
श्री पी. एस. गढ़वी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे मछुआरों के लिए कोई सामूहिक बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लगभग 40,000 मछुआरे इस योजना के सदस्यों के रूप में शामिल किये जाने के पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या लगभग 10,000 मछुआरे सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किये गये हैं तथा गुजरात सरकार ने इस मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक सभी योग्य मछुआरों को इस योजना में शामिल किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का बाकी मछुआरों को इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार शामिल किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) मछुआरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1982-83 से चल रही है। इस समय, यह योजना समुद्री तथा अन्तर्देशीय मछुआरों दोनों पर लागू है जो राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के तहत सक्रिय मछुआरों के रूप में लाइसेंसधारी है अथवा पंजीकृत हैं। मार्च, 1997 से इस योजना के तहत बीमा सुरक्षा को मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर 12,500 रुपये से 17,500 रुपये तक बढ़ाया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 1995-96 के दौरान, गुजरात राज्य से संबंधित 37,838 पात्र मछुआरों तक बीमा सुरक्षा लाभ को बढ़ा दिया गया। फिर भी 1996-97 में सभी 40,000 पात्र मछुआरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में उर्वरकों का उत्पादन

1635. **श्री आर. एल. पी. वर्मा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में उर्वरकों के उत्पादन की कितनी इकाइयां हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा इसकी कितनी मांग थी;

(ख) क्या सरकार का विचार दक्षिण बिहार में कोई उर्वरक उत्पादन इकाई लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक इन्हें लगाया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) बिहार में मुख्य उर्वरक एककों के उत्पादन तथा राज्य में उर्वरकों की मांग/खपत के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

(000 मी. टन)

कम्पनी/संयंत्र का नाम	उत्पाद	उत्पादन		
		1993-94	1994-95	1995-96
एच एफ सी-बरौनी	यूरिया	22.0	67.0	56.1
एफ सी आई-सिन्दरी	यूरिया	243.9	298.4	224.7
पी पी सी एल-अमझोर	एस एस पी	128.6	171.2	181.2
सेल-बोकारो	अमोनियम सल्फेट	23.6	22.7	22.7

बिहार में मांग/खपत

(000 मी. टन)

उत्पाद	1993-94	1994-95	1995-96
1. यूरिया	911.56	1015.81	1097.15
2. अमोनियम सल्फेट	16.33	24.95	21.64
3. कैल्शियम अमो. नाइट्रेट	58.39	48.69	35.80
4. डी. ए. पी.	163.73	153.31	197.37
5. एस. एस. पी.	101.84	143.64	122.36
6. रॉक फास्फेट	–	0.08	–
7. कम्पलैक्स	29.34	26.17	30.43
8. एम. ओ. पी.	19.50	56.00	67.62

(ख) से (घ) सरकार का दक्षिण बिहार अथवा अन्यत्र कहीं भी उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। उर्वरक क्षेत्र में निवेश सभी क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए खुला है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1636. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री रामेश्वर पाटीदार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव किन तारीखों से स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) 1997-98 के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(च) 1996-97 के दौरान और अब तक किन-किन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं। तथापि बिना विस्तृत प्रस्ताव के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) इन अनुरोधों को स्वीकार करना तथा प्रत्येक राज्य में संभवत: स्थापित किये जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने हेतु योजना आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(च) वर्ष 1996-97 के दौरान, निम्नलिखित कृषि विज्ञान केन्द्र अनुमोदित किये गये:

1. मिनीकाय द्वीप (लक्षद्वीप)
2. बाराबंकी (उ.प्र.)
3. दरभंगा (बिहार)
4. शेखपुरा (बिहार)

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पत्रों की सूची

क्र.सं.	निम्न से प्राप्त हुए प्रस्ताव	जिलों के नाम	प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री जे.एच. पटेल, उप-मुख्य मंत्री, कर्नाटक सरकार	चित्रदूर्गा (कर्नाटक)	18.04.95
2.	श्री जानकी बल्लभ पटनायक, मुख्य मंत्री, उड़ीसा	बोलानगिर (उड़ीसा)	03.01.94

1	2	3	4
3.	श्री दिगविजय सिंह, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार	भिंड (म.प्र.) शाजापुर (म.प्र.) राजानन्द गांव (म.प्र.) रीवा (म.प्र.)	17.03.94 06.03.95 10.05.95 16.10.95
4.	श्री सुभाष यादव, उप-मुख्य मंत्री, भोपाल, मध्य प्रदेश	मुरैना (म.प्र.) धार (म.प्र.)	08.02.95 29.09.95
5.	श्री बेअन्त सिंह, पूर्व मुख्य मंत्री, पंजाब	अमृतसर तथा लुधियाना (पंजाब)	19.10.92
6.	मुख्य मंत्री, अरूणाचल प्रदेश सरकार	लोहित (अरुणाचल प्रदेश)	02.08.94
7.	श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	लाहौल स्पीति तथा सोलन (हिमाचल प्रदेश)	02.04.96
8.	जनरल के.वी. कृष्णाराव, राज्यपाल, जम्मू व कश्मीर	उधमपुर, कारगिल, कूपवाड़ा, बडगाम, डोडा तथा राजौरी (जम्मू व कश्मीर)	04.11.93
9.	श्री ज्योति बसु, मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	09.12.93
10.	श्री जचिल्लू, मंत्री, कृषि तथा बंजरभूमि विकास, नागालैण्ड सरकार	टिजीटिन मोन (नागालैण्ड)	03.12.96

[अनुवाद]

बोडो उग्रवाद

1637. **श्री चित्त बसु:**
श्री बीरसिंह महतो:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बढ़ते हुए बोडो उग्रवाद की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) सरकार का आकलन तथा बोडो संधि का भविष्य क्या है;

(घ) संधि के पालन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार को लोगों के एक वर्ग द्वारा हाल ही में शुरू किये गये उस बल की जिसने "यूनिफाइड कमांड" का विरोध किया है, की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर सेना और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल तैनात किये गये हैं। रेलवे सम्पत्ति, रेलवे स्टेशनों, इत्यादि की संरक्षा के लिए विशेष उपाय करने हेतु राज्य सरकार से कहा गया है।

(ग) और (घ) सरकार बोडो समझौते के कार्यान्वयन की दिशा में सभी संभव उपाय कर रही है। समझौते को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधान मण्डल द्वारा बी.ए.सी. अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में समझौते में सूचीबद्ध अधिकांश मुद्दे शामिल हैं।

राज्य सरकार इन बकाया मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न बोडो ग्रुपों के साथ चर्चा कर रही है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

(च) सेना, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और सशस्त्र राज्य पुलिस द्वारा राज्य में चलाए जा रहे विद्रोह-विरोधी अभियानों में सहयोग देने और उन्हें समन्वित करने के लिए यूनाइटेड हैड क्वार्टर्स का गठन किया गया है।

पोर्ट्रेट का प्रदर्शन

1638. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 1997 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में ''एच.सी. सर्कुलर आन पोर्ट्रेट्स स्पार्क्स रो'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नेताओं के फोटो प्रदर्शित किये जाने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अब दिशा-निर्देश निर्धारित करने तथा उन्हें सभा पटल पर रखने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

[हिन्दी]

अम्बेडकर गांव

1639. श्री डी. पी. यादव: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सम्बल क्षेत्र में कितने अम्बेडकर गांवों का चयन किया गया है;

(ख) उक्त गांवों में पेयजल और सड़कों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अम्बेडकर गांवों के विकास और कल्याण हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्र

1640. श्री भगवान शंकर रावत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में अभी तक कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य के शेष सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) कुल 65 ग्रामीण जिलों में से उन 35 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जहां कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) नहीं हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष ग्रामीण जिलों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना आयोग के साथ बातचीत की गयी है। शेष जिलों में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के अलावा प्रस्ताव में कुछ वर्तमान कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की भी बात की गई जो कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य करेंगे।

विवरण

उन जिलों की सूची जहां कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं।

1. इटावा
2. आगरा
3. हरदोई
4. फैजाबाद
5. आजमगढ़
6. नैनीताल
7. प्रतापगढ़

8. पौड़ी गढ़वाल
9. अल्मोड़ा
10. गोरखपुर
11. मैनपुरी
12. कानपुर (देहात)
13. फर्रुखाबाद
14. बुलन्दशहर
15. सीतापुर
16. लखीमपुर (खेड़ी)
17. उन्नाव
18. मुरादाबाद
19. पिलीभीत
20. हमीरपुर
21. जालौन
22. ललितपुर
23. जौनपुर
24. देवरिया
25. गाजीपुर
26. उत्तरकाशी
27. महोबा
28. चमोली
29. देहरादून
30. फिरोजाबाद
31. हरिद्वार
32. महाराजगंज
33. सोनभद्र
34. भदोई
35. पडरौना

[हिन्दी]

चीनी मिलें

1641. **श्री शिवराज सिंह:**
श्री गोपाल कृष्ण टी.:
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया:
डा. मुरली मनोहर जोशी:
श्री एन.एस.वी. चित्थन:
श्री के. प्रधानी:
श्री उत्तम सिंह पवार:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए आज तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और वे राज्य-वार कहां-कहां खोले जाएंगे;

(ख) कितनी मिलों ने वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है;

(ग) सरकार ने जिन मिलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है उनमें से शेष मिलों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या नई चीनी मिलों की स्थापना और मौजूदा मिलों का विस्तार करने के लिए भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित मिलों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(च) इस निर्णय का अन्य फसलों और अन्य कुल खाद्यान्न उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) दिसम्बर, 1995 (15.2.97 तक) के बाद नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना में लगभग तीन वर्ष लग जाते हैं।

(ग) आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी उद्यमियों की है। हालांकि खाद्य मंत्रालय (शर्करा निदेशालय) लम्बित आशय सूत्रों के कार्यान्वयन पर नजर रख रहा है। केन्द्र सरकार देश में चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई ऋण प्रदान नहीं करती है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार चीनी मिल स्थापित नहीं करती और न ही विद्यमान चीनी मिलों के विस्तार का कार्य करती है। हालांकि यह नई चीनी मिलों की स्थापना तथा विद्यमान चीनी मिलों में विस्तार के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

(च) नई चीनी मिल स्थापित करने तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए आशय पत्र प्रदान करने का निर्णय देश में भविष्य में घरेलू खपत तथा निर्यात के लिए चीनी की बढ़ी हुई आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया गया है।

विवरण

दिसम्बर, 1995 के बाद (15-02-97 तक) उद्योग मंत्रालय द्वारा नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जारी औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	फैक्ट्री का नाम	स्थान
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	मैसर्स बहादराबाद शुगर मिल्स लि.	बहादराबाद, जिला-हरिद्वार
2.	मैसर्स बरनावा शुगर मिल्स लि.	मुजफ्फरपुर काम्बला, तह.-सरधना, जिला-मेरठ
3.	मैसर्स मंगा एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	कमलापुर, तह.-सिंधोली, जिला-सीतापुर
4.	मैसर्स एम. ए. मजीद एंड ब्रादर्स	कादराबाद, तह.-अफजलगढ़, जिला-बिजनौर
5.	श्री जी.पी. गोइंका	लखनौती, तह.-नकुड़, जिला-सहारनपुर
6.	श्री दीपक परती	स्थान और तह.-गुन्नौर, जिला-बदायूं
7.	मैसर्स रोसल इंडस्ट्रीज लि.	गंगापुर-पूर्वी, तह.-राजेपुर ब्लाक, जिला-फर्रुखाबाद
8.	मैसर्स वीनस शुगर्स लि.	हुसैनपुर, तह.-बिसौली, जिला-बदायूं
9.	श्री कुंज बिहारी लाल पलरीवाल	हतमपुरा, तह-हाता, जिला-पडरौना
10.	मैसर्स गंगेस शुगर मिल्स प्रा. लि.	मनौना, जिला-बरेली
11.	मैसर्स यमुना वैली शुगर मिल्स प्रा.लि.	पहासु, जिला-बुलन्दशहर
12.	मैसर्स अवध शुगर मिल्स लि.	पिपरिया, जिला-लखीमपुर खीरी
13.	मैसर्स श्री राम इंडस्ट्रीयल एन्टरप्राजिज लि.	मौखास, जिला-मेरठ
14.	विपिन गोयल	अतरौली, जिला-अलीगढ़
15.	पुरकाजी शुगर मिल्स लि.	खेकड़ा, जिला-मुजफ्फरनगर
16.	हिंडन शुगर मिल्स लि.	भैसानी, जिला-मुजफ्फरनगर
कर्नाटक		
1.	मैसर्स श्री सोमेश्वर एस एस के नियामित	तालुक-बेलाहोंगाल, जिला-बेलगाम
2.	श्री शशि कांत सिडनाल	मनोली, तालुका-साऊधाती, जिला-बेलगाम
3.	मैसर्स इंडिया सीमेंट लि.	मल्लनहल्ली, तालुक-कृष्णाराजपत जिला-मांडया
4.	मैसर्स प्रेम शुगर्स एंड कैमिकल्स कार्पो. लि.	थिम्मलापुरा गांव, तालुका-नागमांजला जिला-मांडया
5.	मैसर्स मांडया नेशनल पेपर मिल्स लि.	बेलागुडा, तालुका-श्री रंगपाल जिला मांडया
6.	मैसर्स चिंचोली शुगर मिल्स लि.	चिंचोली, तालुका-चिंचोली, जिला-गुलबर्ग
7.	दी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि.	डांडेली, तालुका-हलियाल, जिला-उत्तर कन्नडा

1	2	3
8.	मैसर्स जेम शुगर्स लि.	कुंदरगी, जिला-बीजापुर
9.	मैसर्स प्रभुसिदेश्वर शुगर वर्क्स लि.	सिद्धापुर, तह.-जामखंडी, जिला-बीजापुर
10.	श्री के. चन्द्र प्रकाश	हारूर, तालुका-गुब्बी, जिला-तुमकुर
11.	मैसर्स शामनुर शुगर्स लि.	दुग्गावधी, तालुका-हरपनहल्ली, जिला-बेलारी
12.	मैसर्स सिरागथी शुगर वर्क्स लि.	ऐगाली, तालुका-अथानी, जिला-बेलगाम
13.	मैसर्स मनाली शुगर्स लि.	यालगुर, तालुका-मुडडेबिहाल, जिला--बेलगाम
14.	मैसर्स अठानी फार्मस शुगर फैक्ट्री लि.	जाम्बगी, तालुक-अठानी, जिला-बेलगाम
15.	मैसर्स शिव शक्ति शुगर्स लि.	सवादत्ती, तालुका-रायबाग, जिला-बेलगाम
16.	मैसर्स इंडियन केन पावर लि.	कोलहर, तालुका-बसावन बागेवाड़ी, जिला-बीजनौर
17.	मैसर्स विश्वनाथ शुगर्स लि.	बेल्लादाबागेवाड़ी, तह.-हुकेरी, जिला-बेलगाम
18.	मैसर्स चामुंदेशवरी शुगर्स लि.	गांगुर, डोडडाबियागाथवल्ली, तालुका-होलेनरसीपुरा, जिला-हासन
19.	मैसर्स नारगुंड एसएसके नियामित	कोन्नूर, तालुका-नारगुंड, जिला-धारवाड़
20.	मैसर्स मलनाड शुगर कं. लि.	अरासानघट्टा, तालुका-भद्रावती, जिला-सिमोगा
21.	मैसर्स एसपीआर शुगर्स (प्रा.) लि.	कन्चुगेरानाहल्ली, बिदाली हुबली, तालुका-रामनगर, जिला--बंगलौर
22.	मैसर्स धनलक्ष्मी एसएसके लि. नियामित	खानापेट, तालुका-रामदुर्ग, जिला-बेलगाम
23.	मैसर्स मरुदागिरि एसएसके लि.	गंगापुर, तालुका-मुंडरगी, जिला-धारवाड़
24.	मैसर्स श्री ब्सावेश्वर एसएसके नियामित	किरीगेरी (बेरामवड),तालुका-हिरेकेरूट, जिला-धारवाड़
25.	मैसर्स भाग्यश्री लग्माव्य शुगर्स लि.	अलगवाड़ी, तालुक-रायबाग, जिला-बेलगाम
तमिलनाडु		
1.	मैसर्स थिरू अरूरन शुगर्स लि.	अडुथुराई फिरका, तालुका-तिरूविदाईभरदूर, जिला-थंजावुर
2.	मैसर्स जीईए एनर्जी सिस्टम (इंडिया) लि.	अटटूर, जिला-सलेम
3.	मैसर्स साउथ इंडिया शुगर्स लि.	कुलदीपमंगलम तिरुक्कोविलूर, जिला-विल्लूपुरम आर पाडयाचियर
मध्य प्रदेश		
1.	मैसर्स एम पी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डिव. कार्पो. लि.	नरैनपुर तह. राधोगढ़, जिला-गुना।

1	2	3
महाराष्ट्र		
1.	मैसर्स रयात एसएसके मर्यादित	शेवालवाड़ी, तालुका-कराड़, जिला-सतारा
2.	मैसर्स शरद एसएसके लि.	नरानदे, तालुका-हतकानांगले, जिला-कोल्हापुर
3.	मैसर्स प्रतापगढ़ एसएसके लि.	कालघर, तालुका-जवाली, जिला-सतारा
4.	मैसर्स बाराशिव हनुमान एसएसके लि.	ज्वालाबाजार, तालुका-बासमथनगर, जिला-परभानी
5.	मैसर्स कागल तालुका एसएसके लि.	कागल (अर्जुनी) तालुका-कागल, जिला-कोल्हापुर
6.	मैसर्स वैद्यनाथ एसएसके लि.	पंगारी, तालुका-अम्बाजोगई, जिला-बीड
7.	मैसर्स अहिल्यादेवी महिला एसएसके लि.	हालगांव, तालुका-जमखेद, जिला-अहमदनगर
8.	मैसर्स टकोई एस.एस.के. लि.	करुन्दा, ता. बसमात नगर, जिला-परभानी
9.	मैसर्स दाऊद एस.एस.के. लि.	खड़की, ता. दाऊंद, जिला-पुणे
10.	मैसर्स सर्वोदय एस.एस.के. लि.	करन्दवाड़ी, ता. वालवा, जिला-सांगली
11.	मैसर्स नागर तालूका एस.एस.के. लि.	वाल्की, जिला-अहमदनगर
12.	मैसर्स आदिवासी एस.एस.के. लि.	गंगापुर, ता. नवपूरा जिला-धूले
13.	मैसर्स कुकादी एस.एस.के. लि.	पिप्पलगांव-पिसा, ता. श्रीगोंडा, जिला-अहमदनगर
14.	मैसर्स स्वर्गीय बाबासाहेब अम्बेडकर एस.एस.के. लि.	केहेगांव, जिला-ओसमानाबाद
15.	महात्मा ज्योतिबा फूले एस.एस.के. लि.	महासंघवी, ता. पटोडा, जिला-बीड
आन्ध्र प्रदेश		
1.	मैसर्स पुडेशियल मोली शुगर्स लि.	गारेपल्ली सुल्तानाबाद मंडल, जिला-करीम नगर
2.	मैसर्स एम्पी शुगर्स तथा केमिकल्स लि.	शिवरामपुरम ता. मंडल, जिला-परकासम
3.	मैसर्स डी. सिंगराय	पोडली, पोडली मंडल, जिला-परकासम
4.	मैसर्स सरकार पेपर मिल्स लि.	गुनडापाडु गडलुरू मंडल, जिला-परकासम
बिहार		
1.	बिहार सहकारी चीनी फैक्ट्री संघ लि.	स्थान तथा जिला सुपोल
2.	-वही-	शीतलपुर, जिला-सरन
3.	अमरपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि.	जिला अमरपुर
4.	श्री गिरधर कुमार सरफ	खतौना, जिला-मधुबनी
5.	मैसर्स कल्याणी वुड प्रोडक्ट्स लि.	सहाडई बुजुर्ग, जिला वैशाली
6.	सहारा इंडिया सेविंग तथा इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन लि.	स्थान तथा जिला जमूई

1	2	3
उड़ीसा		
1.	मैसर्स यूनिवर्थ एग्रो लि.	रंगलबेड़ा, जिला देवगढ़
2.	मनी क्राफ्ट शुगर्स तथा केमिकल्स लि.	पोडबहाल, जिला सुन्दरगढ़
पश्चिम बंगाल		
1.	श्री पवन कुमार टोडी	रानी नगर, तालुका-चकदाह, जिला-नाडिया

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

1642. श्री येल्लैया नंदी:
श्री एस.पी. जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरक विनिर्माताओं को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत राजसहायता दी जाती है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान के तरीकों को सरल बनाने तथा कुछ पोषक तत्वों के बिक्री मूल्य को निर्धारित करने के लिए किसी प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, हाँ। भारत सरकार सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन उर्वरकों पर राजसहायता दे रही है। अवधारण मूल्य और अधिसूचित बिक्री मूल्य के अंतर को वितरण की गुंजाइश में से घटाकर किसी निर्माता इकाई को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार किसानों को विनियंत्रित पोटासयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत भी दे रही है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। यूरिया पर राजसहायता देने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 28 जनवरी, 1997 को एक उच्च शक्ति प्राप्त उर्वरक मूल्य नीति समीक्षा समिति का गठन किया गया है। यह समिति युक्तिसंगत, व्यापक, वैज्ञानिक और पारदर्शी कार्यविधि सुझाएगी। यह समिति 6 मास के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

महिलाओं द्वारा आत्महत्या और उनकी मौत

1643. श्री सोहन वीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं द्वारा की गई आत्महत्या और दाह के कारण उनकी मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान महिलाओं को आत्महत्या तथा दाह के लिए बाध्य करने के लिए कितने व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) महिलाओं के प्रति अपराध सहित, अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, उसका पता लगाना और अपराध की रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर, महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में किये जाने वाले निवारक, दण्डात्मक और पुनर्वास संबंधी उपायों के बारे में राज्य सरकारों को लिखती आ रही है।

विवरण

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान देश में महिलाओं द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
1993	34393
1994	36443

तथापि, चूंकि प्रश्न में दहेज मौतों के बारे में जोर दिया गया प्रतीत होता है, अत: इस संबंध में संगत सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	दहेज निषेध अधि-नियम के तहत मामलों की संख्या	दहेज के कारण मौतों की संख्या	दहेज विवाद के कारण आत्म-हत्या द्वारा मौतों की सं.	दहेज निषेध अधिनियम में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या
1993	2679	5817	1486	6107
1994	2435	4935	1613	6611
1995	3172	5035	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

खाद्यान्नों पर राजसहायता

1644. जस्टिस गुमान मल लोढ़ा:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर दी जा रही राजसहायता में पिछले कुछ वर्षों में नियमित रूप से वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों पर क्रमश: कितनी धनराशि की राजसहायता प्रदान की गई और 1996-97 की अनुमानित राशि क्या है; और

(ग) सामान्य उपभोक्ता को राजसहायता का कितना लाभ मिल रहा है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) इन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों पर दी गई सब्सिडी निम्नानुसार है:

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1993-94	5537
1994-95	4509
1995-96	4960
1996-97 (संशोधित अनुमान)	5166

(ग) इकानामिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर भारतीय खाद्य निगम को उपभोक्ता सब्सिडी के रूप में अदा किये जाते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को उस सीमा तक लाभान्वित किया जाता है जिस सीमा तक वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न लेते/प्राप्त करते हैं क्योंकि आपूर्ति केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर की जाती है जो इकानामिक लागत से कम है।

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का स्थानांतरण

1645. श्री नामदेव दिवाथे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई प्रमुख शहरों में अनेक औद्योगिक इकाइयों को उनके राज्य प्रदूषण बोर्डों ने अपने स्थलों का परिवर्तन करने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन इकाइयों ने स्थल परिवर्तन किये उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों के स्थल परिवर्तन करने के लिए क्या कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

वनीकरण

1646. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वनीकरण कार्यक्रम की भी पुनरीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) जी, हां। जिन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में वन आवरण में कमी आई है, केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वे इस आवरण की कमी के कारणों का गहन विश्लेषण करें और वनीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सभी संभव प्रयत्न करें।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उपलब्ध निधियों में से प्रत्येक राज्य एवं संघशासित क्षेत्र को वनीकरण एवं पौधरोपण गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य बंटित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड द्वारा मानीटर और पुनरीक्षण की गई वार्षिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिक वनीकरण आंकड़े संसद और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पुस्तकालय में रखे गए हैं ताकि चुने हुए प्रतिनिधि इन आंकड़ों का आसानी से अध्ययन कर सकें।

2. स्वायत्तशासी निकायों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों/राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड की क्षेत्रीय केन्द्रों/सेवानिवृत्त वन अधिकारियों द्वारा की गई वनीकरण गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए, उचित केन्द्रीय वितरण के साथ प्रत्येक वर्ष देश में 10% जिले चुने जाते हैं।

विस्फोटक सामग्री की तस्करी

1647. श्री प्रभुदयाल कठेरिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विस्फोटक सामग्री पत्तनों तथा विमानपत्तनों से तस्करी करके लाई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे देश में किस प्रकार लाया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विस्फोटक सामग्रियों की तस्करी रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) अभी हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें शस्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक इत्यादि को, मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से, तस्करी की गई थी। राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति के प्रति सरकार सचेत है तथा ऐसी ताकतों के नापाक इरादों को विफल करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है, जिनमें शामिल हैं: आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करना तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना।

मध्य प्रदेश में पेड़ों का काटा जाना

1648. डा. रमेश चन्द तोमर:
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में लाखों रुपये मूल्य के पेड़ काटे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा काटे गये पेड़ों की अनुमानित कीमत क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा जांच समिति गठित की गई है। समिति को अपने निष्कर्ष देने हैं।

[अनुवाद]

लोक शिकायतों के निवारण हेतु कार्यबल

1649. श्री प्रमोद महाजन:
डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को लोक शिकायतों के निवारण तथा जन सामान्य की और अधिक तुष्टि हेतु एक व्यापक चार्टर बनाने के लिए उपभोक्ता ग्रुपों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों से युक्त एक कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यबल के गठन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस कार्यबल द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ किये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सभी स्तरों पर प्रभावशाली तथा संवेदनशील प्रशासन देने के सरकार के प्रयास के एक हिस्से के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से चरणबद्ध तरीके से नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा को लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने के लिए कहा गया है। इस अधिकार पत्र में नागरिकों की सार्वजनिक सेवाओं की हकदारी, निष्पादन के मानकों का व्यापक प्रचार, सेवाओं की गुणवत्ता, सूचना की प्राप्ति, शिकायतों की सरल प्रक्रियाओं, शिकायतों का समयबद्ध निवारण तथा निष्पादन की स्वतंत्र जांच का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल है। अनेक मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने अधिकार पत्र तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में टास्क फोर्स गठित कर लिए हैं। शुरू में जिन मंत्रालयों/विभागों का जनता से बहुत अधिक सम्पर्क होता है, उन्हें इस अवधारण की लागू करने के लिए चुना गया है। इनमें से अनेक मंत्रालयों में टास्क फोर्स कार्य कर रहे हैं और उनमें से कुछेक ने अधिकार पत्र का प्रारूप तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। अधिकार पत्रों में जन शिकायत निवारण तथा जनता को सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र भी शामिल है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1650. **डा. असीम बाला:**
श्री के. डी. सुल्तानपुरी:
श्रीमती वसुन्धरा राजे:
श्री एन. जे. राठवा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चत्रानन मिश्र): (क) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के मुताबिक 50 एकड़ अच्छी कृषि योग्य भूमि एक स्थान पर होनी चाहिए जो जहां तक संभव हो जिले के मध्य भाग में स्थित हो, कुछ नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए और जो संस्था अपने यहां कृषि विज्ञान शुरू करना चाहते हैं उससे पर्याप्त तकनीकी सहायता तथा धन उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।

(ख) और (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष जिलों में चरणबद्ध ढंग से नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के अलावा एक वृहद योजना तैयार करके योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है जिसमें वर्तमान कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों और आंचलिक अनुसंधान केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्यकलाप चलाए जा सकें।

वन सुरक्षा बल

1651. **श्री बादल चौधरी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने किन राज्यों को वन सुरक्षा बल गठित करने की सुविधा प्रदान की है;

(ख) क्या तस्कर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के वनों को बहुत अधिक नष्ट कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा सरकार ने वन सुरक्षा बल की एक बटालियन गठित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मंजूर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के वनों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जैवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध वन की सुरक्षा के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया। इस समय, वन सुरक्षा बल को गठित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई अनुदान सहायता मुहैया नहीं की जा रही है।

(ख) केन्द्र सरकार को देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में वन आवरण में कमी के बारे में जानकारी है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1995 के अनुसार 1993 की तुलना में उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में 783 वर्ग कि.मी. वन आवरण में कमी आई है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को निदेश दिया है कि वह वन आवरण में कमी लाने वाले तथ्यों का गहन विश्लेषण करें और वनीकरण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करें।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रालय के अधीन कोई भी उचित योजना न होने के कारण त्रिपुरा सरकार के प्रस्ताव को कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को "वनों की समन्वित सुरक्षा" नामक एक नई योजना प्रस्तावित की गई है जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना सृजन मुहैया होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

1652. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी किये गये उन आदेशों का ब्यौरा क्या है जो उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हैं;

(ख) इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से क्या सहायता मांगी गयी है; और

(ग) वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है।

[अनुवाद]

वनांचल विकास

1653. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वनांचल पठार को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटा नागपुर, संथाल परगना पठार के विकास हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पठार में फलदार वृक्षों के पौधारोपण हेतु केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वित करने का है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में वनों, बागवानो तथा कृषि के विकास हेतु कोई सर्वेक्षण किया है तथा इस संबंध में उसका कोई विशेष योजना शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "बिहार पठार विकास परियोजना" 16 मार्च, 1993 से बिहार के पठारी क्षेत्र में 10 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का कार्य काल 5 वर्ष का है और इसका उद्देश्य कृषि, पेयजल, लघु सिंचाई, ग्रामीण सड़कों आदि के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन करना है। इस परियोजना की संशोधित लागत 444 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा कृषि विकास में राज्य सरकार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्षारीय भूमि का सुधार, सम्मिलित हैं, जिनका उद्देश्य भूमि की क्षमता को बेहतर बनाना है।

(ग) वनांचल प्रदेश की कृषि जलवायु स्थिति काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। रसदार फसलों की खेती के संबंध में फलों के समेकित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना बिहार सहित सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन क्षेत्र विस्तार करने, उत्पादकता सुधारने, नर्सरियों और टिशूकल्चर एककों की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण और प्रदर्शन आदि के लिए सहायता दी जा रही है। राज्य के विभिन्न खंडों हेतु इस सहायता के लिए आगे वितरण करना राज्य प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाता है।

(घ) और (ङ) बिहार में समेकित बागवानी विकास कार्यक्रम पर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट 1994 में मैसर्स एग्रो टार्टिकल्चर सर्विसेज, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रायोजित की गई। इस रिपोर्ट में छोटा नागपुर क्षेत्र सहित बिहार के सभी क्षेत्रों में बागवानी हेतु क्षमता और कार्यक्रमों पर सुझाव दिया गया है। बिहार सरकार को बागवानी की विभिन्न योजनाओं, जैसे पौध रोपण सामग्रियों, क्षेत्र विस्तार, प्रौद्योगिकी अंतरण, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा कटाई पश्चात् प्रबंध अवसंरचना के जरिये सहायता दी जाती है।

भारत सरकार भी बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सोयाबीन फसल की खेती शुरू करने पर विचार कर रही है।

कृषि संबंधी परियोजनाएं

1654. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में राज्य में विभिन्न कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा अनेक कृषि परियोजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं, नामत: काजू बोर्ड की स्थापना, वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास, खुंबी की खेती, सब्जियों की खेती, काली मिर्च संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन, नारियल में जड़ मुरझान रोग की रोकथाम के लिए नारियल योजना की समीक्षा, फसलें नष्ट होने तथा प्राकृतिक आपदा राहत के संबंध में राहत सहायता, आधारभूत सुविधाओं का विकास आदि। केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया गया है और यह सलाह दी गयी है कि इन परियोजनाओं को, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अथवा राज्य योजना के अंतर्गत, जहां भी व्यवहार्य हो, चलाया जाए।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान यातायात की समस्या

1655. **श्री एन.एस.वी. चित्यन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या को सुलझाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली में यातायात की समस्या से निपटने के लिए कोई समिति गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) मौजूदा सुरक्षा वातावरण में अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के दौरान यातायात का विनियमन आवश्यक हो जाता है, इसके कारण कभी-कभी अस्थाई भीड़-भाड़ हो जाती है। तथापि, ऐसे अवसरों पर यातायात के सुचारू संचलन में मदद की दृष्टि से यातायात रोके रखने का समय घटाकर न्यूनतम कर दिया जाता है और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं परिवर्तन के प्रयास भी किये जाते हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली के उप राज्यपाल ने हाल ही में यातायात प्रबंधन में सुधार लाने के लिए समाधान निकालने हेतु अपनी अध्यक्षता में यातायात प्रबंधन कार्य बल पर एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

मुर्गीपालन केन्द्र

1656. **डा. बलिराम:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** 10.7.1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के अंतर्गत जमुवावा ग्राम सभा से मुर्गीपालन केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था;

(ख) उक्त प्रस्ताव के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) मुर्गीपालन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अब तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जमुवावा ग्राम सभा में मुर्गीपालन केन्द्र स्थापित करने संबंधी स्वीकृति कब तक दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से अक्तूबर, 1995 में प्राप्त हुआ था जिसमें आजमगढ़ सहित 10 जिलों के नाम सुझाए गए थे।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सहित कुक्कुट परिसरों की स्थापना का समूचा मसला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(घ) स्वीकृति के बाद।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम में चोरी/आग लगने संबंधी मामले

1657. **श्री वी. प्रदीप देव:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आज तक चोरी/आग लगने संबंधी घटनाओं की राज्य-वार कुल संख्या क्या है और इसमें कितनी सामग्री/खाद्यान्न का नुकसान हुआ;

(ख) चोरी हुई सामग्री/खाद्यान्न में से बरामद की गई मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस अवधि के दौरान वाच एण्ड वार्ड विंग को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान या चोरी में कितने खाद्यान्न का नुकसान हुआ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) 1995-96 और 1996-97 (31.12.96 तक) के दौरान चोरी दुर्विनियोग/आग लगने संबंधी मामलों के ब्यौरे बताने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) 1995-96 और 1996-97 (31.12.96 तक) के दौरान वसूल की गई मात्रा के ब्यौरे बताने वाले विवरण III और IV संलग्न हैं।

(ग) भंडारण क्षमता और चल रही स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील केन्द्रों/खाद्य सप्लाई डिपुओं पर गोदामों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पहरा और निगरानी, राज्य सशस्त्र पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों को तैनात किया गया है। बाहर जाने वाले और अन्दर आने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाती है ताकि गेट-पास के साथ स्टाक का मिलान किया जा सके। जब कभी आवश्यक होता है तब कानून लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों की सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। संवेदनशील डिपुओं के लिए पुलिस गश्त का प्रबंध किया जाता है। नियमित आधार पर स्टाक का अचानक निरीक्षण और प्रत्यक्ष जांच की जाती है।

(घ) मार्ग में गुम हो गए खाद्यान्नों के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण V संलग्न है।

विवरण I

14.95 से 31.3.96 तक की अवधि के दौरान चोरी/उठाईगिरी/गबन और आग के मामलों की स्थिति बताने वाला विवरण

क्र. सं.	जोन/राज्य का नाम	चोरी/उठाईगीरी/गबन और आग	शामिल राशि
1	2	3	4
उत्तर जोन			
1.	पंजाब	(1) बढ़िया (रॉ) चावल की 265 बोरियों की चोरी	250000.00
		खराब वस्तुओं के स्टाक में आग	29443.00
2.	उत्तर प्रदेश	(1) सेला चावल की 123 बोरियों की चोरी	66480.00
		(2) गेहूं की 157 (107+50) बोरियों की चोरी	45000.00
		(3) नये पोलेथिन कवरों की चोरी	3500.00
		(4) बिजली के खम्बे से तांबे की तार की चोरी	–
		(5) बी.टी. 35 बोरियों में आग	600.00
3.	राजस्थान	(1) गेहूं की 6 बोरियों की चोरी	2412.00
		(2) आग (चावल के पोलेथिन कवरों और बोरियां)	218310.00
		(3) चावल की बोरियों में आग	2668.20
		(4) आग दुर्घटना	55843.90
4.	हरियाणा	–शून्य–	
		(1) आग दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप रिकार्ड और सम्पत्ति जल गई	–
5.	जम्मू और कश्मीर	–शून्य–	
6.	हिमाचल प्रदेश	–शून्य–	
7.	दिल्ली	–शून्य–	
पश्चिम जोन			
8.	महाराष्ट्र	(1) उत्तम चावल की 9 बोरियों की चोरी	5400.00
		(2) उत्तम चावल की चोरी	1953.00
		(3) 6 बोरी भारतीय गेहूं की चोरी	–

1	2	3	4
		(4) उत्तम चावल की 72 बोरियों और भारतीय गेहूं की 5 बोरियों की चोरी	47200.00
		(5) उत्तम चावल की 2 बोरियों की चोरी	500.00
		(6) एक बोरी भारतीय गेहूं और एक बोरी उत्तम चावल की चोरी	700.00
		(7) 12 अग्निशमन इस्टीर-अप पम्पों की चोरी	2400.00
		(8) लकड़ी के राफ्टर में आग	400.00
		(9) 147 बोरियों और 4 पोलेथीन कवर में आग	17000.00
		(10) बी टी कार्यशील बोरियों में आग	2730.00
मध्य प्रदेश			
		(1) खिड़की के 75 शीशों की चोरी	2250.00
		(2) तिजोरी में नगदी का कम पाया जाना	2505.00
गुजरात			
		(1) 112.5 कि.ग्रा. तांबे की तार की चोरी	14663.00
		(2) खराब/बी.एस.टी. बोरियों और कवर की चोरी	20425.00
		(3) नगदी की लूटपाट	232527.70
संयुक्त प्रबंधक (पी.ओ.) कांडला		-शून्य-	
दक्षिणी क्षेत्र			
9.	आन्ध्र प्रदेश	(1) बैल्डिंग मशीन, तांबे की प्लेट, तार और लोहे की खुरचनी की चोरी	8750.00
		(2) 18 बोरी चावल की संदिग्ध चोरी	11523.70
		(3) 3 बी पी कवर की चोरी	10686.00
		(4) आग से प्रभावित घटना	832.00
10.	कर्नाटक	-शून्य-	
11.	केरल	-शून्य-	
		(1) आग की दुर्घटना	8000.00
12.	तमिलनाडु	(1) कार्यालय परिसर से नए टाइपराइटर की चोरी	8000.00
		(2) जी आई पाईप के साथ मुख्य वितरण नियंत्रण वॉल्व की चोरी	10000.00
		(3) 2 वी.पी. कवर, चट्टों के ऊपरी दो सतह की 14 चावल की बोरियां आग से क्षतिग्रस्त	8020.00
		(4) बेकार लकड़ी के केरेटों में आग	500.00

1	2		3	4
13.	स.प्र. (पी.ओ.) मद्रास	-शून्य-		
14.	स.प्र. (पी.ओ.) विजॉग	-शून्य		
उत्तर पूर्वी सीमांत जोन:				
15.	गुवाहाटी	-शून्य-		
16.	शिलांग	-शून्य-		
17.	बिहार	(1)	2 क्विंटल आयातित चीनी की चोरी	1810.00
		(2)	6496 नये बी टी बोरियों की चोरी	97440.00
18.	उड़ीसा	(1)	चीनी की 4 बोरियों की चोरी	3620.00
		(2)	चीनी की 10 बोरियों की चोरी	9050.00
19.	सं.प्र. (पी.ओ.) कलकत्ता	(1)	47 बोरियों के साथ 34 क्विंटल चीनी की चोरी	31000.00
		(2)	3 कि.ग्रा. तांबे की तार के साथ 5 क्विंटल चीनी की चोरी	93950.00
		(3)	7 क्विंटल 57 कि.ग्रा. तांबे की तार, 25 बोरी वी. ट्विल, 2 ताले और चाबी, 1 नई बाल्टी, तोलने वाले बॉट-20 कि.ग्रा.-1, 10 कि.ग्रा.-1, 2 कि.ग्रा.-1, 4 नए शीवलस की चोरी।	143030.46
20.	पश्चिम बंगाल	(1)	3 पुराने छत के पंखे और 1 पुराने केलकुलेटर की चोरी	700.00
		(2)	180 कि.ग्रा. चीनी की चोरी	1622.79
		(3)	4 बीम स्केल कार्यशील, 13 बेकार बीम स्केल, 13 बोरी ए टी एस एच एस बोरी, 1 ताला, 18 मिट्रीक बॉट, 2 पुराने बॉट की चोरी।	2795.32
		(4)	8.003 टन चीनी की चोरी	53863.00
		(5)	250 बी टी एस एच एस बोरियों की चोरी	4625.00
		(6)	200 बोरी ए टी एस एच एस की चोरी	4800.00
		(7)	2 तालों की चोरी	417.00

विवरण II

1.4.96 से 31.12.96 तक की अवधि के दौरान चोरी/उठाईगिरी और आग लगने के मामलों की स्थिति बताने वाला विवरण

क्र.सं.	जोन/राज्य का नाम		चोरी/उठाईगिरी और आग	शामिल राशि
1	2		3	4
उत्तरी जोन				
1.	उत्तर प्रदेश	(1)	9 गांठें/2700 बोरियों की चोरी	81000.00
		(2)	आग - शून्य -	

1	2		3	4
2.	पंजाब	(1)	200 बोरी चावल की चोरी	133551.00
		(2)	110 बोरी चावल की चोरी आग - शून्य -	73453.05
3.	राजस्थान		चोरी - शून्य-	
		(1)	उत्तम चावल (35-45-600 क्विंटल) में आग	27889.00
4.	हरियाणा		चोरी - शून्य-	
		(1)	46 बोरियों में मामूली आग	-
		(2)	85 बोरियों में मामूली आग	-
		(3)	204 लकड़ी के केरेटों में मामूली आग	-
5.	दिल्ली		चोरी - शून्य-	
			आग -शून्य-	
6.	हिमाचल प्रदेश		चोरी - शून्य-	
			आग - शून्य -	
7.	जम्मू और कश्मीर		चोरी - शून्य -	
			आग - शून्य-	
पश्चिम जोन				
8.	महाराष्ट्र	(1)	रेलवे फिटिंग की चोरी	36140.00
		(2)	7 लोहे की एंगलों की चोरी 11.25 कि.ग्रा. कांटेदार तार की चोरी।	525.00
		(3)	उत्तम चावल की 6 बोरियों की चोरी	-
		(4)	बिजली का सामान, 9 ताबे की पत्तियों, 13 छत के पंखों की चोरी	7040.00
		(5)	18 अग्निशमन उपकरणों की चोरी	3600.00
		(6)	7 बेकार के अल्युमिनियम पार्ट्स की चोरी	350.00
		(7)	अल्युमिनियम की सीढ़ी और वैल्डिंग के सामान की चोरी	6000.00
		(8)	1 ताला और 7 बोरी उत्तम चावल की चोरी	5250.00
		(9)	1 ताला और 7 बोरी भारतीय गेहूं की चोरी	6540.00
		(10)	खाद्यान्न, बोरियां और पोलेथिन कवर में मामूली आग	-
9.	मध्य प्रदेश		चोरी - शून्य -	
			आग - शून्य-	

1	2		3	4
10.	गुजरात		चोरी – शून्य –	
			आग – शून्य –	
11.	सं.प्र. (पी.ओ.) कांडला		चोरी – शून्य –	
			आग – शून्य –	
उत्तर-पूर्वी सीमांत जोन				
12.	शिलांग		चोरी–शून्य–	
			आग –शून्य–	
13.	गुवाहाटी		चोरी –शून्य–	
			आग –शून्य–	
पूर्वी जोन				
14.	पश्चिम बंगाल	(1)	2505 कि.ग्रा. चावल की चोरी	143280.60
		(2)	11 एस.एच.एम. बोरियों की चोरी	–
		(3)	20 कि.ग्रा. चावल की चोरी	
		(4)	1 छत के पंखे (बेकार) की चोरी	
		(5)	1 हसक (बेकार) की चोरी	1650.00
		(6)	1 लोहे की कुर्सी की चोरी/12 मीटरीक बॉट की चोरी 2 आर्मेचर की चोरी आग –शून्य–	
15.	सं.प्र. (पी. ओ.) कलकत्ता		चोरी –शून्य–	
			आग –शून्य–	
16.	उड़ीसा	(1)	लोहे की तिजोरी से नगदी की चोरी	192293.40
		(2)	447 एन बी टी 150 बेकार बोरियों की चोरी आग –शून्य–	10000.00
17.	बिहार	(1)	3 क्विंटल चीनी की चोरी	2715.00
		(2)	4 क्विंटल चीनी की चोरी आग –शून्य–	3620.00
दक्षिण जोन				
18.	कर्नाटक		चोरी –शून्य–	
			आग –शून्य–	

1	2	3	4
19.	केरल	चोरी –शून्य–	
		आग –शून्य–	
20.	तमिलनाडु	चोरी –शून्य–	
		आग –शून्य–	
21.	आन्ध्र प्रदेश	चोरी –शून्य–	
		आग –शून्य–	
22.	सं.प्र. (पी.ओ.) मद्रास	चोरी –शून्य–	
		आग –शून्य–	
23.	स.प्र. (पी.ओ.) विजॉग	चोरी –शून्य–	
		आग –शून्य–	

विवरण III

1.4.1995 से 31.3.1996 के दौरान घटित हुए चोरी/उठाई-गिरी/आग और गबन के मामलों में वसूली की स्थिति बताने वाला विवरण

क्रम सं.	जोन/क्षेत्र/जिला/ डिपु का नाम	घटना की तारीख	हानि की प्रकृति	शामिल राशि रु.	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	वसूल की गई राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र						
1.	ओ.एम. कांप्लेक्स प्लिंथ नं. 8 धुले मनमाड	5.7.95	देशी गेहूं की 6 बोरियों की चोरी	2291.40	5.7.95	2291.40
मध्य प्रदेश						
2.	उज्जैन	10.4.95	तिजोरी से ज्ञात कम राशि	2505.00	11.4.95	2505.00
उड़ीसा						
3.	केन्द्रीय भण्डारण निगम, कटक	28.10.95	चीनी की 10 बोरियां चोरी	9050.00	20.10.95	9050.00
				13846.40		13846.40

विवरण IV

1.4.1996 से 31.12.1996 के दौरान घटित हुए चोरी/उठाई-गिरी/आग और गबन के मामलों में वसूली की स्थिति बताने वाला विवरण

क्र. सं.	जोन/क्षेत्र/जिला डिपु का नाम	घटना की तारीख	हानि की प्रकृति	शामिल राशि रु.	प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	वसूल की गई राशि रु.
उत्तरी जोन						
उत्तर प्रदेश						
1.	खाद्य भण्डारण डिपो, बालुं	5/6.9.96	9 गांठों/ 2700 बोरियों की चोरी	81000.00	6.9.96	81000.00
पंजाब						
2.	खाद्य भंडारण डिपो बुधलाड़ा/डी.ओ. भटिंडा	7.8.96	चावल की 200 बोरियों की चोरी	133551.00	7.8.96	133551.00
			जोड़	214551.00		214551.00

विवरण V

समुद्री हानियों सहित मार्गस्थ हानियों के क्षेत्र-वार ब्यौरे बताने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

वर्ष 1995-96 (अनंतिम)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	गेहूं	चावल	धान (चावल के रूप में)
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	1490	2335	–
2.	पंजाब	187	1034	2667
3.	हरियाणा	103	627	1452
4.	उत्तर प्रदेश	3757	1684	–
5.	दिल्ली	6926	673	–
6.	हिमाचल प्रदेश	61	35	–
7.	राजस्थान	1968	687	–
8.	आंध्र प्रदेश	3561	11535	(–) 6
9.	तमिलनाडु	10604	23246	–
10.	कर्नाटक	6634	14745	–
11.	केरल	7441	11188	–
12.	पो.आ. मद्रास	20	(–) 1	–
13.	पो.आ. विजाग	20	2227	–
14.	मध्य प्रदेश	8621	2320	–
15.	महाराष्ट्र	14477	15356	–
16.	गुजरात	8425	5802	–
17.	पो.आ. कांडला	723	3498	–
18.	पो.आ. कलकत्ता	6748	6628	–
19.	असम	10460	31391	–
20.	बिहार	15002	1325	–
21.	उड़ीसा	8335	2144	–
22.	उत्तर-पूर्वी सीमांत	2716	12699	–
23.	पश्चिम बंगाल	13062	4851	–
	जोड़	131341	156029	4113

चीनी निर्यात हेतु नये दिशा-निर्देश

1658. **श्री मोहन रावले:**
श्री अनन्त गुढ़े:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के निर्यात की स्थिति बड़ी खराब रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने चीनी के निर्यात हेतु नये दिशा-निर्देश बनाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कड़े मानदण्डों के कारण चीनी का निर्यात और अधिक प्रभावित होगा;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो ये नये दिशा-निर्देश चीनी का निर्यात बढ़ाने में कितनी मदद करेंगे?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन चीनी मौसमों में चीनी के निर्यात में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:-

क्र.सं.	चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	निर्यात की गई चीनी (लाख टन में) (अनन्तिम)
1.	1993-94	0.75
2.	1994-95	0.41
3.	1995-96	8.92
4.	1996-97 (जनवरी, 1997 तक)	2.92

(ग) और (घ) कृषि आधारित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने 2.5 लाख टन चीनी का निर्यात करने के लिए 17.2.97 को एक व्यापार नोटिस जारी किया है। व्यक्तियों, फर्मों, चीनी फैक्ट्रियों आदि द्वारा अपेडा से पंजीकरण एवं आवंटन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद चीनी का निर्यात किया जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं। 15.1.97 को चीनी निर्यात वृद्धि (निरसन) आदेश, 1997 का प्रख्यापन होने से चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध किया गया है जिससे मानदण्डों में छूट दी गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) चीनी के निर्यात की मात्रा के बारे में किसी भावी तारीख को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह चीनी के चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों सहित अनेक तथ्यों पर निर्भर होता है।

[हिन्दी]

अनुसंधान संस्थान

1659. **श्री सुरेन्द्र यादव:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई संस्थान कृषि अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जी.ए.टी.टी. करार पर हस्ताक्षर करने के बाद पिछले वर्षों के दौरान इन अनुसंधान संस्थानों के विकास और विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समरूप लाने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) कृषि अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उनके विकास और उन्नयन हेतु नियमित प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है ताकि उभरती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग पर एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट में आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान क्षमताओं के पुनर्विन्यास/सुदृढ़ीकरण का उल्लेख किया गया है।

(ग) अनुसंधान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन एक नियमित प्रक्रिया है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष उन्हें लाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में नए मत्स्यन पोत का निर्माण

1660. **श्री चिन्तामन वानगा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अगरदंडा में गहरे समुद्र में नए मत्स्यन पोत का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

वायु प्रदूषण

1661. श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का अध्ययन किया है जिसके अंतर्गत उसने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को ध्यान में रखते हुए वाहनों के लाइसेंस रद्द करने से लेकर उन्हें सड़क से हटाने तक के प्रतिबंध लगाए हैं जैसा कि 10 नवम्बर, 1996 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के निर्धारित स्तर से भारत के छत्तीस शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर अधिक होने से रोकने हेतु क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) दिल्ली में ऑटोमोबाइल से उत्पन्न प्रदूषण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने उठाया है। तथापि, वाहनों को सड़क से हटाने के संबंध में प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं/किये जाने का प्रस्ताव है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए सकल उत्सर्जन मानक और नये वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं और इन्हें विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है।

(2) 1.4.96 से अधिक सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं और 1.4.2000 से अधिक सख्त मानदण्ड लागू किये जाने हैं। वाहन निर्माताओं को इन उत्सर्जन मानदण्डों की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना होगा।

(3) 1.1.1997 से पूरे देश में कम सीसा युक्त पेट्रोल (0.15 प्रति लीटर) शुरू किया गया है।

(4) सीसारहित पेट्रोल और कैटेलिटिक कनवर्टर युक्त वाहनों का प्रयोग शुरू करने का एक मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पहला चरण, जिसमें दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई चार महानगर शामिल हैं, 1.4.1995 से प्रभावी हुआ है। 1.1.1999 से प्रभावी होने वाले अगले चरण में सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे वाहनों का प्रयोग लागू किया जाएगा। 1.4.2000 से पूरे देश में सीसारहित पेट्रोल सप्लाई करने की योजना है।

(5) 1.4.1995 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई चार महानगरों में 0.5 प्रतिशत सल्फर-युक्त डीजल का प्रयोग पहले ही शुरू किया जा चुका है। पूरे देश में 1.4.1999 से कम सल्फरयुक्त डीजल (0.25 प्रतिशत) शुरू करने की योजना है।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के प्रमुख शहरों और नगरों में वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के संबंध में सर्वेक्षण किये गये हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसे रोकने संबंधी उपायों को तैयार करने के लिए किया गया है।

(7) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम के अंतर्गत 290 मानीटरन केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न शहरों और नगरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता का मानीटरन किया जा रहा है। दिल्ली में, कुल दस परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्राप्त आंकड़े निर्धारित मानकों के विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रवृत्ति के विश्लेषण के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं।

(8) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसके अंतर्गत वाहन प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसके नियंत्रण के लिए रखरखाव संबंधी उपाय और प्रदूषण नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई करना शामिल है। दिल्ली में वाहन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यबल स्थापित किया गया है।

संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम

1662. श्री परसराम भारद्वाज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा हाल ही में 800.00 करोड़ रुपये के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कुछ सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने वन कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) क्या इससे पर्यावरण संरक्षण में लगे गैर-सरकारी संगठनों को भी लाभ होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 1995-96 से विश्व बैंक की सहायता से 245.9 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक वानिकी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन को सहायता देती है और लगभग 75,000 हेक्टेयर वन भूमि के प्रबंधन में शामिल लगभग 1,140 ग्राम समुदाय वन उत्पादों के लिए सुगम पहुंच और उन्नत कृषि एवं ग्राम संसाधन विकास कार्यक्रम तथा पारि-विकास कार्यक्रम की गतिविधियों से सृजित होने वाली वैकल्पिक आय से लाभान्वित होंगे। वन कर्मचारी वन और विस्तार गतिविधियों के विभिन्न नियमों में प्रशिक्षण द्वारा लाभान्वित होंगे।

(ग) और (घ) परियोजना में कई घटकों जैसे, ग्राम स्तरीय पारि-विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं और अनुभवों को संयुक्त वन प्रबंधन में वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के अभिविन्यास और प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गन्ने का जलाया जाना

1663. श्री विनय कटियार: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की खरीद न करने के कारण किसानों द्वारा कितने हेक्टेयर गन्ने की फसल को जला दिया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार जलाई गई फसल का मुआवजा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1995-96 के पिछले चीनी मौसम के दौरान, राज्य सरकार की दृष्टि में उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा अपनी गन्ने की फसल जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई। चालू मौसम 1996-97 के संबंध में, इस तरह की कोई रिपोर्ट न तो राज्य सरकार की ओर से और न ही चीनी मिलों की ओर से प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना को हानि

1664. श्री जी. ए. चरण रेड्डी: क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को प्रशासनिक और उपरिव्यय के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे वर्ष-वार कितनी हानि हो रही है;

(ग) क्या दूध की खरीद, प्रसंस्करण और दूध तथा दुग्ध उत्पादों के वितरण में कोई अनियमितताएं/कमियां ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लेखापरीक्षा में क्या आपत्तियां की गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री मूल्य सामान्यतया अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण की पूरी लागत से कम रखे गये थे। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को इसके संचालन के लिए बजट समर्थन करना आवश्यक हो गया। विगत पांच वर्षों में दिया गया बजट समर्थन इस प्रकार है:-

वर्ष	बजट समर्थन (करोड़ रुपये में)
1991-92	44.52
1992-93	27.86
1993-94	9.70
1994-95	4.63
1995-96	45.14

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

गन्ने के मूल्यों का भुगतान

1665. डा. महादीपक सिंह शाक्य:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना मिलें उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा किस मूल्य पर गन्ने की खरीद की जा रही है;

(ग) इस राज्य में गन्ने के भिन्न-भिन्न मूल्य के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों को मिल रहे कम मूल्य की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) चालू मौसम 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें 72 रुपये से 76 रुपये प्रति कुंतल गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। जबकि निजी क्षेत्र से संबंधित अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों तथा चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार 70 रुपये प्रति कुंतल का भुगतान कर रही हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में निवेश

1666. श्री बनवारी लाल पुरोहित:
श्री एस. के. कारवींधन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों ने सरकार से कृषि क्षेत्र संबंधी बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र संबंधी बुनियादी ढांचे में कुल कितना निवेश किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) बुनियादी ढांचे संबंधी निवेश में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं, लेकिन सरकार कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश को उच्च प्राथमिकता देती है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण के आंकड़े (जिसमें, सिंचाई, भवन, सड़क, पुल और निर्माण कार्य, मशीनरी और उपस्कर शामिल हैं) और 1993-94 से 1995-96 के तीन वर्षों के दौरान के कुल आंकड़े, वर्तमान और 1980-81 के मूल्यों के अनुसार इस प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	कुल		निजी क्षेत्र	
	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 के मूल्यों पर	वर्तमान मूल्यों पर	1980-81 के मूल्यों पर
1993-94	17009	5038	4467	1153
1994-95	20737	5678	5620	1329
1995-96*	24937	6301	6274	1310

*त्वरित अनुमान स्रोत के.सां.संग.

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का मुख्य जोर पहले किये गये निवेश को अनुकूलतम बनाने पर है। कृषि में पूंजी सृजन बढ़ाने की रणनीति में योजना परिव्यय तथा विकास हेतु बुनियादी ढांचे के लिए अनुपात में वृद्धि और संसाधनों का कुशल उपयोग सम्मिलित है ताकि उत्पादकता बढ़ सके और किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके जिससे वे अधिक पूंजी निवेश के लिए बचत का उपयोग कर सकें। मध्यम और लघु सिंचाई तथा मृदा संरक्षण परियोजनाओं के लिए नाबार्ड में एक नया ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष बनाया गया है। चयनित बड़ी और बहुद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को उचित समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम नामक एक योजना भी आरंभ की गई है।

काली मिर्च, काजू आदि का समर्थन मूल्य

1667. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार काली मिर्च, काजू, रबड़, इलायची आदि जैसी कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं को समर्थन मूल्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त वस्तुओं को कृषि लागत और मूल्य आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने का भी है; और

(ङ) उक्त वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुरक्षोपाय किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) सरकार सभी प्रमुख कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रही है। अन्य जिंस भी, मुख्य रूप से बागवानी और मसाला वाली फसलें, जिनमें काली मिर्च, काजू और इलाइची आती हैं, विपणन हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत शामिल की जा रही हैं ताकि किसानों को अपने उत्पादों की मजबूरी में बिक्री करने से बचाया जा सके। विपणन हस्तक्षेप योजना वर्ष दर वर्ष के आधार पर तथा राज्य विशेष की सरकार के विशेष अनुरोध पर या तब जब यह भय हो कि प्रचुरता के मौसम में कीमतें किसानों की आर्थिक स्थिति से नीचे चली जायेंगी, लागू की जाती है। राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर नाफेड नोडल एजेन्सी के रूप में तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एजेन्सियां बराबरी के आधार पर एक पूर्ण निर्धारित मात्रा में अधिप्राप्ति करती हैं। यदि इस योजना के तहत कोई घाटा होता है तो उसे केन्द्र और राज्य सरकार 50 : 50 के आधार पर वहन करती हैं। चूंकि इस बारे में अभी किसी सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अत: इस समय उपर्युक्त फसलों के मामले में कोई विपणन हस्तक्षेप योजना नहीं चलायी जा रही है।

(घ) इस समय उक्त जिंसों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त मामलों में विपणन हस्तक्षेप योजना का न्याय संगत ढंग से क्रियान्वयन करके विभिन्न फलों सब्जियों और मसालों के मूल्यों में अनुचित गिरावट को रोका जाता है। इन जिंसों की कीमतों को समुचित व्यापार नीतियों तथा विभिन्न विकासात्मक उपायों के माध्यम से विनियमित किया जाता है ताकि उनके घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती रहे।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

1668. **श्री हरिन पाठक:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को गत कई वर्षों से यूरोपीय समुदाय के देशों तथा अन्य विकसित देशों द्वारा दुग्ध उत्पादों के रूप में अनुदान प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरंभ की गयी थी और वर्षवार आज तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह सहायता गत वर्ष समाप्त हो जानी थी परन्तु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुरोध पर इसे बढ़ा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार यह सहायता कितनी अवधि तक जारी रहेगी?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को ऑपरेशन फ्लड चरण-2 और 3 के वित्त पोषण के रूप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से जिंस सहायता मिल रही है। स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर वसा की वर्ष-वार प्राप्त मात्रा इस प्रकार है:-

मात्रा (मीटरी टन)

अवधि	स्किम्ड दुग्ध चूर्ण	बटर आयल	बटर
1978-79	6956	3491	शून्य
1979-80	28216	9713	1282
1980-81	13531	9373	850
1981-82	73644	14035	3967
1982-83	37573	9331	3457
1983-84	7695	599	600
1984-85	48969	15859	6421
1985-86	9516	2813	3492
1986-87	5859	344	800
1987-88	22000	3032	6059
1988-89	17990	शून्य	7314
1989-90	14991	शून्य	शून्य
1990-91	शून्य	शून्य	शून्य
1991-92	शून्य	शून्य	शून्य
1992-93	11994	शून्य	शून्य
1993-94	3000	शून्य	शून्य

1993-94 के बाद कोई जिंस सहायता नहीं मिली है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। न केवल जिंस सहायता नहीं दी गई बल्कि इसे 1993-94 के बाद समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यह महसूस किया कि भारत अब जिंस सहायता के लिए पात्र नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी मूल्य में वृद्धि

1669. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री नीतीश कुमार:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चीनी के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था लेकिन इसकी सार्वजनिक घोषणा 10 फरवरी, 1997 को की गई;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था तथा इस संबंध में की गई घोषणा में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्णय लेने के पश्चात् घोषणा करने में विलम्ब के कारण हुए नुकसान का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) 8.2.97 को अधिसूचित करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए 7.2.97 से लेवी चीनी के निर्गम मूल्य बढ़ाकर 10.50 रु. प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया था और इस मूल्य वृद्धि को 10.2.97 से प्रभावी किया गया था। अधिसूचना और इसके प्रभावी होने की तारीख के बीच समय दिया गया था ताकि राज्य स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन कर ले। निर्णयानुसार अधिसूचना 8.2.97 को जारी कर दी गई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों की तस्करी

1670. श्री राजकेशर सिंह:
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर":

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण औषधीय मूल्य से युक्त जड़ी-बूटियां जो एक समय पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में मिलती थी की बड़े पैमाने पर तस्करी तथा अवैज्ञानिक दोहन के मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) यद्यपि औषधीय जड़ी-बूटी की तस्करी के प्रयास के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं, तथापि इन पौधों या उनके उत्पादों की व्यापक रूप से तस्करी नहीं हुई है।

(ग) औषधीय जड़ी-बूटी की तस्करी के निवारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-6 के अधीन किसी वनभूमि या विनिर्दिष्ट क्षेत्र से वन्य पौधों की प्रजातियों के संग्रहण पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. पी नं. 47 (पी एन)/92-97 दिनांक 30.3.1994 के अधीन वन्य पौधों से प्राप्त पौधों या पौधों के अंश और उनके उपजातों की 56 प्रजातियों के निर्यात को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त 56 प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य पौधों के निर्यात के लिए क्षेत्रीय उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय या संबंधित राज्यों, जहां से इन पौधों को खरीदा गया है, के मुख्य वन संरक्षक या उप वन संरक्षक से विधिक क्रय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

4. कृषि और साइट्स परमिट, जहां कहीं वह लागू होता है, के उत्पादन प्रमाण पत्र के अध्यधीन वी एन 47 में शामिल पौधे/पौधे के अंशों की कृष्य किस्म के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।

5. चंदन की लड़की के निर्मित और प्रसंस्कृत हस्तशिल्प उत्पादों और मशीन निर्मित उत्पादों के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप का निर्यात प्रतिषिद्ध है।

6. किसी भी प्रकार के रेड सेंडर्स, चाहे वह कच्चा, प्रसंस्कृत या अप्रसंस्कृत पदार्थ हो या उनसे निर्मित कोई उत्पाद हो, के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

7. सात प्रमुख पत्तनों अर्थात् मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, तूतिकोरिन, मद्रास और अमृतसर से ही पौधों और पौधों के अंशों का निर्यात किया जा सकता है।

8. साइट्स के परिशिष्ट-1 के अधीन शामिल छह प्रजातियों का भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिषिद्ध है और साइट्स के परिशिष्ट-2 के अधीन शामिल 15 प्रजातियों को साइट्स के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाता है।

9. जब कभी वन्यजीव प्राधिकारियों को वन्य पौधों के अवैध व्यापार की जानकारी मिलती है, तब छापे मारे जाते हैं।

10. अन्य प्रवर्तन संगठनों जैसे पुलिस, बी.एस.एफ., सीमा शुल्क, आई टी बी पी/तटरक्षक इत्यादि के साथ अन्त: विभागीय समन्वय बढ़ाया जा रहा है, 1995 और नवम्बर, 1996 के दौरान नई दिल्ली और देहरादून में इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन और कार्यान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

पर्यावरणी परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

1671. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी उदार शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत के लिए 50 मिलियन डालर की पर्यावरण प्रबन्धन क्षमता सृजन ऋण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना द्वारा भारत सरकार को अपनी पर्यावरणीय नीतिगत योजना तथा पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ करने में तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत क्या है तथा इस परियोजना में भारत का अंशदान कितना है;

(घ) पर्यावरण संबंधी अन्य किन-किन क्षेत्रों में इस परियोजना द्वारा भारत को सहायता प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों को भी लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस परियोजना की कुल लागत का अनुमान 61.48 मिलियन अमरीकी डालर (जो 221.32 करोड़ रुपए के बराबर) है, इसमें भारत सरकार का योगदान 11.48 मिलियन अमरीकी डालर (41.32 करोड़ रुपए) है।

(घ) परियोजना पर्यावरणीय निगरानी और अनुपालन सुदृढ़ होगा। तटीय क्षेत्र प्रबंधन, पर्यावरणीय मानकों, खनन का पर्यावरणीय प्रबंध और उद्योगों के लिए स्थल निर्धारण और क्षेत्रीय एटलस से संबंधित पहलुओं पर विशेष जोर दिया जायेगा।

(ङ) और (च) परियोजना भारत के तटीय और समुद्रीय क्षेत्रों को कवर करेगी और, (1) भारत के तटीय समुद्रीय क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्राकृतिक आवास स्थलों के लिए प्राणि विज्ञान सूचना प्रणाली पर आधारित सूचना प्रणाली का विकास; (2) समेकित तटीय मॉडलों और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने; (3) अपशिष्ट पदार्थों के समीकरण की क्षमता और चयनित तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय मॉडलिंग का प्रबंध करना; (4) मुख्य समुद्रीय और तटीय क्षेत्र की विकास गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन दिशा-निर्देशों का विकास करने, में सहयोग करेगी।

आपराधिक मामलों पर निगरानी हेतु नाडल एजेंसी

1672. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच संबंधों से संबंधित मामलों की निगरानी हेतु नोडल एजेंसी गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त नोडल एजेंसी द्वारा अभी तक जांच किये गये मामलों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) वोहरा समिति की सिफारिशों के अनुकरण में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गई थी जिसके सदस्य गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग), निदेशक (आसूचना ब्यूरो) तथा निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) थे। अपनी बैठकों में नोडल ग्रुप, बड़े आपराधिक सिंडीकेटों की गतिविधियों के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध जानकारी तथा फील्ड संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की आमतौर पर समीक्षा करता है। कानून के अनुसार मामलों के अनुसरण में अन्तर एजेंसी समन्वय तथा अन्तर-एजेंसी समर्थन के सवाल पर विचार किया जाता है और ऐसे समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षाओं के बारे में उपयुक्त निर्णय लिये जाते हैं।

जानवरों का गंदगी में रहना

1673. श्री मंगल राम प्रेमी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 दिसम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "स्टेंच, एनीमल्स फरोलिकिंग इन स्लाइम वेल्कम टू दिल्ली जू" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सामने लाए गए तथ्यों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) गीले मोट्स चिड़ियाघरों, बाड़ों से जुड़े हुए हैं और ये दर्शकों और जानवरों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करते हैं। मोट सिस्टम में डाला गया जल गहरे ट्यूबवैलों से आता है और जो कि खारा होता है और जल सतह पर एक झागदार परत बन जाती है। मोट्स का जल जानवरों के पीने के लिए देय जल उपलब्ध कराया जाता है। तथापि नहाने जाते समय कुछ जानवरों द्वारा पानी के थोड़ा सा पीने को नहीं रोका जा सकता। कर्मचारियों और मजदूरों की एक टीम मोट सिस्टम को नियमित रूप से साफ करती रहती है जोकि लगभग 7.5 किलोमीटर है।

मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सीसा रहित पैट्रोल छिड़का जाता है। चिड़ियाघर का भूमि स्तर काफी नीचा होने के कारण बरसात का पानी और साथ लगे हुए क्षेत्रों से बहकर आया पानी मोट सिस्टम में एकत्र हो जाता है जिसको उचित गहराई बनाये रखने के लिए समय-समय पर हटाया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को मोट और तालाब सिस्टम को साफ करने के लिए मुख्य नवीकरण कार्यों के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं। जैसे कि वहां पर अच्छे पानी की कमी है, मोट सिस्टम के कुछ भाग जो कि जानवरों की जैवीय आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य नहीं है, उनको सूखे मोट में बदला जा रहा है।

तिलहन का आयात

1674. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल उद्योग और व्यापार संबंधी केन्द्रीय संगठन ने तिलहनों के आयात के बारे में अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय तेल उद्योग तथा व्यापार संगठन द्वारा तिलहनों के आयात के लिए अपने अभ्यावेदन में दिए गए कुछ मुद्दे निम्न प्रकार से हैं:-

(1) खाद्य तेल आयात की तरह तिलहनों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किया जाए।

(2) आयातित तिलहनों के प्रसंस्करण से रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे।

(3) इससे खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा निष्कर्षणों के निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।

(4) तिलहनों के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तिलहनों के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों आदि से अधिक रहे हैं।

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1675. श्री एन. जे. राठवा: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या जनवरी, 1997 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अनुसूचित जाति के कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा हेतु प्रबंध किये हैं या करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों पर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं। वर्ष 1994 एवं 1995 का राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार एवं अन्य अपराधों के अनंतिम आंकड़ों से ऐसा देखा जा सकता है:-

	1994	1995
1. अखिल भारत	38,927	38,494
2. उत्तर प्रदेश	16,283	14,310

(ख) से (घ) जी, हां। दो गिरोहों के नेताओं के बीच दुश्मनी के कारण मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाने के अंतर्गत इखवारा गांव के

छः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की दिनांक 5.1.1997 को हत्या कर दी गई। इस संबंध में, हस्तिनापुर थाने में अपराध सं. 2/97-147/148/149/30 भा.दं. स. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (5) के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त लोग-दिनांक 6.1.1997 को खलील, नजर सिंह, जगत तथा विजेन्दर दिनांक 6.1.1997 को तथा इशाक दिनांक 8.1.1997 को गिरफ्तार किए गए। एक अन्य गैर कानूनी चरित्र किरोरी के गिरोह के छः सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को पूरा संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान की है। प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल गांव की चौकसी कर रहा है एवं स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस सुरक्षा के अतिरिक्त, 1.50 लाख रु. प्रत्येक की दर से मृतकों के आश्रितों को तथा 50,000 रु. प्रत्येक की दर से घायल व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ज) भारतीय दण्ड संहिता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

असम समस्या

1676. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के मुख्य मंत्री ने असम के सभी मुख्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हाल ही में प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तानी नागरिकों का लापता होना

1677. श्री तारिक अनवर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में बसे पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लापता हुए व्यक्तियों के आई.एस.आई. एजेंट होने का संदेह है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लापता व्यक्तियों को खोज निकालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.11.96 की स्थिति के अनुसार 2782 पाक राष्ट्रिकों को गायब/लापता सूचित किया गया था। उनमें से कुछ के आई.एस.आई. के साथ सम्पर्क होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऐसे पाक राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाए और वे उनका पता लगाने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें वापस भेजा जाये।

[हिन्दी]

भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केन्द्र

1678. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम के बिक्री केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त बिक्री केन्द्रों द्वारा केन्द्र-वार कितनी धनराशि का कारोबार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम के 13 सांधी बिक्री केन्द्र हैं। इन बिक्री केन्द्रों की अवस्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इनके अलावा 171 प्राधिकृत बीज विक्रेता हैं जो नये बीजों की बिक्री कर रहे हैं।

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान इन बिक्री केन्द्रों का कुल कारोबार क्रमशः 569.13 लाख रु. और 730.94 लाख रुपये का हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
65, पान दरिबा,
लखनऊ

2. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
प्लाट नं. 8-17, यू.पी.एस.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र
मथुरा रोड, सिकन्दरा
आगरा

3. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
165, सिविल लाइन्स,
बरेली

4. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
दुर्गापुर रोड,
अमेठी (सुलतानपुर)

5. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
कालपी सर्कुलर रोड, बाई-पास
पक्का बाग,
इटावा

6. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.,
पी.सी.एफ. गोदाम
अशोक नगर,
डाक-बसारतपुर,
गोरखपुर

7. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.,
पी.ओ.-ई. टी. सी.
हेमपुर-244 716
(वाया काशीपुर) नैनीताल

8. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
राजा दाल मिल, इगलास रोड,
हाथरस

9. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
प्लाट नं. डी-25, साइट नं. 1
पंकी औद्योगिकी क्षेत्र
कानपुर

10. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
भा. स्टेट बैंक के सामने
रुद्रपुर (जिला-नैनीताल)

11. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम लि.
वेस्टर्न चेल्ली रोड,
मेरठ

12. क्षेत्रीय कार्यालय
रा. बी. निगम
मौ-जयखल
शाहजहांपुर

13. क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय बीज निगम
डी-59/12-83, गांधी नगर
सोनिया रोड, सिंगरा,
वाराणसी

[अनुवाद]

भुखमरी समाप्त करना

1679. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान रोम में विश्व खाद्य सम्मेलन में वर्ष 2000 तक भारत में भुखमरी को समाप्त करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम को कब तक तैयार कर दिये जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता सहित सभी के लिए खाद्यान्नों की सुलभता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पग उठा रही है। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस दिशा में एक ठोस उपाय है। नौवीं योजना में भी विकासशील नीतियों पर बल दिया गया है जिनमें खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली को रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे आय वितरण उपायों के साथ इस प्रकार समन्वित किया जाएगा जिससे सभी के लिए खाद्यान्न और पोषाहार सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

कीटनाशक प्रबंधन

1680. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय समन्वित कीटनाशक प्रबंधन कार्यक्रम (नेशनल प्रोग्राम फोर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट) आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ जिलों और फसलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी हां, सरकार सतत कृषि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समेकित कृमि प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि यांत्रिक, जैव विज्ञानीय और वैकल्पिक कृमि प्रबंध प्रणालियों और तकनीकों को अपनाकर रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करके स्वस्थ फसल उगाना है। इस कार्यक्रम के अधीन विस्तार एजेंसियों और किसानों को "आई.पी.एम. खेतों पर प्रदर्शन के जरिए जिसे फार्मर्स फिल्म स्कूल" के नाम से जाना जाता है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश और राजस्थान में चावल और कपास में समेकित कृमि प्रबंध कार्यक्रम के अधीन शामिल किये जा रहे जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर (ग) और (घ) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिलों जहां चावल और कपास में समेकित कृमि, प्रबंध फार्मर्स फील्ड स्कूल स्थापित किये गये हैं, की सूची

क. **मध्य प्रदेश**

1. रायपुर
2. दुर्ग
3. राजनन्दगांव
4. कांकेर
5. बिलासपुर
6. मांड्ला
7. सिवनी
8. शहडौल
9. सतना
10. जबलपुर
11. सीधी
12. खंडवा
13. खरगोन
14. धार
15. इन्दौर
16. महासमुंद
17. देतेवाड़ा
18. जगदलपुर
19. जांजगीर
20. रायगढ़
21. अम्बीकापुर
22. बालकौंडपुर
23. रीवा
24. बालघाट

ख. **राजस्थान**

1. श्री गंगानगर
2. हनुमानगढ़
3. बीकानेर
4. बुंडी

बेल्लारी में वन परियोजना

1681. श्री के.सी. कोंडय्या: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान की ओवरसीज डेवलपमेंट फंड की सहायता से कार्यान्वित की जा रही 566 करोड़ रुपये की वानिकी परियोजना के लिए कर्नाटक स्थित बेल्लारी जिले का चयन किया गया है;

(ख) क्या जापान की ओवरसीज/डेवलपमेंट फंड ने उपरोक्त परियोजना को पहले ही स्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई और शेष धनराशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है एवं इस परियोजना को कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्रफल में पेड़ लगाने, मृदा और जल परिरक्षण कार्य किये जायेंगे;

(ङ) क्या यह परियोजना प्राकृतिक वनों के संरक्षण और पुन: वृक्ष लगाने में सहायक होगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र, इमारती लकड़ी और बांस के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) जापान की ओवरसीज इकनोमिक कारपोरेशन फंड की सहायता से कर्नाटक के बेल्लारी जिले सहित 17 जिलों में 566 करोड़ रुपये की लागत से एक वानिकी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना लागत का लगभग 85% ओवरसीज इकनोमिक कार्पोरेशन फंड द्वारा ऋण के रूप में मुहैया कराया जायेगा। परियोजना 5 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जानी है।

(घ) से (छ) परियोजना अवकृमित वनों में वनीकरण और मृदा संरक्षण गतिविधियों प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, फार्म वानिकी के अंतर्गत बीजांकुरों का वितरण और रोपण तथा सरकार की बंजरभूमि, सार्वजनिक भूमि और संस्थागत भूमि के वनीकरण के माध्यम से 4,70,500 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने पर जोर देगी। परियोजना गतिविधियों के आयोजना और कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी परियोजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कठिन क्षेत्रों में से एक है। परियोजना प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए भी सहयोग करेगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात

1682. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में कुल कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया है; और

(ख) इसका चीनी उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों के लिए बजटीय प्रावधान

1683. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु स्वीकृत पंद्रह सूत्री कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान अब तक नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक बजटीय सहायता प्रदान करने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यकों की जान तथा माल की सुरक्षा करना तथा उनके लिए सामाजिक तथा शैक्षिक विकास सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम किसी अलग बजटीय प्रावधान की विशेष रूप से परिकल्पना नहीं करता। तथापि, भारत सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ योजनाओं का कार्यान्वयन कल्याण मंत्रालय तथा साथ ही शिक्षा विभाग के माध्यम से कर रही है। बहु-क्षेत्रीय योजनाएं 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए तैयार की जा रही हैं तथा आठवीं योजना के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, जिसकी स्थापना 30.9.94 को अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करने के लिए की गई है, को आठवीं योजना अवधि के दौरान 125 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान 125 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई। अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान 10 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए मदरसा शिक्षा, सामुदायिक पालिटेक्नीकों तथा क्षेत्र गहन कार्यक्रम के आधुनिकीकरण की योजनाओं का कार्यान्वयन करता रहा है। इन योजनाओं के लिए आठवीं योजना में क्रमश: 1 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए तथा 16.27 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

कर्नाटक में विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन

1684. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में विशेष संघटक योजना (एस.सी.वी.) के अंतर्गत कितनी उपलब्धि हुई है;

(ख) तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष संघटक योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) नौवीं योजनावधि में अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(1) वित्तीय

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान राज्य योजना परिव्यय, विशेष संघटक योजना परिव्यय तथा विशेष संघटक योजना व्यय:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	राज्य योजना परिव्यय के प्रति विशेष संघटक योजना की प्रतिशतता	विशेष संघटक योजना व्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय के प्रति विशेष संघटक योजना व्यय का %
1992-93	1915.00	176.02	9.19	160.49	91.10
1993-94	3025.00	280.69	9.27	258.93	92.24
1994-95	2800.00	303.81	10.85	289.21	95.19
1995-96	3575.00	338.79	9.50	315.38	93.25
1996-97	4360.00	415.18	9.52	उपलब्ध नहीं	-

2. वास्तविक

जैसाकि बीस-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(क) के अन्तर्गत मॉनीटर किया गया है, आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1992-93	125000	130268	104
1993-94	127000	157105	124
1994-95	168000	202513	121
1995-96	200000	230273	115
1996-97	200000	उपलब्ध नहीं	-

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मत्स्य योजनाएं

1685. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मत्स्य पालन हेतु विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इन योजनाओं को नौवीं योजना में क्रियान्वित किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) राज्यों/संघशासित प्रदेशों में मात्स्यिकी और जलकृषि विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:-

(1) ताजा जलकृषि का विकास।

(2) समेकित खारा जल मछली पालक विकास।

(3) तटीय समुद्री मात्स्यिकी विकास।

क. परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण।

ख. प्लाईवुड की नौकाएं चलाना आरम्भ करना।

ग. तट से परे पेलाजिक मत्स्यन के लिए मध्यम आकार की नौकाएं चलाना आरम्भ करना।

घ. 20 मीटर से कम लम्बी मत्स्यन नौकाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाट शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(4) समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम को लागू करना तथा कृत्रिम समुद्री चट्टानों और समुद्र में मछली पालन की योजनाओं के माध्यम से संसाधनों में वृद्धि।

(5) मुख्य पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह सुविधाएं।

(6) छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह की व्यवस्था।

(7) अन्तर्देशीय मछली विपणन को मजबूत बनाने के लिए सहायता।

(8) मछुआरों का कल्याण:-

(i) सामूहिक दुर्घटना बीमा।

(ii) आदर्श मछुआरा गाँव।

(iii) बचत-व-राहत।

(9) प्रशिक्षण और मात्स्यिकी विस्तार।

(10) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा और मछली पालन परियोजना।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण मदों की राज्य-वार प्रगति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त में से अधिकतर तथा कुछेक नई योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न मात्स्यिकी विकास योजनाओं के लिए आबंटित किये जाने वाले वास्तविक निधियां अंतिम रूप से तय नहीं की गयी है।

विवरण

1992-96 के दौरान विभिन्न मात्स्यिकी एवं जलकृषि के तहत महत्वपूर्ण मदों की प्रगति

क्र.सं.	राज्य	ताजे पानी में जल कृषि के तहत कवर किया गया क्षेत्र (हेक्टे.)	ताजे पानी में जल कृषि के लिए प्रशिक्षित मत्स्यपालकों की सं.	खारे पानी में मत्स्य पालन के तहत कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टे.)	खारे पानी में मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षित मत्स्यपालकों की संख्या	मोटरीकरण हेतु स्वीकृत परम्परागत जलयानों की सं.	स्वीकृत प्लाईवुड जलयानों की संख्या	स्वीकृत मध्यम आकार के जलयानों की सं.	एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद-शुल्क की प्रतिपूर्ति द्वारा लाभान्वित यंत्रीकृत जलयानों की संख्या	स्वीकृत पेट्रोल वाली नौकाओं की सं.	स्वीकृत कृत्रिम समुद्री चट्टानों की संख्या	चालू बड़ी मात्स्यिकी बन्दरगाह	चालू छोटी मात्स्यिकी बन्दरगाह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	5967	5042	593	1515	700	–	2	औसतन प्रतिवर्ष लगभग 15000 से 18000 यंत्रीकृत नौकाओं को लाभ मिलता है।	2	10	–	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	207	795	–	–	–	–	–		–	–	–	–
3.	असम	2157	7698	–	–	–	–	–		–	–	–	–
4.	बिहार	2415	2180	–	–	–	–	–		–	–	–	–
5.	गोआ	–	–	113	32	300	–	–		–	–	–	–
6.	गुजरात	15518	6209	410	163	200	–	4		–	–	–	1
7.	हरियाणा	8440	3682	–	–	–	–	–		–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	79	768	–	–	–	–	–		–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	1368	595	–	–	–	–	–		–	–	–	–
10.	कर्नाटक	11095	3470	39	570	380	–	8		2	–	–	1
11.	केरल	1571	3484	785	1497	2,100	120	5		6	–	–	1
12.	मध्य प्रदेश	21023	7609	–	–	–	–	–		–	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	8042	4613	240	656	–	–	–		4	30	–	1
14.	मणिपुर	460	1020	–	–	–	–	–		–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	मेघालय	119	300	–	–	–	–	–		–	–	–	–
16.	मिजोरम	141	255	–	–	–	–	–		–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	271	872	–	–	–	–	–		–	–	–	–
18.	उड़ीसा	7490	9880	3758	1024	1820	–	2		2	–	1	2
19.	पंजाब	3094	4876	–	–	–	–	–		–	–	–	–
20.	राजस्थान	1468	3065	–	–	–	–	–		–	–	–	–
21.	सिक्किम	49	576	–	–	–	–	–		–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	7762	1407	1088	245	11500	100	15		5	–	–	1
23.	त्रिपुरा	472	38833	–	–	–	–	–		–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	22872	26057	–	–	–	–	–		–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	16580	18195	1191	2971	–	–	–		4	–	–	1
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	–	–	–	–	75	–	–		–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	10	–		–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	36	351	–	–	120	–	–		–	–	–	–
	योग	1,38,696	1,51,832	8,217	8,673	17,240	230	36		25	40	1	9

क्र.सं.	राज्य	चालू मत्स्य उतरने वाले केन्द्र	स्वीकृत मत्स्य विपणन इकाइयों की सं.	1995-96 तक बीमाकृत मछुआरों की संख्या	स्वीकृत आदर्श मछुआरा गांवों की संख्या	बचत और राहत घटक के लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण और विस्तार के अन्तर्गत प्रशिक्षित कार्मिक	स्वीकृत प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र	विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही परियोजना के अंतर्गत मछली-पालन के लिए विकसित तालाब	विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही परियोजना के अंतर्गत बीमा-पालन के लिए विकसित किये जा रहे स्थल
		15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	1	1,30,000	319	2,000	–	2	37	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	6	–	200	–	–	–
4.	बिहार	–	1	40,000	1	–	–	–	–	–
5.	गोआ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	3	1	–	4	–	30	2	–	–
7.	हरियाणा	–	2	–	–	–	116	1	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1	3,694	–	–	90	2	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	2	–	10	–	100	2	–	–
10.	कर्नाटक	–	2	60,000	79	8,008	110	2	–	–
11.	केरल	10	4	2,00,000	33	82,650	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	2	50,000	1	–	208	1	–	–
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	8	–	–	–	–	–
14.	मणिपुर	–	1	–	5	–	–	2	–	–

		15	16	17	18	19	20	21	22	23
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	50	1	–	–
16.	मिजोरम	–	1	–	–	–	60	1	–	–
17.	नागालैण्ड	–	1	–	–	–	80	1	–	–
18.	उड़ीसा	5	2	1,00,000	30	4,700	30	2	42	1
19.	पंजाब	–	2	–	–	–	64	2	–	–
20.	राजस्थान	–	2	–	1	–	75	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	5	1	2,67,623	36	1,59,000	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	8,888	14	–	9	1	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	5	32,000	33	–	300	2	18	–
25.	पश्चिम बंगाल	1	2	1,52,380	33	–	120	1	–	4
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	–	–	3,000	–	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	290	–	–	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	–	–	17,000	4	9,280	–	–	–	–
	योग	24	33	10,64,875	587	2,65,638	1642	25	97	6

डेरी विकास योजना

1686. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में सहकारी क्षेत्र में आरंभ की गयी केन्द्र प्रायोजित डेरी विकास योजनाओं पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया है; और

(ख) योजनावधि में प्रत्येक राज्य में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गयी थी। प्रत्येक भागीदार राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि तथा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.12.1996 तक की एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति

राज्य/परियोजना	वास्तविक प्रगति					
	जारी निधियां (लाख रु.)	डी.सी.एस. ओ. (सं.)	डी.सी.एस. एम ('000)	दुग्ध अधि. (हलप्रद)	दुग्ध विपणन (हलप्रद)	प्रसंस्करण क्षमता (हलप्रद)
1	2	3	4	5	6	7
अंड. व निको. द्वी. स.	91	0	–	0.00	0.00	
आंध्र प्रदेश	250	155	5.86	8.99	2.90	37.00
अरुणाचल प्रदेश	350	13	0.35	0.45	0.45	
असम	400	182	12.17	7.20	7.20	10.00
बिहार-1	75	54	2.51	0.00	0.00	
बिहार-2	150	0	0.00	0.00	0.00	
गुजरात	300	207	14.02	7.48	36.00	
हरियाणा	65	2	24.00	1.20	1.20	
जे. एंड के.-जम्मू	75	0	0.00	0.00	0.00	
जे. एंड के.-कश्मीर	75	0	0.00	0.00	0.00	
मध्य प्रदेश-1, 2 व 3	665	180	5.98	5.96	5.79	
मध्य प्रदेश-4	163	157	6.70	9.22	8.96	
महाराष्ट्र	200	406	3.40	42.20	42.20	
मणिपुर	125	30	1.00	1.30	1.50	6.00
मेघालय	75	32	1.47	4.05	3.10	
मिजोरम-1	246	26	3.35	4.00	4.00	

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम-2	75	0	0.00	0.00	0.00	
नागालैण्ड	450	33	1.16	1.20	1.30	2.00
उड़ीसा-1	492	247	12.80	14.40	14.40	
उड़ीसा-2	250	146	13.50	8.20	8.20	
सिक्किम-1 एवं 2	325	154	4.86	7.29	7.70	15.00
तमिल नाडु	225	455	126.00	27.00	31.00	75.00
त्रिपुरा-1	225	62	4.68	3.20	6.00	10.00
त्रिपुरा-2	113	20	0.64	0.00	0.00	
उत्तर प्रदेश-1, 2 तथा	700	795	27.92	18.31	17.12	
पश्चिम बंगाल	350	79	4.47	3.31	3.30	
कुल	6510	3435	276.84	174.96	202.32	155.00

टिप्पणी:

डी.सी.एस.ओ.-संगठित डेयरी सहकारी समितियां।
डी.सी.एस.एम.-डेयरी सहकारी समिति के सदस्य।
हलप्रद-हजार लीटर प्रतिदिन।
अधि.-अधिप्राप्ति।

बम विस्फोट

1687. प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री प्रभुदयाल कठेरिया:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री तारिक अनवर:
श्री छीतूभाई गामीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1997 में दिल्ली में एक साथ कई बम विस्फोट हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995 तथा 1996 में देश में हुए बम विस्फोटों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विस्फोटों में सार्वजनिक/निजी सम्पत्ति के नुकसान सहित हताहत व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ङ) पुलिस द्वारा सुलझाये गए बम विस्फोट के मामलों की संख्या क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले; और

(च) ऐसी घटनाओं के पुन: न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) दिल्ली में 4 जनवरी, 1997 को दो बम विस्फोट हुए जिनके परिणामस्वरूप, एक विस्फोट में हरियाणा रोडवेज की एक बस क्षतिग्रस्त हुई और दूसरे में एक महिन्द्रा जीप। तथापि, कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया, जबकि 11 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उग्रवाद की घटनाएं

1688. श्री के. डी. सुल्तानपुरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों में उग्रवाद बड़े पैमाने पर फैला है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उग्रवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हुए हैं:

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा।

उग्रवाद मुख्यतया: उग्रवादी ग्रुपों की टकराव वाली गतिविधियों के निरंतर जारी रहने के कारण फैला है।

(ख) और (ग) आसूचना एजेन्सियों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवादियों की गतिविधिगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इस खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को मदद देने के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं। इनमें संबंधित राज्यों तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न आसूचना और जांच एजेन्सियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने, आसूचना की भागीदारी करने, रणनीति तैयार करने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए समन्वय बैठकें करना शामिल है। विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए पहले से किए गए आवंटन के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी गई है। उग्रवाद-विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके इस संबंध में एक कार्य योजना भी तैयार की है, जिसमें शामिल हैं:-

(1) पुलिस थानों, विशेषतौर से उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित थानों, की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(2) एक समान संचार प्रणाली व्यवस्था;

(3) प्रत्येक राज्य में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना;

(4) संयुक्त गश्त लगाना;

(5) राज्यों के बीच क्षेत्र प्रभुत्व कार्यक्रम आरम्भ करना; तथा

(6) संबंधित राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत करना।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में उग्रवाद

1689. डा. कृपासिंधु भोई:
श्री जयसिंह चौहान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में बढ़ रही हिंसा से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष से अब तक कुल कितनी मृत्यु हुई हैं;

(ग) राज्य में बढ़ती हिंसा के क्या कारण हैं;

(घ) त्रिपुरा में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार से अत्याधुनिक हथियारों से लैस और ज्यादा अर्धसैनिक बल की तैनाती के संबंध में आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान त्रिपुरा में आदिवासी विद्रोह संबंधी हिंसा में मारे गए 178 व्यक्तियों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान, 17 फरवरी, 1997 तक 72 व्यक्ति मारे गए थे।

(ग) राज्य में बढ़ रही हिंसा के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-आर्थिक पिछड़ापन, रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव, आदिवासी जनसंख्या में कमी होते जाना, पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुणों के साथ संपर्क, एक पड़ौसी देश में शरण उपलब्ध होना और आदिवासी उग्रवादी ग्रुपों द्वारा हथियारों एवं गोली-बारूद के प्रापण में वृद्धि।

(घ) त्रिपुरा में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों तथा सेना की यूनिटों की मौजूदगी में वृद्धि, विद्रोह विरोधी अभियानों का उन्नत समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया जाना, त्रिपुरा पुलिस के लिए वरीयता के आधार पर वाहन, हथियार एवं गोली-बारूद तथा अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरण जारी किया जाना, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता और उचित निर्णय लेने हेतु स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा सेना की पर्याप्त टुकड़ियां तैनात की हैं।

आंध्र प्रदेश का वन क्षेत्र

1690. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में वनों की कटाई को रोकने तथा वन क्षेत्र में सुधार लाने हेतु लम्बे समय से चल रहे कार्य का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्र द्वारा की गयी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा वन क्षेत्र योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य की असफलता के संबंध में राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) विभिन्न वानिकी गतिविधियों में स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से प्राकृतिक वनों के संरक्षण के साथ-साथ राज्य स्कीमों केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत वनीकरण गतिविधियों के द्वारा आन्ध्र प्रदेश में वननाशन को रोकने और वन आवरण में सुधार करने के प्रयत्न जारी हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किसी विनिर्दिष्ट वन आवरण योजना के कार्यान्वयन की सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जैव-विविधता कार्य योजना

1691. **श्री केशव महन्त:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन जैव-विविधता के संरक्षण हेतु जैव-विविधता कार्ययोजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जवाहर रोजगार योजना और सामाजिक वानिकी एवं पुनरुत्पत्ति योजनाओं के लिए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) जैव-विविधता पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन जैव-विविधता और आवश्यकतानुसार अगली कार्यवाही आरम्भ करने सहित जैव-विविधता के सतत् प्रयोग और संरक्षण के जारी प्रयत्नों को मजबूत बनाना है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय से वानिकी कार्यों के लिए गरीबी उपशमन योजनाओं के तहत निधियों के 25 प्रतिशत के आबंटन के लिए आवेदन कर रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के तहत दो मुख्य ग्रामीण रोजगार योजनाएं है—जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना।

जवाहर रोजगार योजना के तहत आबंटित निधियों का 60 प्रतिशत आर्थिक उत्पाद सम्पत्ति जैसे कि लघु सिंचाई, ग्रामीण मार्किट का विकास, वाटरशैड विकास, सामाजिक वानिकी, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि-बागवानी, चारागाह विकास आदि के लिए निर्धारित किया गया है। रोजगार आश्वासन योजना के तहत आबंटित निधियों का 40 प्रतिशत वनीकरण कृषि-बागवानी और वन चारागाहों सहित जल और मृदा संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के तहत सामाजिक वानिकी के लिए निधियों का अलग से निर्धारण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली

1692. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली संबंधी उत्पादनों पर रियायत और प्रोत्साहन दिये जाने से बाजार में कम्पनियों की बाढ़ सी आ गई है और ये कंपनियां अपने उत्पादनों को विदेशी ब्रांडों के नाम से बेच रही हैं तथा विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित मशीनों की कीमतों में भारी अन्तर है;

(ख) कितनी स्वदेशी कंपनियां ऐसी मशीनों के निर्माण में लगी हुई हैं और कितनी कंपनियां अपने उत्पादनों को विदेशों में निर्यात कर रही हैं;

(ग) इन मशीनों के मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के क्या नाम हैं; और

(घ) मूल्य निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और घटिया किस्म के कलपुर्जों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) इन सिंचाई प्रणालियों को मांग बढ़ने के साथ कंपनियों की संख्या में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं और विदेशी सहयोगी के नाम से अपने उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं। स्वदेशी और आयातित उपकरणों की क्वालिटी और मूल्यों में कोई खास अंतर नहीं है।

(ख) लगभग 70 निर्माता हैं और लगभग 6 निर्माता अपने उत्पाद विदेशों को निर्यात कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने टपका सिंचाई के बारे में सभी राज्यों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिनमें प्रणाली के डिजाइन और फसल के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए राजसहायता वितरण के

प्रयोजनार्थ देय अधिकतम लागत बताई गई है। इन दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि राजसहायता के लिए पात्र होने हेतु क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए बी. आई. एस. का चिह्न होना अनिवार्य है।

पेट्रो-रसायन इकाई

1693. **श्री संदीपान थोरात:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1997 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में "रुपीज 30,000 शेर पैट्रोकेम प्लान इन लिम्बों ड्यूट सेंटर्स अपैथी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों तथा मामले के तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु उठाये जा रहे/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए पी.आर.ए. पेट्रोकेमिकल्स के. के. गोलयान, एम. के. आर. इन्डस्ट्रीज अथवा जिन्दल फेरो की ओर से कोई प्रस्ताव रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। एक रिफाइनरी तथा पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव मैसर्स एच.सी. हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रो-केमिकल्स से प्राप्त हुआ है। रिफाइनरी का प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेज दिया गया था। पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स के लिए कम्पनी से अतिरिक्त विवरण मांगे गये थे जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

सिक्किम के लिए आर्थिक पैकेज

1694. **श्री भीम प्रसाद दाहाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य को पंचवर्षीय योजनाओं में धन आबंटित करते समय सिक्किम के भौगोलिक दृष्टि से अलग होने, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और इसके कम विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इसके तीव्र विकास के लिए आर्थिक पैकेज के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) 90% अनुदान और 10% ऋण के अनुपात में केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ सिक्किम को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देते हुए इस राज्य को पंचवर्षीय योजना में धन आवंटित करते समय सरकार इसके भौगोलिक रूप से अलग-थलग होने, मूलभूत सुविधाओं के अभाव तथा अल्प विकास जैसे घटकों को उचित महत्व दे रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध शराब

1695. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध शराब के निरंतर उपयोग से बड़ी संख्या में व्यक्ति मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996 के दौरान हुई मौतों तथा वर्ष 1995 और 1994 के तुलनात्मक आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाते हुए देश में अवैध शराब के उपयोग से होने वाली मौतों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार की मौतों को रोकने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) यह राज्य सरकारों का काम है कि वह पुलिस सहित अपनी प्रवर्तन एजेन्सियों के माध्यम से सतत् और प्रभावकारी निगरानी रख करके अवैध शराब का उत्पादन रोकें। नकली शराब पीने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ऐसे शैक्षिक और आर्थिक कार्यक्रम चलाना भी निश्चित रूप से राज्यों का ही काम है, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों का सहयोग मिले।

विवरण

नकली शराब पीने से 1994 से 1996 के दौरान हुई मौतें

(राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994	1995	1996	टिप्पणी (1996 के आंकड़े निम्न महीने तक के हैं)
1.	आन्ध्र प्रदेश	107	495	398	नवम्बर*
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	सितम्बर
3.	असम	1	1	4	सितम्बर
4.	बिहार	89	59	ऊ.न.	
5.	गोवा	14	0	0	
6.	गुजरात	24	6	2	
7.	हरियाणा	8	0	42	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	16	1	4	
9.	जम्मू और कश्मीर	9	0	0	अगस्त
10.	कर्नाटक	142	0	0	दिसम्बर**
11.	केरल	4	13	5	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	148	46	33	
13.	महाराष्ट्र	149	9	86	
14.	मणिपुर	1	1	1	
15.	मेघालय	1	0	0	फरवरी
16.	मिजोरम	0	1	0	
17.	नागालैंड	0	0	0	
18.	उड़ीसा	32	7	5	जुलाई
19.	पंजाब	67	0	0	जुलाई
20.	राजस्थान	13	7	0	अक्टूबर
21.	सिक्किम	0	0	0	
22.	तमिलनाडु	59	311	277	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	66	3	4	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	3	49	29	सितम्बर
	जोड़ (राज्य)	953	1009	892	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	
27.	चंडीगढ़	5	0	0	
28.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	
29.	दमन और दीव	0	0	ऊ.न.	
30.	दिल्ली	0	5	1	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	0	0	0	
	योग (संघ शासित)	8	5	1	
	योग (अखिल भारत)	961	1014	893	

टिप्पणी: 1. 1995 और 1996 के आंकड़े अनन्तिम हैं। 2. ऊ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं है।

3. *अक्तूबर के आंकड़ों को छोड़कर। **नवम्बर के आंकड़ों को छोड़कर।

2. दमन और दीव के 1995 के आंकड़े नवम्बर तक के हैं।

उच्च शिक्षा हेतु पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करना

1696. श्री भक्त चरण दास: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ''राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम'' के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में लाभान्वित हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है और उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) इस प्रकार की सहायता प्रदान किये जाने हेतु लोगों का चयन करने के संबंध में क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा राज्य से कितने आवेदन प्राप्त हुए?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली पुलिस द्वारा की गयी तलाशी

1697. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल: क्या **गृह मंत्री** दिल्ली पुलिस द्वारा की गयी तलाशी के बारे में 26 नवम्बर 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्संबंधी सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तलाशी कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी तथा दंडाधिकारी को तलाशी संबंधी आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं; और

(घ) तलाशी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी और दंडाधिकारी के समक्ष तलाशी संबंधी आदेश इत्यादि के प्रति जमा न किये जाने की दशा में न्यायालय में चल रहे मुकदमें पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। अभिग्रहण ज्ञापन और निष्पक्ष साक्ष्यों को केस डायरी इत्यादि में रिकार्ड किया जाता है, जिनमें से कुछ न्यायालय में हैं।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के अंतर्गत दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में तलाशी लेने के लिए पुलिस उप-निरीक्षक के रैंक से कम का पुलिस अधिकारी अधिकृत नहीं है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 166(4) के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारी ने, तलाशी के दौरान किये गये अभिग्रहण ज्ञापन, यदि कोई हो, की प्रतिलिपि के साथ तलाशी का नोटिस, उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजना अपेक्षित है, जिसके क्षेत्र में तलाशी ली गयी है। इसके अलावा उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह तलाशी लेने के कारणों/परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ, अभिग्रहण ज्ञापन की एक प्रतिलिपि नजदीकी मजिस्ट्रेट को भेजे जिसे अपराध को संज्ञान में लेने की शक्तियां मिली हों।

(घ) यह ऐसा मामला है जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर निर्णय किया जाता है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने 1985 में निर्णय दिया था कि तलाशी की अवैधता से, तलाशी के अनुसार की गयी जब्ती भी गैर-कानूनी नहीं होगी कि अभियुक्त अपनी सम्पत्ति की वापसी के लिए दावा पेश कर सके। हालांकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता के संगत उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की तलाशी अवैध हो सकती है, लेकिन यह ऐसे साक्ष्य की प्रभावकारिता को बेअसर नहीं करेगा जिसे तलाशी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

गन्ना अनुसंधान हेतु धन

1698. श्री डी. पी. यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने के अनुसंधान और विकास हेतु आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग क्रमश: अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान प्रायोजना तथा गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों के स्थिर विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए उत्तर प्रदेश को अनुसंधान तथा विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान प्रायोजना के जरिए सहायता

(1996-97)

क्र सं.	केन्द्र का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन (रु. लाख में)
(1)	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद	3.86
(2)	पन्तनगर	गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	3.11

2. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के जरिए सहायता (1996-97)

(रु. लाख में)

कुल आवंटन	:	918.03
राज्य का अंश	:	197.13
केन्द्र का अंश	:	720.9

[अनुवाद]

अशांति फैलाने के लिए षडयंत्र

1699. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री संतोष मोहन देव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आर. डी. एक्स. विस्फोटक बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशांति फैलाने के किसी षडयंत्र का भण्डा फोड़ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गणतंत्र दिवस पर अशांति फैलाने की कितनी वारदातें हुई हैं; और

(च) उग्रवादियों की मंशा पर रोक लगाने हेतु किस हद तक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान आर. डी. एक्स. शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटकों की बरामदगी दर्शाने वाले विवरण I, II और III संलग्न हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचना से संकेत मिले हैं कि राष्ट्रविरोधी तत्व गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के प्रयास कर सकते हैं।

(ङ) गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी।

(च) राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों की सतर्कता बढ़ाने तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों के नापाक इरादों को विफल करने के लिए समुचित उपाय करने के संबंध में उचित रूप से सतर्क कर दिया गया था।

विवरण I

आर.डी.एक्स. हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों की बरामदगी दर्शाने वाला विवरण

1994

क्र.सं.	राज्य	आर.डी.एक्स. (कि.ग्रा.)	विस्फोटक (कि.ग्रा.)	हथियार	गोला-बारूद
1.	दिल्ली	–	–	11	71
2.	जे. एण्ड के.	5	1508	1615	74255
3.	गुजरात	–	–	–	–
4.	हरियाणा	–	–	–	–
5.	पंजाब	25.5	–	186	811
6.	राजस्थान	–	–	–	–
7.	मध्य प्रदेश	–	–	2	–
8.	महाराष्ट्र	–	–	4	547
9.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	30	143
10.	पूर्वोत्तर	–	–	402	2490

टिप्पणी: 1994 के दौरान बरामद किए गए विस्फोटकों के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। पूरे देश से 647 पैकेट/बंडल/बक्से, 1,56,655 नग तथा 2813 कि.ग्रा. विस्फोटक बरामद किया गया।

विवरण II

आर.डी.एक्स, हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों की बरामदगी दर्शाने वाला विवरण

1995

क्र.सं.	राज्य	आर.डी.एक्स. (कि.ग्रा.)	विस्फोटक (कि.ग्रा.)	हथियार	गोला-बारूद
1.	दिल्ली	1	5 (नग) 1.3 (कि.ग्रा.)	118	539
2.	जम्मू और कश्मीर	9	1689	3158	52995
3.	गुजरात	10 (पैकेट)	1978 (नग) 23 (कि.ग्रा.)	109	2795
4. और 5.	पंजाब/हरियाणा	720	75334 (नग) 136 (कि.ग्रा.) 6 (पैकेट)	350	7728
6.	राजस्थान	–	6 (नग)	1154	2547
7.	मध्य प्रदेश	–	190 (कि.ग्रा.) 31 (नग)	248	7625
8.	महाराष्ट्र	–	60 (बक्से) 82 (कि.ग्रा.) 436 (नग)	26	557
9.	आन्ध्र प्रदेश	–	169 (पैकेट) 3750 (नग) 586 (कि.ग्रा.)	953	862
10.	पूर्वोत्तर	–	271 (नग)	1881	7576
11.	तमिलनाडु/केरल	–	97 (पैकेट) 25415 (नग) 10220 (कि.ग्रा.)	10	359
12.	उड़ीसा	–	204 (नग) 612 (कि.ग्रा.) 2 (पैकेट)	21	9
13.	कर्नाटक	–	4709 (नग) 32 (बक्से) 29.5 (कि.ग्रा.)	18	64
14.	पश्चिम बंगाल	–	378 (नग)	3497	24874
15.	बिहार	–	631 (नग)	297	2797
16.	असम	–	913 (नग) 5 (बण्डल)	238	1641
17.	उत्तर प्रदेश	–	435 (नग)	5691	10904
18.	हिमाचल प्रदेश	–	2203 (नग) 150 (कि.ग्रा.)	–	–

नोट: **संख्या**, डेटोनटर्स, पेंसिल बम, हथगोले, टाइमर पेंसिल, रिलीज यंत्र इत्यादि, जिसका वजन ज्ञात नहीं है, का संकेत करती है।
पैकेट, गिलेटिन स्टिक के पैकट, सुरक्षा फ्यूज इत्यादि का संकेत करता है।

विवरण III

आर.डी.एक्स., हथियार, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों की बरामदगी दर्शाने वाला विवरण

1996

क्र.सं.	राज्य	आर.डी.एक्स. (कि.ग्रा.)	विस्फोटक (कि.ग्रा.)	हथियार	गोला-बारूद
1.	दिल्ली	4	–	157	343
2.	जम्मू और कश्मीर	150	3549	9038	192831
3.	गुजरात	2 (पैकेट)	1044 (नग) 36 (बक्से)	298	6248
4.	पंजाब/हरियाणा	99 (कि.ग्रा.)	99 (नग) 100 (कि.ग्रा.)	137	4083
5.	राजस्थान	–	1 (नग) 5 (कि.ग्रा.) 68 (बक्से)	109	644
6.	मध्य प्रदेश	–	130 (नग)	75	196
7.	महाराष्ट्र	–	53 (बक्से) 1 (कि.ग्रा.) 4362 (नग)	17	1672
8.	आन्ध्र प्रदेश		679 (नग) 1.6 (कि.ग्रा.)	120	1396
9.	उत्तर-पूर्व	–	16 (नग)	597	2063
10.	तमिलनाडु /केरल	–	–	64	107
11.	उड़ीसा	–	426 (बक्से) 100 (कि.ग्रा.) 469 (नग)	34	118
12.	कर्नाटक	–	25 (नग) 1 (कि.ग्रा.)	12	1415
13.	पश्चिम बंगाल	–	182 (नग) 21 (बंडल)	281	288
14.	बिहार	–	21 (नग) 8 (बक्से) 100 (कि.ग्रा.)	188	749
15.	असम	–	276 (नग) 1 (कि.ग्रा.)	248	3148
16.	उत्तर प्रदेश	–	277 (नग) 8 (बक्से)	4406	9394
17.	हिमाचल प्रदेश	–	248 (नग) 1488 (कि.ग्रा.)	5	14

नोट: संख्या, डेटोनटर्स, पेंसिल बम, हथगोले, टाइमर पेंसिल, रिलीज यंत्र इत्यादि, जिनका वजन ज्ञात नहीं है, का संकेत करती है।

पैकेट, गिलेटिन स्टिक के पैकट, सुरक्षा फ्यूज इत्यादि का संकेत करता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

1700. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर आगरा में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं की संख्या क्या है; और

(ख) प्रदेश में वर्ष 1994 से 1995-96 के दौरान जहां विश्व खाद्य कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उनके नाम क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दो परियोजनाएं हैं:

1. परियोजना 2206.06 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को सहायता।

2. परियोजना 2751, उत्तर प्रदेश में पनधारा विकास एवं वनरोपण।

आगरा जिला उक्त में से किसी भी परियोजना में शामिल नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश में विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता प्राप्त दो परियोजनाओं में शामिल जिलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	शामिल जिले
परियोजना 2206.06 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को सहायता	सुल्तानपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बलिया
परियोजना 2751 उत्तर-प्रदेश में पनधारा विकास तथा वनरोपण	पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खिरी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद और सोनभद्र

यूरिया पर राजसहायता

1701. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यूरिया पर राजसहायता बढ़ाये जाने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) सचिवों की समिति की सिफारिशों के संदर्भ में इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है; और

(ग) उर्वरक के मूल्य-निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की प्रतिक्रिया क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह और जातीय दंगे

1702. **श्री शिवराज सिंह:**
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:
श्री केशव महन्त:
डा. अरुण कुमार शर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में उग्रवादी गतिविधियों और जातीय दंगों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्रोहात्मक और जातीय दंगों में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा कार्मिकों की संख्या क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में अलग-अलग कोटि का उग्रवाद और आतंकवाद है। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी गतिविधियों में कोई बढ़ोत्तरी हुई है। असम में बोडो उग्रवादियों की गतिविधियां, मणिपुर एवं नागालैण्ड में कुकी-नागा जातीय संघर्ष तथा त्रिपुरा में आदिवासी गैर-आदिवासी संघर्ष चिंता के विषय हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान 14 फरवरी, 1997 तक असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड के विद्रोहग्रस्त राज्यों में 132 सिविलियन और सुरक्षा बलों/पुलिस के 20 कार्मिक मारे गए।

(घ) ऐसी हिंसा को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों तथा सेना की अतिरिक्त यूनिटों की तैनाती, आसूचना का उन्नत समन्वय एवं आदान-प्रदान, इंडिया रिजर्व बटालियनों की संस्वीकृति, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, विशेष केन्द्रीय सहायता की संस्वीकृति, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाना और बड़े विद्रोही ग्रुपों को विधिविरुद्ध संगठन के रूप में अधिसूचित किया जाना। स्थिति पर नजर भी रखी जाती है और उचित निर्णय लेने हेतु समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है।

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति

1703. **श्री सोहन वीर:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या सरकार राज्य के दलितों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों के लिए जो गरीबी की रेखा के दोगुना से नीचे हैं, छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(रुपए लाख में)

वर्ष	वितरित धनराशि
1993-94	शून्य
1994-95	शून्य
1995-96	15.89

(ख) जी, हां। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों अर्थात् चमड़ा उतारने तथा चमड़ा रंगने के पारंपरिक कार्य से जुड़े सफाई कर्मचारियों स्वीपरों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(रुपए लाख में)

वर्ष	पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त	
	मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं कक्षा से आगे	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक छात्रों के लिए तीसरी कक्षा से दसवीं कक्षा तक होस्टल वासियों के लिए
1993-94	360.00	80.33175
1994-95	386.9588	166.3125
1995-96	1669.82	68.13497

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री

1704. **जस्टिस गुमान मल लोढा:**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:
श्री सुरेन्द्र यादव:
डा. महादीपक सिंह शाक्य:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और खुले बाजार में बिक्री हेतु खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तथा खुले बाजार में गेहूं और चावल की राज्यवार कितनी मात्रा में बिक्री की गई;

(ग) इन वस्तुओं के अधिकतम और न्यूनतम बिक्री मूल्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री के समय ग्राहकों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) 1993-94 से 1996-97 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बेचे गए गेहूं और चावल की राज्यवार मात्रा दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं:

गेहूं रुपए प्रति क्विंटल

निम्न तारीख से प्रभावी	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
11.1.93	330.00
1.2.94 (अगले आदेशों तक)	402.00

चावल

निम्न तारीख से प्रभावी	साधारण	बढ़िया	उत्तम
11.1.93	437.00	497.00	518.00
1.2.94* (*अगले आदेश तक)	537.00	617.00	648.00

गेहूं और चावल की खुली बिक्री के राज्यवार मूल्यों को बताने वाले विवरण III और IV संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) बिक्री की शर्तें समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री कुछ शर्तों के अधीन की जाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) खरीददारों/संस्था (एस्टेब्लिशमेंट) की पहचान।

(2) राज्य सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित की गई दरों पर गेहूं/गेहूं उत्पादों की बिक्री करने के लिए खरीददारों द्वारा शपथ-पत्र।

(3) खरीददारों के लिए अधिकतम सीमा।

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानदण्डों के अनुरूप चावल जारी करना।

विवरण I

अप्रैल, 93 से मार्च, 94 (अनंतिम) (वित्तीय वर्षवार) के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन और उठान दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2282.50	2172.70	172.60	117.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	124.20	87.40	7.20	6.40
3.	असम	510.80	397.30	260.00	247.10
4.	बिहार	299.20	85.30	725.20	430.40
5.	दिल्ली	240.00	142.30	864.00	568.80
6.	गोआ	54.00	39.80	37.20	22.90
7.	गुजरात	414.00	239.00	642.00	308.30
8.	हरियाणा	36.00	15.90	141.90	74.10
9.	हिमाचल प्रदेश	80.60	77.10	121.00	107.60
10.	ज. और क.	434.40	149.40	240.00	124.10
11.	कर्नाटक	828.50	590.30	295.00	250.50
12.	केरल	1825.00	1579.40	350.00	315.50
13.	मध्य प्रदेश	490.80	190.80	492.00	247.30

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	858.00	577.70	980.00	528.80
15.	मणिपुर	120.00	49.60	34.40	24.40
16.	मेघालय	126.00	122.50	32.00	29.60
17.	मिजोरम	103.20	92.40	16.80	16.30
18.	नागालैण्ड	112.60	95.00	40.50	33.20
19.	उड़ीसा	464.40	185.60	270.00	221.00
20.	पंजाब	18.00	5.20	240.00	12.80
21.	राजस्थान	84.60	18.10	1140.00	577.30
22.	सिक्किम	54.00	44.70	7.20	6.30
23.	तमिलनाडु	878.80	856.20	245.00	235.70
24.	त्रिपुरा	194.40	147.10	21.60	13.90
25.	उत्तर प्रदेश	535.60	228.70	972.60	405.90
26.	पश्चिम बंगाल	987.20	528.90	992.00	821.80
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप	30.00	0.00	12.00	0.00
28.	चण्डीगढ़	3.00	2.50	21.00	10.90
29.	दादर और नगर हवेली	6.00	1.10	2.40	0.00
30.	दमन और दीव	8.00	1.10	1.80	0.40
31.	लक्षद्वीप	8.30	3.10	0.50	0.10
32.	पांडिचेरी	24.00	3.10	9.00	नग.
	जोड़	12218.70	8735.30	9368.10	5764.40

अप्रैल, 94 से मार्च, 95 (अनंतिम) (वित्तीय वर्ष-वार) के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन और उठान बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2230.00	2198.80	180.00	110.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	90.70	82.70	15.20	13.60
3.	असम	465.80	310.50	310.00	277.30
4.	बिहार	372.00	39.70	714.00	222.30
5.	दिल्ली	240.00	53.90	936.00	205.00
6.	गोआ	63.00	39.50	40.30	17.30
7.	गुजरात	414.00	187.50	842.00	379.00
8.	हरियाणा	36.00	6.20	151.80	31.00
9.	हिमाचल प्रदेश	108.00	38.80	136.00	117.00
10.	जम्मू और कश्मीर	520.20	154.50	350.00	110.10
11.	कर्नाटक	1307.34	678.00	360.00	262.40
12.	केरल	1800.00	1118.10	445.00	386.80
13.	मध्य प्रदेश	559.74	162.20	560.94	142.80
14.	महाराष्ट्र	858.00	284.40	980.00	463.50
15.	मणिपुर	120.00	30.70	32.40	13.20

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	136.00	113.80	25.00	24.40
17.	मिजोरम	100.00	79.80	19.50	16.80
18.	नागालैण्ड	84.00	75.90	70.00	59.30
19.	उड़ीसा	543.60	192.40	415.00	182.20
20.	पंजाब	17.25	1.30	210.00	1.50
21.	राजस्थान	46.00	14.40	1443.69	528.50
22.	सिक्किम	56.10	31.80	10.00	8.30
23.	तमिलनाडु	1200.00	1224.30	300.00	155.10
24.	त्रिपुरा	194.40	125.80	21.60	8.00
25.	उत्तर प्रदेश	549.60	205.20	1185.60	207.80
26.	पश्चिम बंगाल	932.40	434.40	1035.00	751.70
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31.25	0.00	8.40	0.00
28.	चण्डीगढ़	3.60	0.80	21.80	0.70
29.	दादर और नगर हवेली	8.00	0.00	2.40	0.00
30.	दमन और दीव	8.00	2.10	1.80	0.10
31.	लक्षद्वीप	6.30	0.70	0.50	0.10
32.	पांडिचेरी	24.00	3.00	9.00	0.00
	जोड़	13121.28	7897.20	10612.73	4696.40

अप्रैल, 95 से मार्च, 96 (अनंतिम) के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन और उठान दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2620.00	2159.10	192.00	102.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.60	90.60	7.20	5.40
3.	असम	568.00	434.50	360.00	351.70
4.	बिहार	381.60	23.50	705.60	227.30
5.	दिल्ली	240.00	26.50	840.00	153.20
6.	गोआ	78.00	44.80	42.40	23.40
7.	गुजरात	409.00	208.00	835.50	425.00
8.	हरियाणा	53.56	8.40	209.48	62.40
9.	हिमाचल प्रदेश	131.00	45.20	144.00	98.20
10.	जम्मू और कश्मीर	528.00	271.70	380.00	115.90
11.	कर्नाटक	1443.12	942.90	380.00	219.50
12.	केरल	1800.00	1170.60	585.00	557.40
13.	मध्य प्रदेश	580.16	204.60	583.92	136.60
14.	महाराष्ट्र	858.00	359.70	1100.00	610.50
15.	मणिपुर	120.00	32.90	32.40	28.20

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	172.00	164.40	28.00	27.70
17.	मिजोरम	90.00	93.70	24.00	23.30
18.	नागालैण्ड	72.50	71.00	18.20	21.60
19.	उड़ीसा	790.00	365.70	420.00	238.50
20.	पंजाब	16.65	2.00	155.00	8.00
21.	राजस्थान	52.00	8.70	1453.92	458.20
22.	सिक्किम	57.60	43.10	12.30	9.90
23.	तमिलनाडु	1590.00	1745.10	310.00	174.20
24.	त्रिपुरा	194.40	148.70	21.60	9.60
25.	उत्तर प्रदेश	549.60	209.50	1185.60	225.70
26.	पश्चिम बंगाल	856.00	447.10	1098.60	842.30
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	0.00	9.00	0.00
28.	चण्डीगढ़	3.60	1.10	21.00	1.00
29.	दादर और नगर हवेली	6.00	1.60	2.75	0.70
30.	दमन और दीव	8.70	0.90	2.15	0.20
31.	लक्षद्वीप	8.30	4.70	0.50	नग.
32.	पांडिचेरी	24.00	2.00	9.00	नग.
	जोड़	14430.39	9332.90	11129.72	5159.40

1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में गेहूं और चावल के आवंटन और उठान बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	180.00	103.00	2520.00	1658.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.20	4.90	109.20	81.70
3.	असम	355.50	270.40	630.70	427.10
4.	बिहार	697.50	351.60	389.60	26.00
5.	दिल्ली	700.00	442.40	240.00	90.20
6.	गोआ	37.20	27.20	90.00	49.00
7.	गुजरात	693.50	515.30	376.00	220.40
8.	हरियाणा	208.16	97.20	52.00	18.50
9.	हिमाचल प्रदेश	140.00	95.00	122.80	72.40
10.	जम्मू और कश्मीर	360.00	111.40	528.00	308.10
11.	कर्नाटक	356.00	235.90	1453.12	914.40
12.	केरल	572.50	453.00	1847.00	1259.70
13.	मध्य प्रदेश	605.62	341.40	598.68	249.50
14.	महाराष्ट्र	1010.00	704.60	858.00	456.10
15.	मणिपुर	32.40	25.60	120.00	45.70

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	29.50	24.20	190.00	149.50
17.	मिजोरम	23.59	18.60	92.05	72.10
18.	नागालैण्ड	8.60	7.60	80.20	75.90
19.	उड़ीसा	451.00	331.90	1002.00	485.10
20.	पंजाब	121.00	32.80	18.00	1.20
21.	राजस्थान	1359.37	902.00	59.00	13.70
22.	सिक्किम	19.70	11.10	60.10	50.30
23.	तमिलनाडु	2137.20	185.00	1893.50	1557.20
24.	त्रिपुरा	21.60	13.30	194.40	122.00
25.	उत्तर प्रदेश	1140.40	693.50	532.20	293.40
26.	पश्चिम बंगाल	1071.00	742.70	300.00	425.30
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.00	0.09	30.00	0.60
28.	चंडीगढ़	21.60	4.90	3.60	1.80
29.	दादर और नगर हवेली	3.00	0.60	6.00	1.49
30.	दमन और दीव	2.40	0.00	7.20	0.99
31.	लक्षद्वीप	0.59	0.20	5.80	4.50
32.	पांडिचेरी	3.00	0.90	24.00	9.60
	जोड़	10524.05	6181.59	14341.65	8185.60

*जनवरी, 97 तक उठान।

विवरण II

1993-94 और इसके बाद के दौरान खुली बिक्री के अधीन बेची गई गेहूं की मात्रा

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष/माह	पंजाब	हरियाणा	उ. प्रदेश	दिल्ली	राजस्थान	हि. प्रदेश	ज. और क.	जोन का जोड़	पं. बंगाल	बिहार	उड़ीसा	जोन का जोड़	महाराष्ट्र	गुजरात	मध्य प्रदेश	जोन का जोड़	तमिलनाडु	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	जोन का जोड़	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1993-94																						
अक्टू. 93	0.14	0.11	0.39	—	—	—	—	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	0.21	0.01	0.12	0.02	0.36	1.00
नव. 93	0.71	0.65	1.82	0.09	—	0.03	0.06	3.36	0.05	0.12	0.06	0.23	0.29	0.04	0.06	0.39	0.46	0.19	0.24	0.03	0.92	4.90
दिस. 93	0.26	0.61	1.20	—	0.01	0.01	0.04	2.13	0.13	0.18	0.03	0.34	0.44	0.10	0.21	0.75	0.53	0.25	0.22	0.03	1.03	4.25
जन. 94	0.31	1.24	1.91	—	0.03	0.02	0.05	3.56	0.14	0.34	0.07	0.55	0.51	0.20	0.34	1.05	0.52	0.28	0.24	0.01	1.05	6.21
फर. 94	0.32	1.81	2.27	0.04	0.05	0.02	0.07	4.58	0.28	0.67	0.08	1.03	0.54	0.21	0.45	1.20	0.50	0.19	0.32	0.04	1.05	7.36
मार्च 94	0.26	0.99	0.96	—	0.01	0.02	0.04	2.28	0.11	0.34	0.04	0.49	0.37	0.10	0.13	0.60	0.51	0.18	0.24	0.04	0.97	4.34
जोड़	2.00	5.41	8.55	0.13	0.10	0.10	0.26	16.55	0.71	1.85	0.28	2.64	2.15	0.65	1.19	3.99	2.73	1.10	1.38	0.17	5.38	28.56
1994-95																						
अप्रै. 94	0.11	0.18	0.13	—	—	नग.	0.06	0.48	0.12	0.08	0.09	0.29	0.31	0.08	0.05	0.44	0.43	0.11	0.27	0.08	0.89	2.10
मई 94	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	0.04	0.05	0.04	0.01	—	0.05	0.37	नग.	0.22	0.01	0.50	0.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
जून 94	0.07	0.04	—	—	—	0.01	—	0.12	0.02	0.01	0.11	0.14	0.15	0.01	0.01	0.17	0.47	0.05	0.28	नग.	0.80	1.23
जुलाई 94	0.04	0.14	—	—	—	0.01	0.03	0.22	0.05	0.03	0.14	0.22	0.31	0.04	0.13	0.48	0.50	0.08	0.39	0.05	1.02	1.94
अग. 94	0.02	0.05	—	—	—	नग.	0.01	0.08	0.06	0.08	0.14	0.28	0.39	0.03	0.15	0.57	0.60	0.13	0.36	0.07	1.16	2.09
सित. 94	—	0.05	0.01	—	—	नग.	0.02	0.08	0.08	0.09	0.15	0.32	0.43	0.03	0.10	0.56	0.55	0.15	0.38	0.06	1.14	2.10
अक्टू. 94	0.14	0.25	0.14	—	—	0.01	0.03	0.57	0.11	0.07	0.14	0.32	0.24	0.04	0.03	0.31	0.56	0.17	0.31	0.06	1.10	2.30
नव. 94	0.37	0.86	0.74	0.05	नग.	0.01	0.06	2.09	0.07	0.30	0.10	0.47	0.50	0.18	0.26	0.94	0.51	0.25	0.36	0.09	1.21	4.71
दिस. 94	0.42	1.07	1.31	0.23	0.01	0.02	0.02	3.08	0.14	0.35	0.12	0.51	0.78	0.36	0.67	1.71	0.56	0.27	0.42	0.08	1.33	6.73
जन. 95	0.83	1.57	1.83	0.18	0.15	0.04	0.09	4.69	0.25	0.62	0.13	1.00	0.98	0.47	1.59	3.04	0.57	0.30	0.50	0.08	1.45	10.18
फर. 95	0.59	1.70	1.39	0.29	0.20	0.03	0.04	4.24	0.01	0.62	0.15	0.78	0.64	0.51	1.02	2.17	0.62	0.25	0.57	0.12	1.56	8.75
मार्च 95	0.67	1.27	1.17	0.51	0.04	0.04	0.12	3.82	0.28	0.54	0.17	0.99	0.54	0.41	0.46	1.41	0.51	0.35	0.30	0.08	1.24	7.46
जोड़	3.25	7.18	6.72	1.26	0.40	0.17	0.48	19.46	1.20	2.79	1.48	5.47	5.32	2.07	4.47	11.86	6.25	2.11	4.36	0.78	13.50	50.29
1995-96																						
अप्रैल 95	0.30	0.33	0.19	0.10	नग.	0.02	—	0.94	0.08	0.18	0.16	0.42	0.42	0.11	0.08	0.61	0.20	0.35	0.06	0.17	0.79	2.76
मई 95	0.01	0.01	नग.	—	—	—	0.04	0.06	0.06	0.01	0.13	0.20	0.29	0.03	0.02	0.34	0.21	0.14	0.28	0.05	0.68	1.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
जून 95	0.07	0.07	—	नग.	—	—	—	0.14	0.09	0.05	0.14	0.28	0.73	0.01	0.07	0.82	0.26	0.07	0.24	0.02	0.59	1.83
जुलाई 95	0.11	0.24	—	0.03	—	0.01	—	0.39	0.22	0.22	0.22	0.66	1.24	0.08	0.57	1.89	—	0.37	0.28	—	0.65	3.59
अग. 95	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	0.02	0.09	0.06	0.01	—	0.07	—	—	—	—	—	0.16
सित. 95	0.31	0.96	0.74	0.33	—	0.03	—	2.37	0.30	0.48	0.33	1.11	1.31	0.35	0.94	2.60	0.23	0.29	0.16	0.13	0.82	6.88
अक्तू. 95	0.42	0.89	0.49	0.22	—	0.02	—	2.04	0.26	0.36	0.16	0.78	0.61	0.43	0.48	1.51	0.49	0.20	—	0.11	0.80	5.12
नव. 95	0.79	1.82	1.05	0.03	—	नग.	0.03	3.72	0.03	0.57	0.18	0.78	0.78	1.28	0.32	2.38	0.50	0.27	0.16	0.08	0.01	7.90
दिस. 95	0.82	2.21	1.48	0.23	0.05	—	—	4.79	नग.	0.70	0.16	0.86	0.73	0.79	0.98	2.50	0.70	0.12	0.55	0.09	1.46	9.60
जन. 96	2.10	2.68	1.95	0.22	0.14	0.02	—	7.11	—	0.72	0.14	0.86	0.26	0.21	1.28	1.75	0.40	0.12	0.27	0.10	0.89	10.61
फर. 96	2.03	2.62	1.21	0.18	0.17	0.03	—	6.24	0.03	0.54	0.13	0.70	0.25	0.38	0.56	1.19	0.40	0.24	0.23	0.08	0.95	9.09
मार्च 96	0.73	1.00	1.47	0.09	0.05	0.01	0.06	3.42	0.01	0.18	0.11	0.30	0.12	0.31	0.19	0.62	—	0.20	—	—	0.20	4.55
जोड़	7.69	12.84	8.58	1.44	0.41	0.14	0.13	31.22	1.14	4.02	1.88	7.04	6.80	4.00	5.49	16.29	3.39	2.37	2.24	0.83	8.83	63.38

नग. = नगण्य

अप्रैल, 96 से फरवरी 97 के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन आवंटित और बेची गई गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में) (अनंतिम)

क्षेत्र	पहली तिमाही		दूसरी तिमाही		आवंटन	बेच गई	आवंटन	बेची गई	आवंटन	बेची गई	पंजाब योजना		आवंटन	बेची गई	आवंटन	बेची गई	जोड़
	अप्रैल 96 आवंटित मात्रा	जून 96 बेची गई मात्रा	जुलाई 96 आवंटित मात्रा	सितम्बर 96 बेची गई मात्रा	अक्तू. 96	मात्रा अक्तू. 96	नवम्बर	मात्रा नवम्बर 96	दिस. 96	मात्रा दिस. 96	प्राप्त अनुरोध	बेची गई मात्रा	जन. 97	मात्रा	फर. 97	मात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पंजाब	69	47.11	115	113.87	25	25.00	55	52.34	60	57.80	154.01	101.60	60	30.00	40	—	427.72
हरियाणा	165	89.47	75	115.10	25	31.10	35	37.71	50	40.63	40.02	30.31	50	4.45	40	—	348.77
उ.प्र.	111	14.38	105	32.16	50	50.00	55	42.52	60	60.00	198.57	159.84	60	—	40	—	358.90
दिल्ली	21	18.07	27	26.46	15	13.92	20	16.51	36	15.81	108.58	71.96	36	10.43	30	—	173.16
राजस्थान	9	3.86	130	116.88	30	15.87	30	30.00	30	28.95	33.68	20.13	30	33.08	30	15.60	264.37
हि.प्र.	3	1.50	12	11.90	6	6.00	8	8.00	10	5.00	5.88	13.91	10	1.05	8	4.40	51.76
जम्मू और कश्मीर	3	5.15	28	28.00	10	10.00	12	12.00	10	10.00	8.02	6.18	10	3.00	10	—	74.34
जोड़	381	179.55	492	444.37	161	151.89	215	199.08	256	218.19	548.76	403.93	256	82.01	198	20.00	1699.02
प. बंगाल	18	14.24	70	22.43	25	24.92	30	29.30	32	—	32.53	26.82	32	—	35	—	117.71
बिहार	57	44.18	70	39.92	50	20.36	50	49.98	50	33.80	66.57	54.25	50	—	40	—	242.49
उड़ीसा	24	23.05	60	39.52	25	18.54	30	24.23	30	29.30	0.20	0.20	30	29.20	30	—	164.04
जोड़	99	81.47	200	101.87	100	63.82	110	103.51	112	63.10	99.40	81.27	112	29.20	105	—	524.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
महाराष्ट्र	102	24.92	120	36.53	35	32.53	40	37.64	61	56.16	107.40	76.78	61	57.16	60	29.27	351.04
गुजरात	63	53.29	45	43.52	30	29.21	35	34.51	55	54.89	34.29	23.22	55	32.94	55	—	271.58
म.प्र.	81	47.87	70	56.19	30	28.67	35	34.83	35	31.51	52.50	31.68	35	20.35	35	—	251.10
जोड़	246	126.08	235	136.29	95	90.41	110	106.98	151	142.56	194.19	131.68	151	82.32	150	29.27	873.72
तमिलनाडु	66	33.39	50	47.74	10	10.00	17	9.99	32	29.77	17.74	9.72	32	—	35	—	140.61
आं.प्र.	24	13.20	45	44.59	10	9.36	16	14.95	27	18.57	13.82	12.74	27	8.39	30	—	122.30
कर्नाटक	27	20.90	65	41.24	10	9.36	15	14.82	30	27.32	20.33	17.38	30	13.13	35	—	145.15
केरल	12	—	30	23.74	10	8.79	15	14.33	20	19.58	5.81	4.92	20	2.90	20	—	74.36
जोड़	129	67.49	190	157.31	40	38.51	62	54.09	109	95.84	57.70	44.76	109	24.42	120	—	482.42
उत्तर-पूर्वी सीमांत	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.50	—	0.48	2.50	—	4	—	2.08
असम	—	—	—	—	2	—	2.00	1.93	3.2	1.90	15.18	11.54	2.00	—	3	—	15.37
जोड़	—	—	—	—	2	—	2.00	1.93	5.7	4.40	15.18	12.02	4.50	—	7	—	18.35
वि.खा.का.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.85
देश का जोड़	855	454.69	1117	839.84	393	344.63	499	465.59	633.7	524.09	915.23	873.66	632.50	246.08	580	49.27	3632.60

1993-94 और इसके बाद के दौरान खुली बिक्री के अधीन बेची गई चावल की मात्रा

(आंकड़े हजार टन में)

माह	पंजाब	हरियाणा	दिल्ली	उ.प्र.	राजस्थान	जे.एण्डके.	जोन का जोड़	पं. बंगाल	बिहार	उड़ीसा	जोन का जोड़	महाराष्ट्र	गुजरात	म.प्र.	जोन का जोड़	तमिलनाडु	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	जोन का जोड़	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1993-94																					
जन. 94	—	1.3	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	नग.	नग.	—	—	—	—	—	1.3
फर. 94	1.5	2.7	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	3.0	1.3	0.5	4.8	—	—	—	—	—	9.0
मार्च 94	0.1	0.9	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.4	0.6	0.7	5.7	—	—	—	—	—	6.7
जोड़	1.6	4.9	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	7.4	1.9	1.2	10.5	—	—	—	—	—	17.0
1994-95																					
अप्रैल 94	—	1.3	—	नग.	नग.	—	1.3	—	—	—	—	6.5	1.4	4.0	11.9	—	—	—	—	—	13.2
मई 94	0.4	3.1	—	नग.	0.3	—	3.8	—	—	—	—	3.7	1.2	2.0	6.9	—	—	—	—	—	10.7
जून 94	—	नग.	—	—	0.3	—	0.3	—	—	—	—	9.5	2.2	3.4	15.1	—	1.9	नग.	नग.	1.9	17.3
जुलाई 94	0.5	1.9	—	0.1	—	—	2.5	0.2	नग.	—	0.2	9.9	2.2	5.5	17.6	नग.	0.5	1.3	नग.	1.8	22.1
अग. 94	8.7	6.4	—	0.7	—	—	15.8	0.4	0.1	—	0.5	10.3	2.4	3.5	16.2	नग.	2.9	6.2	0.3	9.4	41.9
सित. 94	5.5	1.9	—	0.7	—	—	8.1	0.9	0.1	—	1.0	18.5	3.5	3.0	25.0	—	7.1	8.2	0.4	15.7	49.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
अक्. 94	0.2	0.2	—	—	—	—	0.4	1.0	0.1	—	1.1	1.0	1.3	1.0	3.3	—	नग.	1.0	नग.	1.0	5.8
नव. 94	2.5	0.4	0.4	0.1	—	—	3.4	1.3	नग.	—	1.3	12.9	2.0	3.8	18.7	0.4	2.0	2.3	0.2	4.9	20.3
दिस. 94	1.3	0.3	0.1	0.1	—	—	1.8	0.4	नग.	—	0.4	24.2	3.3	4.6	32.1	2.5	2.8	2.5	0.1	7.9	42.2
जन. 95	0.5	—	4.3	—	—	—	4.8	2.2	0.1	—	2.3	28.5	6.1	3.8	38.4	1.4	15.0	3.2	0.2	20.8	66.1
फर. 95	4.7	—	4.5	—	—	—	9.2	0.1	0.4	—	0.5	33.2	12.4	3.6	49.2	2.1	15.0	5.2	0.5	22.8	81.7
मार्च 95	0.4	—	2.1	—	—	—	2.5	2.6	0.2	—	2.8	23.9	24.5	2.7	51.1	17.2	6.0	0.2	0.1	23.5	79.9
जोड़	24.7	15.5	11.4	1.9	0.6	—	54.1	9.1	1.0	—	10.1	182.1	62.56	40.9	285.5	23.6	48.7	30.1	1.8	104.2	453.9
1995-96																					
अप्रैल 95	—	0.01	0.04	0.3	—	—	0.8	—	0.4	—	0.4	36.2	19.1	3.3	58.6	1.4	12.9	—	0.7	15.0	74.8
मई 95	—	—	—	0.1	—	—	0.1	—	0.4	—	0.4	29.6	0.9	2.2	40.7	3.0	18.8	0.4	2.4	24.6	65.8
जून 95	1.0	0.1	0.2	—	—	—	1.3	0.2	1.1	—	1.3	32.0	4.3	1.8	38.1	2.0	4.1	—	0.2	6.3	47.0
जुलाई 95	1.2	2.0	0.3	—	—	—	3.5	2.6	0.1	—	2.7	35.0	3.2	1.0	39.2	1.0	20.3	—	2.1	23.4	68.8
अग. 95	8.6	12.4	0.5	0.3	0.1	—	21.9	7.9	—	—	7.9	45.8	10.3	—	93.6	1.1	6.6	—	—	7.7	93.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
सित. 95	7.6	16.3	—	—	0.2	—	24.1	0.9	—	—	0.9	44.5	28.9	2.6	76.0	0.3	23.6	—	—	23.9	124.9
अक्तू. 95	0.1	3.7	—	—	—	—	3.8	0.5	—	1.2	1.7	39.2	15.0	1.3	55.5	0.3	12.0	—	0.1	12.4	73.4
नव. 95	0.3	0.7	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	0.4	14.9	5.6	0.7	21.2	2.0	—	—	0.5	2.5	25.1
दिस. 95	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	4.5	1.3	—	5.8	—	—	—	—	—	6.0
जन. 96	0.8	0.2	—	0.8	—	—	1.8	—	—	—	—	8.0	2.0	0.3	10.3	—	—	—	0.5	0.5	12.6
फर. 96	10.4	11.5	0.2	—	0.2	—	22.3	3.8	—	—	3.8	3.7	1.9	0.3	5.9	—	—	—	—	—	32.0
मार्च 96	6.2	0.9	1.4	0.1	—	—	8.6	—	0.1	—	0.1	1.6	2.4	—	4.0	—	—	—	0.1	0.1	12.8
जोड़	36.2	47.9	3.0	1.6	0.5	—	89.2	16.5	2.1	1.2	19.8	295.0	102.9	13.5	411.4	11.1	98.3	0.4	6.6	116.4	636.1

अप्रैल, 96 से जनवरी, 97 के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन आवंटित और बेची गई चावल की मात्रा बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में) (अनन्तिम)

क्र सं	क्षेत्र	पहली तिमाही अप्रैल, 96 से जून, 1996 बेची गई मात्रा	दूसरी तिमाही आवंटन जुलाई, 96 से सितम्बर, 96	दूसरी तिमाही जुलाई, 96 से सितम्बर, 96 बेची गई मात्रा	अक्तूबर, 96 का आवंटन	अक्तूबर, 96 में बेची गई मात्रा	नवम्बर, 96 का आवंटन	नवम्बर, 96 में बेची गई मात्रा	दिसम्बर, 96 का आवंटन	दिसम्बर, 96 में बेची गई मात्रा	जनवरी, 97 का आवंटन	जनवरी, 97 में बेची गई मात्रा	फरवरी, 97 का आवंटन	फरवरी, 97 में बेची गई मात्रा	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	पंजाब	26.27	60.00	0.06	15.00	—	20.00	—	20.00	—	20.00	—	20.00	—	26.33
2.	हरियाणा	12.83	12.00	—	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.83
3.	उ.प्र.	24.12	45.00	4.02	15.00	0.32	26.00	—	26.00	—	26.00	—	26.00	—	28.46
4.	राजस्थान	5.23	30.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	0.10	10.00	—	5.33
5.	दिल्ली	1.89	6.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	1.89
6.	जम्मू और कश्मीर	—	6.00	—	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	70.23	159.00	4.08	64.00	0.32	58.00	—	58.00	—	58.00	0.10	58.00	—	74.84
8.	पं. बंगाल	1.05	15.00	3.19	5.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—	4.24
9.	बिहार	0.38	6.00	0.03	5.00	—	15.00	—	15.00	—	15.00	—	15.00	—	0.41
10.	उड़ीसा	—	15.00	—	5.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00	—	—
	जोड़	1.43	36.00	3.22	15.00	—	17.00	—	17.00	—	17.00	—	17.00	—	4.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	महाराष्ट्र	11.60	105.00	1.49	35.00	0.25	22.00	0.09	22.00	—	22.00	—	22.00	—	13.43
12.	गुजरात	8.94	15.00	0.79	5.00	—	21.00	—	21.00	—	21.00	—	21.00	—	9.73
13.	मध्य प्रदेश	5.37	30.00	44.25*	10.00	5.61*	15.00	9.40*	15.00	35.02	15.00	—	15.00	0.72	100.37
	जोड़	25.91	150.00	44.53	50.00	5.86	58.00	9.49	58.00	35.02	58.00	—	58.00	0.72	123.53
14.	तमिलनाडु	—	15.00	1.00	10.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	1.00
15.	आन्ध्र प्रदेश	—	30.0	—	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	कर्नाटक	—	30.00	—	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	केरल	9.86	30.00	10.46	10.00	—	15.00	1.05	15.00	2.81	15.00	—	15.00	—	24.18
	जोड़	9.86	105.00	11.46	40.00	—	17.00	1.05	17.00	2.81	17.00	—	17.00	—	25.18
18.	अन्य	—	—	—	2.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.56
	सकल जोड़	107.54	450.00	65.29	171.00	6.18	150.00	10.54	150.00	37.83	150.00	0.10	150.00	0.72	236.76

विवरण III

नवम्बर, 93 से मार्च, 95 तक प्रभावी गेहूं की खुली बिक्री बताने वाला विवरण

(दर रु. प्रति टन)

क्र. सं.	राज्य का नाम	नवम्बर, 1993	दिस., 93 और जन., 94	फरवरी और मार्च, 94	अप्रैल, 94	मई, जून, जुलाई, 94	अगस्त और सित. 94	अक्तूबर और नव. 94	दिस. 94	जन. से मार्च, 1995
1.	पंजाब/हरियाणा/उ.प्र.	3850	3850	4100	4100	4100	4150	4200	4150	4100
2.	दिल्ली	4050	4050	4250	4250	4200	4250	4300	4200	4150
3.	राजस्थान	4000	3950	4150	4150	4150	4200	4250	4200	4150
4.	जम्मू और कश्मीर**/हि.प्र.***	4000	4000	4200	4200	4200	4250	4300	4200	4150
5.	महाराष्ट्र	4450	4400	4650	4500	4500	4550	4600	4550	4500
6.	गुजरात	4300	4250	4450	4350	4350	4400	4450	4400	4350
7.	मध्य प्रदेश	4100	4000	4200 (4100*)	4100	4100	4150	4200	4150	4100
8.	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा	4400	4250	4400	4350	4350	4400	4450	4400	4350
9.	बिहार	4300	4190	4350	4300	4300	4350	4400	4350	4300
10.	तमिलनाडु	4500	4500	4750	4600	4600	4650	4700	4650	4600
11.	आन्ध्र प्रदेश	4450	4450	4700	4550	4550	4600	4650	4600	4550
12.	कर्नाटक	4550	4550	4750	4600	4600	4650	4700	4650	4600
13.	केरल	4600	4600	4800	4600	4600	4550	4700	4650	4600

*मध्य प्रदेश में खुली बिक्री के अधीन गेहूं के मूल्य 4-3-94 से 4100 रु. तक कम किये गये।

**खुली बिक्री पहली अगस्त से 27 अगस्त तक स्थगित रही।

***हिमाचल प्रदेश के संबंध में अक्तूबर, 1995 के लिए 4250 रु.।

अप्रैल, 1995 से फरवरी, 1997 तक प्रभावी गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(दर रु. प्रति टन)

राज्य का नाम	अप्रैल से जुलाई, 95	28 अगस्त से सितम्बर, 95	अक्तूबर 95	केन्द्र	नवम्बर, 95 से मार्च, 96	अप्रैल, 96 से जुलाई, 96	अगस्त, 96 से 17 सितम्बर, 96	18 सितम्बर 96 से 3 फरवरी, 97	4 फरवरी 97 से प्रभावी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	4100	4150	4150	चण्डीगढ़	4150	4410	4550	4900	4900
हरियाणा	4100	4150	4150	चण्डीगढ़	4150	4410	4550	4900	4900
दिल्ली	4150	4200	4150	दिल्ली	4150	4410	4550	4900	5000
उत्तर प्रदेश	4100	4150	4150	लखनऊ	4300	4600	4800	5150	5400
				कानपुर	4300	4600	4810	5160	5400
				वाराणसी	4360	4660	4894	5244	6000
				बरेली		4410	4550	4900	5000
राजस्थान	4150	4200	4250	जयपुर	4300	4600	4675	5115	5200
हिमाचल प्रदेश	4150	4200	4250	शिमला	4250	4550	4681	5031	5031
जम्मू और कश्मीर	4150	4200	4200	जम्मू	4200	4500	4655	5005	5200
				श्रीनगर	4200	4500	4655	5005	5300
बिहार	4300	4350	4400	पटना	4420	4720	4963	5313	6500
				रांची	4450	4750	5056	5406	7000
असम	–	–	4450	गुवाहाटी*	4450	4900	5188	5538	7500
उड़ीसा	4350	4400	4475	कटक	4500	4800	5143	5493	7400
				भुवनेश्वर	4500	4800	5149	5499	7400
पश्चिम बंगाल	4350	4400	4475	कलकत्ता	4510	4810	5091	5441	7400
				सिलीगुड़ी	4520	4820	5110	5460	7400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	4100	4150	4250	इंदौर	4350	4650	4925	5275	7200
				ग्वालियर	4280	4580	4753	5103	6000
				रायपुर	4430	4730	5066	5416	7400
गुजरात	4350	4400	4500	अहमदाबाद	4570	4870	5007	5357	7300
				सूरत	4570	4870	5016	5366	7300
महाराष्ट्र	4350	4450	4550	मुम्बई	4600	4900	5080	5430	7400
				नागपुर	4560	4860	5005	5355	7400
आन्ध्र प्रदेश	4550	4600	4600	हैदराबाद	4650	4950	5142	5492	7500
				विशाखापत्तनम	4670	4970	5223	5573	7500
कर्नाटक	4550	4600	4650	बैंगलूर	4670	4970	5280	5630	7700
				मैसूर	4690	4990	5299	5649	7700
				बेलगांव	4690	4990	5198	5548	7700
तमिलनाडु	4550	4650	4650	चैन्नई	4680	4980	5234	5584	7800
				कोयम्बटूर	4700	5000	5303	5653	7800
				मदुरै	4710	5010	5333	5683	7800
केरल	4550	4650	4700	कोचीन	4740	5040	5334	5684	7900
				त्रिवेन्द्रम	4740	5040	5365	5715	7900

अन्य केन्द्रों के डिपुओं पर की गई खुली बिक्री के मामले में, नवम्बर, 95 से नजदीकी प्रमुख केन्द्र के लिए निर्धारित दर लागू होंगी।
पत्तन कस्बों और इनके 50 कि.मी. के अन्दर आने वाले क्षेत्रों के लिए गेहूं के मूल्य 16.1.96 से 4773 रु. और 1.4.96 से जुलाई, 96 तक 5073 रु.
बरेली को अतिरिक्त केन्द्र के रूप में जोड़ा गया है जिसके लिए मूल्य 1.2.96 से 4150 रु. प्रति टन और 1-4-96 से 4410 रु.
*दिसम्बर, 1995 से 4600 रु. से बढ़ाये गये।

विवरण IV

फरवरी, 1994 से सितम्बर, 1995 तक मास के लिए निर्धारित चावल के खुली बिक्री मूल्य बताने वाला विवरण

(दर रु./प्रति टन)

क्र. सं.	राज्य का नाम	फर./मार्च/ अप्रैल 94	मई 94	जून/ जुलाई 94	अग./ सित. 94	अक्तू. 94 1.10.94 से 16.10.94 तक	17.10.94 से प्रभावी	नव./दिस. 94	जन. 95 से मार्च 1995	अप्रैल 95 से सित. 95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पंजाब	6600	6600	6550	6550	7150	7050	7050	7000	7000
2.	हरियाणा	6600	6600	6550	6550	7150	7050	7050	6950	6950
3.	उत्तर प्रदेश	6600	6600	6550	6550	7150	6800	6800	6800	6800
4.	राजस्थान	6600	6600	6550	6550	7150	6900	6900	6800	6800
5.	जम्मू और कश्मीर	6600	6600	6550	6550	7150	6900	6800	6800	6800
6.	दिल्ली	6700	6700	6600	6600	7200	6900	6900	6700	6700
7.	महाराष्ट्र	6800	6800	6700	6550	7250	6800	6800	6600	6600
8.	गुजरात	6800	6800	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600
9.	मध्य प्रदेश	6600	6600	6550	6550	7150	6700	6700	6600	6600
10.	पश्चिम बंगाल	6600	6600	6550	6550	7150	6800	6800	6600	6600
11.	बिहार	6600	6600	6550	6550	7150	6800	6800	6600	6600
12.	उड़ीसा	6600	6600	6550	6550	7150	6750	6750	6650	6650
13.	तमिलनाडु	7000	6900	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6500
14.	कर्नाटक	7000	6900	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600
15.	आन्ध्र प्रदेश	6600	6600	6550	6550	6700	6700	6700	6600	6600
16.	केरल	7100	7000	6700	6650	7250	6800	6800	6800	6800

नोट: आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बढ़िया चावल के मूल्य फरवरी 94 से मई 94 के दौरान के उत्तम चावल के मूल्य से 200 रु. प्रति टन कम थे। आन्ध्र प्रदेश में बढ़िया चावल के मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 100 रु. प्रति टन कम थे। जून 94 से सितम्बर 95 तक बढ़िया चावल के मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 300 रु. प्रति टन कम थे।

अक्तूबर 1995 से जुलाई 1996 तक मास के लिए निर्धारित चावल के खुली बिक्री मूल्य को बताने वाला विवरण

(दर रुपये/प्रति टन)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अक्तूबर, 95		नवम्बर, 1995		दिस. 95 से जून, 96 तक		जुलाई, 1996 से फरवरी, 97	
		बढ़िया	उत्तम	बढ़िया	उत्तम	बढ़िया	उत्तम*	बढ़िया	उत्तम
1.	पंजाब	6700	7000	6750	7050	7050	7350	7050	73
2.	हरियाणा	6650	6950	6780	7000	7000	7300	7000	73
3.	उत्तर प्रदेश	6500	6800	6600	6900	6900	7200	6900	72
4.	राजस्थान	6500	6800	6550	6850	7000	7150	7500	76
5.	जम्मू और कश्मीर	6500	6800	6550	6800	6680	7000	6680	70
6.	दिल्ली	6400	6700	6700	7000	6740	7060	6740	70
7.	महाराष्ट्र	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
8.	गुजरात	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
9.	मध्य प्रदेश	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
10.	पश्चिम बंगाल	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
11.	बिहार	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
12.	उड़ीसा	6350	6650	6450	6750	6630	6950	7130	74
13.	तमिलनाडु	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
14.	कर्नाटक	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
15.	आन्ध्र प्रदेश	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74
16.	केरल	6300	6600	6450	6750	6630	6950	7130	74

*पत्तन नगरों और इनके 50 कि.मी. के अंदर वाले क्षेत्रों के लिए चावल के मूल्य निर्यात मूल्य से 50 रु. प्रति टन कम होंगे।

[अनुवाद]

विकलांग विकास निगम

1705. **श्री नामदेव दिवाथे:**
श्री सनत मेहता:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग विकास निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यवार की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निगम द्वारा चालू की गई अन्य प्रमुख योजनाओं और उनके अंतर्गत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 24 जनवरी, 1997 को की गई है। निदेशक मंडल की प्रथम बैठक 24 फरवरी, 1997 को आयोजित की गई। योजनाओं, दिशा-निर्देशों आदि को तैयार करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

राज्यों के पशुपालन मंत्रियों का सम्मेलन

1706. **डा. असीम बाला:** क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के पशुपालन और डेरी मंत्रियों का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें पशुधन-क्षेत्र को विकसित करने पर जोर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्मेलन में और किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिए गए?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस सम्मेलन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय पशुधन नीति के प्रारूप और नौवीं योजना के दौरान पशुधन विकास के प्रति दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन के मुख्य निर्णय और सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

1. सम्मेलन में मुख्य रूप में राष्ट्रीय पशुधन नीति का समर्थन किया गया।
2. सम्मेलन में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्थापना की दृढ़ सिफारिश की गई।
3. सम्मेलन में देशी पशुधन की आनुवंशिक क्षमता तथा उत्पादकता स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावी वर्ण संकरण कार्यक्रमों के लिए 60,000 अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की गई।
4. सम्मेलन में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में शामिल न किए गए क्षेत्रों में एक लाख डेयरी सहकारिताएं गठित करने की सिफारिश की गई।
5. सम्मेलन में जिला मिश्रित पशुधन और प्रदर्शन केन्द्र (पशु विज्ञान केन्द्र) स्थापित करने की सिफारिश की गई।
6. सम्मेलन में नौवीं योजना के दौरान पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए अधिक आबंटन का प्रावधान करने की सिफारिश की गई।

गेहूं का समर्थन मूल्य

1707. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 में रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूं का समर्थन मूल्य 415 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है;

(ग) यह निर्णय खुले बाजार में गेहूं की खरीद में किस हद तक सहायक होगा;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में भण्डारण और परिवहन की समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष से 35 रु. प्रति कुंतल या 9.2% अधिक है।

(ग) आशा है कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा की गई वृद्धि से किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा खरीद के लिए अधिक सप्लाई कर सकेंगे।

(घ) और (ङ) सरकार ने गेहूं की खरीद तथा अन्य संबंधित समस्याओं, जैसे माल के भंडारण, संचयन, गन्नी बैग की उपलब्धता, क्रय केन्द्र खोलने आदि के संबंध में गेहूं उत्पादक राज्यों से विचार विमर्श किया है।

वक्फ की कब्रिस्तान की भूमि

1708. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर में कर्नलगंज क्षेत्र में वक्फ की कब्रगाह की भूमि पर कब्जा जमा लिया गया है तथा उस भूमि पर निर्मित 500 भवन जिनमें किराया लगाया गया था उन्हें अब भी किराएदार द्वारा खाली नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वक्फ की सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये/उठाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर्नलगंज क्षेत्र में 6 कब्रिस्तान हैं जो 251 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमणाधीन हैं। इनमें से 175 मामले न्यायालय में हैं तथा 76 मामलों को उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिक्रमित सम्पत्तियों का वापस करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु कब्रिस्तान प्रबंध समिति द्वारा सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड, लखनऊ को संदर्भित किया गया है। ये अतिक्रमण स्थायी स्वरूप के हैं।

तमिलनाडु में भ्रष्ट भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

1709. **श्री एन.एस.वी. चित्यन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में दिसम्बर, 1996 तक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्या थी;

(ख) राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध 1995 से अब तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) दिसम्बर, 1996 को तमिलनाडु में भा.पु.से. के 143 अधिकारी थे।

(ख) 1995 से भा.पु.से. के 3 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले बनाए गए।

(ग) राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की जनसंख्या

1710. **डा. बलिराम:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की प्रतिशतता क्या है;

(ख) संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनके लिए सेवाओं और राजनैतिक, आर्थिक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की तथा अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी सूची का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

साइबेरियन क्रेन

1711. **श्री वी. प्रदीप देव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष साइबेरिया से केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में कितने वन्य साइबेरियन क्रेन उड़कर आये हैं;

(ख) क्या रास्ते में उनके मारे जाने को रोकने हेतु उनके डैनों में ट्रांसमीटर (सैटेलाइट) लगाने का प्रयोग सफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) नवम्बर, 1996 में केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में तीन साइबेरियन क्रेन्स आए हैं।

(ख) जी नहीं। उनमें से एक पक्षी को प्लेटफार्म टर्मिनल ट्रांसमीटर लगाने के लिए फंसाने के प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चावल तथा गेहूं का भंडार

1712. **श्री सुरेन्द्र यादव:**
श्री नीतीश कुमार:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने चावल तथा गेहूं के अपने भंडारों को कम करने तथा खुले बाजारों में इनके मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु इनकी बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान गोदामों में गेहूं तथा चावल की कुल कितनी मात्रा थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में गेहूं तथा चावल की बिक्री की गयी; और

(घ) उनका उच्चतम तथा न्यूनतम मूल्य क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित महत्वपूर्ण आधारों पर गेहूं और चावल की खुली बिक्री करने के लिए अनुमति दी गई थी:

(1) नई वसूली के लिए अधिक आवश्यकता वाले भंडारण स्थान रिलीज करना;

(2) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे स्टाक की संभाल लागत को कम करना;

(3) खुले बाजार के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिए बाजार हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में प्रयोग करना;

(4) कुछ हद तक खाद्य सब्सिडी के बोझ को कम करना।

(ख) केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की स्टाक स्थिति दिन-प्रतिदिन आधार पर परिवर्तित होती रहती है। तथापि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर स्टाक स्थिति निम्नानुसार रही है:

आंकड़े लाख टन में (अनंतिम)

वर्ष	गेहूं	चावल	जोड़
31.3.94	69.98	135.46	205.44
31.3.95	87.20	180.82	268.02
31.3.96	81.70	139.72	221.42

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (लेखापरीक्षित आंकड़े) के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन बेची गई गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल
1993-94	28.70	0.90
1994-95	51.90	4.90
1995-96	65.10	19.70

(घ) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) में उक्त अवधि के दौरान अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार हैं:

(दस रुपए प्रति टन)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1993-94	3850	4800	6600	7100
1994-95	4100	4700	6500	7250
1995-96	4100	4700	6600	7350

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन में कमी

1713. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:**
श्री आई.डी. स्वामी:
श्री सुखलाल कुशवाहा:
श्री मंगल राम "प्रेमी":
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू मौसम के द्वितीय माह में चीनी उत्पादन 43 प्रतिशत तक कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी उत्पादन में कितनी गिरावट आई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस गिरावट का चीनी निर्यात पर विशेषकर चीनी की अनाकर्षक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) चालू 1996-97 मौसम के दूसरे महीने अर्थात् नवम्बर, 1996 के दौरान

चीनी का उत्पादन 6.79 लाख टन था जबकि नवम्बर, 1995 में यह 11.59 लाख टन था, जो 41.4% की गिरावट को दर्शाता है। 1995-96 चीनी मौसम में लम्बी अवधि तक पेराई होने के कारण 1996-97 मौसम में देर से पेराई आरम्भ करना इस गिरावट का कारण हो सकता है।

(घ) उस विशेष महीने में उत्पादन की कमी का निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद के महीनों में उत्पादन में वृद्धि हुई थी तथा चालू मौसम भी उच्च पूर्वावशिष्ट स्टॉक से आरम्भ हुआ था।

बंगलादेशी मूल के अपराधी

1714. **श्री आई.डी. स्वामी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा 1996 तथा 1997 के दौरान आज की तारीख तक होती डकैतियों आदि के मामलों में शामिल कुछ बंगलादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में रहने वाले बंगलादेश के नागरिकों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध और उन्हें उनके देश में वापिस भेजने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 1996 और 1997 (25.2.97 तक) के दौरान संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, डकैती आदि के 53 मामलों में बंगलादेश के 58 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया। इनमें से कोई भी हत्या का मामला नहीं है।

चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अवैध अप्रवासियों के समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने संबंधी मामलों से निपटा जाता है।

(ग) जबकि अवैध अप्रवासियों की पहचान करना/उन्हें स्वदेश लौटाना एक सतत् चलते रहने वाली प्रक्रिया है, फिर भी सरकार ने बंगलादेश से अवैध अप्रवासियों की रोकथाम/पता लगाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सड़कों/बाड़ का निर्माण करने, सीमा सुरक्षा बल द्वारा नदी तटीय गश्त को तेज करना तथा विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम (पी.आई.एफ.) योजनाओं को मजबूत करना शामिल है।

विवरण

वर्ष	डकैती	हत्या	जालसाजी	चोरी	शस्त्र अधिनियम	विदेशी नागरिक अधिनियम	अपहरण	लूटपाट	हत्या का प्रयास	सड़क पर असावधानी और लापरवाही से गाड़ी चलाना	जोड़
1996	–	2	5	34	3	2	1	1	1	1	50
1997 (25.2.97 तक)	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	3
जोड़	–	2	7	35	3	2	1	1	1	1	53

कर्नाटक के लिए बागवानी विकास योजना

1715. **श्री के. सी. कोंडय्या:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कोई समेकित बागवानी विकास योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि की मांग की है;

(ग) उक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) उक्त योजना कौन-कौन से स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पशुओं का अवैध शिकार

1716. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य प्राणियों का अवैध शिकार बेरोक-टोक चल रहा है जिसकी पुष्टि पशुओं की खालों, फर, बाघों की हड्डियों इत्यादि के अक्सर जब्त किए जाने से होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाचारात्मक उपाय करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) यह सत्य नहीं है कि जंगली जानवरों का अवैध रूप से शिकार अबाध रूप से हो रहा है, यद्यपि देश में कुछ जंगली जानवरों का अवैध रूप से शिकार हो रहा है। सख्त निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों के कारण वन्य उत्पादों की लगातार जब्ती, बढ़ी हुई निगरानी को प्रमाणित करती है।

(ख) वन्य जीवों और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं:-

1. जंगली जानवरों के शिकार को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 से 4 में शामिल किया गया है और उस पर कानूनी रूप से निषेध लगा दिया गया है।
2. बाघों, हाथियों और गैंडों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किये जा रहे हैं।
3. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हुए 447 वन्यजीव अभयारण्य और 83 राष्ट्रीय उद्यानों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकार के निवेदन पर राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
4. सभी मुख्य प्रवर्तन संस्थानों जैसे कि सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना, सी.बी.आई., पुलिस, बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., आर.पी.एफ. और विदेश डाकघर, ट्रैफिक इंडिया और वन्यजीव प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके वन्यजीवों और उसके उत्पादों के अवैध व्यापार की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रभावशाली अन्तरविभागीय सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए इस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की है।
5. फरवरी और नवम्बर, 1996 में सभी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए वन्यजीव और अन्य संबंधित कानूनों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
6. आवश्यक समझे जाने पर प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा जब कभी भी वन्यजीवों के अवैध व्यापार की कोई सूचना प्राप्त होती है, छापे मारे जाते हैं।
7. भारत, संकटापन्न प्रजातियों के वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसके तहत संकटापन्न प्रजातियों और उनके अंगों एवं व्युत्पत्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सख्ती से विनियमित किया जाता है।
8. वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी के बारे में समाचार एकत्र करने वाले मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
9. वन्यजीव एवं वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने इन समस्याओं से निपटने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों की सिफारिश की है और कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ इसका अनुपालन किया जा रहा है।
10. देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां

1717. श्री तारीक अनवर:
श्री बनवारी लाल पुरोहित:
श्री के. पी. सिंह देव:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही:

क्या **गृह मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर की जा रही आतंकवादी गतिविधियों का मामला नेपाल सरकार के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीमा पार से चोरी छिपे की जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सुरक्षा संबंधी मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार, महामहिम की नेपाली सरकार के साथ नियमित सम्पर्क में है। अगस्त,

1996 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान उग्रवाद/आतंकवाद का मुकाबला करने के उपायों और सुरक्षा के विषय पर चर्चा की गई थी। दोनों ही पक्षों ने किसी भी देश के राज्य क्षेत्र में, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रतिकूल उग्रवादी गतिविधियां न होने देने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई यह भी निर्णय लिया गया कि अवांछनीय तत्वों की सीमा पार आवागमन को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, सीमा पार आवागमन के प्रबोधन की ज्यादा प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए भारत और नेपाल के संबंधित प्राधिकारियों के बीच नियमित विचार विनिमय होता है।

(घ) अवांछनीय तत्वों के बार-बार प्रवेश एवं निकासी पर रोक लगाने हेतु कड़ी चौकसी बरतने के लिए, सभी संबद्ध पक्षों, खासतौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में, को सावधान कर दिया गया है। किये जाने वाले कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) सीमा पर पुलिस चौकियों की संख्या और आसूचना तंत्र में वृद्धि करके और घुसपैठियों एवं उग्रवादी तत्वों को रोकने की दृष्टि से पुलिस गश्त बढ़ाने का परामर्श संबंधित राज्यों को देकर सरकार ने पाकिस्तानी आई.एस.आई. के प्रयासों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

(2) प्रवर्तन एजेंसियों से कहा गया है कि वे अति चौकसी बरतें और विभिन्न अधिनियमों में निहित उपबंधों के अधीन प्रवर्तन प्रयासों में वृद्धि करें।

(3) अधिकारियों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहनों और संचार उपस्करों की संख्या बढ़ा दी गई है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन मुखबिरों तथा प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना को उत्साह के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) केन्द्र और राज्य सरकार की समस्त प्रवर्तन एजेंसियों में फील्ड स्तरीय संपर्क सूत्र बनाए गए हैं ताकि प्रवर्तन के कार्य में अन्तर-एजेंसी सहयोग प्रदान किया जा सके।

(5) प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा और विभिन्न अवैध गतिविधियों के बारे में आसूचना के विनिमय हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर समन्वय बैठकें समय-समय पर की जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम

1718. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के विशेषकर गरीब और पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के कितने गोदाम का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसके तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उन भीतरी क्षेत्रों में 2000 मी. टन तक की क्षमता के छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए सहायता दी जाती है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टाक बनाए रखना आवश्यक होता है। यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है ताकि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लाकों में आने वाले दूर-दराज, दुर्गम/पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस स्कीम को 9वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है। 1997-98 की वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग द्वारा 12.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम और सुपर बाजार के कर्मचारियों का कार्यकाल

1719. श्री मंगल राम प्रेमी: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम और सुपर बाजार के कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम और सुपर बाजार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही नियत कार्य कर रहे हैं; और

(घ) उन्हें बारी-बारी से कार्य पर लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सूचित किया है कि पांचवें वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ केन्द्रीय सरकार में पदों के लिए लागू कार्यकाल और स्थानान्तर नीतियों के संबंध में अध्याय 25

खण्ड 3 (वाल्यूम-1) में सिफारिश की है। ये सिफारिशें भारतीय खाद्य निगम और सुपर बाज़ार के कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं हैं।

जेलों की स्थिति

1720. **श्री राम सागर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सातवें वित्त आयोग (1978) ने वह टिप्पणी की थी कि "कैदियों की देखभाल हेतु कतिपय न्यूनतम मानदण्डों का निर्धारण, उनके खान-पान और सुविधाओं में सुधार तथा कुछ हद तक जेलों की क्षमता का विस्तार किये जाने की तत्काल आवश्यकता है" परन्तु 19 वर्ष बाद भी व्यवहारिक रूप से इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है और कैदियों के रहने की स्थितियां बहुत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो जेलों की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्रवाई न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सातवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की थी कि कैदियों के रख-रखाव का एक निश्चित न्यूनतम मानदण्ड, आहार तथा सुविधाओं में सुधार, तथा एक निश्चित सीमा तक जेल क्षमता में बढ़ोत्तरी की तुरंत जरूरत है। यद्यपि जेलों में वातावरण एवं रहन-सहन की स्थितियों में सुधार की गुंजाइश है परन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि पिछले 19 सालों के दौरान इस बारे में कोई सुधार नहीं किया गया।

संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची की प्रविष्टि 4 के अधीन, "जेल" राज्य का विषय है। अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जेलों की स्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों के प्रयासों के सम्पूरण के लिए, कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन केन्द्र सरकार जेलों में रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती रही है। वित्त आयोग इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता देते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप देश की जेलों में रहन-सहन की स्थितियों में दृष्यमान सुधार हुआ है।

चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन योजना को पुनः शुरू करना

1721. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**
श्री आर. साम्बासिवा राव:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन योजना पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और पहले की योजना से यह किस तरह भिन्न है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत चीनी मिलों पर कुछ नियंत्रण लगाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे चीनी मिलों और गन्ना उत्पादकों को किस हद तक लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(च) क्या नई चीनी मिलों को आशय-पत्र जारी करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए मुक्त बिक्री के चीनी के अतिरिक्त कोटे के रूप में प्रोत्साहन देने संबंधी औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

नई प्रोत्साहन योजना 31.3.1994 के पश्चात् जारी किये गये आशय-पत्र कवर करती है। अन्य योजनाओं की तरह नई योजना के अधीन दिए जा रहे प्रोत्साहन नई और विस्तार परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त मुक्त बिक्री के कोटे के रूप में है। सामान्य मुक्त बिक्री सहित प्रोत्साहन संबंधी मुक्त बिक्री के कोटे को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित की जाएगी।

(ङ) इस योजना से नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार होगा और इसके परिणामस्वरूप दीर्घकाल में चीनी उत्पादन के लिए गन्ने का उच्चतर उपयोग भी होगा।

(च) आशय-पत्र जारी करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। परन्तु लाइसेंस देने के आवेदनों की छानबीन करने की प्रक्रिया सरल बना दिये जाने के परिणामस्वरूप इसमें तेजी आने की सम्भावना है।

विवरण

नई प्रोत्साहन योजना के अधीन मुक्त बिक्री के सामान्य कोटे सहित मुक्त बिक्री के अतिरिक्त कोटे के लाभ दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	नई		विस्तार		विस्तार	
	2500 टीसीडी		1250 टीसीडी से 2500 टीडीसी		2500 टीडीसी से 5000 टीसीडी	
	उच्च वसूली क्षेत्र	अन्य वसूली क्षेत्र	उच्च वसूली क्षेत्र	अन्य वसूली क्षेत्र	उच्च वसूली क्षेत्र	अन्य वसूली क्षेत्र
1	100	100	85	100	80	90
2	100	100	85	100	80	90
3	100	100	85	100	80	90
4	100	100	85	100	80	90
5	100	100	85	100	80	90
6		100				
7		100				
8		100				

नोट: सीमा:-

उच्च वसूली क्षेत्र के लिए 50000 टन और अन्य वसूली क्षेत्र के लिए 44000 टन

अधिक उत्पादन के संबंध में उच्च वसूली क्षेत्र के लिए 25000 टन और अन्य वसूली क्षेत्र के लिए 22000 टन

अधिक उत्पादन के संबंध में उच्च वसूली क्षेत्र के लिए 50000 टन और अन्य वसूली क्षेत्र के लिए 44000 टन

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति

1722. **श्री अन्ना साहिब एम.के. पाटिल:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक अन्वेषण और पंजीकरण (डी.जी.आई.आर.) ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा कथित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति किये जाने हेतु उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यावहारिक व्यापार आयोग के पास आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) खाद्यान्नों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु क्या नई पहल की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, हां। महानिदेशक, अन्वेषण और पंजीकरण ने इस आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यावहारिक व्यापार आयोग को एक आवेदन दिया है कि भारतीय खाद्य निगम ने केरल राज्य में उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल किया है।

महानिदेशक, अन्वेषण और पंजीकरण का आवेदन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट पर आधारित है कि भारतीय खाद्य निगम ने केरल राज्य में उच्च समूह में निम्न समूह का चावल जारी करके उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल किया है। नियंत्रक तथा

महालेखापरीक्षक ने आरोप लगाया है कि भारतीय खाद्य निगम ने 418.71 लाख रुपये अर्जित किए हैं और उपभोक्ताओं से उसी सीमा तक अधिक मूल्य वसूल किए गए हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यावहारिक व्यापार आयोग को विस्तृत उत्तर दिया है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल जारी करने में अपनाई जा रही प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, खाद्यान्नों का संचलन वसूली राज्यों से उपभोक्ता राज्यों को किया जाता है और इस तरह से भेजे गए स्टाक में स्टाक समूह के ब्यौरे शामिल होने चाहिए। प्रेषण दस्तावेजों के मार्ग में खो जाने की स्थिति में स्टाक के समूह का निर्धारण अधिकारियों की समिति द्वारा मौके पर किए गए मुआइने के परिणामों के आधार पर किया जाता है। ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि प्रेषण दस्तावेजों की प्रतीक्षा करने से खाद्यान्नों को जारी करने में विलम्ब होगा। मौके पर मुआइना करने के परिणामस्वरूप 0.03% मामलों में चावल का उच्च श्रेणीकरण और 0.003% मामलों में निम्न श्रेणीकरण हुआ है। गलती किसी भी ओर से हो सकती है।

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में भारतीय खाद्य निगम ने अनुदेश जारी किए हैं कि प्रेषण ब्यौरों के बिना खाद्यान्न का स्टाक तभी जारी किया जाएगा जब भेजे गए स्टाक के समूह की पुष्टि हो जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवाद

1723. **श्री केशव महन्त:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी 1997 के "असम ट्रिब्यून" में "नार्थ ईस्ट गोइंग द कश्मीर वे" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान की "इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंस" एजेंसी इस क्षेत्र में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपने कार्यकलापों को बढ़ा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी योजना को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पाकिस्तान की आई.एस.आई. गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है तथा समय-समय पर उचित निर्णय लिये जाते हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान की आई.एस.आई. के पूर्वोत्तर के कुछ विद्रोही ग्रुपों और मुस्लिम कट्टरपंथी ग्रुपों के साथ सम्पर्क होने का पता चला है। उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

(ङ) सूचना एकत्र करने, उसका विश्लेषण और आदान-प्रदान करने वाले आसूचना तंत्र में सुधार लाया गया है तथा विभिन्न एजेन्सियों के बीच बेहतर समन्वय है।

हाथियों का भूख से मरना

1724. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसंबर, 1996 के "स्टेट्समैन" में असम में काजीरंगा और मानस रिजर्व में पिछले छह महीनों के दौरान भूख से बड़ी संख्या में हाथियों के मरने तथा हाथियों को चारे की आपूर्ति करने संबंधी बिलों के भुगतान न होने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) यदि हां, तो पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान असम और अन्य राज्यों में भूख और अन्य कारणों से कितने हाथी मरे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और इस विशालकाय पशु के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) सरकार ने 30 दिसंबर, 1996 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार पत्र को देखा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1995-96 के दौरान किसी भी डिपार्टमेंटल हाथी की भूख से मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) भारत में बन्दी बनाए गए हाथियों के बारे में यह मंत्रालय सूचना संकलित या एकत्र नहीं करता क्योंकि ज्यादातर हाथी निजी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा रखे जाते हैं। प्राकृतिक कारणों और अवैध रूप से शिकार के कारण मारे गए जंगली हाथियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राजसी पशु के परिरक्षण के लिए हाथी को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है। हाथियों के चोरी छिपे शिकार को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से गजदन्त के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए हाथी को संकटापन्न वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के परिशिष्ट-1 में शामिल किया गया है जिनके तहत हाथी दन्त से बनी वस्तुओं में हस्ताक्षरकर्ता देशों में इसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है। भारत में हाथियों और उनके प्राकृतिक आवासों की आबादी की सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाथी परियोजना स्कीम चलाई है ताकि हाथी रेंज राज्यों को सहायता प्रदान की जा सके।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
		एन	पी	एन	पी	एन	पी
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	4	शून्य	2	शून्य
3.	असम	20	4	24	3	14	6
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
5.	कर्नाटक	3	12	4	18	–	10
6.	केरल	6	6	33	3	34	3
7.	मेघालय	शून्य	1	7	1	9	10
8	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6	8
9.	उड़ीसा	–	12	–	13	6	10
10.	तमिलनाडु	–	2	–	4	–	7
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–	19
12.	पश्चिम बंगाल	12	2	13	3	6	3
	कुल	41	40	85	46	77	77

बाल श्रम

1725. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम और बेसहारा बच्चों की बढ़ती समस्याओं से संबंधित नीति पर चर्चा करते हुए बैठक बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब तक बुलाए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रमों में लगे गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक 15 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित चावल, गेहूं इत्यादि के मूल्य

1726. **श्री आर. साम्बासिवा राव:**
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:
श्री सत्यदेव सिंह:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले चावल, गेहूं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सरकारी निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं के मूल्यों में कितनी बार तथा कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ङ) संसद के दोनों सदनों में दिनांक 24.2.1997 को दिए गए वक्तव्य में सरकार ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार है:

(रुपए प्रति किलोग्राम)

	चावल			गेहूं
	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	–	2.50
गरीबी रेखा से ऊपर	–	6.50	7.50	4.50

उपर्युक्त मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के मूल्यों में गिरावट और गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या के मूल्यों में वृद्धि प्रदर्शित करते हैं।

जहां तक चीनी का संबंध है, 10.2.1997 से मूल्य 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिए गए हैं। मूल्यों में संशोधन के प्रमुख कारणों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, वसूली प्रासंगिक खर्चों की अधिक लागत, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि और समग्र रूप से मुद्रास्फीति शामिल है।

पिछले तीन वर्षों में चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य और लेवी चीनी के खुदरा मूल्य निम्नानुसार रहे हैं:

चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	चावल			गेहूं
	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
11.1.93	437	497	518	330
1.2.94	537	617	646	402

लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य

(रुपए प्रति किलोग्राम)

17.2.93	8.30 रुपए
1.2.94	9.05 रुपए
10.2.97	10.50 रुपए

बाघों की संख्या के संबंध में विश्व वन्यजीव निधि की रिपोर्ट

1727. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 दिसम्बर, 1996 के ''द एशियन एज' में 'सेवियर्स ऑफ टाईगर्स फाईट फार फण्डस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) भारतीय बाघों की तेजी से कम होती संख्या के बारे में विश्व वन्यजीव निधि, द्वारा सरकार को किन-किन बातों से अवगत कराया गया है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय बाघों को हो रहे खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। सरकार बाघों को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड-इंडिया को भारतीय वन्यजीव बोर्ड, बाघ परियोजना और बाघ संकट सेल की संचालन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है।

दूध के प्रसंस्करण की लागत

1728. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार:** क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेयरी क्षेत्र में दूध के प्रसंस्करण की लागत अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दूध की प्रसंस्करण लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) दुग्ध प्रसंस्करण की लागत अधिक क्षमता वाले संयंत्रों को लगाकर कम की जा सकती है ताकि मित्तव्यता स्तरों का इस्तेमाल किया जा सके। किन्तु भारत में चूंकि दुग्ध उत्पादन छितरा हुआ है, इसलिए प्राय: यह व्यवहार्य नहीं होता है कि अधिक क्षमता वाले संयंत्र लगाए जाएं। किन्तु अधिक दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त डेयरी संयंत्र लगाने के प्रयास किये गये हैं जिससे कि प्रसंस्करण लागत में बचत हो सके।

गोरखा और नेपालियों की संख्या

1729. **श्री भीम प्रसाद दाहाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय गोरखा/भारतीय नेपाली लोगों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या राय, लिम्बु, तमंग, गुरंग, मन्गर, बाहुन, क्षेत्री, नेवार, सन्यासी, भुजेल, थामी, कमी, दमाई जैसी उपजातियों के लोगों की दार्जिलिंग पहाड़ियों, सिक्किम, असम, देहरादून, हिमाचल प्रदेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के भारतीय नेपाली/भारतीय गोरखा लोगों के रूप में गणना की गई है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) ये विवरण जनगणना के दौरान एकत्रित नहीं किये जाते हैं। अत: उपलब्ध नहीं है।

तलाशी वारण्ट

1730. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई पुलिस अधिकारी तलाशी लेने के पूर्व अभियोगों की सत्यता की जांच किये बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सकता है;

(ख) यदि हां, तो अधिकारी भारतीय दंड संहिता/आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की किस धारा के अन्तर्गत और किन परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है;

(ग) यदि बाद में यह साबित हो जाए कि जिस व्यक्ति के घर की तलाशी ली गयी, वह निर्दोष था, तो प्रभावित व्यक्ति के लिए कानून के अन्तर्गत क्या सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हैं; और

(घ) लापरवाहीपूर्वक काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ संविधान में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 165 के प्रावधानों के तहत, कोई पुलिस अधिकारी तलाशी लेने के कारण को लिखित रूप में दर्ज करने तथा उस वस्तु, जिसके लिए तलाशी ली जा रही है को विनिर्दिष्ट करने के बाद किसी अपराध की वास्तविक जांच-पड़ताल के लिए किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है।

(ग) और (घ) धारा 165(1) से (5) के प्रावधानों में रक्षोपाय बनाए गए हैं, जैसे तलाशी के कारणों को रिकार्ड करना, धारा 100 के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में तलाशी के साक्ष्य के रूप में दो स्वतंत्र सम्माननीय नागरिकों की मौजूदगी का प्रावधान, निकटतम मैजिस्ट्रेट को तुरन्त रिकार्ड भेजना तथा जिस स्थान की तलाशी ली गई हो उसके दखलदार को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराना। यदि तलाशी लेते समय कोई पुलिस अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है तो भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

भोपाल गैस त्रासदी

1731. **श्री सुशील चन्द्र:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अब तक कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(ख) मुआवजे का भुगतान किन-किन श्रेणियों के अन्तर्गत किया गया है और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) यूनियन कार्बाइड द्वारा जमा कराई गई धनराशि में से कुल कितना धन अभी भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) 31-1-1997 तक भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को 881.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(ख) 31-1-1997 तक विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत गैस त्रासदी के पीड़ितों को निम्नलिखित मुआवजा धनराशियाँ दी गई हैं:

01 श्रेणी (व्यक्तिगत क्षति)	808.57 करोड़ रु.
04 श्रेणी (मृत्यु)	73.31 करोड़ रु.

(ग) यूनियन कार्बाइड द्वारा जमा कराई गई धनराशि में से कोई राशि उच्चतम न्यायालय के पास नहीं है।

भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना से संबंधी न्यायालय

1732. **श्री सुशील चन्द्र: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भोपाल में भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का निपटान) अधिनियम के अधीन उपायुक्त की कितनी अदालतें कार्यरत हैं और कितनी अदालतें पीठासीन अधिकारी के बिना हैं;

(ख) उपरोक्त अधिनियम के तहत अपील सुने जाने के लिए नियुक्त किए गए अतिरिक्त आयुक्तों की संख्या क्या है;

(ग) इनके कितने पद खाली पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) दावों का निपटान के लिए इस समय 37 दावा ट्रिब्युनल कार्यरत हैं। नए दावा आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए, 56 अदालते पहले से ही कार्यरत हैं तथा उपायुक्त को एक से ज्यादा अदालतों का प्रभारी बनाया गया है।

(ख) अपीलों के निपटान के लिए 6 अतिरिक्त आयुक्तों को तैनात किया गया है।

(ग) 4 अतिरिक्त आयुक्तों (न्यायिक) के पद खाली हैं।

(घ) जैसे ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इन पदों को भर लिया जायेगा।

भोपाल गैस त्रासदी संबंधी कार्ययोजना

1733. **श्री सुशील चन्द्र: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी संबंधी कार्ययोजना की अवधि बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्ययोजना का अभिवर्धित स्वरूप और केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच व्यय की भागीदारी की पद्धति क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्य-योजना पर हुए व्यय के बारे में लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) कार्रवाई योजना की अवधि 31-3-1997 तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न योजनाओं, जो पूरी नहीं की जा सकी थी की पूंजीगत लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए कार्रवाई योजना परिव्यय 25.40 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच व्यय की हिस्सेदारी का स्वरूप क्रमश: 75:25 के अनुपात में है।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई योजना के अन्तर्गत खर्च किए गए व्यय का पूरा लेखा परीक्षित विवरण नहीं भेजा है और बताया है कि वे महालेखाकार, मध्य प्रदेश से लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं

1734. **श्री अमर राय प्रधान:**
श्री आई.डी. स्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अब तक दूसरे महानगरों की तुलना में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या दिल्ली की सड़कों की खराब स्थिति और वाहनों की अधिक संख्या सड़क दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में वाहनों की संख्या कम करने/सड़कों की गुणवता में सुधार लाने तथा उनका अनुसरण करने और मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली और तीन अन्य महानगरों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	शहर	1995	1996
1.	कलकत्ता	480	353
2.	चेन्नई	500	736
3.	दिल्ली	2090	2091
4.	मुम्बई	837	753

(वर्ष 1996 के लिए कलकत्ता और चेन्नई से संबंधित आंकड़े जनवरी से सितम्बर तक की अवधि के हैं तथा मुम्बई के बारे में यह नवम्बर तक के हैं)

(ख) इन घटकों का सड़क दुर्घटनाओं में योगदान होता है।

(ग) सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए हाल ही में दिल्ली में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने की स्वीकृति दे दी है।

राजीव गांधी की हत्या

1735. **श्री रमेश चेन्नितला:**
डा. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी हत्याकांड की जांच पूरी होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो आज यह किस चरण में है;

(ग) इसके कब तक पूरे होने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार द्वारा जैन आयोग के साथ सहयोग न करने की शिकायत की है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) आयोग द्वारा कब तक जांच रिपोर्ट सौंप दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) और (च) जैन जांच आयोग ने अपनी जांच पूरी नहीं की है और इसका वर्तमान कार्यकाल 31 अगस्त, 1997 तक है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें इस दूभर कार्य को पूरा करने के लिए सभी सम्भव सहायता देने और इसके कार्यकाल में 28 फरवरी, 1997 से आगे 6 महीने की बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने इस आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 1997 तक बढ़ा दिया है और वह जांच पूरी करने के लिए आयोग की सभी सम्भव सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी भूमि

1736. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इलाहाबाद में अपने कैम्प कार्यालय की स्थापना करने हेतु किसानों की खेती योग्य भूमि पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया है और वह इस भूमि को खाली नहीं कर रहा है;

(ख) क्या किसानों ने अपनी भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और उन्होंने किसानों को उनकी भूमि से बेदखल न करने के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों का उद्धरण दिया है;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी इस सत्य की और सरकार का ध्यान आकृष्ट करके सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को उस स्थान की बजाय समीपवर्ती भूमि पर जिस पर खेती नहीं की जा रही है अपने कार्यालय की स्थापना करने का निदेश दे;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इस खेती योग्य भूमि को खाली कर दिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार के.रि.पु.बल को तत्काल उस भूमि को खाली कराने का निदेश देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसमें क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। कुछ गांव वालों/किसानों, जिनका केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आबंटित 200 एकड़ भूमि के बाहर स्थित रक्षा मंत्रालय की अधिशेष जमीनों के कुछ हिस्सों पर कब्जा था, ने एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें उन्हें उनकी जमीन से बेदखल न करने के बारे में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 24.8.92 के आदेशों को उद्धृत किया गया है। चूंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आबंटित की गई भूमि अतिक्रमण-मुक्त थी इसलिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किसानों को बेदखल किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जी हां, श्रीमान्। एक संसद सदस्य ने माननीय गृह मंत्री को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है कि वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को जमीन खाली करने का निर्देश दें। ऊपर (क) और (ख) पर दिए गए उत्तर को देखते, इसका सवाल नहीं उठता।

गेहूं का निर्यात

1737. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव:**
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़:
डा. मुरली मनोहर जोशी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान और मालदीव को गेहूं का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश को पहले निर्यात किए जाने हेतु तथा निर्यात हेतु प्रस्तावित गेहूं का मूल्य, उसकी मात्रा और प्रति क्विंटल मूल्य दर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कनाडा और आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करने हेतु संविदा की है; और

(घ) यदि हां, तो एक ओर तो घरेलू कमी को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने तथा दूसरी ओर उसे निर्यात करने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (घ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसायटी से मानवीय आधार पर प्राप्त अनुरोध पर खुले बाजार से अफगानिस्तान को 30,000 टन गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दी है। अभी तक अफगानिस्तान को गेहूं का निर्यात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी के साथ किसी ठेके को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सरकार ने खुले बाजार से मालदीव को 2500 टन गेहूं के आटे का निर्यात करने का भी निर्णय लिया है। ऐसा इसमें शामिल अल्प मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। माले में 305 अमेरिकी डालर प्रति टन लागत और भाड़े की दर पर ठेके की कुल कीमत 7.63 लाख अमेरिकी डालर (274.5 लाख रुपये के समतुल्य) बैठती है। अब सरकार ने गेहूं और गेहूं उत्पादों का निर्यात करने के लिए नये पंजीकरण और आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने और पहले से जारी किए गए पंजीकरण एवं आवंटन प्रमाण पत्रों को पुन: वैध करने के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया है।

देश में 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट होने और मूल्य बढ़ने की दृष्टि में गेहूं की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 मिलियन टन तक गेहूं आयात किया जाए। 14.2.97 तक भारतीय राज्य व्यापार निगम ने कनाडा, आस्ट्रेलिया और अर्जेण्टीना से 16.75 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया है।

चीनी लाइसेंसिंग नीति का प्रभाव

1738. श्री दादा बाबूराव परांजपे: क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों, उद्योगपतियों और चीनी तथा रसायन उद्योगों के कार्यकारी अध्यक्ष ने दो चीनी कारखानों की मौजूदा 25 किलोमीटर की दूरी को कम करके 15 किलोमीटर करने के बारे में सरकार के निर्णय की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके क्या कारण बताए हैं;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उन्होंने चीनी का निर्यात करने के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है;

(ङ) यदि हां, तो इन निर्णयों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार के नए चीनी कारखाने खोलने और मौजूदा कारखानों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन देने संबंधी निर्णय से गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) मैसर्स दी गोदावरी शुगर मिल्स लि. समीरवाड़ी, जिला-बीजापुर, कर्नाटक तथा भारतीय चीनी मिल्स संघ की ओर से सरकार के, दो चीनी मिलों की वर्तमान स्थान की 25 कि.मी. की दूरी से 15 कि.मी. कर दिए जाने के निर्णय की आलोचना करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

उनके अनुसार इससे चीनी मिलें पूरी तरह बीमार और बन्द हो जाएंगी।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों की स्थान की 15 कि.मी. की दूरी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए रखी गई है।

(घ) और (ङ) कृषि तथा प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) द्वारा इस प्रणाली के अधीन चीनी निर्यात के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु 17.2.97 को एक व्यापार नोटिस जारी किया गया है।

(च) और (छ) सरकार ने उन उद्यमियों, जिन्हें नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिट में विस्तार करने के लिए 31.3.94 के पश्चात् आशय पत्र जारी किए गए हैं, की कठिनाइयों को कम करने तथा प्रोजेक्ट को उच्चतर खुली बिक्री कोटे से प्राप्त अधिशेष निधि, जो आवधिक ऋण के भुगतान के लिए होती है, के उपयोग से व्यवहार्य बनाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना बनाने का निर्णय लिया है।

महिला कैदी

1739. श्री सिदय्या कोटा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केवल महिलाओं की जेलों की संख्या कितनी है;

(ख) ये जेलें कहां-कहां स्थित हैं और इन जेलों में राज्यवार महिला कैदियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में महिलाओं के लिए और जेलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 14 जेलें हैं जो

केवल महिलाओं के लिए ही हैं। ये जेल आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश में महिला कैदियों की संख्या 6188 है। कैदियों के जेल-वार ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अधीन "जेल" राज्य का विषय है। केवल महिलाओं के लिए ही और जेलें स्थापित करना राज्य सरकारों का कार्य है।

[हिन्दी]

जातिवाद

1740. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जातिवाद के कारण राज्यवार कितने जातीय दंगे हुए;

(ख) क्या सरकार का विचार जातिवाद को समाप्त करने के लिए लोगों को जाति आधारित उपनाम लगाने से रोकने हेतु कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विधेयक कब तक पुर:स्थापित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौकरशाहों द्वारा अपने नाम के साथ जातिनाम वाले उपनाम का इस्तेमाल रोकने हेतु कोई अध्यादेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई जातीय हिंसा की घटनाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (घ) केन्द्र सरकार अभी तक ऐसे किन्हीं कदमों पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई जातीय हिंसा की घटनाओं की संख्या का विवरण

राज्य	घटनाओं की संख्या		
	1994	1995	1996
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	10	12	10
बिहार	118	147	132
दिल्ली	–	02	01
गुजरात	05	18	13
हरियाणा	04	01	03
हिमाचल प्रदेश	04	02	01
जम्मू एवं कश्मीर	–	02	01
कर्नाटक	29	38	17
केरल	01	–	02
मध्य प्रदेश	16	06	13
महाराष्ट्र	84	105	61
उड़ीसा	86	31	08
पंजाब	01	03	02
राजस्थान	28	23	33
तमिलनाडु	160	210	282
उत्तर प्रदेश	219	122	93
पश्चिम बंगाल	01	01	–

[अनुवाद]

नई औषधि नीति

1741. **श्री हरिन पाठक:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यह जानने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि नई औषधि नीति और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था औषधि निर्माण कम्पनियों के अनुचित लाभ को रोकने के अलावा उत्पाद बढ़ाने तथा जीवनरक्षक औषधियों की उचित कीमतों पर उपलब्धता बनाए रखने में किस हद तक प्रभावी रही है;

(ख) यदि हां, तो नई औषधि नीति और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कार्यान्वयन में पाई गई किसी खामी सहित यदि कोई हो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" आवश्यक और जीवन रक्षक तथा अच्छी गुणवत्ता वाली रोग निरोधक दवाइयों की उचित मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धता

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घोषित किया गया था। तदनुसार, औषधि नीति के मार्गनिर्देशों के आधार पर जनवरी, 1995 में औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.सो.) प्रख्यापित किया गया था। समय-समय पर कुछ विशेष ब्रान्ड के सूत्रयोगों की स्थानीय कमी को छोड़कर जिनकी आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं आवश्यक/ जीवनरक्षक औषधों की सामान्यत: कोई कमी नहीं है। सूचीबद्ध औषधों और सूत्रयोगों की कीमतें लागत घटकों की जांच के बाद विशेषज्ञों के निकाय की सिफारिश पर डी.पी.सी.ओ., के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित किये जाते हैं। मूल्य नियंत्रण से बाहर की दवाइयों के मामले में जहां कहीं असामान्य मूल्य वृद्धि जानकारी में आती है अथवा रिपोर्ट की जाती है उसकी जांच की जाती है और मूल्य को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से संबंधित कम्पनी के साथ बैठकें की जाती हैं।

[हिन्दी]

रासायनिक उर्वरकों का आयात

1742. श्री एस. पी. जायसवाल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के आयात में निरुत्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का आयात किया गया; और

(ग) अगले वर्ष में कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का आयात किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) इस समय मूल्यांकित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु तीन प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डी.ए.पी. तथा एम.ओ.पी. का आयात किया जा रहा है। इनमें से केवल यूरिया जिस पर मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है, का सरकारी खाते में आयात किया जाता है। डी.ए.पी. तथा एम.ओ.पी. के आयातों को क्रमश: 17.9.92 तथा 17.6.93 से असरणीबद्ध कर दिया गया है और इनका स्वतंत्रतापूर्वक आयात किया जा सकता है। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आयात किये गये प्रमुख उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है:-

(मात्रा लाख टन में)

उर्वरक	1995-96	1996-97
यूरिया	37.82	23.28 (फरवरी, 97 तक)
डी.ए.पी.*	14.06	5.05 (जनवरी, 97 तक)
एम. ओ. पी.*	21.92	7.34 (जनवरी, 97 तक)

*चूंकि इन उर्वरकों को असरणीबद्ध कर दिया गया है, अत: इनके आयातों के लिए विभाग में उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं।

(ग) 1997-98 के दौरान यूरिया के सम्भावित आयातों के ब्यौरे दर्शाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह स्वदेशी उत्पादन की प्रवृत्ति, देश में उर्वरकों की खपत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों का रुख, सार्वभौम मांग और आपूर्ति स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय जेल निर्देशिका

1743. श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया:
श्री जयसिंह चौहान:
श्री छीतुभाई गामीत:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की वर्तमान में जेलों की स्थिति को देखते हुए जेल बंदी अधिनियम काफी पुराना पड़ गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश के समस्त कारागरों हेतु एक सामान्य अखिल भारतीय जेल निर्देशिका तैयार करने की सिफारिश की है;

(ग) जेल निर्देशिका तथा कारागर सुधारों के संबंध में सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में जेलों की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) अपने दिनांक 23.12.1996 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने जेलों में व्याप्त स्थितियों को रेखांकित किया है और परिहार प्रक्रिया एवं पेरोल को सुव्यवस्थित करने संबंधी कुछ समस्याओं पर कार्रवाई करने, पुराने भारतीय जेल अधिनियम, 1894 के स्थान पर एक नया जेल अधिनियम अधिनियमित करने के बारे में बातचीत करने, एक नया आदर्श अखिल भारतीय जेल मेनुअल तैयार करने के सवाल की जांच करने, चिकित्सा सुविधाओं और स्वच्छता संबंधी स्थितियों में सुधार करने, सम्प्रेषण सुविधाओं का उदारीकरण शुरू करने के बारे में सोचने, जेल दौरों को सुचारू बनाए जाने के लिए जरूरी कदम उठाने और देश के जिला मुख्यालयों में खुली जेलों की शुरूआत के सवाल पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत को दोहराया है।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची द्वितीय सूची की प्रविष्टि 4 के अनुसार "जेलें" राज्य का विषय हैं इसलिए अपने नियमों, विनियमों, जेल मेनुअलों आदि के अनुसार जेल प्रशासन से

संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटना, मुख्यतया राज्य सरकारों का काम है। तथापि, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन जेलों में मूलभूत सुविधाओं और कैदियों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए भारत सरकार, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दसवें वित्त आयोग ने भी जेल भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए तथा जेलों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिये जाने की सिफारिश की है।

आई.डी.पी.एल. और एच.ए.एल. में औषधियों का उत्पादन

1744. **श्री प्रमोद महाजन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आई.डी.पी.एल. और एच.ए.एल. द्वारा किए गए औषधियों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नुकसान को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण

1745. **श्री नारायण अठावले:**
श्री एन.जे. राठवा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिन उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया गया है और क्षमता बढ़ायी गयी उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु कार्य योजना पर हुए व्यय का संयंत्र-वार/राज्यवार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन उर्वरक संयंत्रों के लिए आधुनिकीकरण योजना पर सरकार विचार कर रही है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में, विदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है/किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय उर्वरक निगम ने सरकार/बैंकिंग संस्थान/अन्य संगठनों के द्वारा कार्य पूंजी की मांग/विकास आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफलता पाई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक इकाइयां

1746. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी कम्पनी ने बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु केन्द्र सरकार से गारंटी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों के हित में रुग्ण उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु जापानी कम्पनी को गारंटी न देने का क्या औचित्य है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) के बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप एककों के पुनरुद्धार में सहभागिता के लिए जापान के निर्यात तथा आयात बैंक से एक प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित वित्तीय सहायता जिसमें सरकार की गारंटी सम्मिलित है, की और छानबीन किये जाने की आवश्यकता है।

अवैध उत्प्रवासी

1747. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंगलादेश से अवैध रूप से आए उत्प्रवासियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन अवैध रूप से आए उत्प्रवासियों के निर्वासन के लिए बंगलादेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) बंगलादेश से आए घुसपैठियों की वास्तविक संख्या बताना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय और भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय जनता के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं।

(ख) और (ग) अवैध बंगलादेशी प्रवासियों का पता लगाना/उन्हें पकड़ना और बंगलादेश वापिस भेजना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। बंगलादेश सरकार के साथ समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर यह मामला उठाया गया है।

''शहतूश'' व्यापार

1748. श्री भक्त चरण दास:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश में शहतूश के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहतूश के व्यापार पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो 1994 से दिसम्बर, 1996 के दौरान पकड़ी गई कच्चे शहतूश की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अवैध व्यापार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि कच्चे शहतूश की तस्करी और व्यापार के प्रयास के कई मामलों का पता चला है, यह सच नहीं है कि शहतूश के व्यापार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जनवरी, 1994 और दिसम्बर, 1996 के बीच शहतूश के अवैध व्यापार/तस्करी के 10 मामलों का पता लगाया गया है। पकड़ी गई वस्तुओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. कच्चा शहतूश		10 गठरियां + 15.750 किलोग्राम
2. शाल शहतूश के बने हुए मफलर	:	225 नं.

(घ) इन मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और अन्य संबंधित अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

स्वदेशी उर्वरक उद्योग के लिए मूल्य वरीयता

1749. श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंजीगत सामान उद्योग वाले सदस्यों के संघ ने सरकार का ध्यान स्वदेशी उर्वरक का प्रबंधन कर रहे उत्पादकों को 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता न देने की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है, और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के तहत बोलियों के मूल्यांकन के लिए उर्वरक उद्योग वास्ते पूंजीगत सामान के घरेलू उत्पादकों को पुन: 15% मूल्य वरीयता देने के अनुरोध पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। तथापि, पूंजीगत सामान/उपकरण के भारतीय उत्पादकों को उर्वरक संयंत्रों की आपूर्ति हेतु कोई मूल्य वरीयता प्रदान करना सम्भव नहीं पाया गया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल मैंने ऐसा कहा था कि शून्य काल नहीं होगा और प्रधान मंत्री तत्काल अपना जवाब देना शुरू करेंगे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हमारी पुलिस... *(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

*... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: रूडी जी, यह तरीका नहीं है। जो मैंने कल घोषणा की थी आपको उसका पालन करना चाहिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री के उत्तर देने के पहले, कठेरिया जी को एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं एक विशेष मामले के रूप में उनको अनुमति दे रहा हूँ। कठेरिया जी आप कृपया केवल एक मिनट लीजिए।

... (व्यवधान)

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज): मयूरभंज के बरीपदा अस्पताल के बारे में मैं सभा को कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे कल मिली थी। मैंने सरकार से इस मामले पर चर्चा की है। हमारे स्तर पर हम मामले से निपट रहे हैं।

कुमारी सुशीला तिरिया: लोग अब भी वहां मर रहे हैं। अभी भी केन्द्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। सभा की ओर से भी ऐसी सिफारिश होनी चाहिए। लोगों को अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। वे वहां पर मर जाएंगे। वे किसी अन्य अस्पताल को स्थानान्तरित किये जाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने उन्हें टाटा अस्पताल को स्थानान्तरित करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, सुशीलाजी। हमने उड़ीसा सरकार से इस मामले पर बातचीत की है।

कुमारी सुशीला तिरिया: मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहती। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। मैं आपसे मात्र और एक मिनट के लिए प्रार्थना करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात एक मिनट से ज्यादा समय में रख चुकी हैं। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैंने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है।

कुमारी सुशीला तिरिया: मैंने केवल तीन वाक्य कहे हैं और मैं तीन वाक्य और कहूँगी। वहाँ पर जले हुए लोगों की चिकित्सा के लिए कोई इकाई नहीं है। पूरे उड़ीसा में केवल कटक में एस.सी.बी. मेडिकल कालेज में मात्र जले हुए लोगों की चिकित्सा के लिए एक इकाई है। वहाँ पर वातानुकूलन सुविधा है और बरीपदा अस्पताल में कूलर भी नहीं है। इस अस्पताल में जो दाखिल होते हैं उन पर केवल ईश्वर की ही कृपादृष्टि होनी चाहिए परन्तु आप उनके बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे कल स्वस्थ हो जाएंगे। वहाँ पर सभी सुविधाओं सहित जले हुए व्यक्तियों के लिए एक चिकित्सा इकाई होनी चाहिए। केवल जले हुए व्यक्तियों हेतु एक चिकित्सा कक्ष ही उनको कुछ राहत पहुँचा सकेगा।

मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देती हूं क्योंकि उन्होंने मृत व्यक्तियों के संबंधियों के लिए 50,000 हजार रुपयों की और घायलों के लिए 25,000 हजार रुपयों की राहत की घोषणा की है। मैं बरीपदा और मयूरभंज के उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूं जो किसी प्रकार की राहत के साथ आगे आए और लोगों की मदद की।

मेरी माँग है कि केन्द्र सरकार तत्काल इस मामले पर विचार करे और वहाँ पर लोगों को चिकित्सा प्रदान करने हेतु सभी सुविधाओं सहित जले हुए व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु एक चिकित्सा इकाई प्रदान करने का तत्काल निर्णय लें। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। मेरे विचार से सरकार इस मामले पर ध्यान देगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के संबंध में समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिनमें गवर्नर महोदय के बारे में ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कठेरिया, मैंने आपको यह कहने के लिए अनुमति नहीं दी थी। आप मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप अपने पुत्र, जिसका कि अपहरण हो गया है, के बारे में कुछ बात उठाना चाहते थे। मैं आपको सिर्फ उस बात के लिए ही अनुमति दूँगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: ठीक है, अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने बारे में कहूंगा। 17 फरवरी को मेरे परिवार के कुछ लोग जिनमें मेरे भाई का एक लड़का जिसका नाम अशोक है और जिसकी उम्र 18 साल है तथा मेरे ही परिवार का एक अन्य लड़का जिसका नाम राम स्वरूप है तथा एक और 17 साल का लड़का मेरे घर फिरोजाबाद से दिन में लगभग 10 बजे एक गाड़ी में बैठकर रवाना हुए और वे दिन में एक बजे जयपुर पहुंचे, लेकिन वहां के बाद उनका पता नहीं चला कि वे कहां गए। गाड़ी नंबर यू.पी. 80-ई-9967 है जिसमें बैठकर वे गए थे, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं है कि आखिर वे कहां गए और गाड़ी कहां चली गई?

इस संबंध में मुझे 20 तारीख को सूचना मिली। हम लोग अपनी पार्टी के एक नेता की हत्या हो जाने के कारण 21 तारीख को फर्रुखाबाद गए हुए थे और दिनांक 22 को हम वहां से लौटे। मैंने 23 तारीख को तुरंत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, तो मुझे आगरा के एस.एस.पी. ने कहा कि आप इस घटना की खबर समाचार पत्रों में न छपवाएं। मैंने कहा ठीक है समाचार पत्रों में यह खबर नहीं छपनी चाहिए। इसलिए मैंने इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं करवाई, लेकिन हमारे बच्चों का क्या हुआ, किडनैप कर लिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई, जब कुछ भी पता नहीं चला, तो विवश होकर मैंने दिनांक 26 को इस घटना की एफ.आई.आर. लिखाई और मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस घटना से अवगत करवाया जिनमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। मैंने आपको भी इस बारे में अवगत करवाया और आपने तुरन्त चीफ सैक्रेट्री से बात की, लेकिन अध्यक्ष महोदय, विडम्बना इस बात की है कि अभी तक इस घटना के संबंध में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है जिससे हमें कुछ शान्ति मिले। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात रख दी। इतना पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक हैं। मैं आपको संसद सदस्य के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है वह बताना चाहता हूं। लखनऊ में मेरे साथ किस प्रकार की घटना घटी वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने टेलीफोन करके गवर्नर से टाइम ले लिया और जब मैं रिसैप्शन पर गया, तो मैंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बातों को सुना जाए, तो मुझसे रिसैप्शन पर पूछा गया कि आप किस जाति के हैं। जाति के बाद मेरी पार्टी पूछी गई। अध्यक्ष महोदय, यह कितने दुख की बात है कि एक सांसद से उसकी जाति के बारे में पूछा जाए और फिर उसकी पार्टी के बारे में पूछा जाए।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं कल की एक घटना बताना चाहता हूं, हो सकता है गवर्नर को मालूम नहीं होगा, लेकिन आप तो सुन लीजिए, आप तो हमारे संरक्षक हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं और मेरे साथ तीन और जनप्रतिनिधि यानी तीन महिला सांसद थीं जिनमें एक रत्ना सिंह थी, दूसरी रामपुर की श्रीमती बानो थी, जब हम रिसैप्शन पर पहुंचे, पता नहीं रिसैप्शन वालों को कैसे इंस्ट्रक्शन थे, जब मैंने कहा कि हम मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, पहले हमारी सुन लीजिए, तो मुझे कहा गया कि आप पीछे लाइन में लग जाइए। मैं पीछे लाइन में लग गया। .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। आप बैठिए।

[अनुवाद]

यह काफी है। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: जब आम आदमी जाने लगे और दो अन्य सांसद भी चले गए, तो मैंने फिर पूछा कि क्या यहां भी गोरे और काले का भेदभाव किया जाता है, हमें क्यों अदर नहीं जाने दिया जाता है? उसके बाद महोदय, मैंने राज्यपाल से भी इस बात को कहा और डी.जी.पी. से भी इस बात को कहा कि हमारे साथ यह भेदभाव और विद्वेष की भावना क्यों बरती जाती है?

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीड़ित मन से इस बात को कह रहा हूं। आखिर हम संसद सदस्य कहां जाएं? आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि परमात्मा से भेंट हो सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी से टेलीफोन पर बात नहीं हो सकती है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे परिवार के बच्चों का पता लगाया जाए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय गृहमंत्री से इस पर ध्यान देने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसको ज्यादा लंबा मत कीजिए। जो आप कहना चाहते थे वह आपने कह दिया है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्योंकि एक लड़का पकड़ा गया है.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जहाँ तक अपहरण का संबंध है माननीय मंत्री कृपया इस पर ध्यान दें।

मैंने अब मंत्रीजी से कह दिया है। आप कृपया बैठ जाइए। मैं मंत्री से कह चुका हूं कि जो भी कार्रवाई सम्भव हो की जाए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे समझा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रभु दयाल कठेरिया को अनुमति दी थी क्योंकि उनका विशेष मामला था। इस बात का गलत फायदा न उठाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अब बैठ जाएं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान).....**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा): माननीय अध्यक्ष, श्रीमान, मैं संसद के दोनों एक साथ समवेत सदनों को महामहिम, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात करते हैं आप?

.... (व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कठेरिया जी, आप कृपया शान्त रहें। आप और क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी इस पर कुछ तो बोले। ... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं चिल्ला नहीं सकता ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक से व्यवहार करेंगे या नहीं? कृपया मुझे कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य न करें। कठेरिया जी, मैंने आपको मौका दिया और अब आप ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएँ। यह सब क्या है? सभा में इतना शोर मत मचाइए। मैं और अधिक इसको सहन नहीं करूँगा। कृपया शान्त रहिए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.14 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना उत्तर शुरू करूं मैं अपने सहयोगी और माननीय सदस्य, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों के पते-ठिकाने के बारे में गम्भीर आशंका व्यक्त की है, को मात्र यह सूचित करना चाहूंगा कि मुझे भी उतनी ही चिन्ता है।

महोदय, ऐसा लगता है कि आपने स्वयं मेरे उत्तर के पश्चात् कल या आज एक अल्पकालीन चर्चा कराने के लिए सहमति दी है। मैं यहां पर बैठूँगा और मैं घटित घटनाओं के बारे में प्रत्येक शब्द सुनूँगा ... *(व्यवधान)* कल नहीं तो आज किसी भी समय ... *(व्यवधान)* मैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे पूर्ववर्ती विनिर्णय का उल्लेख कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: यह उत्तर प्रदेश के बारे में है। मैं यह केवल उस माननीय सदस्य को कह रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा एक गम्भीर आरोप लगाया गया। अध्यक्ष महोदय ने मुझे कल बताया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कल एक अल्पकालीन चर्चा हो सकती है। मैं नहीं जानता कि कौन से नियम के अधीन माननीय अध्यक्ष अनुमति देने जा रहे हैं। अब यह सभा और माननीय अध्यक्ष के ऊपर है। मैं केवल सरकार की ओर से एक आश्वासन देने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में व्याप्त कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो इस पर सभा में चर्चा होगी। महोदय, आपने संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति को गठित करने का भी विनिर्णय दिया था। इसी कारण, यह सब बातें उठेंगी ... *(व्यवधान)* नहीं, मैं ... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): सबसे पहले, क्या मैं एक बात प्रधान मंत्री जी से जान सकता हूँ? प्रधान मंत्री नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए सहमत क्यों नहीं होते? ... *(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। मैं नहीं जानता ... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन आपको इससे विरोध नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: मैं नहीं ... *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुने ... *(व्यवधान)* विपक्ष के माननीय नेता नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव लाना चाहते हैं। यदि वह यह चाहते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए तो सरकार ऐसा कर सकती है। कृपया इसके बारे में चिंता न करें। यदि यही उनका उद्देश्य है तो इस बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। नियम 184 के अंतर्गत लाये जाने वाले प्रस्ताव से सरकार चाहे गिरे या रहे मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उस संबंध में चिंतित नहीं हूं। कृपया उस बारे में चिंता न करें।

अब मैं अपने आपको वाद-विवाद के उत्तर तक ही सीमित रखूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ।

महोदय, प्रारम्भ में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 'राज्यपाल के अभिभाषण' में भाग लिया ... *(व्यवधान)* मुझे खेद है, 'राष्ट्रपति के अभिभाषण' ... *(व्यवधान)* मुझे दुःख है, महोदय *(व्यवधान)* यह मेरी आदत है *(व्यवधान)* यह मेरी आदत है। ठीक है ... *(व्यवधान)*

इस माननीय सभा के लगभग 52 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए है और सकारात्मक आलोचनाएं की हैं। मैं प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की दृष्टि से उन सभी सुझावों और सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ और उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, मैं पिछली घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। 1 जून, 1996 को हमने इस देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी। 1 जून, 1996 के पूर्व क्या हुआ उनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। मैं 1 जून, 1996 के पश्चात् इस देश में होने वाली घटनाओं का जिक्र कर अपनी यादों को तरोताजा करना चाहता हूँ।

महोदय, 1 जून, 1996 को मेरे विचार से हमारे दल को कोई बहुमत नहीं था। हमारे पास मात्र 44 सदस्य थे। 13 राजनैतिक दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। कतिपय निर्दलीय सदस्यों ने भी अपना समर्थन मुझे दिया। कांग्रेस और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा बाहर से समर्थन प्रदान करने पर आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस सरकार का गठन किया गया।

उस समय इस सरकार के सामने कैसी परिस्थितियां थी? नित दिन आम लोगों, नौकरशाहों, समाचार माध्यमों, देश के बाहर और देश के अंदर यह शंका थी कि विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न घोषणापत्रों और विभिन्न कार्यक्रमों वाले विभिन्न 13 राजनैतिक दलों से मिलाकर बनी यह सरकार कैसे कार्य करेगी? उस समय देश में वैसी ही स्थिति विद्यमान थी। नौकरशाह भी यही अटकलें लगा रहे थे कि यह सरकार तीन महीने या एक महीना या दो महीने चलेगी। मैं किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर इस देश को चलाने की जिम्मेवारी जिस दिन अपने ऊपर लिया उस दिन देश में वैसी ही स्थिति विद्यमान थी। महोदय, इसी पृष्ठभूमि में हमने नौ महीने पूरे कर लिए हैं। हमने इन नौ महीनों में क्या हासिल किया? राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से इस सरकार ने इन नौ महीनों में क्या ठोस कार्य किए हैं और इस नए अनुभव से राष्ट्रीय कार्यों को हम सफलतापूर्वक पूरा कर पा रहे हैं या नहीं ये सभी बातें अब हम सभा के समक्ष रखेंगे।

विगत नौ महीनों के दौरान हमने क्या किया इसकी विवेचना अब हम करेंगे। महोदय, प्रथम 12 दिन तक अनिश्चितता बनी हुई थी सरकार की स्थिरता का पता सभा में मतदान और बहुमत से स्थापित होती है। 12 जून को विश्वास प्रस्ताव प्राप्त किया गया। 12 जून के उपरांत हमने अपना कार्य प्रारम्भ किया।

महोदय, हमारे दल का अपना कार्यक्रम, अपना चुनाव घोषणापत्र और अपनी विचारधारायें हैं। हमने एक साथ बैठकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम को स्वीकार किया। यह हमारा दिशानिर्देश था। यह हमारा मानदंड है। आपस में किसी बड़ी समस्याओं का निर्माण किए बिना हम अबाध रूप से कार्य करना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि यह नया प्रयोग सफल हो और ग्यारहवीं लोक सभा हेतु लोगों द्वारा दिये गये अपने निर्णय का सम्मान हो। कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या छोटे-छोटे ग्रुपों में से किसी को जनादेश प्राप्त नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं था। इस पृष्ठभूमि में जब हमने यह जिम्मेवारी संभाली तो हमारी यह कोशिश थी कि समर्थन देने वाले दलों और सरकार में शामिल दलों के सहयोग से यह प्रयोग सफल रहे।

महोदय, विगत सात-आठ महीनों में हमने जो कुछ भी किया उसे इस सभा के माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र के समक्ष रख रहा हूँ। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कृषि, क्षेत्रीय असमानतायें और रक्षा संबंधी उठाये गये मुद्दों पर मैंने ध्यान दिया है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में उठाये गये कुछ मुद्दों पर भी मैंने ध्यान दिया है। आपकी अनुमति से मैं उन सभी मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि हमने कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया है। मैंने उनका भाषण सुना है। इस सभा में विश्वासमत प्राप्त करने के पंद्रह दिन के अंदर डाई-अमोनियम सल्फेट और फास्फेटिक उर्वरकों पर हमने 2500 करोड़ रुपए की राज सहायता प्रदान की। यह हमारा पहला निर्णय था। जिसे हमने लिया। मुझे पता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीतिगत दस्तावेज है। इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा में बाद में करूंगा। सात महीनों में हमने क्या किया? इस राष्ट्र के लोगों को हमसे यही उम्मीद है क्योंकि वे हमारे मास्टर हैं। विगत सात-आठ महीनों का लेखा-जोखा हमें उनके समक्ष प्रस्तुत करना है।

महोदय, किसानों को 2500 करोड़ रुपए की राजसहायता का ही परिणाम है कि हमारे कृषि क्षेत्र का उत्पादन 191 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यही एक मुद्दा है जिसे मैं कहना चाहता हूँ।

एक विभिन्न राजनीतिक वातावरण में काम करने के फलस्वरूप हमने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस साझा सरकार में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सम्मिलित हैं और मैं एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। यह मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दो दिनों तक दिल्ली में चला। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। यह निर्णय उन सात क्षेत्रों का पता लगाना था, जो सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचार में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और उनके लिए अधिक धन आवंटित किया जा सके। 1996-97 का पहला बजट डा. मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। चुनाव के बाद 1996-97 के लिए दूसरा बजट सभा में पेश करने का अवसर हमें मिला। उस उद्देश्य के लिए, उन नौ महीनों के बजट में हमने 2,466 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया था और उसे सभी राज्यों में वितरित किया गया था। इसमें किसी एक पार्टी की सरकार या दूसरी पार्टी की सरकार के बीच कोई भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने एक दृढ़ निश्चय लिया है। हमारी पार्टी द्वारा लिया गया यह दूसरा कदम था।

मैं अपने वर्ष 1996-97 के बजट की कुछ मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करता हूँ। मैं इसका श्रेय नहीं लेता। तीन वर्ष और दस महीने की अल्पावधि के लिए मैं भी इस सभा का सदस्य था। जब मैंने "राज्यपाल का अभिभाषण" शब्दों का उपयोग किया तब कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। 35 वर्षों तक मैं विधान सभा में था... *(व्यवधान)* हम आजकल ऐसी ही प्रक्रिया अपनाते हैं। चार वर्षों तक मैं वहाँ बैठता था। हमारे वरिष्ठ नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां मौजूद थे। श्री जार्ज फर्नान्डीज और हम साथ-साथ थे। सौभाग्य से जब मैं वहां बैठता था तब भी मैं उनके नजदीक नहीं आ पाता था ... *(व्यवधान)* मैं वहां बैठा करता था।

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

मैंने भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ से इसी सभा में—हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठते थे—फास्फेटिक उर्वरक और डाईअमोनियम सल्फेट पर राजसहायता फिर से बहाल करने का अनुरोध किया था, अन्यथा कृषि समुदायों को नुकसान उठाना पड़ेगा। रिकार्ड से इस बात का पता चल सकता है। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि मैं इस देश का प्रधान मंत्री बनने जा रहा हूँ। ... *(व्यवधान)*

पहला निर्णय जो हमने लिया वह यह है कि कृषि समुदाय से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाया जाए। हमने सिंचाई हेतु बजट उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार से केवल इसी सभा में ही नहीं अनुरोध किया था बल्कि बाद में प्रधान मंत्री और सिंचाई मंत्री से भी इस दिशा में अनुरोध किया था। हमने सिंचाई कार्य में तीव्रता लाने के लिए 900 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। डा. मुरली मनोहर जोशी इस सभा में मौजूद नहीं हैं। हमने 18 हार्स पावर वाले ट्रैक्टरों और पावर टीलरों पर राज सहायता उपलब्ध करायी है।

यह सरकार ग्रामीण जनता के प्रति वचनबद्ध है। यह सरकार समाज के विशेषकर कृषि क्षेत्र से संबंधित कमजोर तबके के लोगों के प्रति वचनबद्ध है *(व्यवधान)*। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा... *(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण जारी रखें। यदि वे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे बाद में पूछ सकते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, गंदी बस्तियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। हम सभी धनी व्यक्ति हैं और यही कारण है कि हमने इन लोगों के लिए इस बजट में 250 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

महोदय, हमने अब तक जो किया उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह श्रेय लेने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। देश के बाहर यह धारणा बनी हुई है कि यहाँ लाल-फीताशाही, भ्रष्टाचार और नौकरशाहों द्वारा निवेश में अड़चन होती है। विदेशों में देश के बारे में यही धारणा है। डा. मनमोहन सिंह ने स्वत: इस बात को स्वीकार किया है कि प्रक्रियात्मक संबंधी अड़चनों के फलस्वरूप वह विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे सके। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। हमने आर्थिक सुधारों में, चाहे वह आधारभूत संस्थापनाओं का विकास या औद्योगिक विकास हो; या कृषि क्षेत्र या ऊर्जा क्षेत्र हेतु निजी निवेश हेतु धन हो, तीव्रता लाने के मुख्य उद्देश्य से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हेतु कुछ कदम उठाये हैं।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन था। मैंने उद्योग मंत्री को शक्तियाँ सौंपी थी। चार या पाँच महीनों की छोटी कालावधि के भीतर केन्द्र सरकार के समक्ष, मेरे विचार से सात मिलियन डालर की धनराशि वाली लम्बित सभी परियोजनाओं का निपटान कर दिया गया था।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): इसमें हवाला धनराशि कितनी थी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्रीमान्, यह पूर्णत: अस्वीकार्य... *(व्यवधान)* क्या यह व्यवधान के रूप में भी उचित था? प्रधान मंत्री के भाषण में टोकाटाकी करने की भी एक सीमा होनी चाहिए जब वह अभिभाषण का उत्तर दे रहे हैं। निराधार आरोप लगाने की भी एक हद होनी चाहिए। क्या विपक्ष के नेता इसका समर्थन करेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। कृपया इसे दोहराएँ ... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने कहा कि हवाला धनराशि क्या थी... *(व्यवधान)* इस बात का क्या अर्थ है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हम किसी भी प्रकार के व्यवधानों के पक्ष में नहीं हैं। प्रधानमंत्री यह जानते हैं ... *(व्यवधान)*

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): इसकी कोई सीमा होनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने नेताओं को स्थिति से निपटने क्यों नहीं देते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्रीमान्, मैं न केवल भाजपा के सदस्यों से बल्कि सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि इन नौ महीनों में यदि हम किसी घोटाले में या किसी हवाला में लिप्त रहे हैं— कृपया हर स्तर पर राजनीति न करें– मैं फिर से दुहराना चाहूंगा कि यदि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान यदि कोई घोटाला हुआ हो या कोई हवाला लेन देन हुआ है तो मामले को सभा के समक्ष लाया जाये और इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यदि मैं संलिप्त हूं, तो मैं इसी सभा में अपना त्यागपत्र दे दूंगा। यदि मेरे सहयोगी संलिप्त हैं, मैं उन्हें हटा दूंगा। मैं आपको इस हद तक आश्वस्त कर सकता हूं। कृपया भगवान के वास्ते, हमें ऐसे ही मत छोड़िए। आपको अविश्वास प्रस्ताव या नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाने का पूरा अधिकार और विशेषाधिकार है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): आपकी सरकार के मंत्री ने 546 करोड़ रुपये के एक मामले के बारे में उत्तर नहीं दिया। यह एक बड़ा घोटाला है... *(व्यवधान)* मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था ... *(व्यवधान)* .. उसे सभा में स्वीकारा गया था परन्तु वह नामों को सामने नहीं ला रहे हैं ... *(व्यवधान)* वे क्या बात कर रहे हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं सुनने के लिए तैयार हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: मैंने मात्र यह कहा था 'यह सरकार', पिछले नौ महीनों में देवेगौड़ा के नेतृत्व में केन्द्र सरकार।

श्री बनवारी लाल पुरोहित: मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आप उस पत्र को सम्भाल कर रखिए। उस पत्र को बेकार मत जाने दीजिए। उसे एक उचित समय पर प्रयोग में लाइए। बस यही मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल यह देखने के लिए किया गया था कि परियोजनाओं को समय पर निपटाया जाए, निवेशकों में विश्वास पैदा हो और नौकरशाही या राजनीतिक किसी भी स्तर पर कोई विलम्ब न हो। इस पृष्ठभूमि के साथ मैंने यह निर्णय लिया था।

बिजली परियोजनाओं के बारे में, आठ वृहत् बिजली परियोजनाएं थी जिनके लिए पूर्व सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए थे। केवल दो बिजली परियोजनाओं में सरकार द्वारा प्रति-गारन्टी दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने, जब शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे, इनरान परियोजना को मंजूरी दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, हम सभी बातों को जानते हैं। तत्पश्चात् वर्तमान सरकार न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र दाखिल करने की सीमा तक गई थी। जो कुछ भी आरोप लगाए गए थे वो मात्र राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत लगाए गए थे और कुछ भी गलत नहीं है। यह है उसकी स्थिति।

ऐसा क्यों है कि आठवीं योजना में हम बिजली क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। मैं आंकड़ों संबंधी ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। आज की स्थिति में एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बिजली की समस्या अत्यंत गम्भीर है। यदि मात्र तीन घण्टों, चार घण्टों, या ज्यादा से ज्यादा छह घण्टों के लिए भी किसी राज्य में बिजली कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है तो वह राज्य सर्वाधिक खुशहाल राज्य है। एक या दो राज्यों के अलावा, सभी जगह बिजली की समस्या गम्भीर है।

आगामी पांच वर्षों में, यदि हम लक्ष्य जो कि हमने नौवीं योजना के लिए निर्धारित किया है को प्राप्त करना है तो न केवल बिजली के उत्पादन बल्कि वितरण और आवंटन के लिए भी—यह कुल मिलाकर लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं—हम धन को कैसे प्राप्त करेंगे। हम संसाधनों को कैसे उत्पन्न करेंगे? क्या हमारे लिये स्वदेशी या विश्व स्तरीय निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाए बिना संसाधनों को उत्पन्न करना सम्भव है? हमने यह निर्णय इसलिए लिया था कि इन परियोजनाओं में विलम्ब न हो। इस सरकार के बारे में विदेशी निवेशकों में सबसे पहले यह शंका थी कि क्या यह सरकार बचेगी और क्या वहाँ पर स्थिरता होगी? उन लोगों के अनुसार सरकार की जिन्दगी बीच में फंसी हुई थी। हर दिन जब आप मीडिया और समाचार पत्रों का अवलोकन करते थे तो आपको पहला मुद्दा यह मिलता था कि यह सरकार कल जाएगी, या अगले सप्ताह जाएगी, लेकिन हमने नौ महीने पूरे कर लिए हैं। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जिन विषयों पर हम निर्णय लेना चाहते थे, हमने निर्णय लिया। यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये मेरी चिन्ता नहीं है।

आज, पूरे देश में और पूरे विश्व में मेरे साथी चिदम्बरम महोदय द्वारा बजट के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक माहौल उत्पन्न हुआ है। आज सभी ओर से निवेशकों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, आम आदमी द्वारा प्रशंसा की जा रही है। यह राय है जो कि हमने कायम की है।

मैं उन क्षेत्रों को गिनाना चाह रहा हूं जिनको हमने बजट में सम्मिलित किया है। बिजली क्षेत्र, हाँ, मैंने इसको विकेन्द्रीकृत किया। मैंने इसे राज्यों के लिए छोड़ दिया। 250 मेगावाट्स तक की परियोजनाओं को राज्य मंजूरी दे सकते हैं। उनको हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे अधिक परिमाण की बिजली परियोजना लगाना चाहते हैं तो उन्हें आना होगा और वो भी मात्र तीन बातों के लिए। एक ईंधन है क्योंकि हमें इसका आवंटन करना होता है इसके बाद में आवंटन की समस्या आती है; यदि वे अधिक बिजली पैदा करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रिड को इसे खरीदने के लिए सहमत होना होगा।

तकनीकी व्यवहार्यता और मूल्य नियतन के बारे में, मान लीजिए कि एक राज्य 6 रुपए प्रति यूनिट कहता है तो हम कैसे खरीद सकते हैं? केवल इन तीन मुद्दों पर केन्द्र सरकार से या संघ सरकार से परामर्श करने के लिए हमने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि दो महीनों या आठ सप्ताह के भीतर हम इन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले हैं। परियोजना का परिमाण और आकार चाहे जो भी हो, हम इसे रोकना नहीं चाहते, हम अनावश्यक रूप से इसमें विलम्ब नहीं करना चाहते। यदि यह 250 किलोवाट और अधिक है तब उन्हें केन्द्र सरकार के पास आना होगा। इस प्रकार हमने शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है और राज्य सरकारों से सहयोग का अनुरोध किया है।

श्रीमान्, कुछ लम्बित मामलों के बारे में जैसे नेपाल और हमारे देश के बीच महाकाली संधि, बंगला देश और भारत के बीच नदी जल का बंटवारा, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने एक चमत्कार कर दिया है परन्तु हमने अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सच्चे दिल से प्रयास किए हैं। आप चाहे प्रशंसा करे या नहीं अब लोग ही इस बात का निर्णय करेंगे। मैं चिन्तित नहीं हूँ। परन्तु बात यह है कि हमने इसे सात या आठ महीनों की छोटी कालावधि में किया। मैं इसे एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं लेने जा रहा हूँ; यह इस सभा की उपलब्धि है क्योंकि आप सभी ने सहयोग दिया और हमने अपनी ओर से देश के लिए कुछ कार्य किया।

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मामले में भी, यदि आप लोग सहयोग नहीं करते, यदि देश के लोग सहयोग नहीं देते। तब सरकार के लिए इस प्रकार कठिन निर्णय लेना सम्भव नहीं हो पाता। मैं कह सकता हूं कि यह एक अल्पमत सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कांग्रेस के बाहरी समर्थन सहित 330 माननीय सदस्य हैं। यह एक दूसरा विषय है। जब तक मुझे लोगों का सहयोग न मिले, जब तक कि मुझे सभा का सहयोग न मिले, मेरे लिए कतिपय कठोर निर्णयों को ले पाना वास्तविक रूप से कठिन होता। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मुद्दे पर भी, यह अपेक्षा रखते हुए कि सभा हमारा साथ देगी, हमने कठोर निर्णय लिया। उस बात के लिए, मैं पूरी सभा के प्रति उनके सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

जब हमने पृथ्वी के सफल प्रक्षेपण पर अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी तो उस दिन कुछ लोगों ने पूछा था कि अग्नि के बारे में क्या प्रगति है? दूसरा पक्ष भी अपनी चिन्ता को व्यक्त कर रहा था। मैं सभा से कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सरकार द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को आवश्यक समर्थन देने का संबंध है, हम पूरा सहयोग देंगे। "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र के विषय में भी हम पूर्ण सहयोग देंगे। यही मैं इस समय कह सकता हूं।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि आज भी, स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद जब हम 1997 में स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, मेरे विचार से छह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आन्ध्र प्रदेश

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: नहीं, वह असम है। ऐसे छह राज्य हैं।

जहाँ तक उत्तर पूर्वी राज्यों का संबंध है, वे एक साथ, एक अलग वर्ग में आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में न केवल पिछड़ापन अपितु वहाँ पर उग्रवाद की भी समस्या है। मैं विवरण देने जा रहा हूँ कि हमने वहाँ पर क्या किया। मैंने व्यक्तिगत रुचि ली और अपने सभी अधिकारियों को वहाँ लेकर गया। मैं वहाँ पर साढ़े छह दिन रुका। राजनीति को परे रखकर, मैंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों, ईसाई मिशनरियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हो, के साथ बैठकें की। मैं समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रति सूचना प्राप्त करने के लिए मिलने का प्रयास किया। मैंने गोहाटी छोड़ने से पहले एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् हमने 6100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को विनिर्दिष्ट किया। वहाँ गृह सचिव भी थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के सम्मुख उल्लेखित करना चाहूँगा कि उन सभी कार्यों को वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जा चुका है और कुछ प्रमुख परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। श्रीमान् कुछ आबंटनों को प्रथम वर्ष 1997-98 के लिए किया गया और अधिक प्रमुख परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया।

कश्मीर में भी यही स्थिति है। मैंने वहां तीन दौरे किए। मैंने वहां कुछ वित्तीय पैकेजों की भी घोषणा की थी। महोदय, ईमानदारी से कहूं, हम उस वित्तीय पैकेज को लागू करना चाहते थे जिसकी हमने घोषणा की थी। उन सभी को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस वर्ष के बजट में भी हमने कुछ धनराशि प्रदान की है। इसका ब्यौरा वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। वे सभी महत्वपूर्ण कार्य भी नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाए गए थे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): बिहार के संबंध में आपका क्या कहना है?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: हमने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया है। मैंने आर्थिक पैकेज केवल पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लिए ही घोषित किए हैं।

श्री नीतीश कुमार: आपने बिहार से गंगा जल लिया है परन्तु आपने बिहार के हित का ध्यान नहीं रखा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आप इन छह राज्यों के लिए भी कोई पैकेज की घोषणा प्रस्तुत करें। ... *(व्यवधान)* आप बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज दिये जाने पर कब विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): छह महीने से ज्यादा हो गए हैं। कश्मीर के एक भी प्रोजैक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया इन्तजार करें। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी अब आप जारी रख सकते हैं।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: चिन्ता न करें।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर): प्रधान मंत्री जी पहले भाषण समाप्त कर लें। शंका और समाधान की बात बाद में हो जाएगी। अगर माननीय सदस्य ऐसे ही टोकते रहेंगे और प्रधान मंत्री उनका जवाब देते रहेंगे तो भाषण का सिलसिला टूट जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: महोदय, माननीय सदस्य की सुविधा के लिए मैं इस सूची से आंकड़ों को पढ़कर सुनाता हूँ। इस सूची में केन्द्रीय कार्य शामिल हैं जिसमें वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना शामिल है।

इस वर्ष हमने उधमपुर-बारामुला रेलवे लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। हमने चालू वर्ष के बजट में उड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये; 112 करोड़ रुपये दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के लिए; राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु एक वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपये; 10 करोड़ रुपये मुगल सड़क के लिए; 2.4 करोड़ रुपये लेह में एक कन्वेंशन केन्द्र की स्थापना के लिए; 23 करोड़ रुपये कारगिल हवाई अड्डे के विकास के लिए; 300 करोड़ रुपये ग्रामीण आधार संरचना और मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए और पाँच करोड़ रुपये डल झील के अवमल संघटक के लिए दिए हैं। उधार लेने वालों को मिलने वाली ऋण राहत लगभग 118 करोड़ रुपये हो गई है। हमने 50,000 रुपये की दर से ऋण माफ किया है।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की सूची में उधमपुर-बारामुला रेलवे लाइन के लिए 2,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को भी शामिल किया है और उसके लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। कारगिल हवाई अड्डे के विकास के कार्य को भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और इसके लिए हमने 23 करोड़ रुपये दिए हैं। हम इसे पूरा करना चाहते हैं परन्तु यदि यह कार्य आगे चला तो यह अगले वर्ष भी जारी रहेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय इससे और अधिक असंतुलन होगा।

अध्यक्ष महोदय: रूडी जी, आपको हस्तक्षेप करने की बहुत ज्यादा आदत है।

... (व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, जम्मू-कश्मीर के माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमने राज्य के लिए क्या किया है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त: 700 करोड़ रुपयों में से 400 करोड़ रुपया दिया।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, पहली बार एक वित्त वर्ष में जम्मू-कश्मीर के लिए 1550 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना है।

इसी प्रकार, हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज दिए हैं। मेरे पास सूची है जो स्वीकृत की जा चुकी है और चालू वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा चुकी है। मैं वे सभी बातें यहाँ पढ़ना नहीं चाहता परन्तु अगर यह आवश्यक होगा तो मैं इसे सभी माननीय सदस्यों में परिचालित कर दूँगा। यह सूची उन कार्यों को दर्शाती है जो हमने चालू वर्ष के बजट और नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़): नर्मदा योजना के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: पहले मुझे अपना अभिभाषण पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे सहयोग दें।

महोदय, यह दस्तावेज, राष्ट्रपति का अभिभाषण, सामान्यत: एक नीतिगत दस्तावेज है। इसमें अगले वर्ष, अर्थात् 1997-98 के लिए हमारे कार्यक्रमों का विवरण है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए उनके अभिभाषण में घोषित कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निधियां आवंटित की गई है या नहीं। इसमें आगे यह कहा गया है कि क्या हमने उन कार्यक्रमों के बारे में सोचा है या नहीं। ... *(व्यवधान)*। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे मेरी बात समझने की कोशिश करें।

महोदय, न्यूनतम मौलिक सेवा कार्यों के लिए पिछली बार हमने 2446 करोड़ रुपये दिये थे और इस बार हमने इसे बढ़ाकर 3300 करोड़ रुपये कर दिया है। हमने पी.डी.एस. के लिए 8000 करोड़ रुपये दिए हैं।

जार्ज साहिब और मैंने संयुक्त रूप से एक जन सभा को संबोधित किया है। उर्वरक सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी के संबंध में हमने संयुक्त रूप से एक जन सभा को संबोधित किया था। कम से कम आपको इतना तो कहना चाहिए "आपने कुछ अच्छा काम किया है"। आपको ऐसा जरूर कहना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया। ... *(व्यवधान)* जरा रुकिए। असम को इस श्रेणी के अन्तर्गत 472 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। केरल को मिलने वाला धन सबसे अधिक है क्योंकि उन्होंने इस स्कीम को शुरू से लागू किया है। केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जहां तक मुझे ज्ञात है महाराष्ट्र ने भी इस स्कीम को पहले ही लागू कर दिया है। चूंकि इन सभी राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

दिया है और पी.डी.एस. को राज सहायता दे दी है इसलिए उन्हें कुछ और धन मिलेगा। अन्य राज्य उन लोगों की पहचान करें जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और हमने इस संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। ... *(व्यवधान)*। मैं प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि के संबंध में बताऊंगा। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): हरियाणा को कितना धन दिया है? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्नकाल नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आन्ध्र प्रदेश को लगभग 452 करोड़ रुपये, असम को 472 करोड़ रुपये, बिहार को 314 करोड़ रुपये, गुजरात को 279 करोड़ रुपये और जम्मू को 536 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यह राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित लकड़ावाला सिद्धान्तों पर आधारित है। यह योजना आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों और दिशानिर्देशों पर आधारित है। 8000 करोड़ रुपये की यह धनराशि राज्य में इस स्कीम को कार्यान्वित किये जाने से लाभान्वित लोगों में वितरित की जाएगी। अगर कोई राज्य इस घोषित स्कीम का लाभ नहीं उठा रहा है तो हम उसे सीधे नहीं... *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: हरियाणा में बहुत गरीब रहते हैं। जब आप सभी राज्यों का बता रहे हैं तो हरियाणा का भी बता दीजिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: खाद्य सब्सिडी और कृषि सब्सिडी दोनों मिलाकर लगभग 17,800 करोड़ रुपये होता है। जब तक राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू नहीं करती तब तक सब्सिडी की राशि को जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। हम किसी राज्य को तब तक यह राशि जारी नहीं करेंगे जब तक वे हमें सहयोग नहीं करते, लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान करके उन्हें कार्ड जारी नहीं करते और सभी प्रकार की आधार-संरचना तैयार नहीं करते। विशेषकर, इस धन को किसी अन्य काम के लिए लगाए जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है कि कम से कम अगले दो महीनों में लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान कर ली जाए। यह धन व्यापारियों के पास नहीं जाना चाहिए। यह सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि यह अपार धनराशि निहित स्वार्थ वाले लोगों की जेबों में न जाए। मैं इस सदन के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों को यही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे इस मौके का लाभ उठाएं और इस स्कीम को यथाशीघ्र लागू करने की कोशिश करें। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी): राज्यपाल महोदय से भी माँग लीजिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, अब मैं सिंचाई क्षेत्र के संबंध में बात करता हूँ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? श्री शरद पवार जी ने अनेक मुद्दों का उल्लेख किया है। अब हम सब के समक्ष क्या उत्तरदायित्व है? केवल विद्युत क्षेत्र में 3,20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सभी लम्बित सिंचाई कार्यों अथवा उन कार्यों को पूरा करने के लिए, जो विगत कई वर्षों से लटक रहे हैं, हमें लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.... *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : आप केवल श्री शरद पवार का ध्यान रखे। अन्य लोग भी बोले हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आपने आधारभूत न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिया है। कृषि क्षेत्र के संबंध में अपने भाषण में आपने भी इन सभी बातों का उल्लेख किया है। केवल विद्युत क्षेत्र में, आपने हमारे समक्ष जो भार है उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। आधिकारिक आंकड़ा 3,51,000 करोड़ रुपये का है।

जहाँ तक सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है 194 बड़ी तथा 176 मध्यम स्तर की परियोजनाएं विगत 20-25 वर्षों से लम्बित हैं। इन परियोजनाओं को वर्तमान दर से पूरा करने के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आखिरकार, हमने केवल 1300 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

महोदय, आवास के लिए हमने शहरी लोगों के लिए, जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं, 330 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और हमने पहली बार यह योजना चलाने का प्रयास किया है। मेरे विचार से यह देश समाज के केवल कुछ धनी वर्गों का ही नहीं है। उन लोगों की कोई आवाज नहीं है। गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे पास अम्बेडकर योजना अथवा इन्दिरा आवास योजना है। ... *(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : लाभार्थियों का चयन बहुत दोषपूर्ण है... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं यह जानता हूं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप अपना धैर्य क्यों छोड़ रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना तथा अम्बेडकर योजना भूमिहीनों तथा उन लोगों के लिए है जिनके पास छतें नहीं हैं। जिस व्यक्ति के पास दो एकड़, तीन एकड़ अथवा पांच एकड़

भूमि है तथा जो कुछ घर बनाना चाहते हैं जिनमें कुछ आधुनिक सुविधाएं होगी, ऐसा कोई नहीं है जो उसके लिए धनराशि देना चाहे। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र: लाभार्थियों का चयन त्रुटिपूर्ण है। धनराशि उचित रूप से वितरित नहीं की जा रही है। यह आपके ध्यान में पहले ही लायी जा चुकी है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: इन्दिरा आवास योजना तथा अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान उन मकानों के लिए की जानी है जो हम आवंटित कर रहे हैं अथवा उन निधियों के लिए जो हम आवंटित कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्यों की एक मांग यह देखना है कि लाभार्थियों की पहचान हमारे द्वारा की जाये। यह एक मांग है। लेकिन एकमात्र बात यह है कि पंचायतराज संस्थाएं हैं, जिसको हमने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है। यह मामला कि क्या हमें लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पुन: शक्तियाँ लेनी चाहिए अथवा उनको अनुमति लेने के बारे में सभा द्वारा पुन: निर्णय किया जाना है। महोदय, मेरा मार्गदर्शन केवल यह सभा करेगी। मैं इस चरण पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट): इंदिरा आवास स्कीम में एम.पीज. को शामिल नहीं किया जा रहा है। केवल जिले के कलक्टर पैसे को तकसीम कर रहे हैं। यह केन्द्र सरकार की स्कीम है इसलिए संसद सदस्यों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। *(व्यवधान)* पहली बार हमने वित्तीय संस्थाओं से, चाहे वह जीवन बीमा निगम हो या बैंककारी संस्था हो, प्रति मकान 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की है। इस बार प्रारम्भ में हम 50,000 लाभार्थियों की पहचान करना चाहते थे। हम यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ करना चाहते हैं। मैंने स्वयं कुछ वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालक अधिकारियों के साथ चर्चा की जिन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम मकान की मूल्यवृद्धि की आशा नहीं कर सकते जैसाकि हम शहरी क्षेत्रों में करते हैं। उसके अतिरिक्त, हम भूमि को समानान्तर प्रतिभूति के रूप में नहीं ले सकते। इसी वजह से हम जोखिम नहीं लेना चाहते। वे इस प्रश्न कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं, के उत्तर में यह तर्क देने का प्रयास करते हैं। जब मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, तो वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस देश में, किसी को इस विषय पर चर्चा चलानी थी। मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या यह भाग्य है जो मेरे सिर पर रहा है लेकिन अब इस उत्तरदायित्व को निभाया गया है।

मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। बैंककारी क्षेत्र में 39000 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): क्या श्री पी. चिदम्बरम कुछ नहीं कर रहे हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: वे भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये कल ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। लगभग 4000 और कुछ करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण पहले ही माफ कर दिये गये हैं। हमने कई बार ग्रामीण लोगों के बारे में सोचा क्योंकि वे संगठित नहीं हैं, उनका कोई आवास नहीं है और हमें कुछ करना है।

कल बजट भाषण में श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि पहली बार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़कर 6000 करोड़ रुपये हो गया था। क्या यह उपलब्धि नहीं है? हम उससे भी आगे जाना चाहते थे। इस संबंध में किसी प्रकार के संकोच का प्रश्न नहीं है। हमने अवसरंचनात्मक विकास निधि प्रदान की है जो तीसरे चरण में है, और जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 3300 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। मेरे साथी, श्री येरानायडू, जो इस सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना को देख रहे हैं, जानते हैं कि केवल ग्रामीण विकास के लिए हमने इस बार लगभग 9000 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। 8000 करोड़ रुपये योजना व्यय के अन्तर्गत हैं। हमने इसे बढ़ाकर 9000 करोड़ रुपये कर दिया है। क्या यह गरीब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमने यह किया है? जो कार्यक्रम हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा प्रारम्भ किया है वह मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है। हमने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी पर्याप्त तोशक, पर्याप्त आवंटन प्रदान किए हैं।

कस्तूरबा गांधी के नाम पर हमने एक नई योजना चलाई है, अर्थात् लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल प्रारम्भ किए हैं। हमने लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों के लिए 250 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

जब मैं मेवाड़ क्षेत्र में गया, तो मैंने यह जाना कि दो प्रतिशत लोग भी शिक्षित नहीं हैं। वहां रहने वाले अस्सी प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं। जब मैं मध्य प्रदेश गया—हमारे कुछ संसद सदस्य, जो यहां हैं वे यह जानते हैं—तो एक जनजातीय सम्मेलन में जनजातियों द्वारा दिये गये ज्ञापन में यह दर्शाया गया था कि जनजातीय क्षेत्र में यहां तक कि दो प्रतिशत भी साक्षरता नहीं है। मैंने वित्त मंत्री को यह कहा कि हम इसे इस तरह जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। आवासीय स्कूलों को चलाने का सारा उत्तरदायित्व, योजना, आवास, वस्त्र, पुस्तकें, सभी कुछ सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। हमने 200 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। प्रत्येक स्कूल पर एक करोड़ रुपये व्यय होगा और 250 स्कूल हैं। हम स्वयं इसं वर्ष 250 स्कूल प्रारम्भ कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): प्रधान मंत्री जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पैंतालीस

[कुमारी ममता बनर्जी]

बालिका स्कूलों की पहले ही मान्यता समाप्त कर दी है। मान्यता समाप्त करने का अर्थ यह है कि सरकार ने स्कूलों का अधिग्रहण किया। सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया है कि उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना चाहिए। इस तरह से उनका अधिग्रहण किया गया था। इसकी पहले ही घोषणा की गई है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी: यह सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रस्ताव से 45000 बालिकाएं प्रभावित हुई हैं। उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उसके बारे में क्या कहना है? *(व्यवधान)* उनके लिए कुछ कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यदि यह राज्य का विषय है तो भी मैं संबद्ध राज्य के मुख्य मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि कोई गम्भीर विचलन है तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। *(व्यवधान)* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य अल्पसंख्यकों तथा छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए हमने नि:शुल्क जल देने के लिए एक नई योजना 'गंगा कल्याण योजना' प्रारम्भ की है। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पांच वर्षों के लिए रख-रखाव प्रभार भी कल्याण विभाग के द्वारा वहन किये जायेंगे। हम पैसे देंगे और राज्य सरकार का काम केवल इसे कार्यान्वित करना है क्योंकि हम इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते। हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए चाहे यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की बात हो या 'गंगा कल्याण योजना' अथवा 'आवास योजना' के कार्यान्वयन की बात हो। इस वर्ष हम दस लाख शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने जा रहे हैं परन्तु इन लाभान्वितों की पहचान का कार्य राज्य सरकारें करेंगी। मुझे राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे लिए इन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन असंभव हो जायेगा। इसलिए मैं सभी मुख्य मंत्रियों, चाहे वे किसी भी दल के हों, से अपील करता हूँ कि वे इनमें से कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार का सहयोग करें क्योंकि ये समाज के कमजोर वर्ग के लिए सहायक होंगी। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

दूसरी बात मूल्यवृद्धि के बारे में है। सदस्यों द्वारा उठाया गया यह प्रमुख मुद्दा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने इस बात का पता लगवाया कि क्या हम अचानक छापे डाल सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकारें सहयोग न करें, यह संभव नहीं है। इसलिए, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों के साथ सख्ती से निपटे। एक दो राज्यों ने सहयोग किया है... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: उन राज्यों के क्या नाम हैं... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं अन्य राज्यों पर सन्देह नहीं करना चाहता। मैं उनसे केवल जमाखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने की अपील करता हूं। अन्यथा, केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। केन्द्र सरकार तो उन्हें केवल सुझाव दे सकती है। जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, केन्द्र उन पर केवल कड़ी कार्यवाही करने के लिए दबाव डाल सकती है। .. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें। आपको सबका जबाब देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो उसका कहीं अन्त नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: गरीब राज्यों के गरीब लोगों का क्या होगा... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विद्युत मंत्रालय पर 8,512 करोड़ रुपये बकाया है। एक दो को छोड़कर प्राय: सभी बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य सरकारों से कैसे सहयोग करें। बिजली की आपूर्ति के लिए हम नेशनल पावरग्रिड के लिए क्या कर रहे हैं? कुल 8,512 करोड़ रुपये बकाया है जिसमें उत्तर प्रदेश पर 1791 करोड़ रुपये, बिहार पर 1771 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 876 करोड़ रुपये, दिल्ली पर 863 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश पर 697 करोड़ रुपए, हरियाणा पर 571 करोड़ रुपए, जम्मू और कश्मीर पर 325 करोड़ रुपये ... *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: बिहार के बारे में क्या हुआ?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: उसे बट्टे खाते में डाल दीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हम उसे बट्टे खाते में डाल सकते हैं। यह तो बहुत आसान है.. *(व्यवधान)* यहां तक कि कोयले की आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों को 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा केन्द्र सरकार को अर्थात् रेलवे और कोयला मंत्रालय को देय है। जब तक वे हमारे साथ सहयोग नहीं करते, वही सुविधाएं देना कठिन है। अब हमने 'नकद भुगतान करो और ले जाओ' के आधार पर देने का निर्णय लिया है। अन्यथा, राज्यों को अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वे सोचते हैं कि केन्द्र सरकार सब कुछ उपलब्ध करा सकती है। हमारे लिए यह व्यावहारिक रूप से असंभव है और हमने इसे स्पष्ट कर दिया है कि आज के बाद यह 'नकद भुगतान करो और ले जाओ' के आधार पर ही होगा। इसलिए, लिए गए निर्णयों में से यह एक है। मुझे सदन का सहयोग चाहिए।

कुछ सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की समस्या तथा अन्य मुद्दे उठाए हैं। मैं इनका उल्लेख करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: पिछड़े राज्यों के बारे में क्या विचार है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हमने जो नई योजनाएं लागू की हैं उसमें पिछड़े राज्यों को भी काफी बड़ा हिस्सा मिलेगा। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ही नहीं... *(व्यवधान)* उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिलेगा... *(व्यवधान)* उन्हें हिस्सा मिलेगा।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों को नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस पर चर्चा के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर में विधान सभा का सफल चुनाव और लोकप्रिय सरकार का गठन, राज्य में सामान्य जन-जीवन बहाल करने और राज्य को आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करने के बारे में एक बड़ा कदम है। राज्य में चुनाव के बाद सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। शान्ति भंग करने के लिए की गई कुछ हिंसक घटनाएं सामान्य जन-जीवन की पूर्ण बहाली के रास्ते में रोड़ा अटका रही हैं। ये घटनाएं आतंकवादियों और सीमा पार उनके संरक्षकों के राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करने के इरादों की असफलता के परिणामस्वरूप उपजी निराशा का प्रतिफल है। हम स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं और राज्य सरकार के सतत् सम्पर्क में हैं। मैंने गत तीन महीनों में राज्य का तीन बार दौरा किया और यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई थी उसे पूरा किया जाए।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की अशान्त स्थिति निश्चय ही चिन्ता का विषय है। हाल के सप्ताहों में त्रिपुरा में हिंसक वारदातों में वृद्धि हुई है। असम और मणिपुर की हालत भी सन्तोषजनक नहीं है। मैंने पूर्वोत्तर के सात राज्यों में लोगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए इन राज्यों का गत वर्ष अक्तूबर में दौरा किया था। यात्रा के अन्त में मैंने राज्य में सामान्य जन-जीवन की बहाली और इस क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनेक नई पहलों' से युक्त कार्यक्रमों के एक पैकेज की घोषणा की थी। हम इस पैकेज में उल्लिखित योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन निगरानी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं में अन्तर का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षितों को रोजगार देने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने तत्परता के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपने पूर्वोत्तर के दौरों के दौरान, मैंने इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए राजनैतिक समाधान हेतु भूमिगत संगठनों से बिना शर्त वार्ता का आह्वान किया था। मेरा यह भी आकलन था कि इन सभी क्षेत्रों के लोग बड़ी बेसब्री से शान्ति और सामान्य जन-जीवन की बहाली चाहते थे जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने काम-धन्धे कर सकें और बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। मेरे आह्वान का 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड' ने जवाब दिया और मैंने इस संगठन के चेयरमैन, श्री आइसैक स्वू और महासचिव श्री मुरवाह से मुलाकात की। यह सहमति हुई कि आगे और वार्ता होगी। मैंने नागालैंड के मुख्य मंत्री और अन्य नेताओं से भी इस मुद्दे पर बात की और जहां तक नागालैंड में सामान्य जन-जीवन की बहाली की बात है वे अपना पूर्ण समर्थन देने पर सहमत हो गए हैं।

यह बहुत ही उलझा हुआ मामला है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मैं इस प्रगति से सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का रास्ता अपनाए संगठनों से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत करने का फिर आह्वान करता हूं जिससे स्वीकार्य हल निकाला जा सके। इस मुद्दे पर सदन बहुत चिन्तित है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है, सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर प्रयास किया है कि हमें कुछ आदिवासी तथा उग्रवादी संगठनों का सहयोग मिल सके। इसीलिए, मैंने बिना शर्त आह्वान किया है और दो नेताओं ने हमसे मुलाकात भी की और अपना आश्वासन भी दिया है। राज्य सरकार और अनेक नेताओं के सहयोग से इन तीन-चार राज्यों में सामान्य जन-जीवन की बहाली हो सके, हमें यही देखना है। हमें सामान्य जन-जीवन की बहाली अवश्य करनी है। यह बहुत कठिन कार्य है, सदन इस बात से अवगत है पर हम भरसक प्रयास करेंगे। मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस सदन को आश्वासन देता हूं... *(व्यवधान)*

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार विद्रोह को विफल करने की कार्यवाही पर आने वाली लागत में हिस्सा देगी?

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर): पिछली सरकार ने और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने के.बी.के. के लिए करीब 5,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। आप भी उस विशेष पिछड़े क्षेत्र में गए हैं और आपने भी उस पिछड़े क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा के लिए 50 करोड़ रुपये की घोषणा की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सूखा प्रवण क्षेत्रों की धनराशि को समायोजित करेंगे अथवा नहीं... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): प्रत्येक राज्य अपनी समस्याएं बता रहा है। अभी उन्हें जिलावार शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री महोदय कब तक जवाब देते रहेंगे? जब प्रधान मंत्री महोदय महत्वपूर्ण चर्चा का जबाव दे रहे हैं हमें कुछ तो शिष्टता दिखानी चाहिए। यदि कोई प्रश्न है तो वे उसे बाद में पूछ सकते हैं। पहले भी माननीय सदस्यों ने इस प्रक्रिया का पालन किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा न करें।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व): उन्होंने सोचा कि उनका भाषण समाप्त हो गया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कल मैंने उड़ीसा के बारे में वायदा किया था जिसके बारे में आपकी यह धारणा थी कि धनराशि जारी करते समय

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

मैंने उड़ीसा के प्रति भेदभाव किया है। उनका यह विचार था कि मैंने उड़ीसा का नहीं बल्कि आन्ध्र प्रदेश का समर्थन किया है। उनकी यह भावना या धारणा थी। मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कल मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि मैं सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए उड़ीसा को दी गई धनराशि के बारे में विस्तार से जवाब दूँगा। उड़ीसा के दौरे के बाद मैंने 50 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था। कल ये लोग संदेह कर रहे थे कि यह धनराशि जारी नहीं की जाएगी। उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को भी उठाया है। शुरू में हमने 106 करोड़ रुपये जारी किए और उसके बाद 38 करोड़ रुपये ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री जी, अब करीब 1.30 म.प. हो गए हैं, यदि आप प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देने के बजाए महत्वपूर्ण मुद्दों को समाप्त कर दें तो अच्छा होगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हालांकि पहले की धनराशि खर्च नहीं की गई है और धनराशि के उपयोग का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है फिर भी हमने कुल मिलाकर 144 करोड़ रुपये रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त नौवें वित्त आयोग के अनुसार राज्य अकाल राहत कोष की पूरी धनराशि जारी कर दी है तथा विशेष मामले के रूप में उड़ीसा को अकाल राहत कोष से 50 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय, आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का जबाब दें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं पांच मिनट में अपनी बात सभाप्त कर दूँगा।

इस सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हमारा इरादा अनेक रियायतें देकर विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने का नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी निवेश को आकर्षित किया जाए। हमें धन की आवश्यकता है मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं और हमने इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया है।

महोदय, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। इस सम्मानित सभा में अनेक अर्थशास्त्री हो सकते हैं। मैंने अनेक अर्थशास्त्रियों की सलाह ली है। मैंने 30 दिसम्बर, 1996 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी जिसमें उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और पूँजी निवेश के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। मैंने उनके साथ स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श किया। इस बैठक में वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हमने उनके विचार सुने। उनके दृष्टिकोणों का पता किया। इसके अतिरिक्त मैंने मुंबई में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों के साथ भेंट की। इस बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया था। उसके बाद मैं लघु उद्योगपतियों से अलग से मिला। मैंने उनके रवैये का पता किया और अन्ततः मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम कुछ रियायतें देकर पूँजी निवेश को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तब तक इस देश का तेजी से विकास असम्भव है।

महोदय, म्यांमार जैसे छोटे से देश में 4 बिलियन डालर का अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी निवेश हो रहा है। आज, चीन एक साम्यवादी देश है वहाँ भी 100 बिलियन डालर का पूँजी निवेश हुआ है। हमारे यहाँ भी आज तक 1.7 अथवा 1.8 बिलियन डालर का पूँजी निवेश हुआ है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष कम से कम 10 बिलियन डालर का पूँजी निवेश हो। हमने पूंजी निवेश के लिए विद्युत, खनन, कोयला और राजमार्ग क्षेत्र को खोल दिया है। हमने पूँजी निवेश के लिए इन कतिपय क्षेत्रों को खोला है... *(व्यवधान)* मेरे विचार से स्वास्थ्य बोमा क्षेत्र को पूँजी निवेश के लिए खोलने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा।

हमने इसके लिए संचार क्षेत्र को भी खोल दिया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे यहाँ पर्याप्त पूँजी निवेश है। अन्यथा विद्युत क्षेत्र के लिए 3,54,000 करोड़ रुपये कहाँ से आयेंगे? यह धन हमें कहाँ से मिलेगा? क्या हम इतनी राशि जुटाने की स्थिति में हैं? इन 50 वर्षों में हम कितने आन्तरिक संसाधन जुटा पाये हैं? इसके लिए ईमानदारी से प्रयास भी किए गये हैं। *(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री को इस संबंध में एक तथ्य बताना चाहती हूँ। बिहार की एक विद्युत परियोजना थी और ओ.ई.सी.एफ. उस परियोजना के लिए धनराशि देने का इच्छुक था। परन्तु आर्थिक मामलों का विभाग इसकी फाइल को दबाकर बैठ गया और उसने ओ.ई.सी.एफ. की पेशकश अस्वीकार कर दी। अब वह कह रहे हैं कि वह विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, हमने केवल निवेशकों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया है बल्कि हमने कृषि, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर भी विचार किया है। इस बार हमने मानव संसाधन विकास के लिए आवंटन में 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। हमने प्राथमिक शिक्षा और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया है। हमने सामाजिक क्षेत्र और अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया है? हमने मौलाना आजाद ट्रस्ट के लिए 40 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक विकास निगम के लिए 40 करोड़ तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस बार इन क्षेत्रों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सरकार केवल औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि कृषि विकास भी चाहती है। यह सरकार गरीबों का

ध्यान रखती है, चाहे वे अनुसूचित जातियों के हों या अनुसूचित जनजातियों के हों अथवा अल्पसंख्यकों के हों या समाज के गरीब वर्गों के हों। हमने इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक आवंटन करने हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं... *(व्यवधान)*

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, राष्ट्रीय नदी जल नीति का क्या हुआ?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, हम लोकपाल विधेयक ला रहे हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ?

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैंने विधि और न्याय मंत्री से स्थाई समिति के समक्ष विचाराधीन लोकपाल विधेयक को पुर:स्थापित करने का निवेदन किया है। हमने इस सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित करने का निश्चय कर लिया है... *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, हमें महिला आरक्षण विधेयक की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाए कि क्या इस विधेयक को इस सत्र में लाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: कृपया, उनकी बात सुनिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैं सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस बार यह विधेयक पारित हो जाए। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस बार यह विधेयक भी सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की राय से पारित हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के लिए माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: प्रधान मंत्री महोदय, आपने कर्नाटक के मुख्य मंत्री के रूप में राष्ट्रीय नदी जल नीति के लिए लड़ा था।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन आए। क्या मैं सभी संशोधनों को सदन के मतदान के लिए एक साथ रख दूं अथवा क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखेगा?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा): महोदय मैं, अलग से रखूंगा।

श्री अनंत कुमार: महोदय राष्ट्रीय नदी जल नीति के बारे में क्या है। राष्ट्रीय नदी जल नीति के प्रतिज्ञापन का क्या होगा?

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... *(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर दे दिया है। किन्तु प्रस्ताव करने वाले को वाद-विवाद का उत्तर देना होगा केवल तभी प्रस्ताव पर इस प्रकार या उस प्रकार का निर्णय लिया जा सकेगा। प्रस्ताव करने वाले को उत्तर देना होगा। प्रस्ताव करने वाले को कुछ कहना होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं जानता कि यह अनिवार्य है अथवा नहीं। मुझे निश्चित रूप से यह नहीं मालूम कि यह अनिवार्य है अथवा नहीं। नाईक जी, नियम 20 उपखण्ड (2) कहता है कि:

> "प्रस्तावक अथवा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले को प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट किये जाने के बाद चर्चा के अंत में उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को सदन के समक्ष मतदान के लिए रख दूँ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, मैंने संशोधन क्रम संख्या 163 प्रस्तुत किया है, जिसे अलग से रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: डा. रमेश चन्द तोमर क्या आप अलग से प्रस्ताव रखेंगे?

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : महोदय मैं अलग से प्रस्ताव नहीं रखना चाहता... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अमर पाल सिंह जी, क्या आप अलग से प्रस्ताव देना चाहते हैं? कृपया सुनें, अन्यथा आप अवसर खो देंगे।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): महोदय मैं अलग से प्रस्ताव नहीं रखना चाहता... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय क्या मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को पढ़ दूँ क्योंकि अनेक सदस्य इससे अवगत नहीं हैं।

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए कि:

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या से संबंधित जैन जांच आयोग द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा नहीं है।"

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, सरकार ने समय और छ: माह बढ़ा दिया है। हमें आशा है कि परिणाम उस अवधि तक आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सदन के समक्ष मतदान के लिए श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा प्रस्तावित संशोधन क्रम संख्या 163 रखता हूँ।

संशोधन संख्या 163 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अन्य सभी संशोधनों को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 20 फरवरी, 1997 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.36 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1452/97]

(3)(एक) इन्स्टीट्यूट फार द फिजिकली हैन्डीकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टीट्यूट फार द फिजिकली हैन्डीकेप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1453/97]

(5)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैन्डीकेप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैन्डीकेप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1454/97]

नेशनल फैडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1)(एक) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1455/97]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 622(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 11 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 623(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 84(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 624(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 394(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत परिसंकट्य अपशिष्ट (प्रबंधन और उठाई-धराई) संशोधन नियम, 1996 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 23(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्टों के संबंध में मानकों और नियमों का उल्लंघन करने के बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के अध्यक्षों को किसी भी उद्योग अथवा स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण को निर्देश देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1456/97]

(6) (एक) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1457/97]

(7) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1458/97]

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 14 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 में प्रकाशित सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरिंग स्थापन (योधक संवर्ग "ग" तकनीकी कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1996 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1459/97]

(2) वर्ष 1995-96 के लिए संघ के विभिन्न कार्यलयीय प्रयोजनार्थ हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में तेजी लाने और इसके प्रगामी प्रयोग हेतु कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1460/97]

(3) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 481क के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई, 1996 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 13(125)/94-96/यू.डी./10922 में प्रकाशित दिल्ली नगर निगम (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा) प्रकाशित विज्ञापनों पर कर (उप-विधि), 1996 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1461/97]

अपराह्न 1.36 $\frac{3}{4}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 1.37 बजे

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन

श्री जगमोहन (नई दिल्ली): महोदय, मैं बिजली संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. ''टिहरी जल विद्युत परियोजना की पुनर्वास नीति—एक अध्ययन'' के संबंध में पैंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

2. ''फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाएं—एक मूल्यांकन'' के संबंध में छत्तीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन।

3. ''नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम—एक मूल्यांकन'' के संबंध में चौंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

4. ''राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्रों की समस्याएं'' विषय के संबंध में सैंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

5. ''भारतीय परमाणु विद्युत निगम लि. (न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.) में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों की सेवा शर्तों को अन्तिम रूप देने और उन्हें खपाए जाने के संबंध में अड़तीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 1.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.48 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.48 बजे पुनः समवेत हुई

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री राम विलास पासवान, माननीय रेल मंत्री 1996-97 के लिए रेल बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला (पूनानी): महोदय, मुझे केवल सूचना का प्रश्न उठाना है। कल माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि वह श्री जसवंत सिंह के नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में निर्णय देंगे? उस निर्णय का क्या हुआ? प्रश्न यह नहीं है कि वह निर्णय कब आता है। फिर भी यदि हमें इसके बारे में पता चल जाता है, तो हम उस विशेष समय उपस्थित रह सकते हैं।

सभापति महोदय: मैं इसे माननीय अध्यक्ष के नोटिस में लाऊंगा। मुझे इस समय इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे माननीय अध्यक्ष के नोटिस में लाऊंगा।

श्री जी. एम. बनातवाला: महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय: माननीय अध्यक्ष ने एक नोट भेजा है जिसमें कहा गया है कि कल उन्होंने घोषणा की थी नियम 184 के अधीन श्री जसवंत सिंह के प्रस्ताव पर वह निर्णय देंगे। उन्होंने यह निर्णय बाद में देने का निर्णय लिया है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मामलों की क्या स्थिति है।

सभापति महोदय: रेल मंत्री के अनुदानों की पूरक मांगों को प्रस्तुत करने के बाद, इन पर चर्चा होगी।

अपराह्न 2.49 $\frac{3}{4}$ बजे

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1996-97

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): सभापति महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1.	रेलवे बोर्ड	1,16,30,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	3,45,39,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	22,61,44,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	56,35,56,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	60,16,39,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	27,95,89,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	79,68,35,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	8,66,97,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	135,54,68,000
16.	परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1,000
	रेलवे निधियां	304,73,32,000
	जोड़	700,34,30,000

अपराह्न 2.50 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

केरल में प्राकृतिक रबड़ और अन्य नकदी फसलों की कीमतों में भारी गिरावट

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय, मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें।

"केरल में प्राकृतिक रबड़ और अन्य नकदी फसलों की कीमतों में तीव्र गिरावट से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जोल्ला बुल्ली रमैया): महोदय, आपकी अनुमति से मैं कॉफी और अन्य व्यावसायिक नकदी फसलों जैसे रबड़, चाय, इलायची के मूल्यों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं।

केरल में प्राकृतिक रबड़ और अन्य नकदी फसलों की कीमतों में कथित तीव्र गिरावट के प्रति सरकार का तुरन्त ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं केरल में प्राकृतिक रबड़, काफी, चाय और इलायची के बारे में नीचे कीमतों के आंकड़े और अन्य ब्यौरे दे रहा हूं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कीमतों में कोई तीव्र गिरावट नहीं रही है। प्राकृतिक रबड़ के मामले में 1995 के मध्य में मूल्य जो उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे उनमें मूल्यों में स्थिरता रही है। अन्य तीन फसलों के मामले में कोई गिरावट नहीं रही है।

प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतों में वर्ष 1994-95 में पर्याप्त उतार-चढ़ाव रहा और यह रुख वर्ष 1995-96 में भी जारी रहा। जून, 1994 में 2851 रुपए प्रति क्विंटल (आर एस एस 4 ग्रेड) से बढ़कर यह जून, 1995 में 6171 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा जो अधिकतम मासिक औसत कीमत थी। इसके पश्चात् सितम्बर, 1995 में यह लुढ़क कर 4197 रुपए हो गया। पुन: इसमें सुधार हुआ और यह दिसम्बर, 1995 में बढ़कर 5500 रुपए हो गया। इसके बाद इसमें गिरावट का रुख रहा और यह मार्च, 1996 में 5007 रुपए था। इसमें और आगे गिरावट आई और यह 19.02.1997 को 4350 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। फरवरी, 1993 की कीमतों की तुलना में, जो 2562 रुपए प्रति क्विंटल थीं, 20.02.1997 की स्थिति के अनुसार वर्तमान कीमत 4300 रुपए प्रति क्विंटल है। फरवरी, 1994 की कीमतों की तुलना में वर्तमान कीमत 1707 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान कीमत बहुत कम है। इन महीनों के दौरान की गई मूल्य स्तरों की जांच आधार पर, यह नहीं माना जा सकता है कि कीमतों मे गिरावट रही है। पिछले तीन-चार महीनों के लिए आरएसएस-4 ग्रेड की औसत मासिक कीमत से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक रबड़ की कीमतों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ तुलना करने पर इस समय घरेलू कीमतें अनुकूल हैं। नवम्बर, 1996 में रबड़ की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्रमश: 4897 रुपए और 4467 रुपए थीं। 19 फरवरी, 1997 को प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय 4332 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत की तुलना में 4350 रुपये प्रति क्विंटल थीं।

प्राकृतिक रबड़ की कीमतें लगभग डेढ़ वर्ष पहले कमी के मौसम में असाधारण ऊंची दरों पर स्थिर नहीं रह सकीं क्योंकि रबड़ आधारित उद्योग के कुछ वर्गों से मांग में दृष्टिगोचर गिरावट रही है और यह प्राकृतिक रबड़ की कीमतों से प्रदर्शित होता है क्योंकि रबड़ एक औद्योगिक कच्चा माल है।

[श्री बोल्ला बुल्ली रमैया]

रबड़ की मानक कीमत (बैंच-मार्क कीमत) 22 फरवरी, 1994 को आखिरी बार घोषित की गई थी जब आर एस एस-4 और आर एस एस-5 के लिए मानक उत्पादन लागत क्रमश: 2490 रुपए और 2440 रुपए प्रति क्विंटल थी। यह परिकलन किए कुछ ही वर्ष बीते हैं और उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। कीमत के स्तरों में आम वृद्धि की अनुमति देने पर भी वर्तमान कीमत इस बैंच-मार्क कीमत से अधिक है इसलिए कृषकों के लिए लाभकारी नहीं है। इसके अलावा, हाल ही में कीमतों में आई आंशिक गिरावट प्राकृतिक रबड़ की मौसमी फसल आ जाने से हुई है।

जहां तक काफी का संबंध है, हाल के महीनों में कीमतों में कोई भारी गिरावट नहीं हुई है। वास्तव में इस महीने के दौरान काफी की कीमतें बढ़ी हैं। अराबिका और रोबस्टा काफी की मासिक औसत घरेलू थोक कीमतें जो कि जुलाई, 1996 के दौरान क्रमश: 104 रुपए प्रति कि.ग्रा. और 68 रुपए प्रति कि.ग्रा. थीं वे फरवरी, 1997 के दौरान बढ़कर क्रमश: 129 रुपए प्रति कि.ग्रा. और 71 रुपए प्रति कि.ग्रा. हो गई है।

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 (अगस्त-जनवरी) के दौरान, छोटी इलायची की औसत घरेलू कीमत क्रमश: 254.45 रुपए प्रति कि.ग्रा., 207.27 रुपए प्रति कि.ग्रा. और 410.02 रुपए प्रति कि.ग्रा. रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान इन कीमतों का रुख ऊपर की ओर रहा है। केरल में इसी अवधि अगस्त, 1996-जनवरी, 1997 के दौरान छोटी इलायची की औसत घरेलू कीमत 410.02 रुपए प्रति कि.ग्रा. थी जबकि अगस्त, 1995-जनवरी, 1996 की अवधि के दौरान यह 184 रुपए प्रति कि.ग्रा. थी।

इलायची की कीमतें मांग और आपूर्ति के कारणों से निर्धारित होती है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1994-95 के फसल मौसम के दौरान छोटी इलायची का उत्पादन बढ़कर 7,000 मी. टन हो गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान इलायची के मामले में कीमतों में गिरावट का कारण मुख्यत: बढ़ा हुआ उत्पादन विदेशी बाजार में ग्वालमाटा के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण घटा हुआ निर्यात था। किन्तु 1996-97 के दौरान इस स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

जहां तक चाय का संबंध है, केरल राज्य में उत्पादित चाय की कीमतों में कोई भारी गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत, कोचिन की नीलामियों में चाय की कीमतें, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही स्थितियों के कारण मंद थीं, उनमें हाल में वृद्धि हुई है। कोचिन नीलामियों में 1994 के दौरान चाय की औसत कीमतें 34.39 रुपए प्रति कि.ग्रा. थीं। यह बढ़कर 1995 में 41.86 रुपए प्रति कि.ग्रा. और वर्ष 1996 में कोचिन में चाय की औसत कीमतें 44.48 रुपए प्रति कि.ग्रा. थीं। वर्ष 1997 के दौरान कोचिन की नीलामियों में चाय की औसत कीमतों में सुधार हुआ है जो कि वर्ष की प्रथम नीलामी के 42.48 रुपए प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर फरवरी में 47.93 रुपए प्रति कि.ग्रा. हो गया है। महोदय, सरकार कीमतों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ा है। लेकिन इससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अध्यक्षपीठ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी जो कि केरल राज्य के बहुत से रबड़ उत्पादकों एवं नकदी फसल उत्पादकों को प्रभावित करता है। .. *(व्यवधान)*

महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूँ?

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि आप माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

श्री पी. जे. कुरियन: जी, हाँ। महोदय।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन: माननीय मंत्री जी का वक्तव्य निस्सन्देह निराशाजनक है। हमने इस तथ्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया कि प्राकृतिक रबड़, इलायची एवं अन्य नकदी फसलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। हम उनसे पूछ रहे हैं कि उत्पादकों की शिकायतों को दूर करने विशेषकर उनको लाभकारी कीमतें देने के लिए वह क्या कदम उठाना चाहेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश, उन्होंने परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में किसानों को बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसका कोई उल्लेख नहीं किया। यह बहुत ही निराशाजनक बात है। इससे पता चलता है कि केरल में फसल उत्पादकों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं पूरे जोर के साथ यह बात कहूँगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहता था कि वे इस समस्या पर विचार करें और जवाब दें।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोडा): आप खोपरे के विषय को क्यों टाल रहे हो?

प्रो. पी. जे. कुरियन: यह प्रश्न नकदी फसलों से संबंधित है और खोपरा नकदी फसल नहीं है।

श्री टी. गोविन्दन: सरकार ने खोपरे के समर्थन मूल्य में हाल में संशोधन किया है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : ऐसे कई विषय हैं। यह प्रश्न नकदी फसलों से संबंधित है और यह वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। खोपरा नकदी फसल नहीं है और यह कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। आपको कम से कम इतना तो समझ जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कुरियन जी, आप अपना स्पष्टीकरण मांगिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन: मैं यही तो कर रहा हूँ। लेकिन मुझे विद्यमान स्थिति के बारे में मंत्री जी को बताना है क्योंकि या तो मंत्री जी ने इसको

नहीं समझा है या फिर उन्होंने इसे समझा है तो भी वे जान बूझकर इस विषय को टाल रहे हैं। उन्हें किसानों को बेहतर और लाभकारी कीमतें देने के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए थे। महोदय, देश में कुल नौ लाख रबड़ उत्पादक हैं और उनमें से 95% लोग केरल में हैं। आगे, इनमें से 90% से अधिक लोग छोटे किसान हैं जिनकी जोत भूमि एक हैक्टर अथवा उससे भी कम है। इन सभी रबड़ उत्पादकों एवं इलायची उत्पादकों के लिए यह उनकी जीविका का मूल स्रोत है। कीमतों में 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। पिछले वर्ष, आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि कीमत अधिक है। एक किलोग्राम रबड़ की कीमत लगभग 55 रु. से 60 रु. तक थी। आज यह कीमत घटकर 40 रु. से 42 रु. तक हो गई है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए वे अपने वक्तव्य में बस इतना कहते हैं कि आज रबड़ का मूल्य कुछ समय पहले प्रचलित न्यूनतम मूल्य से बेहतर है अत: उनको इस बात का सन्तोष है और वे कोई कार्रवाई न किये जाने को न्यायोचित समझते हैं। यह बहुत ही बुरी बात है। आप वर्तमान मूल्यों की तुलना उच्चतम मूल्यों से क्यों नहीं करते? रबड़ की कीमत 60 रु. प्रति किलो है। यह उच्चतम कीमत है। यह कीमत घटकर 60 रु. से 42 रु. हो गई है। इसकी तुलना करने की अपेक्षा आप न्यूनतम कीमत से तुलना करते हैं। *(व्यवधान)*

ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। यह कहने का मुझे खेद है।

महोदय, हमने लाभकारी कालीमिर्च खेती, सुपारी खेती आदि को छोड़ने के बाद रबड़ खेती आरम्भ की थी क्योंकि वह राष्ट्र की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने हमें प्रोत्साहन दिया और केरल की जनता से रबड़ की खेती करने को कहा और यह भी कहा कि भारत सरकार चावल की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी क्योंकि उस समय हम रबड़ का आयात कर रहे थे। हमारे देश से काफी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी।

अतएव, विदेशी मुद्रा के विकल्प के रूप में और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमने रबड़ की फसल उगाना शुरू किया। इस देशभक्ति के कार्य के लिए हमें सजा नहीं दी जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ।

अब क्या घटित हुआ है? अब मूल्य 60 रुपए प्रति किलो से घटकर 40 रुपये प्रति किलो हो गया है। गत तीन महीनों में रबड़ उत्पादकों को लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आज हम, देश में खपत से अधिक रबड़ का उत्पादन करते हैं जबकि एक समय हम रबड़ का आयात करते थे। इसका श्रेय केरल के रबड़ उत्पादकों को जाता है और आज देश रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और हम जितना चाहते हैं उतना निर्यात करते हैं।

महोदय, यहाँ सरकार क्या कर रही है? वे रबड़ का आयात होने दे रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि आप हस्तक्षेप करें, मैं, आपका समर्थन भी चाहता हूँ। इस तथ्य के बावजूद कि हम रबड़ का उत्पादन खपत से ज्यादा करते हैं, हम रबड़ का आयात भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? किसको बचाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि आयात क्यों किया जा रहा है।

दूसरे, आयात शुल्क कम हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

तीसरे जब देश में उत्पादित रबड़ अधिक मात्रा में है तो हमें इसका निर्यात करना चाहिए। इस वर्ष, सिर्फ 5.5 लाख टन रबड़ की आवश्यकता है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार हमने इस वर्ष लगभग 6 लाख टन रबड़ का उत्पादन किया है। अत: शेष लगभग 50,000 हजार टन रबड़ का निर्यात किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय: मेरा सुझाव है कि आप सीधे प्रश्न का स्पष्टीकरण माँगें।

प्रो. पी. जे. कुरियन: महोदय ये सभी सीधे प्रश्न किए गए हैं। अतएव, जब देश में रबड़ का अधिक उत्पादन हुआ है तो इसके निर्यात को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं। पूर्व में, जब कभी ऐसे संकट आते थे तो वाणिज्य मंत्रालय राज्य व्यापार निगम से बाजार में हस्तक्षेप करने और रबड़ की खरीद करने के लिए कहा करता था। अब आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप 60 रुपए प्रति किलो का भाव दें लेकिन आप राज्य व्यापार निगम से बाजार में हस्तक्षेप करने और रबड़ की खरीद चल रहे भाव से 5 रुपए अधिक पर करने के लिए कहें। मैं महज इतना ही आग्रह कर रहा हूँ। यही नहीं आप एन.सी.डी.सी. से भी आग्रह कर सकते हैं। जब कभी गेहूं और गन्ने के मूल्यों में भारी गिरावट होती है तो एन.सी.डी.सी. हस्तक्षेप करती है। अत: वह संस्था रबड़ के मामले में भी हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है।

अतएव, मेरा आग्रह है कि एन.सी.डी.सी. अथवा नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ इस मुद्दे को उठाएं। आपका मंत्रालय उन सभी एजेंसियों के साथ इस मसले को उठा सकता है तो बाजार से रबड़ की खरीद कर सकता है अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

आगे, हम लेटेक्स रबड़ का उत्पादन करते हैं लेकिन इसे खरीदने वाला कोई नहीं है। गत छ: महीने से, लेटेक्स रबड़ के उत्पादक इसे बेचने में असमर्थ रहे हैं और जो बेच सकते हैं उन्हें मूल्य नहीं मिल रहा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि यदि आप इतने स्पष्टीकरण मांगेंगे तो इससे भ्रम की स्थिति बनेगी।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक ही मुद्दा उठाया जाता है लेकिन मुझे इसके बहुत से पहलुओं को उजागर करना है। यह नौ लाख किसानों की समस्या है अत: मुझे अपनी बात

[श्री पी.जे. कुरियन]

कहने दें। मैं दो मिनट और लूँगा। लघु उद्योगों द्वारा लेटेक्स रबड़ का इस्तेमाल प्राकृतिक रबड़ फोम तैयार करने के लिए किया जाता है। लेकिन साथ ही इसका एक वैकल्पिक पदार्थ भी है जिसे पोलीइथेंन कहा जाता है।

अपराह्न 3.00 बजे

बड़े उद्योगों और निर्माताओं द्वारा कृत्रिम फोम तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सरकार बड़े उद्योगों को कृत्रिम फोम तैयार करने के लिए संरक्षण दे रही है जिनकी प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक रबड़ उत्पादों के साथ है और प्राकृतिक रबड़ का इस्तेमाल लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। इसका क्या औचित्य है। पोलियरेथेंन पर आयात शुल्क इतना कम क्यों हैं जिसकी प्रतिस्पर्धा रबड़ फोम के साथ है? आप प्राकृतिक रबड़ फोम पर उत्पाद शुल्क में कमी क्यों नहीं करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप लेटेक्स रबड़ का उपयोग करने वाले लघु उद्योगों का संरक्षण करेंगे? मैं जानता हूँ कि आपका मंत्रालय आयात शुल्क में कमी नहीं कर सकता है। अत: मेरा प्रश्न है कि क्या आप प्राकृतिक रबड़ फोम पर उत्पाद शुल्क में कमी करने अथवा आयातित पोलीथिन पर शुल्क में बढ़ोत्तरी के मामले को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के साथ उठायेंगे। ताकि प्राकृतिक रबड़ उद्योग को संरक्षण दिया जाए और वे गरीब उत्पादकों से लेटेक्स रबड़ खरीद सके।

मैं समाप्त करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे?

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि आपने अनेकों बार यह प्रश्न पूछा है। कृपया पुन: नहीं पूछें। वे योग्य मंत्री हैं। उन्होंने आपका प्रश्न सुन लिया है और वे इसका जवाब देंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन: जी हाँ, महोदय। क्या आप आयात पर प्रतिबंध लगाएंगे? क्या आप शुल्क पर प्रतिबंध लगाएंगे? अन्यथा क्या आप रबड़ का निर्यात करेंगे? क्या आप राज्य व्यापार निगम से हस्तक्षेप कर बाजार में चल रहे मूल्य से अधिक पर रबड़ की खरीद करेंगे? क्या आप वित्त मंत्रालय के साथ प्राकृतिक रबड़ फोम पर उत्पाद शुल्क में कमी करने के विषय को उठायेंगे? ये मेरे इस मुद्दे पर प्रश्न हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: सभापति महोदय, अन्य सदस्यों को भी अपने प्रश्न पूछने दें। मैं सभी का जबाब एक साथ दूँगा।

सभापति महोदय: यदि वे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे यह पूछ सकते हैं। श्री थामस, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुझा): मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा नाम भी सूची में है।

सभापति महोदय: इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। केवल मुद्दे पर ही प्रश्न पूछें। कृपया ज्यादा समय नहीं लें।

श्री पी.सी. थामस: मैं सीधे-सीधे प्रश्न ही पूछूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रबड़ उत्पादक जैसा कि पूर्व में कहा गया है लघु और सीमान्त क्षेत्र में हैं। समस्या यह है कि यदि मूल्य घट जाते हैं तो किसान अपने उत्पाद को एक दिन के लिए भी नहीं रख पाते हैं और उन्हें विवश होकर बेचना पड़ता है। यदि मूल्यों में भारी गिरावट हो जाती है जैसे उदाहरणार्थ, कल मूल्य 60 रुपए किलो था और आज गिरकर 30 रुपए प्रति किलो है तो भी लघु और सीमान्त किसान के पास और कोई विकल्प नहीं होता है और उन्हें उसी मूल्य पर बेचना पड़ता है।

सभापति महोदय: क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद की कोई प्रणाली है?

श्री पी. सी. थामस: मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। महोदय आपने थोड़े से समय में सही बात को पकड़ लिया। हम बिल्कुल यही बात पूछना चाहते हैं। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार आगे नहीं आती है तो यह कैसे हो सकता है? सरकार द्वारा लोक सभा में दिया गया उत्तर है कि 9.11 लाख लोगों में से 8.23 लाख किसान लघु क्षेत्र में हैं। अत: आपको लघु क्षेत्र के इन 8.23 लाख लोगों को बचाना होगा जिन्होंने रबड़ के उत्पादन में देश को विश्व के चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। उत्पादन के हिसाब से हमारा स्थान पहला है। इसका अर्थ है कि यह लघु और सीमान्त क्षेत्र में 8.23 लाख लोगों और गरीब मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। यह सिर्फ केरल की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर रहा है बल्कि यह समूचे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है क्योंकि हम आपके राज्य सहित आठ राज्यों में रबड़ लगाने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले ही रबड़ लगा रहा है। उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र सहित अन्य अनेक राज्य भी रबड़ लगा रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात को विषय तक ही सीमित रखें।

श्री पी. सी. थामस: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार बाजार से रबड़ की खरीद करेगी ताकि मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो सके।

दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इसको खरीद नहीं सकी तो क्या भारत सरकार कुछ एजेंसियों के बारे में सोच रही है। रबड़ विपणन संघ जैसी संस्थाएं पहले से ही हैं। रबड़ उत्पादकों की अपनी समितियां भी हैं राज्य व्यापार निगम भी है। इन संस्थाओं के जरिए रबड़ खरीदी जा सकती है जिसके लिए पैसा चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है। क्या सरकार इन एजेंसियों के माध्यम से रबड़ की खरीद हेतु कुछ धन देगी? मेरा सुझाव है कि 100 करोड़ रुपये दिये जाएं। यदि 100 करोड़ रुपये दिये जाते हैं तो भारत सरकार को यह दो महीने के भीतर वापस मिल जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी? मूल्य वृद्धि होगी तथा उत्पादन करने वालों को इस धन की आवश्यकता नहीं होगी। यह पैसा सरकारी खजाने में जाएगा सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। अत: मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिये जा सकते हैं या नहीं?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है चूंकि भारत सरकार कम से कम इस वक्तव्य को लेकर आई है, हम भी पूछना चाहेंगे कि क्या किसानों के हितों की रक्षा हेतु केरल सरकार ने भारत सरकार को कोई योजना दी है। प्रमुख हिस्सा, अर्थात् लघु क्षेत्र में 95 प्रतिशत किसान उस गरीब राज्य से हैं। अत: मेरा प्रश्न यह है। क्या केरल सरकार ने भारत सरकार को कोई प्रस्ताव दिया है?

रबड़ के बारे में मेरा अंतिम प्रश्न यह है... *(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मुझे एक बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछना है। दो और सदस्य हैं जिन्होंने सूचना दी है लेकिन वे यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय: नियम बहुत स्पष्ट है। हमें नियमानुसार चलना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस: रबड़ के बारे में मेरा तीसरा प्रश्न यह है। क्या भारत सरकार रबड़ के अभाव को पूर्णत: बन्द करने तथा निर्यात प्रारंभ करने के बारे में सोच सकती है? हमारे पास इस समय रबड़ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। हम 5.85 लाख मीट्रिक टन रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं। यह आंकड़े रबड़ बोर्ड द्वारा दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में किसान कहते हैं कि वे इससे कहीं अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय जानते हैं कि उत्पादन कितना है।

श्री पी. सी. थामस: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा कुछ निर्यात किया जा सकता था या नहीं। रबड़ के बारे में मुझे यही कहना है।

इसके बाद एक दूसरी वस्तु है—इलायची। यह भी भारी संकट का सामना कर रही है। हम विश्व में श्रेष्ठ इलायची का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे देश भारत को इस पर बहुत गर्व हो सकता है। एक अन्य देश, गुएटेमाला, इसका उत्पादन कर रहा है। उनका उत्पाद काफी सस्ता है। यह बहुत बड़ी समस्या है जो पहले ही भारत सरकार के ध्यान में आ चुकी है। गुएटेमाला की इलायची का आयात नेपाल द्वारा किया जा रहा है। इस उद्देश्य हेतु, इलायची कलकत्ता बन्दरगाह के रास्ते जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार के पास गुएटेमाला की इलायची के आयात संबंधी आंकड़े हैं जिसका आयात नेपाल द्वारा किया जा रहा है; यदि हां, तो क्या आयात काफी तेजी से बढ़ा है; और क्या वह इलायची, जिसको कलकत्ता से नेपाल सड़क द्वारा अथवा वायुयान द्वारा या अन्य किसी माध्यम से ले जाया जाता है, की हमारे देश में तस्करी हो रही है और इससे हमारी अच्छी किस्म की इलायची में घटिया इलायची की मिलावट हो रही है। इससे हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ने वाला है। इससे पहले ही हमारा निर्यात कम हुआ है।

सभापति महोदय: मेरे विचार से इतना पर्याप्त है।

श्री पी.सी. थामस: मेरा प्रश्न यह है। इलायची की तस्करी रोकने तथा इलायची उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार क्या कदम उठाएगी।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: सभापति महोदय, इन दो मदों—एक रबड़ और दूसरे इलायची—के प्रश्न पर माननीय सदस्यों ने बहुत संगत प्रश्न पूछे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपके ध्यान में यह बात कहना चाहता हूँ कि ''अधिकतम मूल्य'' और ''उचित मूल्य'' नामक दो श्रेणी हैं। ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम हमेशा किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं तथा बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति भी हो सकती है जब इसका आयात हो। 1994 में हमने निर्धारित किया था... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या मैं माननीय मंत्री से अपना उत्तर श्री कुरियन द्वारा पूछे गए प्रश्न तक ही सीमित रखने का अनुरोध कर सकता हूं अर्थात् ''क्या आप रबड़ का आयात कर रहे हैं जबकि देश में पर्याप्त उत्पादन हो रहा है? क्या यह सच है अथवा नहीं? क्या आप भण्डारण के लिए कुछ कर रहे हैं?'' कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हम किसी रबड़ का आयात नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कई टायर उद्योगों ने रबड़ के आयात के लिए कहा है। अब हम इसकी इजाजत दे रहे हैं लेकिन आयातित रबड़ की बहुत कम मात्रा जिसे ''निर्यातोन्मुखी कोटा'' कहा जाता है, आयात के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा हम रबड़ के किसी आयात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पिछले वर्ष से पहले के वर्ष में हमने रबड़ का काफी आयात किया था।

श्री एन. एन. कृष्णादास (पालाघाट): अब आप कितना आयात कर रहे हैं?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हम रबड़ का कोई आयात नहीं कर रहे हैं।

श्री एन. एन. कृष्णादास: मैं निर्यात संबंधी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: नहीं, मुझे आंकड़े प्राप्त करने हैं। टायर उद्योग की रबड़ आयात की मांग के बावजूद वाणिज्य मंत्रालय ने रबड़ के आयात की कोई इजाजत नहीं दी है। मैंने उन्हें कोई भी इजाजत न देने को कहा है जब तक कि हमें यह विश्वास नहीं हो जाता कि इसकी कमी है। केवल उसी हालात में हम रबड़ का निर्यात करेंगे।

सभापति महोदय: संक्षेप में उत्तर यह है कि हम रबड़ का आयात नहीं कर रहे हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हां, यही प्रमुख बात है? दूसरे ''बैंच मार्क मूल्य'' है जो 1994 में 2,440 रुपये और 2,490 रुपये के बीच निर्धारित किया गया था। योजना आयोग में पिछले तीन वर्ष के लिए

[श्री बोल्ला बुल्ली रमैया]

एक फार्मूला है–प्लस × 1.28 । इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए यह 3,187.20 रुपये हुआ, जोकि रबड़ के लिए आज उचित मूल्य होना चाहिए। लेकिन मैं उस पर अड़ने की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री पी. सी. थामस: यह आंकड़े आपने दिए हैं। हम आपसे सहमत नहीं हैं। इसकी घोषणा नहीं की गई है। इसका कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। हम इससे असहमत हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: मैं उस पर विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि इसके लिए कोई आधार होना चाहिए। लेकिन आज मूल्य लगभग 4,250 रुपये है। हम यह भी महसूस करते हैं कि हमें किसानों का समर्थन करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए, जैसाकि सुझाव दिया गया है, हमने सहकारी विभाग के माध्यम से रबड़ का भंडारण पहले ही शुरू कर दिया है तथा अब तक 370 टन की खरीद की जा चुकी है और हम इसके साथ-साथ सही समय पर दखल देंगे। हम इसे निरंतर ध्यान में रखे हुए हैं।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, क्या मैं आपको एक मिनट के लिए रोक सकता हूँ।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हां।

सभापति महोदय: आपने कहा है कि इस समय प्रति क्विंटल मूल्य 1,707 रुपये है अर्थात् 1994 की तुलना में उच्च मूल्य।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हां।

सभापति महोदय: तो सदस्य कैसे कह रहे हैं कि मूल्य कम हुए हैं?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: ऐसा इसलिए क्योंकि मूल्य 5560-6000 रुपये तक पहुंच गया था। वहां से यह नीचे आए हैं।

श्री पी. सी. थामस: आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आज के मूल्य की तीन या चार वर्ष पहले के मूल्य से तुलना करने का क्या अभियोजन है? प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़े हैं। उत्पादन लागत बढ़ी है और जो टायर आप तथा अन्य लोग खरीद रहे हैं उसके मूल्य बहुत बढ़ गए हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: मैं केवल यह कह रहा हूँ कि उचित मूल्य क्या है और समर्थन मूल्य क्या है? इसके बावजूद हम आपके अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। अब मुझे दूसरे मुद्दे पर कहना है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: उचित मूल्य और असामान्य मूल्य पर विचार करते हुए हमने किसानों के बृहत हित में सोचा कि हमें दखल देना चाहिए। हमने पहले ही लगभग 370 टन की खरीद प्रारंभ कर दी है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ उनको अधिक धन उपलब्ध कराना चाहेगी ... *(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन: सरकार की ओर से कौन सी एजेंसियां खरीद कर रही हैं?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: सहकारी समितियां खरीद कर रही हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन: कौन सी सहकारी समितियां?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: केरल की सहकारी समितियों को रबड़ की खरीद का अनुभव है। हमें यह उनके द्वारा मिल रही है। 36.61 करोड़ रुपये रबड़ की खरीद का सदुपयोग किया गया है। हमने हस्तक्षेप भी किया है और बाजार की स्थिति पर निगरानी रखी हुई है।

प्रो. पी. जे. कुरियन: वे किस मूल्य पर खरीद रहे हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वे चाहते हैं कि मूल्य नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसका मूल्य 4,250–4,300 रुपए बनाए रखा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि मूल्य कम हों। वे केरल के रबड़ उत्पादक किसानों का संरक्षण करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने इलायची के बारे में प्रश्न पूछा है मेरे पास भी इलायची के बारे में सूचना है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इलायची के मूल्यों में अधिकतम मूल्यों की तुलना में कुछ गिरावट आई है... *(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन: यह कहने का क्या अर्थ है कि 240 टन खरीद की गई है।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हमने हाल ही में शुरू किया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन: सहकारी समितियां प्राथमिक समितियाँ हैं। जिसके लिए सरकार को श्रेय भी लेना चाहिए। क्या आपकी एजेन्सी बाजार में हस्तक्षेप करती है। हम सहकारी समितियों का प्रबन्ध कर सकते हैं।

सभापति महोदय: संक्षिप्त में प्रश्न यह है कि क्या सरकार रबड़ की खरीद के लिए हस्तक्षेप करेगी?

प्रो. पी. जे. कुरियन: मैं भी कुछ समय के लिए वाणिज्य मंत्री था। राज्य व्यापार निगम मंत्रालय के अन्तर्गत है। यदि सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है तो आपको राज्य व्यापार निगम से 'न लाभ न हानि' आधार पर रबड़ की खरीद करने के लिए कहना चाहिए? आप कहते क्यों नहीं हैं?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: मैंने यही कहा है।

प्रो. पी. जे. कुरियन: हम सहकारी समितियों का प्रबंधन कर रहे हैं। आप राज्य व्यापार निगम के बारे में कहते हैं?

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप सरकारी एजेंसियों द्वारा रबड़ की खरीद के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: यदि जरूरी हुआ तो सरकार हस्तक्षेप करेगी।

श्री एन. एन. कृष्णदास: यह अति आवश्यक है।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: हम इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

श्री पी. सी. थामस: मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये देंगे?

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता हूँ।

सभापति महोदय: उन्होंने कहा है कि वे खरीद के प्रश्न पर विचार करेंगे। इस प्रयोजनार्थ 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रश्न बाद में आएगा।

श्री पी. सी. थामस: क्या केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ... *(व्यवधान)*

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: अभी तक नहीं *(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस: यह तो भयानक स्थिति है.... *(व्यवधान)* हम यह सुनकर शर्मिन्दा हैं... *(व्यवधान)* हम वास्तव में शर्मिन्दा हैं। ... *(व्यवधान)* महोदय, नौ लाख किसान मृत्यु के कगार पर हैं और केरल सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। हम वास्तव में शर्मिन्दा हैं ... *(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णादास: नहीं, केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। मंत्री महोदय कृपया बैठ जाएं।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। हमने इस मुद्दे पर काफी समय खर्च किया है ... *(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन: पोलिर्थेन के आयात के बारे में क्या... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमें सभा में कुछ अनुशासन बनाए रखना चाहिए। एक ही वक्त में सभी को बोलने से बहुत बुरा वातावरण बनता है। माननीय सदस्य ने एक सीधा प्रश्न पूछा और मंत्री महोदय अपना उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें टोकें नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। यह कहता है:

''ऐसे वक्तव्य पर, जब कह दिया जाये, कोई वादविवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा।''

तदनुसार, दो सदस्य जो उपस्थित थे, ने प्रश्न पूछे हैं, दो अन्य सदस्य अनुपस्थित थे। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। मंत्री महोदय, यदि आपके दिमाग में कोई संदेह है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लिखित जवाब दें और ब्यौरा उनको भेज दें ... *(व्यवधान)*

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: जहां तक पोलिर्थेन के आयात का प्रश्न है जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने अनुरोध किया है, मैं वित्त मंत्रालय के सम्पर्क में रहूंगा क्योंकि दोनों शुल्क और उत्पाद और सीमा शुल्क उस मंत्रालय के भाग हैं। मैं उसका ध्यान रखूंगा।

दूसरी बात इलायची के बारे में है जिसके संबंध में सदस्य ने पूछा है। गत दो वर्षों में, नेपाल ने 48.28 टन और 33.9 टन इलायची का आयात किया है। इस वर्ष उन्होंने 3,000 टन इलायची का आयात किया है। जब हमारी जानकारी में यह मामला आया तो हमने मंत्रालय को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को भी सचेत कर दिया है। उन्होंने तुरन्त ही कार्यवाही की है और उन्होंने 27.89 टन इलायची जब्त की है। वे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम भी इस संबंध में भाग लेंगे और इस उद्योग को संरक्षण करेंगे। धन्यवाद

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों की आशंका यह थी कि नेपाल द्वारा ग्वाटेमाला से घटिया गुणवत्ता की इलायची का किए जा रहे आयातित भाग को भारत में भेजकर भारतीय उत्तम गुणवत्ता की इलायची के साथ मिलावट की जा रही है। क्या आप आश्वासन देंगे कि इस संबंध में इसे रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया: जैसे ही यह हमारी जानकारी में आया हमने अपने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों को सचेत कर दिया और उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी और 27.89 टन इलायची जब्त की। इसका अर्थ है कि उन्होंने इस बारे में तुरन्त कदम उठाए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह ठीक है। धन्यवाद

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमान कुरियन महोदय, मैं समझता हूँ इस बारे में हम काफी कुछ सुन चुके हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन: महोदय, ये प्रैस रिपोर्टें हैं। नेपाल को 3000 टन इलायची की जरूरत नहीं है। उनको कुछेक सौ टन की जरूरत हो सकती है और शेष मात्रा को तस्करी के जरिए भारत में भेज दिया जाएगा ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.20 बजे

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे क्षेत्रों के निर्बन्धन की बाबत जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई उद्योग संक्रियाएं, या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जाएंगे, अपील की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि

"ऐसे क्षेत्रों के निर्बन्धन की बाबत जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कुछ रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए जायेंगे, अपील की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. सैफुद्दीन सोज: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

अपराह्न 3.21 बजे

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): मैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 के द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1463/97]

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 4.3.97 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कुशीनगर और फाजिल नगर का राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, पर्यटन के दृष्टिकोण से पड़रौना-देवरिया जनपद एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुशीनगर, भगवान बुद्ध के साथ सारे विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर आते हैं और इस जगह पर आस्था रखते हैं। कुशीनगर से केवल 20 कि.मी. पावानगर, जो वर्तमान फाजिलनगर के नाम से जाना जाता है, भगवान महावीर का स्थान है। संसार के दो महान धर्म इस क्षेत्र से पैदा हुए हैं और उनका विस्तार यहां से हुआ। वह दोनों क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं किया गया है।

न केवल इस क्षेत्र में बल्कि इस क्षेत्र के आसपास बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिन्दु धर्म के शिखर के चिन्तक और विचारक रहे हैं। लेकिन इन स्थलों पर न तो रेलवे विभाग और न इंडियन एयरलाइन्स ने किसी तरह का प्रयास किया है जिससे और देशों के पर्यटक वहां पर आसानी से आ सकें, रह सकें और पर्यटन का विकास हो। हमारे जैन धर्म के भारतीय नागरिक एक बड़ी संख्या में पावानगर में जाना चाहेंगे। वहां पर न विमान सेवा है न रेल सेवा है जबकि एक हवाई अड्डा यहां पर स्थित है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कुशीनगर और फाजिल नगर को केन्द्र मानकर एक ऐसा मसौदा तैयार करें और इस जगह को ऐसी प्राथमिकता दें, जिससे यह संसार के पर्यटकों के लिए खुल जाए तथा पड़रौना-देवरिया क्षेत्र को पर्यटक मैप पर ले आये।

(दो) राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन किये जाने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों को मंजूर किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी. धनन्जय कुमार (मंगलौर): महोदय, पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 कन्याकुमारी-मुम्बई बारास्ता मंगलौर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 बंगलौर-मंगलौर पर यातायात कई गुना बढ़ गया है। इन सड़कों पर हाल ही में हुई कई मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कई जानें गई हैं। सड़कों की दशा भी बहुत खराब है। इन सड़कों को विशेषकर शेखर और तालापाडी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 और मंगलौर तथा गुंडया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को चार लेनों वाली सड़क में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।

बंटवाल-मैसूर राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किये जाने की लगातार मांग की जाती रही है। इस सड़क पर भी यातायात सघनता बहुत अधिक है। अत: इस राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। कई राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किये जाने संबंधी कर्नाटक सरकार के कई प्रस्ताव पिछले 15 वर्षों से केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ लम्बित पड़े हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उपरोक्त मांगों को पूरा करें।

(तीन) खाना पकाने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन से प्रोपेन गैस के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 1.2.1994 के आदेश में राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान को निदेश दिया है कि वह औद्योगिक क्षेत्र में प्रोपेन गैस को वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना का पता लगाये।

एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9.12.96 को केन्द्र सरकार को आटोमोबाइल उद्योग में प्रोपेन के प्रयोग के लिए एक निजी कम्पनी के माध्यम से एक प्रयोग करने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था।

प्रोपेन, एल.पी.जी. का ही एक घटक है। एल.पी.जी. की घरेलू क्षेत्र में कम आपूर्ति है। यदि कोई प्रयोग किया जाये और प्रोपेन को औद्योगिक तथा आटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग किया जाये तथा इन क्षेत्रों में अधिक संख्या में उपभोक्ता इसे अपनाये तो घरेलू क्षेत्र में एल.पी.जी. की भारी कमी हो जायेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खाना पकाने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन हेतु प्रोपेन गैस के इस्तेमाल को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका अथवा एक पुनरीक्षा याचिका दायर करे। इसके अतिरिक्त, एल.पी.जी. आपूर्ति में वृद्धि होने तक औद्योगिक तथा आटोमोबाइल क्षेत्रों में इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

(चार) नक्सलवाद से प्रभावित जिलों विशेष रूप से बिहार में औरंगाबाद जिले के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापति महोदय, मध्य बिहार तथा दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, गया, चतरा, हजारीबाग तथा पलामू जिले में भयंकर उग्रवाद बढ़ रहा है। आये दिन सामूहिक नरसंहार, लूट एवं अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। जनप्रतिनिधि भी रात में क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पहल की महती आवश्यकता है।

उग्रवाद प्रभावित तमाम जिलों की समस्याओं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के स्थायी समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कश्मीर राज्य की तरह वृहद कार्य योजना चलाई जानी चाहिए।

अत: मैं केन्द्र सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि उग्रवाद प्रभावित बिहार के तमाम जिलों में, विशेषकर अत्यन्त पिछड़े जिले औरंगाबाद में स्पेशल पैकेज प्रोग्राम की घोषणा की जाये और सिंचाई, विद्युत एवं उद्योग का व्यापक प्रबन्ध किया जाये।

(पांच) त्यौहारों के अवसर पर हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर दी जाने वाली छूट को वापस लिये जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी. पी. षणमुगा सुन्दरम (गाबिचेट्टिपालयम): महोदय, तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों को त्यौहारों के मौसम तथा अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान वस्त्रों की बिक्री पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से परम्परागत रूप से छूट मिलती थी। हाल ही में केन्द्र सरकार ने यह छूट समाप्त कर दी है। इस संदर्भ में, इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि लाखों बुनकरों द्वारा हथकरघा बुनाई की जाती है तथा राज्य में यह रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। इस छूट को समाप्त करके सरकार ने इन निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और अनजाने में महत्वपूर्ण स्वनियोजन योजना को हतोत्साहित किया है। मुझे यह बताया गया है कि सरकार ने यह कदम मूलरूप से हथकरघा बुनकरों की फर्जी सोसायटियों को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया है। फर्जी सोसायटियों को समाप्त करने के लिए वास्तविक सोसायटियों को हतोत्साहित करना सही नहीं है। इस तरह के कदम के भविष्य में हानिकारक सिद्ध होने की संभावना है।

मैं माननीय कपड़ा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस छूट योजना को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये ताकि तमिलनाडु के लाखों बुनकरों को लाभ प्रदान किया जा सके।

(छ:) महाराष्ट्र सरकार को पंजाब और हरियाणा से गेहूँ की सीधी खरीद करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने 18 सितम्बर, 1996 को महाराष्ट्र सरकार को गेहूं के संशोधित मूल्य ढांचे के बारे में सूचित किया।

यह संशोधन जनता तथा महाराष्ट्र सरकार के साथ अन्याय है। यह संशोधित मूल्य लगभग 200 रुपये अधिक है।

पहले, भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों को गेहूं की आपूर्ति किया करता था। और ऐसे गोदामों से, महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक

[श्री मधुकर सरपोतदार]

वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित दरों पर गेहूं एकत्रित करती थी।

चूंकि ये संशोधित दरें बहुत अधिक हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से पंजाब और हरियाणा के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधी खरीद करने की अनुमति दी जाए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित माल भाड़ा दरें भी बहुत अधिक हैं।

निजी व्यापारियों को पंजाब और हरियाणा से गेहूं की सीधी खरीद करने की अनुमति है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार को यह सुविधा नहीं दी गई है। अत: यह अनुरोध किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार को पंजाब और हरियाणा से आवंटित मात्रा के अनुसार गेहूं खरीदने और अपनी परिवहन व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर): उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया अन्तर्गत तहसील सलेमपुर बिहार प्रदेश से सटा हुआ है। इस जनपद की तीन तहसील सलेमपुर, रुद्रपुर एवम् देवरिया की भूमि बड़ी गंडक नदी और घागरा नदी की दोआबा है जो कृषि हेतु अत्यन्त उपजाऊ है। यहां की मुख्य फसल गेहूं, धान, गन्ना के अतिरिक्त तिलहन और दलहन भी है। लेकिन यहां के किसानों को प्रकृति पर निर्भर रहकर ही जीवनयापन करना पड़ता है। यदि वर्षा हुई तो किसान खुशहाल रहा, यदि प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो किसानों के सामने महामारी की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका मुख्य कारण सिंचाई की कमी होना है। नहर का पूर्णत: अभाव है तथा नलकूप भी नाममात्र हैं। उत्तर प्रदेश में आबादी के दृष्टिकोण से देवरिया जनपद सबसे बड़ा जनपद है जिसमें तहसील सलेमपुर की आबादी सर्वाधिक है। लेकिन यहां के किसानों के लिए आज तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकी। बड़ी गंडक नदी व घाघरा नदी का यह दोआबा पूर्ण समतल होने के कारण कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है। परंतु सिंचाई के अभाव के कारण किसान अपनी गरीबी, लाचारी तथा बेबसी की जिंदगी काट रहा है। जबकि भूमि के नीचे पानी की सतह बहुत ऊपर है।

यदि इस कृषि योग्य क्षेत्र में नलकूपों का जाल बिछा दिया जाए तो यहां के किसान हरियाणा और पंजाब की तरह गेहूं की उपज बढ़ा कर अपनी समस्याओं के साथ राष्ट्र के भी खाद्यान्न में भारी मदद कर सकते हैं। यदि सिंचाई हेतु नलकूपों की पूर्ण व्यवस्था हो जाए तो यह क्षेत्र किसानों के लिए स्वर्ण भूमि हो जायेगी।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

अपराह्न 3.32 बजे

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा सांविधिक संकल्पों पर विचार करेगी।

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल	–	अनुपस्थित
श्री प्रमोद महाजन	–	अनुपस्थित
श्री राम नाईक	–	अनुपस्थित
श्री गिरधारी लाल भार्गव		

अब, इस मद तथा विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, जिसे श्री पी. चिदम्बरम पेश करेंगे, पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिए एक घंटे का समय आबंटित किया गया है। अत: कृपया संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहिए।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, इसमें केवल कुछ मिनट का समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूँ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय, आर्डिनेंस और बिल साथ-साथ चलेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। आर्डिनेंस में जो बात है वही बात बिल में कही गई है।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक में

[हिन्दी]

छोटा सा संशोधन है।

[अनुवाद]

उपधारा 2 में ''सेवारत न्यायाधीश'' शब्दों के लिए

[हिन्दी]

इसमें कहा गया है कि

[अनुवाद]

शब्द एक या अधिक सेवारत न्यायाधीशों

[हिन्दी]

यानि एक सिटिंग जज के बजाए दो या और ज्यादा जजों की भी नियुक्ति की जा सकतो है।

[अनुवाद]

दूसरा संशोधन यह है कि:

उपधारा (3) में ''विशेष न्यायालय के न्यायाधीश'' शब्दों के स्थान पर उन दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं, ''विशेष न्यायालय के किसी न्यायाधीश'' शब्द रखे जायेंगे।

[हिन्दी]

संशोधन करने के बाद इसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

''जहां विशेष न्यायालय दो या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, वहां उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है, समय समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा न्यायाधीशों के बीच मामलों के वितरण के बारे में उपबन्ध कर सकेगा और उन विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा के बारे में उपबन्ध कर सकेगा और उन विषयों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके बारे में ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।''

[हिन्दी]

इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट का जज है उसके लीगल ज्यूरीस्डिकशन में जहां पर कोर्ट सिचुएट कर रही है, जितने भी मुकदमे हैं, कौन सा जज कौन सा मुकदमा सुनेगा और उसका किस प्रकार फैसला करेगा, यह बात वह तय करेगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। 6 जून, 1992 को

[अनुवाद]

प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण के लिए विशेष न्यायालय

[हिन्दी]

बना था। बनने के बाद इसमें कई प्रकार के और संशोधन आए। यह इसलिए बना था कि

[अनुवाद]

यह प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित अपराधों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का उपबन्ध करता है।

[हिन्दी]

इसी प्रकार से सैक्शन 5 में कहा गया है:

[अनुवाद]

''केन्द्र सरकार को एक विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करेगा जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्देशित उच्च न्यायालय का एक सेवारत न्यायाधीश होगा।''

[हिन्दी]

यहां पर यह हो गया कि जब 2910 मामले स्पेशल कोर्ट में आ गए और 70 पैकेज और रजिस्टर्ड हो गए तो फिर सरकार ने यह महसूस किया कि हम और जजों की नियुक्ति कर दें और नियुक्त करके किसी प्रकार तय कर दें। इसलिए कहा गया कि:

[अनुवाद]

''1992 में विशेष न्यायालय की स्थापना के समय से विशेष न्यायालय के समक्ष लगभग 2910 मामले फाइल किए गए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी प्रतिभूति के संव्यवहारों में अनियमितताओं से संबंधित 70 मामले रजिस्ट्रीकृत किए हैं और 18 मामलों में विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये गये। विशेष न्यायालय में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे की दृष्टि से विशेष न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आवश्यक हो गया है।''

[हिन्दी]

स्पेशल कोर्ट में एडीशनल जजेज को नियुक्त किये जाने के बारे में सारा बिल लाया गया है। इसलिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सरकार की यह आदत यानि पिछले सत्र में और इस सत्र में केवल एक महीना गुजरा होगा। सरकार ने पिछले वाले सत्र में एक भी आर्डिनेंस नहीं निकाला और पिछले वाले सत्र का घाटा पूरा करने के लिए इस एक महीने में एक नहीं तेरह अध्यादेश निकाल दिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब बिल्कुल ही समय पर आकर पड़ जाए तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आपको कष्ट देना चाहिए और आर्डिनेंस निकालने चाहिए। इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं क्योंकि आपने इस छोटे से सत्र में 13 अध्यादेश निकाले हैं। इसलिए इस अध्यादेश का तो मैं विरोध कर रहा हूं और आर्डिनेंस से इस बिल को जिस भावना से लाए हैं, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। फिर माननीय मंत्री जी स्वयं बताएंगे कि क्यों इन्होंने आर्डिनेंस निकाले और क्यों महामहिम राष्ट्रपति जी को 13 बार कष्ट दिया। इसलिए मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

सभापति महोदय, प्रतिभूति संव्यवहार अपराध और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के विचारण के लिए विशेष अदालत की

[श्री पी. चिदम्बरम]

स्थापना हेतु 6 जून, 1992 को विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 को बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा केन्द्र सरकार को एक विशेष न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदत्त की गई है जिसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश सम्मिलित थे। सरकार ने इन मामलों से निपटने के लिए जून, 1992 को मुम्बई में, मुम्बई उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश एस.एन. वरियावा को लेकर एक विशेष न्यायालय की स्थापना की।

1992 में विशेष अदालत की स्थापना के समय लगभग 2910 मामले इस न्यायालय में दायर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जांच बयूरो ने भी प्रतिभूतियों के संव्यवहार में अनियमितताओं के संबंध में 70 मामले दर्ज किये और 18 मामलों में विशेष न्यायालय ने आरोप पत्र दायर किये गये हैं।

चूंकि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार से संबंधित अपराधों को तेजी से निपटाने का था इसलिए सरकार ने इन विशेष न्यायालयों में लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के प्रश्न पर विचार किया।

मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि एक न्यायाधीश इतने मामलों को नहीं निपटा सकता और इन्हें निपटाने में बहुत से वर्ष लग जायेंगे। अत: इस संबंध में कानून की स्थिति की जांच की गई कि क्या कानून स्वयं उच्च न्यायालय के दूसरे वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देता है। यह सलाह दी गई थी कि कानून में दूसरे वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी गई है और इसलिए इसमें संशोधन करना ही बेहतर समझा गया ताकि यह स्पष्ट हो कि एक अथवा अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके। तदनुसार, मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् मुम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एम.एस. राणे को विशेष न्यायालय में एक अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

विचारण के कार्य में देरी हो रही थी। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा गया। न्यायाधीश एम.एस. राणे ने भी अपना कार्यभार सम्भाला और अन्य किसी भी मामले में जैसा होता है, की एक से अधिक न्यायाधीश, एक से मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कार्य के आबंटन विभाजन का दायित्व सदैव छोड़ दिया जाता है। अत: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दो न्यायाधीशों के बीच कार्य का बंटवारा करते हैं। इससे मामलों के विचारण में तेजी आएगी। इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है। यह पूर्णरुपेण एक गैर-विवादास्पद संशोधन है। जैसा कि मेरे विद्वान मित्र ने सहमति दी, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वह इस संशोधन विधेयक को पारित करें। इस अध्यादेश पर चर्चा करने के लिए और कुछ भी नहीं है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

"विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1997 विधेयक सरकार सदन में जिस उद्देश्य से लाई है, उस उद्देश्य को हमारे पूर्व मित्र ने बता दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और अध्यादेश की प्रवृत्ति की निन्दा करते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिभूति घोटाला हिन्दुस्तान के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कलंक है। सबसे पहले जे.पी.सी. बनाई गई और सिक्योरिटी स्कैम देश के सामने आया। आठ हजार करोड़ रुपये का स्कैन्डल बैंकों के अन्दर सबसे बड़ा प्रतिभूति घोटाला हुआ और हर्षद मेहता व हितेन्द्र दलाल और पता नहीं किन-किन अपराधियों के नाम सामने आए। 1997 का वर्ष जा रहा है, विशेष न्यायालय पहले भी स्थापित हुए और 1994 व 1995 तथा पहले 1992 में मूल रूप से संशोधन भी लाए गए। इन अपराधियों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये गये और उनको विशेष शक्तियां प्रदान की गई। अब हाई कोर्ट के जज के समकक्ष जजों की नियुक्ति भी की गई। अब जज की जगह सिटिंग-जजेज होने जा रहा है। इसके साथ-साथ दो या दो से अधिक जज हों, तो कौन सा मुकदमा किनके पास रहे, कौन सुनवाई करे, इसके बारे भी चर्चा चल रही है। पहले वाली सरकार तो गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सरकार सोती रहती है, सोने वाली सरकार गई और अब निर्णय वाली सरकार आई है। जो दूसरी सरकार आई है, मैं समझता हूं कि यह भी नागनाथ के भाई सांपनाथ जैसी ही है।

सभापति महोदय: रावत जी, इस बिल का इससे क्या संबंध है?

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं वही बता रहा हूं। जो विशेष न्यायालय स्थापित हुए, वे आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हुए। उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए हुए। भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए हुए हैं और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हुए हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, कितने लोगों के मामले दर्ज हुए? वैसे मंत्री जी ने अभी उनकी संख्या गिना दी है कि न्यायालयों के अन्दर 2910 मामले फाइल किए गए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी प्रतिभूतियों के निवारण और अनियमितताओं से संबंधित 76 मामले रजिस्टर किए और 18 मामलों में विशेष न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल हुए। ऊंट के मुंह में जीरा—कितने बडे अपराधी, कितना बडा

प्रतिभूति घोटाला, जे.पी.सी. की रिपोर्ट और उसके बाद तत्कालीन सरकार के द्वारा एक्शन-टेकन-रिपोर्ट तथा उसके बावजूद भी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। 2910 मामले फाइल हुए, उनमें से केवल 76 मामले रजिस्टर हुए और 18 मामलों में चार्ज-शीट किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि पांच सालों के अन्दर इतनी शक्तियां दिलाने के बावजूद भी एक को भी सजा नहीं दिला सके और अब जजेज की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकारी खजाने के अन्दर आठ हजार करोड़ रुपये के प्रतिभूति घोटाले के अन्दर कितनी वसूली हुई है? कितने जमा हुए। उनकी सम्पत्ति कुर्क की गई या नहीं की गई। कुर्क की गई या उनके खाते जब्त किए गए। उन खातों से और उन कुर्कियों से आठ हजार करोड़ रुपये की खजाने के अंदर जो कमी आई थी उसमें कितनी वसूली हुई और कितने जमा हुए, यह हम जानना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि विशेष न्यायालय और उनके न्यायाधीशों की शक्ति तो आप बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि इन न्यायालयों के अंदर 'जस्टीस डीलेयड इज जस्टीस डीनाइड'। जिस न्याय को देने में इतना विलम्ब किया जाता है और इतना लम्बा प्रोसिजर चलता है, जब पहले यह आया था कि सिविल प्रोसिजर कोड के कारण कोर्टों के मामलों में इतना डिले हो रहा है तो हमने उसको भी एक तरफ रखा और इन विशेष न्यायालयों को अधिकार दिया, यह अपने लिए एक प्रोसिजर स्वयं बना लें ताकि तेज गति से मुकदमों का निपटारा हो सके।

मान्यवर, जनता की स्मृति बहुत कमजोर होती है। चार-चार, पांच-पांच साल के बाद भी इन अपराधियों को सजा नहीं मिली और बैंकों में घोटाले कम नहीं हुए। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला, एक इंडियन बैंक का घोटाला सामने आया है जिसमें बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों का भी हाथ है। अब यह तो जांच करने पर पता लगेगा लेकिन उसके बारे में भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई याचिकाएं वगैरह दाखिल की गई हैं। उनका जनहित याचिकाएं दाखिल करके ज्यूडिशियल एक्टीविजम के नाम पर बहुत जल्दी सुनवाई और सब कुछ हो जाता है। विशेष न्यायालय स्थापित होते हैं। संसद की कमेटी बनी, उन्होंने 18 महीने तक मेहनत की और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उसमें फिर जानकीरमन कमेटी बनी और फिर दूसरे उसके बाद उन आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए प्रयास किये गये लेकिन उसके बावजूद भी बैंकों के घोटाले कम नहीं हुए। आर्थिक अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे हैं और देश के अंदर अपराधियों का उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं,

[अनुवाद]

इन विचारणों की प्रगति की गति धीमी होने के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

ये जो मुकदमें हैं इनके धीमी गति से चलने के और अब तक निर्णय न होने का क्या कारण है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि

बैंक सिक्यूरिटी स्कैम में दो तरह के मामले थे—एक तो 8000 करोड़ रुपए का शेयर घोटाला दलालों के मामले में था और शेयर्स वगैरह के बारे में था। उसके साथ-साथ 36,000 करोड़ रुपये का जो इसी से संबंधित था, जो सार्वजनिक उपक्रमों का था, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का था और उसमें जो डिसइनवेस्टमेंट किया गया वह घोटाला भी इसी से संबंधित था तो यह जो कुल 44000 या 45000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ इसके अंदर नेशनल हाउसिंग बैंक इत्यादि के जो उससे पहले 1990 से ही मामले चल रहे थे और फिर 1991 में आपने एक तारीख तय कर दी कि 1991 के पहले के नहीं उसके बाद के ही लेंगे। हम जानना चाहते हैं कि इन सारे घोटालों के बारे में आप अब तक कितनी राशि प्राप्त कर चुके हैं। मामले किस स्तर पर हैं? इनवेस्टिंग स्टेज के ऊपर कितने हैं? आप चार्जशीट कितनों की दाखिल कर चुके हैं और कितनों का निपटारा किया है तथा कितने लोगों को सजा मिली है? इन सब के बारे में अगर आप विस्तार से बता सकें तो बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर एक और बात है जो बैंकों से संबंधित है और सिक्यूरिटी स्कैम से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं,

[अनुवाद]

बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने हेतु इस नयी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

[हिन्दी]

बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए इस नयी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पहले जो पुराना ढर्रा चल रहा था अगर वही का वही चल रहा है तो और घोटाले होते रहेंगे। न्यायालय और स्थापित होते रहेंगे और ये केसेस वगैरह चलते रहेंगे। हर्षद मेहता और दूसरे लोग धड़ल्ले से घूमते रहेंगे। पिछले दिनों में अखबारों में बड़ी चर्चा थी कि जितने भी आर्थिक अपराधी हैं उनमें से कई विदेशों में चले गये, कई इधर-उधर छिप गए और कई अपने धंधे धड़ल्ले से अन्य नामों से और एजेंसियों से कर रहे हैं। आपने दलाल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी की स्थापना तो कर दी लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सरकार में इच्छाशक्ति का अभाव है। आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए और बैंक के अंदर इस प्रकार के घोटाले को रोकने के लिए विल पावर चाहिए। और आम जनता शेयर्स में पैसा इनवैस्ट करती है उसके प्रति उनकी साख और भावना बढ़ाने के लिए और आज बैंक्स जितने ईश्यूज जारी कर रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि सरकार का उन पर जितना नियंत्रण होना चाहिए, वह नहीं है। अब बजट पेश किया गया लेकिन भारतीयों पर कितना विदेशी कर्जा है, उसका जिक्र तो नहीं करना चाहता परन्तु यह जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय आर्थिक स्थिति के अंदर की या मुद्रास्फीति की समस्या है अथवा घाटे के बजट का प्रश्न है या आर्थिक स्थिति से संबंधित अनयान्य चीजें हैं, उसमें

[श्री. पी. चिदम्बरम]

सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बिल का तो हम लोग समर्थन कर देंगे और यह पास भी हो जायेगा जिसके आधार पर विशेष न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से 2-3 न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हो जायेगी और कौन-कौन से मामलों की सुनवाई करनी है और कौन सा न्यायाधीश करेगा, यह सब तो हो जायेगा लेकिन सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक संवैधानिक प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने सन् 1992 में कहा था कि विशेष न्यायालय की सरकार स्थापना करे लेकिन सोच-विचार करके समग्र निर्णय लेकर और व्यापक बिल लाकर करे। आप इसमें तीन-चार बार संशोधन कर चुके हैं और पता नहीं आने वाले समय में कितनी बार और संशोधन करेंगे। आपने यह अध्यादेश लाने का काम किया है और यह इतनी हड़बड़ी में किया है कि जो कोई कमी रह जायेगी, उसको फिर पास कराने के लिए संसद में बिल लायेंगे। आपको मालूम है कि जब हर मंत्रालय की स्थायी समिति बनाई है तो क्या यह विशेष न्यायालय संबंधी या और कोई इस प्रकार का बिल आता है, उसमें क्या कमी रह जायेगी, वह दूर कैसे हो, समिति के अंदर विचार करने के लिए भेजा जाना चाहिये? उसके बाद भली प्रकार से लोक सभा के अंदर बहस हो तब जाकर पारित होना चाहिए। आप अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए बिल लाये हैं। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं और आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि सरकार को इस संबंध में निर्देश दे कि भविष्य में इस ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय: रावत जी, कृपया वाईंड अप करें।

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय एक अंतिम बात कह कर समाप्त करूंगा। सिविल मामलों का निपटारा हो जैसे प्राकृतिक न्याय की सदन में अनुपालना कर रहे हैं, वहां एक बात जानना चाहूंगा कि भारत की आर्थिक स्थिति पर विश्व बैंक या आई.एम.एफ. का दबाव और हस्तक्षेप होने जा रहा है, उसके दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में भी बताये। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आर्थिक अपराधों का निस्तारण तेजी से हो, सुनवाई का एक टाईम बाऊंड प्रोग्राम हो। ऐसा न हो कि पांच पांच साल तक निर्णय न हो और लोगों को यह अहसास होगा कि गलती करने पर इतना बड़ी सजा मिल सकती है और अगर बड़े अपराधी को कड़ी सजा नहीं मिली और वह ऐसे ही रहकर छूट जायेगा तो जनता के अंदर गलत संदेश जायेगा कि इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, अच्छा वकील कर लो, उसके बाद चाहे जो करे। इसलिए सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में और उसके सुधार के लिए कहा गया है। देश में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर भविष्य में घोटाले न हों, जानकीरमन समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए और वित्तीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा घोटालों को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। भविष्य में फंड्स के दुरुपयोग न हों, कर वंचना करने वाले या बैंक्स डिफाल्टर्स के खिलाफ भविष्य में क्या कार्यवाही या सावधानी बरतने जा रहे हैं, इसके बारे में सदन को जानकारी दे सकें तो अच्छा होगा। आपका एक इंटैलिजेंस विभाग सी.बी.डी.टी. में आता है यह आर्थिक अपराधों का निवारण करने के लिए बनाया गया है, इसको सुदृढ़ बनाया जाये। वे भविष्य में केसेज इस ढंग से प्रस्तुत करें कि न्यायाधीश महोदय भली प्रकार से निर्णय कर सकें।

सभापति महोदय: रावत जी, अब आप वाईंड अप करें। आपने तो पूरा समय लेकर काफी कवर कर लिया है।

प्रो. रासा सिंह रावत: इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां हम विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, 1997 का स्वागत करते हैं, वहां आपसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि न्यायालय सक्रिय होकर शीघ्रता से न्याय प्रदान करें और आर्थिक अपराधियों को सजा मिले। देश की जनता को बताया जाना चाहिए कि प्रतिभूति घोटाले के बारे में अब तक ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर कितने अपराधियों को सजा मिली और कितना पैसा वसूल हुआ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए में आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं क्योंकि यह विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक आर्थिक अपराधों जैसे गम्भीर अपराधों और आर्थिक अपराधियों, जो कि देश के ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और जो समाज के सबसे धनी व्यक्ति हैं, से संबंधित है।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विधेयक विशेष न्यायालय में वर्ष दर वर्ष लम्बित हो रहे मामलों के तेजी से निपटान में सहायक सिद्ध होगा। यह हमारा अनुभव है कि केवल विशेष न्यायालय में ही नहीं बल्कि हर एक न्यायालय में, न्यायालय के हर स्तर पर काफी लम्बे समय से एक बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं और लोग इन मामलों पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी लम्बी प्रतीक्षा होती है कि कई मामलों में निर्णय आने से पहले लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अत: मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा मामलों का तेजी से निपटान होगा। आर्थिक अपराधियों से संबंधित उन मामलों का निपटान, जो विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनके पंजीकरण/दायर किये जाने के बाद, यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री एवं इस सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि अभियोजन करने वाली एजेंसी सतर्क होगी और अपराधी पर मुकदमा चलाते समय सावधानी

बरतेंगी। हमारा यह भी अनुभव है कि जांच करने वाली एजेन्सी की त्रुटियों और अनिच्छा के कारण अधिकांश मामलों में अपराधी रिहा हो जाते हैं। यह हमारा अनुभव है। मामले का पंजीकरण होने के बाद जांच करने वाली एजेन्सी मामले की उचित ढंग से जांच करने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रही हैं। अंतिम फार्म में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, मुकदमा चलाने के संबंध में कुछ कमी और त्रुटि देखी गई। अभियोजकों का कर्तव्य है कि अपराधियों पर अभियोजन चलाए। परन्तु वे लोग अपना कर्तव्य निभाने के प्रति इच्छुक नहीं हैं विशेषकर वकील, जो अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित होते हैं, अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में हमें सावधानी से देखना चाहिए कि अभियोजन करने वाली एजेन्सी अभियुक्तों पर उचित रूप से मुकदमा चलाने पर ध्यान देगी।

महोदय, इस अधिनियम में यह संशोधन उचित समय पर लाया गया है। अत: इस विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली): सम्माननीय सभापति महोदय, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) (संशोधन) अध्यादेश, जिसे बिल के रूप में परिणत किया जा रहा है, वह बहुत ही तकनीकी व साधारण संशोधन है जिसमें एक जज की जगह आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक जज नियुक्त किये जा सकते हैं। इस रूप में इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

परन्तु सभापति महोदय, यह जो स्पेशल कोर्ट्स के नाम से भारत की 86 करोड़ जनता को गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि आप भी जानते हैं और सारे भारत की जनता भी जानती है कि जब बहुत बड़ा प्रतिभूति घोटाला भारत में हुआ और हर्षद मेहता और उसके साथियों को उसमें पकड़ा गया और उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमें लगाये गये, जिसमें यह पता लगा कि बैंक के बड़े-बड़े अफसर, राजनेता और अन्य कई व्यक्तियों ने लम्बे समय तक मिल करके भारत के गरीबों की महंगी कमाई का इस प्रकार से स्कैंडल किया, लुटाया, इसलिए उनको जेल भेजा जाना चाहिए, उन पर मुकदमें चलाये जाने चाहिए और उनसे उसकी वसूली की जानी चाहिए। लेकिन यह कटु सत्य है कि आज तक भी हर्षद मेहता को एक भी मुकदमे में सैंटेन्स नहीं हुआ, एक भी दिन की जेल नहीं हुई और यह भी कटु सत्य है कि हर्षद मेहता आज भी मुम्बई शेयर मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाता है और सैंकड़ों नाम में बेनामी तरीके से स्टॉक मार्केट किंग बना हुआ है, वह उतार-चढ़ाव लाता है, जनता को गुमराह करता है और जो हरकतें उसने पहले की, जिनके कारण इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनका अन्य नामों से दूसरे नामों में बेनामी तरीके से स्कॉट-फ्री तरीके से कर रहा है और हमारे वित्त मंत्री और स्टॉक एक्सचेंज के अफसर और सारा का सारा प्रसीक्यूशन ब्रांच, इंटेलीजेंस ब्रांच, इनफोर्समेंट ब्रांच और सब अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उसे किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में रोक नहीं सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहां नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कोफेपोसा एक्ट बना हुआ है और कई प्रकार के अन्य प्रीवेंटिव मैजर्स बने हुए हैं, जिसके द्वारा भारत की गरीब जनता के पैसे से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों को जेल के सीखचों में बंद करके रखा जा सकता है, उनको इस प्रकार की नापाक हरकतें करने से रोका जा सकता है, जिनके द्वारा ऐसी गतिविधियां जो एक स्कैम में हुई, दोबारा न हों, उसके लिए उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन आज उनको खुली छूट क्यों दी गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह वित्त मंत्री या इन विभागों की नालिज में नहीं है। यदि नालिज में नहीं है तो उनका इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट क्या इतना इनएफीशिएंट है या करप्ट है या उनके साथ मे हैंड इन ग्लव्ज है, जिसके कारण उनको छूट दी हुई है। आज भी हर्षद मेहता हीरो बना हुआ है। भारत के शेयर मार्केट में उसको हीरो के रूप में देखा जाता है और वह जब चाहता है तब स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर, नीचे कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह स्पेशल कोर्ट्स का नाटक झूठा नाटक है, यह जनता को गुमराह करने वाला है। इसके पीछे न तो राज की शक्ति है न राज के मन में अन्य किसी प्रकार का कमिटमेंट है, न स्ट्रांग विल है, न बर्निंग डिजायर है, न फर्म डिटरमिनेशन है, बल्कि एक नाटक है, केमोफ्लॉज है। यह एक प्रकार से प्रोटेक्टिव कवर है, प्रोटेक्टिव अमौला है, जिसके द्वारा हर्षद मेहता और उसके जैसे हजारों व्यक्तियों को आज भी लूटने की खुली छूट सरकार द्वारा दी गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सरकार अपने विचार स्पष्ट करे कि क्या वह केवल नाटक या ड्रामा करके जनता को गुमराह करती रहेगी, क्या हर्षद मेहता को जेल की सीखचों में बंद करेगी। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि रिलायंस के एक बहुत बड़े प्रोप्राइटर हैं, जिन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कि भारत के करोड़ों व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ है, जो गरीब व्यक्ति 55 या 58 साल सर्विस करके रिटायर होता है वह अपना प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी और सारी उम्र का कमाया हुआ पैसा यूनिट ट्रस्ट में लगा देता है और यह सोच कर कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सरकार के आधिपत्य में चलता है, उस पर सरकार का बहुत अंकुश है और सरकार का उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बहुत अधिकार है इसलिए यहां पर कोई गबन या घोटाला नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि रिलायंस के लोगों ने मिलकर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन या जो भी

[श्री गुमानमल लोढा]

उच्च अधिकारी थे, उनके साथ सांठ-गांठ करके, षडयंत्र करके, कांसपीरिसी करके, स्टाक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयरों के भाव आर्टीफिशियल तरीके से बहुत चढ़वा दिए और भाव चढ़ाने के बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने रिलायंस के शेयरों को खरीद लिया। यू.टी.आई. ने कोई 10-20 लाख रुपए के शेयर नहीं खरीदे बल्कि हजारों करोड़ रुपये के शेयरों का सौदा कर लिया जिससे हजारों करोड़ रुपये का लाभ रिलायंस के मालिकों तथा दूसरे धन्ना सेठों को हुआ जो आज भी उसी तरह से शोषण कर रहे हैं। उस महंगाई के समय में रिलायंस के सारे शेयर आर्टीफीशियली क्रिएटिड प्राइस पर यू.टी.आई. को बेच दिए गए। यू.टी.आई. ने उन शेयरों को खरीद लिया। इसका मतलब यह हुआ कि एक चपरासी का जो पैसा वहां पड़ा हुआ था, जो उसने सैक्रेड डिपौजिट की तरह, अमानत के तौर पर, ट्रस्ट की तरह यू.टी.आई. के पास जमा कराया था, उस पैसे के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। एक अनुमान के अनुसार कम से कम 50,000 करोड़ रुपया रिलायंस के पास, यू.टी.आई. को महंगे भाव पर शेयर बेचने के कारण चला गया जिससे यू.टी.आई. एकदम कोलैप्स हो गई।

आज अगर हमारा रिजर्व बैंक कोलैप्स हो जाए तो भारत की इकोनोमी का क्या होगा? यूनिट ट्रस्ट के कोलैप्स होने के बाद, मालूम यह हुआ कि हिन्दुस्तान में सेविंग्स के लिए जो एक सरकारी या सेमी-सरकारी इंस्टीट्यूशन था, वह धोखेबाजी से, कांसपीरिसी से कौलैप्स हो गया। आज स्थिति यह है कि जिनके पास यूनिट ट्रस्ट के शेयर हैं या दूसरे स्क्रिप्स हैं, जैसे मास्टर गेन है, मास्टर शेयर है या अन्य स्क्रिप्स हैं, जब वे उन्हें एन्कैश कराने के लिए भेजते हैं तो यूनिट ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि आप जरा ठहरिए, हमारे पास पैसा नहीं है। आज यदि 100 रुपए का नोट लेकर कोई रिजर्व बैंक के पास जाए और रिजर्व बैंक के लोग उससे कहें कि आप अभी ठहरिये, हमारे पास पैसा नहीं है तो देश की क्या दुर्गति होगी, ऐसे देश के वित्त मंत्री को समझना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बन गई। यूनिट ट्रस्ट की जो हालत हो गई और मंत्री जी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। इतना ही नहीं, आज तक इस स्कैंडल की किसी भी स्टेज पर सी.बी.आई. से जांच नहीं कराई गई, कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया। इस देश की गरीब जनता के अरबों रुपए स्कैंडल में चले गए और सरकार के टॉप मंत्री, एलाइड मंत्री उसे मूक-चिन्तक, निष्क्रिय-चिन्तक, मूक-दर्शक बनकर देखते रहे। जब सरकार के टॉप मंत्री या अधिकारी इस तरह बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि 'साइलेंस इज द हाफ कान्सेन्ट'-उसमें उसकी भी स्वीकृति है....*

मैं वित्त मंत्री को चार्ज करता हूं कि यूनिट ट्रस्ट और रिलायंस के बीच स्टाक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें अरबों रुपए की हेराफेरी हुई, और उसमें वित्त मंत्री, उनके सारे के सारे अधिकारी, एन्फोर्समेंट के अधिकारी, स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और सी.बी.आई. इन्वाल्व थे, आज तक न तो रिलायंस के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, न उन पर मुकदमे चलाए गए, न उनकी प्रौपर्टी को अटैच किया गया, न कोई बरामदगी की गई। मेरी मांग है कि यूनिट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन जो भी इसमें दोषी हैं, उन्हें जेल के सीकचों में डालना चाहिए... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जस्टिस गुमान मल लोढा जी, आप बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सदन में सदस्य का भाषण सुरक्षित एवं विशेषाधिकार युक्त होता है।

जस्टिस गुमान मल लोढा: मैं भारत के करोड़ों निवेशकों के हितों को रक्षा के लिए ये आरोप लगा रहा हूँ।

[हिन्दी]

मैं यही मांग करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराएं। मैं जानता हूं कि हमारे वर्तमान वित्त मंत्री एक ऊंचे और एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हैं, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनका काफी नाम है, मैं चाहूंगा कि देश में जो इतना बड़ा कांड हुआ, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, इस पूरे मामले की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए। यह देखा जाए कि यूनिट ट्रस्ट एण्ड रिलायंस के बीच हुए ट्रांजैक्शन में आर्टीफीशियल राइज करके, इस देश की जनता के अरबों रुपये को लूटने के लिए कौन जिम्मेदार है। जो भी दोषी हो, उसे जेल के सीकचों में डाला जाए।

आज ज्यूडीशियल एक्टीविज्म के जमाने में किसी, व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाता, चाहे किसी भी दल का बड़े से बड़ा व्यक्ति वह क्यों न हो, उसे भी जेल के सीकचों के पीछे भेजने की तजवीज की जाती है।

सभापति महोदय, फिर ये बिजनैस हाउस, बिजनैस मैगनेट के मालिक चान्दी के चन्द खनखनाते सिक्के देकर इस प्रकार से बचे रहें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जाए और न सिर्फ जांच करवाई जाए बल्कि सी.बी.आई. के द्वारा इन्वेस्टीगेशन करवाया जाए और रिलायंस के मालिकों और यूनिट ट्रस्ट के जो अधिकारी दोषी हों, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए।

सभापति महोदय, हमारे नागपुर के माननीय सदस्य जो यहीं बैठते हैं, उन्होंने इस बारे माननीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा और एक नहीं बल्कि चार पत्र लिखे कि फेरा कानून का उल्लंघन कर के अरबों रुपए की बैंकों में फोरजरी हुई है और जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनके नाम सदन में बताए जाएं। चिदम्बरम साहब ने अपने उत्तर में लिखा

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

कि यह सही है कि कानून का उल्लंघन हुआ है, यह भी सही है कि इसमें अरबों रुपए की हेरा-फेरी हुई है और जहां तक इस फोरजरी के इन्वेस्टीगेशन की बात है, उसकी इन्क्वायरी सी.बी.आई. कर रही है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति दोषी हैं या जिनके खिलाफ आरोप हैं, उनके नाम बताना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि इससे इन्वेस्टीगेशन हैम्पर हो जाएगा। जांच में फर्क आ जाएगा, जांच में अन्तर आ जाएगा और उनके नाम बताने से प्रासीक्यूशन में तकलीफ हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपने इस मामले में सी.बी.आई. की इन्क्वायरी कराने की बात कही है और जब सी.बी.आई. की इन्क्वायरी करवाई जाती है, तो उसके लिए एफ.आई.आर. लिखाई जाती है और जब एक बार एफ.आई.आर. लिखवा दी जाती है, तो यह जुडीशियल रिकार्ड बन जाता है और उसमें कुछ भी गुप्त नहीं रह जाता है क्योंकि फिर कोई भी व्यक्ति दो रुपए देकर उसकी कापी ले सकता है फिर हमारे वित्त मंत्री जी उसको लेकर क्यों चिन्तित हैं? उस सूचना को क्यों हाउस से कंसील करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि वे नाम डिस्क्लोज करें और हमारे पुरोहित जी के साथ जो कारैस्पोंडेंस हुई है उसको भी डिस्क्लोज करें। इसमें जो फोरजरी हुई है, इसमें जो फ्राड हुआ है, इसमें जो बैंक के अधिकारी हैं या अन्य लोग हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि इसमें कौन-कौन संलिप्त हैं।

सभापति महोदय, यह स्पेशल कोर्ट संशोधन विधेयक अवश्य अमेंड किया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस नाटक को बंद किया जाए और हर्षद मेहता जैसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, कोफेपोसा एक्ट के अंदर जेलों में रखा जाए, ताकि जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूट न सकें और जैसा मैंने बताया है यदि जुर्म साबित हो जाता है, तो चाहे रिलायंस के मालिक हों और चाहे यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के चेयरमैन हों या मैनेजिंग डायरेक्टर हों, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। उनको डिटरेंट पनिशमेंट दिया जाए और पूरी जांच कराई जाए ताकि जनता का पैसा बच सके। यह मेरा निवेदन है। सभापति महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बलाई चन्द्र राय (बर्दवान): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। तथापि, मैं इस विधेयक में उल्लेखित कतिपय मुख्य बातों को रखना चाहता हूँ जिस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया जाना चाहिए था।

इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल, 1991 और 6 जून, 1992 के बीच प्रतिभूति संव्यवहार में कुछ अपराध के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये। यह वह समय था जब देश में 5000 करोड़ रुपये का प्रतिभूति घोटाला हुआ था और सरकार को लोगों को यह बताना आवश्यक था कि उसने इस मुद्दे को बहुत गम्भीरता से लिया है और इसलिए कुछ कड़े उपाय किये गये हैं ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले न हों। लेकिन क्या सही मायने में इन विशेष न्यायालयों ने उद्देश्यों की पूर्ति की है। शायद नहीं। आश्चर्यजनक बात यह है कि मुम्बई के एक विशेष न्यायालय ने 2910-3000 मामलों पर विचार किया। सत्तर आरोप-पत्र दायर किये गये हैं। विधेयक के उद्देश्य में इसका उल्लेख किया गया है।

इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि पहली बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस प्रकार के मुकदमें पर विचार करेंगे। इसका यह अर्थ है कि पहली बार उच्च न्यायालय स्तर पर विचारण होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश विशेष न्यायालय का न्यायाधीश होगा। इसमें संदिग्धता है। यह पूरे विश्व में स्वीकृत मानदण्ड है कि तथ्यों पर विचार दो स्तरों पर होना चाहिए। यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश विशेष न्यायालय के मुकदमें पर विचार/न्याय करता है तो तथ्यों की दूसरी जांच उच्चतम न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए। संशोधन में ही होने वाले विलम्ब का संकेत मिलता है।

अपराह्न 4.16 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*)

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि मुम्बई उच्च न्यायालय के पास बहुत से मामले लम्बित हैं और एक न्यायाधीश उनका निपटान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए और अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए और इन मामलों को एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीशों को सौंपे जाने की योजना होनी चाहिए और यह कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करना चाहिए।

इस अधिनियम को 1992 में जब पुर:स्थापित किया गया था तो उस समय इसे चुनौती दी गई थी। मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष और स्वयं विशेष न्यायालय के समक्ष भी इसके मूल्यों को चुनौती दी गई है। यह इस बात को इंगित करने में सफल रहे कि यह एक अच्छा वर्गीकृत कानून है और इसलिए अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मामलों को स्थानांतरित करेंगे। यह प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय के समक्ष दायर मामलों पर मुख्य न्यायधीश का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा और जब स्थानांतरण की बारी आएगी, तो वह मामलों का स्थानांतरण कर देगा और एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को सौंप देगा। मैं नहीं जानता कि यह दूसरी चुनौती की संवीक्षा को कहां तक झेल पायेगा, लेकिन, हर हालात में यह स्पष्ट है कि इस समय, पिछले पांच वर्षों के दौरान

[श्री बलाई चन्द्र राय]

इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए किसी विशेष न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी परिणाम नहीं दिखाया गया है।

महोदय, पिछले पांच वर्षों में, 1 अप्रैल, 1991 से 6 जून, 1992 की सीमित अवधि के लिए—वर्तमान वित्त मंत्री इस कानून के लिए ही उत्तरदायी नहीं हैं अपितु—एक घोटाला भी हुआ था जिसने देश को भूकम्प की तरह हिला दिया था। इसने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जानकार व्यक्ति, सभी विद्वान लोगों को हिला दिया था। परिणामस्वरूप एक कानून बनाया गया था और लोगों को सुपुर्द कर दिया गया कि यह कानून है जिसके द्वारा जो घोटाले में शामिल हैं उन पर निश्चितरूप से मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जायेगा। लेकिन पांच वर्षों में इस तरह की कोई बात नहीं हुई।

एक और प्रश्न है जिस पर मेरे विचार से सभी को तुरंत निकटता से ध्यान देना चाहिए। हम हमेशा से यह सोचते रहे हैं कि सभी विवादों के समाधान और जो इस तरह की स्थिति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, वैकल्पिक मंच होने चाहिए। देश में अचानक ही एक विभिन्न प्रकार की स्थिति उपस्थित हो गई है। आप या तो विशेष न्यायालय या ऋण न्यायालय या राज्य-विशेष न्यायालय-विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण और न्यायालय देख रहे हैं। इस न्यायाधिकरण के क्रियाकलापों की जांच करने, न्याय करने की इसकी क्षमता से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जमा हुए बकाया मामलों की संख्या साधारण न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या से कम नहीं है—कुछ मामलों में तो यह और भी अधिक है। वैकल्पिक मंचों के बारे में सोचने से पूर्व, उन वैकल्पिक मंचों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करनी होगी और क्रियाविधि तैयार करनी होगी जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। इनका समाधान अभी नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया है। इस देश में कदाचित ऋण न्यायाधिकरण को छोड़कर सभी वैकल्पिक मंच गतिहीन हैं। ऋण न्यायाधिकरण मामलों का निपटारा किस तरह से करता है, यह जानने के लिए न्यायाधिकरण में जाना होगा और स्वयं इसकी कार्यवाहियों को देखना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): केवल हरित पट्टी ही सर्वोच्च है... *(व्यवधान)*

श्री बलाई चन्द्र राय: ऋण न्यायाधिकरण का न्यायाधीश केवल यही पृछता है; 'आपने पैसा लिया है या नहीं?'

वह पूछेगा क्या यह छोटी राशि थी या बड़ी राशि। यदि आपने पैसा लिया है तो इसे वापस कर दो। फिर इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि न्याय इस रूप में दिया जाना चाहिए। यह संक्षिप्त सुनवाई नहीं है। कुछ न्यायाधिकरणों में, साक्ष्य लेने और वैकल्पिक वाद-पत्र या याचिका के नाम पर लिखित वक्तव्य लेने के लिए ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी जाती है। यह प्रक्रिया उसी तरह से है जिस तरह उच्च न्यायालय में अपनाई जाती है। मामलों के निपटारे में कई वर्ष लग जाते हैं। यह विशेष न्यायालय मामलों को तेजी से निपटाने में अभी तक सफल नहीं हुआ है खासतौर पर इस प्रकृति के मामले जो देश में अल्पावधि में घटित होते हैं। जब इसका कोई प्रभाव नहीं होगा तो इस न्यायाधिकरण का क्या महत्व है? यदि यह न्यायाधिकरण या हम विशेष न्यायालय कह सकते हैं, 10 वर्षों के बाद फैसला सुनाता है तो लोग 2001 या 2002 तक यह भूल जायेंगे कि 1 अप्रैल, 1991 से जून, 1992 की अवधि के बीच क्या घटित हुआ था। इसके पीछे यह विचार था कि इससे देश को निर्णायक निर्णय मिलेगा कि जो दोषी हैं, उन्हें दंडित किया गया है और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। यह साधन जिसे हमने खोजा है, इस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त और अक्षम है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय में मामले हमेशा बकाया पड़े रहते हैं। उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं और विधि मंत्री ने एक दिन वक्तव्य दिया था कि पूरे देश में सुनवाई के लिए न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सभी न्यायालयों में तीन करोड़ से अधिक मामले बकाया हैं। उच्च न्यायालय बकाया मामलों में डूबा है। हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कहते हैं कि इन मामलों पर मुकदमा चलाएं। प्रतिभूतियों से संबंधित अपराध जटिल अपराध नहीं है। ये कुल मिलाकर धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध हैं। धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश पूर्ण रूप से सक्षम हैं। यदि आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहते हैं तो इससे उच्च न्यायालय के बकाया मामलों में वृद्धि होगी। हमें मालूम नहीं इससे इसकी सहायता कैसे होगी। किसी भी हालत में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि कोई वैकल्पिक मंच की आवश्यकता है तो इस मंच में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तैनात नहीं किये जा सकते हैं। इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया होगा।

उच्च न्यायालय रिकार्ड का न्यायालय है। सामान्यतया, धारणा यह है कि अवमानना के मामलों सहित यह सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जब तक कि वह मामला क्रियाविधि कानून द्वारा छीन नहीं लिया जाता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार वाले मामले की सुनवाई करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद भी पर्याप्त साधन मुहैया नहीं कराए जाते जिससे कि अल्प अवधि के दौरान यह मामलों का निपटारा कर सके। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हम इसकी रफ्तार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कभी-कभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वायुयान दुर्घटना की जांच करने के लिए कहा जाता है। इसे समझा जा सकता है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कई वर्षों तक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार वाले मामलों की जांच करने के लिए कहा जाता है और यदि वह आने वाले 10 या 15 वर्षों तक ऐसा करते रहते हैं तो इससे सहायता नहीं मिलेगी। मेरे अनुसार देश में न्याय प्रणाली अपना वह उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगी जिसकी इससे अपेक्षा की गई थी।

मैं एक सुझाव दूंगा कि, जब इसे बनाया गया था उस समय दूसरे पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए था। मैं वर्तमान वित्त मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि ये केवल उसमें संशोधन ला रहे हैं। अब उसी आयाम के जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों के लिए— प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, अपितु यह एक सभ्य देश में न्याय देने की प्रणाली के बारे में नीतिगत प्रश्न है। इस तरह के अपराधों के कुछ व्यक्ति प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश के पास जाएंगे और अन्य उसी तरह का अपराध करने के लिए, मामले की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सहारा लेंगे। इसका एक ही उद्देश्य है कि मामले की सुनवाई में विलंब किया जाय और इस उद्देश्य में इससे सफलता मिली है। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और कुछ किया भी नहीं जाएगा। लोग 5,000 करोड़ रु. के घोटाले को भूलने लग गए हैं। जिस समय तक एक या दो निर्णय आएंगे, लोग इसे बिल्कुल ही भूल जाएंगे।

यह राशि 5,000 करोड़ रु. या एक लाख करोड़ रु. हो सकती है लेकिन लोग इसके बारे में 10 या 20 वर्षों में सब भूल जाएंगे। इसलिए, जांच तेजी से की जानी चाहिए और शीघ्र न्याय किया जाना चाहिए। यह योजना, जो 1992 में बनाई गई थी से कुछ भी हल नहीं हो सका और इसमें हम सब संशोधन लाना चाहते हैं।

महोदया, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है। इसे एक तरह की सुनवाई के लिए सुविधा की दृष्टि से बढ़ाया नहीं जा सकता। आप उस न्यायालय से तीन या चार या पांच न्यायाधीश ले सकते हैं और इसे छोटे न्यायालय में बदल सकते हैं जो कि सामान्यत: उन लोगों के हित के विरुद्ध होगा जिनके मामले उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। इसलिए, यदि वैकल्पिक मंचों के बारे में विचार किया जाना है तो मेरे विचार से मुकदमों के निपटारे के लिए वैकल्पिक मंचों के पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग या एक समिति होनी चाहिए। यदि ऐसे मंच की आवश्यकता हो तो हर बात की जांच की जानी चाहिए और तब इस तरह का संशोधन लाया जाना चाहिए।

यह संशोधन कुछ नहीं है बल्कि एक और न्यायाधीश की वृद्धि करता है और स्थानांतरण की क्रियाविधि के बारे में है। लेकिन इससे न तो विधेयक से आपत्ति या समर्थन के बारे में कोई प्रश्न उठता है। यह कमोवेश तटस्थ वाली स्थिति है जिसमें इस समय हम हैं। यदि अधिनियम विद्यमान रहता है तो निश्चित रूप से संशोधन का समर्थन करना पड़ेगा और अधिक न्यायाधीश देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए कि देश में वैकल्पिक मंच किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इस देश में सभी तरह के विशेष न्यायालय बनाए गए हैं और एक ऐसा देश जो विश्व को यह बताने में अक्षम है कि हमारे पास एक समान न्याय प्रणाली है जिससे उसका वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिसके लिए यह विद्यमान है और यही चीज हम करने जा रहे हैं कि विभिन्न मामलों के लिए न्याय की विभिन्न प्रणाली के तरीकों को अपना रहे हैं।

फिर भी, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: अन्य संबंधित संशोधन विधेयकों पर भी इस प्रस्ताव का प्रभाव पड़ता है इससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाती है। क्या वे इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार किया जाए?

श्री बासवाराज रायारेड्डी (कोप्पल): महोदया यह विधेयक बिना आगे चर्चा किए पारित किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक पर आगे किसी चर्चा की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव इस विधेयक पर बोलने वाले अन्तिम वक्ता हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदया, क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूँ? मुझे स्थाई समिति की बैठक में भाग लेना है और मैं अगले विधेयक पर बोलने वाले वक्ताओं में से एक हूँ। मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। यदि मैं समिति की बैठक में चला जाता हूँ और विधेयक पर चर्चा आरम्भ हो जाती है तो सदन अथवा कम से कम मेरे नेता बच जायेंगे। अत: क्या किया जाए? क्या इसे कल लिया जा सकता है? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव (पटना): दो मिनट के अन्दर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब मेरे अलावा तो कोई बोलने वाला बचा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव, अपना भाषण समाप्त करें इतने समय में आप निर्णय करें कि क्या किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी के माध्यम से विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, 1997 जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं यहां रखी हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, उससे सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि ऐसे जो केसेज काफी दिनों से लम्बित हैं जो महत्वपूर्ण केसेज हैं, उनको विशेष न्यायालय गठित करके तुरन्त सुनवाई करके उस मामले का विचारण करने का इसमें प्रावधान हैं और उसी दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। हम सभी जानते हैं कि बैंकों के माध्यम से हमारे देश में प्रतिभूति घोटाला हुआ था, जिसमें हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। यह मामला सारे देश में ही नहीं, अपितु दुनिया में भी चर्चित रहा। मैं

[श्री राम कृपाल यादव]

समझता हूं देश में यह ऐतिहासिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिससे लोगों के मन में भारी आशंका पैदा हो गई थी कि इतना बड़ा आर्थिक अपराध करने वाले लोगों को सजा मिलेगी या नहीं। यह बात आमतौर पर लोगों के दिमाग में आई थी। हमारे माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 1992 से अब तक पांच साल हो गए हैं, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। लगता है लोगों के दिमाग में जो बात आई थी, वह धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही है। ऐसे न्यायालयों को गठित करके सरकार इन मामलों का निष्पादन करना चाहती है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत के न्यायमूर्ति की सम्मति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा एक कोर्ट गठित की जाएगी जो त्वरित गति से इस प्रतिभूति घोटाले से संबंधित केसेज का निष्पादन करेगी। सरकार की मंशा साफ है। हमारे कई विपक्षी साथियों ने कहा कि सरकार इस पर लीपापोती करना चाहती है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस तरह के आर्थिक अपराध करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा हो सके। उसी अवधारणा से माननीय मंत्री ने इस बिल को यहां प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं तमाम सांसदों को एकमत से इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मंत्री जी को भविष्य में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के अपराध न हों। इसके ऊपर मंत्री जी को गौर करना होगा ताकि ऐसे घोटले करने वाले लोगों का मनोबल गिरे। अगर इसके लिए और संशोधन करना पड़े तो वह करके ऐसे अपराधियों को अधिक से अधिक दंड देने का प्रावधान करना चाहिए ताकि भविष्य में जो गरीबों का सरकारी खजाना है, जिसकी बड़े पैमाने पर लूटपाट की गई, वह न हो सके।

ऐसे बहुत से केसेज न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं। उन पर निष्पादन जिस गति से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने अच्छा कदम उठाया है। आर्थिक मामलों में जो ये घोटाले हुए हैं, उनको निपटाने के लिए अगर कानून में और संशोधन करना पड़े तो आप करें ताकि आर्थिक अपराध से जुड़े हुए लोगों के मामले न्यायालय में लाकर, मुकदमा करके उनको सजा देने का काम हो सके।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रतिभूति घोटाले में फंसे हुए लोगों के खिलाफ आप और भी कारगर ढंग से केस चार्ज करके उसको निष्पादित करें। आपने इन सब बातों के लिए जो यह संशोधन पेश किया है मैं इसका स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पर इस तरह की कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इस तरह के घोटालेबाजों को अधिक से अधिक दंड मिल सके और वे आइंदा ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सकें। इसके साथ ही न्यायालय भी कम समय लेकर शीघ्रता से ऐसे केसेज का निपटारा करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं आभारी हूं कि प्रत्येक सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन किया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह यह है कि विशेष न्यायालय में एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त हों ताकि मामलों का शीघ्र निबटान हो सके। मैं समझता हूं कि जस्टिस वैरियावा के अतिरिक्त, मुम्बई उच्च न्यायालय में एक अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से मामलों का निपटान शीघ्र सम्भव होगा।

महोदया, एक गलत धारणा है कि जस्टिस वैरियावा के न्यायालय ने इन मामलों को शीघ्रता से नहीं निबटाया। मैं इस धारणा को दूर करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जस्टिस वैरियावा ने हजारों याचिकाओं और मुकदमों को निबटाने का अद्भुत कार्य किया है। मेरे पास 28 अगस्त, 1996 तक निपटाये गए मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा है। 2910 आवेदन, याचिकायें, मुकदमें, चैम्बर सम्मन, प्रस्ताव की सूचनायें, अवमानना सूचनाएं, रिमांड आवेदन, अपराधिक मामले तथा कुर्की सूचनायें विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखे गए। इनमें से 2,099 को उन्होंने निबटाया। इनमें से प्रत्येक में तथ्य और कानूनी पेचीदगी थीं। मैं समझता हूं कि न्यायाधीश महोदय ने कुछ जटिल मामलों को मिला कर इन्हें भली भांति निबटाया। अब 811 मामले लम्बित हैं और हम समझते हैं कि एक और न्यायाधीश की नियुक्ति से निबटान शीघ्र सम्भव हो सकेगा।

एक और गलत धारणा है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे जो सूचना मिली उसके अनुसार 54 बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें से अनेक लोगों को दण्डित किया गया। 18 की सेवा समाप्त की गई 2 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी गई तथा अन्य अधिकारियों पर जुर्माना किया गया। 42 मामलों में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई। उनमें से एक अभियुक्त, हर्षद मेहता के विरुद्ध कुछ टिप्पणी थी। मेरे पास उन मामलों की सूची है जिनमें हर्षद मेहता को आरोपी बताया गया है। इनमें से अनेक मामले अन्तिम स्तर पर हैं। उदाहरण के लिए आर.सी. 51-आरोप लगाने, आर. सी. 2-आरोपों पर बहस, आर.सी. 50 (क)-दस्तावेजों की जाँच, आर.सी.-7 (क) आरोप सिद्ध करना, आर.सी. 8(क)-दस्तावेजों की आपूर्ति, आर.सी. 41(क)- अभियोजन पत्र की गवाही, आर.सी. 41-आरोपों पर बहस, आर.सी. 52-आरोप लगाना और आर.सी. 9- लगाए गए आरोपों पर बहस; मुकदमें चल रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उक्त आरोपी को 4 जून, 1992 को गिरफ्तार किया गया। अध्यादेश 6 जून, 1992 को जारी किया गया। वह कई सप्ताह अथवा महीनों तक हिरासत में रहा तथा उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। यदि आज वो जमानत पर है, तो न्यायालय के आदेशों पर है और सरकार न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

मेरे द्वारा लाए जा रहे प्रावधानों की वैधता के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। जैसा कि सदन जानता है कि इस अधिनियम की वैधता को मुम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय में अधिनियम को उचित ठहराया है। मुझे विश्वास है कि एक याचिका द्वारा कुछ धाराओं को उच्चतम न्यायालय में तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। हम संतुष्ट हैं कि अधिनियम वैध है। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि हमारे द्वारा लाया जा रहा संशोधन कि मुम्बई उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश को जस्टिस वैरियावा के साथ विशेष न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): क्या यह मुम्बई के लिए ही है?

श्री पी. चिदम्बरम: वह उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आजकल 'बम्बई' को 'मुम्बई' कहा जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने 'मुम्बई' ही कहा था। हो सकता है मेरे द्वारा उच्चारित 'मुम्बई', मुझे सर्दी जुकाम की वजह से 'बम्बई' हो गई हो।

मैं सदन को यह भी बताने को बाध्य हूँ कि 31 जुलाई 1996 को 41 व्यक्ति अधिनियम द्वारा अनुसूचित किए गए।

2,674 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूति को भी जब्त किया गया और लम्बित पड़ी है? ऐसा नहीं है कि इन मामलों में विलम्ब किया जा रहा है। ऐसा जितना शीघ्र सम्भव हो किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि एक ओर न्यायाधीश की नियुक्ति से मामले शीघ्रता से निबटेंगे।

मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि अपना सहयोग दें और इस कानून को पारित करें।

जस्टिस गुमान मल लोढा: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अनेक आरोप लगाए गए हैं, दस्तावेज पत्र दिए गए हैं और आवेदन निबटाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि स्टाक एक्सचेंज के किसी भी कार्डधारक श्री हर्षद मेहता को छोड़कर, यह अब तक मुकदमा चलाया गया है। यह पहली बात है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को भी जेल भेजा गया है क्योंकि यदि चार वर्ष बाद भी इस प्रारम्भिक स्तर पर दस्तावेज देने, अथवा आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय में आते-आते इसे और 50 वर्ष लग जाएंगे।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि मुकदमा चलाने और जेल भेजे जाने की क्या स्थिति है किसी अन्य ब्रोकर अथवा स्टॉक धारक पर मुकदमा चलाया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम: माननीय सदस्य मुझसे बेहतर जानते होंगे कि मुकदमे किस प्रकार चलते हैं। बात यह है कि यह अधिनियम 1992 में लागू हुआ। इसे चुनौती दी गई और यह उचित ठहराया गया। फिर याचिकायें दी गई। आज हम उस स्तर पर पहुँच गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अभियोजन पक्ष का एक प्रमुख आरोपी के मामले में साक्ष्य रिकार्ड किया गया है। हम उस स्तर पर पहुँच गए हैं। अभियोग देश में चलते रहते हैं और उनमें समय लगता है। मेरे पास सूचना, जिसमें संशोधन सम्भव है, यह है कि विशेष न्यायालय ने किसी पर मुकदमा नहीं चलाया है। किन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक मामले अन्तिम स्तर पर है तथा हमें उन्हें न्यायालय पर यथासम्भव निबटान के लिए छोड़ देना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं घोटाला समिति में था। प्रश्न किसी सीमा तक वहाँ से उठता है।

जस्टिस गुमान मल लोढा: आप घोटाले में थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं कैसे हो सकता हूँ जबकि आप पहले से ही हैं?

जस्टिस गुमान मल लोढा: मैं उस समिति में नहीं था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: जाँच की एक रेखा भी—यह विधेयक से संबंधित नहीं है—जिस पर हम विगत तीन या चार वर्षों से लगे हैं कि शेयर हस्तान्तरण का मूल्य लगभग 13 लाख करोड़ रुपए था। मैंने पहले भी सभा के सामने यह आग्रह किया था कि उसमें से तथा आयकर विभाग की तरह कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये अर्जित किए गए। हम संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में यह भी चाहते हैं कि यह पता लगाने के लिए श्री हर्षद मेहता और अन्यों के बैंकों का पता लगाया जाए, कि इस सारे खेल में सम्मिलित अन्य लोग कौन थे। मैं एक बार फिर इस मामले को उठा रहा हूं। पूर्व सरकार के साथ मैं इस मामले को लेकर असफल रहा था। मुझे देखना है कि क्या मैं संयुक्त मोर्चा सरकार के साथ सफल होऊँगा, क्या श्री हर्षद मेहता द्वारा जारी किए गए चैक पर कोई टोकन चैक भी होगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई आश्वासन होगा? सभा इन धोखाधड़ियों, आदि में सम्मिलित लोगों के बारे में चर्चा कर रही है। अत: उन्हें भी धोखाधड़ी में संलिप्त पार्टियों के रूप में पकड़ा जाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या नीति है?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इसका तत्काल उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, आज जो सत्ता में बैठे हैं, वे पहले इधर बैठते थे।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): पहले कम्युनिस्ट में थे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आपको गलतफहमी है। आप तो सपोर्ट कर रहे हैं तथा आपका इतना सा ही रोल है। अब ये वहां चले गए हैं, लेकिन पहले प्रतिभूति के मामले को बड़े जोरशोर से उठाया करते थे। सभी लोग, रामविलास पासवान जी भी, पहले यहां खूब चिल्लाया करते थे, लेकिन आज वे सत्ता में हैं।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं तो मामले जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं। इस प्रकार की अगर कोई बात हो तब तो ठीक है, नहीं तो केवल मात्र यह बिल ले आए और बिल लाकर जजेस की नियुक्ति हो जएगी, स्पेशल कोर्ट बन जाएगा तो उससे पार नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मुझे क्षमा करेंगे, आज किसी को नेता कह देना, आज नेता शब्द ही अपरिभाषित हो गया है। इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई घोटाला करके आए हैं। यह शब्द बड़ा टेढ़ा हो गया है। आज देश में कहीं कोई बचा ही नहीं है। अब अगर मैं नाम लूंगा तो ठीक नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज कौन बचा है, धीरे-धीरे सभी की जन्मपत्री खुल रही है। इतने सारे केसेस हो गए हैं। मेरे ख्याल से चाहे कितने भी स्पेशल न्यायालय बन जाएं तो वे भी शायद इनका निपटारा कर पाएंगे, इसमें मुझे शक है।

मान्यवर, देश में 70 घोटाले हुए और अब तो बहुत सारे हो गए हैं। अखबारों में, टी.वी. में रोजाना घोटालों की खबरें आती हैं। रोज खबरों में आता है चन्द्रास्वामी जी आ गए, उनके साथी आ गए। ये जो 2910 केसेस बने हैं इनमें से 78 केसेस में अनियमितता पाई गई और 18 केसेस केवल फाइल किए गए। इनमें से केवल 18 पर कार्यवाही की गई। मेरा यह कहना है कि प्रतिभूति घोटाला आठ हजार करोड़ रुपए का हो गया। हर्षद मेहता वाली बात सब ने कही है। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम तो आज भी समर्थन कर रहे हैं कि आप कम से कम बिल तो लाए हैं। आप कम से कम चेष्टा तो कर रहे हैं इसकी हम दाद देते हैं। मेरा यह कहना है कि आप जल्दी से जल्दी करें वरना देश में तो अब लोगों की निष्ठा चुनाव और नेताओं पर भी गिर गई है। हर आदमी हरेक पर उंगुली उठाता है। जिन लोगों ने देश के पैसे का गबन किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आप सरकार में रहें या न रहें, लेकिन आप किस्मत से रह गए। चूंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। ... *(व्यवधान)* मेरा कहना यह है कि अब जो घोटाले हो गए हैं उन सब का पर्दाफाश करें, उन लोगों के नाम बताएं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: श्री गिरधारी लाल भार्गव कृपया विषय तक ही सीमित रहिए। ... *(व्यवधान)* इसके लिए एक घंटे का समय दिया गया है। पहले ही डेढ़ घंटा बीत चुका है। इसमें पांच मिनट लगने चाहिए थे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: दूसरी बात यह है कि आप बैंकिंग सुधार के लिए क्या प्रयोग करने जा रहे हैं, यह हमें बताएं। आप अच्छे वित्त मंत्री हैं, आपने बजट पेश किया है इसके लिए आप क्या सुधार करने जा रहे हैं। आप कुछ विदेशी बैंकों को यहां पर ला रहे हैं और आपने अपने बजट में कई रियायतें दे दी हैं। यहां पर अपने देश में चीजें बन रही हैं और आप निवेश से चीजे लाएंगे तो यहां स्वदेशी चीजों का हनन होगा, इन सारी बातों पर भी आप विचार करें।

- महोदय, आप जो बिल लाए हैं उसका मेरी पार्टी विरोध नहीं कर रही है इसका हम समर्थन कर रहे हैं लेकिन आप इन सारी बातों में तेजी लाएंगे और जो करप्ट हैं, जो धन स्वयं उनके काम में आ रहा है उन सारे नेताओं का भी आप पर्दाफाश करेंगे। विशेष न्यायालय जल्दी ठीक प्रकार से न्याय करें इस संबंध में भी आप विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो आप अध्यादेश लाए हैं और जिसे आप जल्दी में लाए हैं, इसका मैं विरोध कर रहा था लेकिन इसके बारे में आपने जो सारी बात कह दी है इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह जो अध्यादेश निकाला है इसको निरस्त करने का मैंने प्रस्ताव रखा है लेकिन आप बिल ठीक भावना से लाए हैं इसलिए इस बिल का स्वागत करते हुए मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं वापस लेता हूं और आप जल्दी से जल्दी ठीक प्रकार से कार्यवाही करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। ... *(व्यवधान)*

महोदय, मैंने अध्यादेश को निरस्त करने का जो प्रस्ताव रखा है, अगर सदन चाहता है कि मैं उस प्रस्ताव को वापस ले लूं, सदन कह देगा तो बहुमत के आगे तो मुझे झुकना ही पड़ेगा।

सभापति महोदय: क्या यह सभा चाहती है कि श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संकल्प वापस किया जाए?

सभा की अनुमति से संकल्प वापस किया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.53 बजे

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब मद संख्या 16 और 17 पर साथ-साथ विचार करेगी।

श्री रासा सिंह रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्यांक-6) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदया, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1997 अध्यादेश के रूप में आया है। मैं इस अध्यादेश वाली प्रवृत्ति का विरोध करना चाहूंगा। यह अध्यादेश 24 जनवरी, 1997 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कराकर जारी किया गया जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था। हमारी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती का यह गणतंत्र दिवस दो दिन बाद आ रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर कराकर जारी कराया गया। ऐसी प्रवृत्ति का विरोध होना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे सामने बैठे हुए मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप इन्हीं बैंचों को सुशोभित करते थे या बीच के साथी इधर बैठे रहते थे और जब कभी अध्यादेश आता तो ये लोग डटकर उसका विरोध करते थे कि यह अध्यादेशी सरकार है। इस बारे में कई विधान का हवाला भी देते थे और इसी कथन को बार-बार दोहराया जाता था कि यह अध्यादेश तभी जारी होना चाहिए जब देश आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा हो या संसद का अधिवेशन उस समय नजदीक बुलाये जाने की संभावना न हो और राष्ट्र का अपरिहार्य नुकसान न होने वाला हो।

ऐसी विशेष परिस्थिति होने पर एक अध्यादेश लाया जाना चाहिए। अन्यथा जब संसद का सत्र बुलाया जाता है, उसके बाद सरकार बिल इंट्रोड्यूस करे और उसके बाद संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के पास विधेयक जाए और वहां भली प्रकार विचार-विमर्श हो, सारे दलों के लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर अच्छे सुझाव दें, उन सारी अच्छी बातों को हम समाहित करें और उसके बाद सरकार सदन के सामने विधेयक लाए और तब उस पर विचार हो। ऐसी दशा में तो लोकतांत्रिक प्रणाली का पूर्ण पालन कहा जा सकता है, परंतु यह जो अपने आपको कहते हैं कि हम 13 पार्टियां मिलकर परस्पर विरोधी होने के बावजूद भी एक हैं और जिसके बारे में कई प्रकार से कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, और फिर भी हम लोकतंत्र में इतनी आस्था और विश्वास रखते है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अध्यादेश लाने की आखिर इतनी जल्दी क्या आवश्यकता थी? इतने समय तक औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक काम कर रहा था और जैसे भी हो, काम चल रहा था, तो इतनी जल्दी अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति की घोर निन्दा करता हूं। आपके माध्यम से मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि यह सरकार भी संसद का समुचित सम्मान नहीं करती और इस सदन को गंभीरता से नहीं लेती है। तभी बार-बार अध्यादेश का सहारा लेती है और विचार-विमर्श को टालना चाहती है।

मान्यवर, कानून कितना भी अच्छा या बुरा हो, मगर अच्छे साध्य के लिए अच्छा साधन होना भी बहुत आवश्यक है। जिस विषय को लेकर अध्यादेश लाए हैं, उसका भी मैं समर्थन नहीं कर सकता। मेरे बहुत से मित्रों ने इस बिल को भली प्रकार पढ़ा नहीं होगा। करोड़ों रुपये की राशि बट्टे खाते में डलवाने के लिए और संसद की मुहर लगवाने के लिए यह सरकार इस बैंक को कंपनी में बदलने का विधेयक लाई है। मैं आपका ध्यान बिल के पृष्ठ 8 पर फाइनेंशियल मैमोरंडम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और क्वोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"पिछली अनिष्पादक शस्तियों के लिए 74.30 करोड़ रुपये की सीमा तक साधारण पूंजी को बट्टे खाते डालकर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की समादत्त पूंजी को घटाकर;"

इससे पहले अनिष्पादक शस्तियों के लिए कौन जिम्मेदार थे।

[हिन्दी]

[प्रो. रासा सिंह रावत]

कौन इसके लिए जिम्मेदार थे? वह पैसा नान-परफॉर्मिंग कैसे हुआ और इसको राइट आफ करने के कौन दोषी थे? क्यों वसूली नहीं हुई, क्यों गारंटी नहीं ली गई, क्यों सिक्यूरिटी नहीं ली गई और क्यों उसके लिए प्रयास नहीं किया गया? आज यह संसद की मुहर लगवाना चाहते हैं, इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है।

[अनुवाद]

कृपया लाईनों के बीच ध्यान से देखिए।

इसके आगे विधेयक के पृष्ठ 8 पर 'वित्तीय ज्ञापन' के अंतर्गत यह भी लिखा गया है:

"(ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की साधारण (अंश शेयर) पूंजी की 52.25 करोड़ रुपये की रकम को मोचनीय अधिमानी अंशों (शेयरों) में परिवर्तित करके जिन पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से लाभांश देय होगा और जो आबंटन की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर मोचनीय होंगे।"

[हिन्दी]

अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अध्यादेश के पीछे क्या भावना छिपी है। इसलिए मैं अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति की निन्दा करता हूं और जिस उद्देश्य को लेकर यह संसद की मुहर लगवाना चाहते हैं, देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से चाहे बी.आई.एफ.आर. में लगी हो, रुग्ण इकाइयों में लगी हो या राज्य सरकारों की मदद में लगी हो, या पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लगी हो, या जिस भी उद्देश्य से 1984 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक 13 वर्ष के अंदर ही 74.30 करोड़ रुपये की सीमा तक की साधारण पूंजी को बट्टे खाते में डालने की बात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी लाभदायी या घातक हो सकती है, इसका निर्णय करना मैं सदन पर छोड़ता हूं और इसलिए इसका विरोध करना चाहता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

मान्यवर, एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं के बारे में संविधान सभा के अंदर जो विचार-विमर्श चल रहा था और तब महामहिम राष्ट्रपति जी को अधिकार देने की आर्डीनेंस वाली धारा आ रही थी तो उस पर विचार-विमर्श करने के लिए तत्कालीन स्पीकर श्री मावलंकर साहब थे, संभवत: उन्होंने कहा था कि इस अधिकार का उपयोग विशेष परिस्थितियों या संकटकालीन स्थिति में ही होगा और तभी अध्यादेश लाया जायेगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए मैं इस अध्यादेश की प्रवृत्ति का जो लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है, का विरोध करता हूं और आर्थिक उदारीकरण के नाम पर जो लाइन इन्होंने यहां पर कही है:

[अनुवाद]

"विशिष्टतया द्रुत गति से परिवर्तन कर रही वित्तीय पद्धति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की अत्यधिक लचीला और उसकी परिणामी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1997 को औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उपक्रमों का अंतरण और निरसन अध्यादेश, 1997 को प्रख्यापित किया गया था।"

[हिन्दी]

नॉन परफोर्मिंग असेट्स के ऊपर इसमें यह कहा गया है:

[अनुवाद]

"चूंकि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक रुग्ण कम्पनियों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार में प्रधानतया लगी हुई थी अत: उसकी आस्ति ढांचा अनिष्पादक आस्तियों से अत्यधिक दब गया है।"

[हिन्दी]

इस शब्दावली का हमारे सभी मित्रगण भली प्रकार से चिंतन कर लें, इसमें इन्होंने लिखा है कि हम इंडस्ट्रियल रीकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाकर और फिर इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट बैंक की तरह यह काम करेगा, हम इसे यह बनाना चाहते हैं। तो मैं इस प्रवृत्ति और इस अध्यादेश में व्यक्त मूल भावनाओं का विरोध करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निरनुमोदन का प्रस्ताव परिचालित करता हूं।

अपराह्न 5.01 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम): महोदय, मैंने अध्यादेश को लागू करने के विरोध में सांविधिक संकल्प के लिए सूचना दी थी। अब मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और संकल्प वापस लेता हूं। कृपया मुझे मंत्री के पहले बोलने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय: इस समय किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं है। मंत्री जी को पहले विधेयक प्रस्तुत करना है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के उपक्रमों का कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण और उसमें निहित होने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 का निरसन करने का भी उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 के अंतर्गत किया गया था। बैंक के चार्टर में यह कहा गया है कि यह औद्योगिक पुनर्स्थापना हेतु प्रमुख ऋण और पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करेगा तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के ऐसे ही कार्य में समन्वय करेगा तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास करेगा। तदनुसार रुग्ण तथा अक्षम उद्योगों के समय से पहचान की दृष्टि से ऐसी कंपनियों के संबंध में उचित उपायों के शीघ्र निर्धारण तथा इन उपायों के क्रियान्वयन हेतु 1985 में संसद ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम अधिनियमित किया। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई थी। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के लागू करने तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पुनर्स्थापना हेतु समन्वय और महत्वपूर्ण भूमिका का सृजन हुआ है। इस समय वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक अपने ढंग से रुग्ण उद्योगों की देखभाल कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि रुग्ण एककों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में आई.आर.बी.आई. की भूमिका प्रासंगिक नहीं रह गई थी, यह महसूस किया गया कि आई.आर.बी.आई. की भूमिका और कार्यों को पुन: परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है तथा यदि संभव हो तो इसे पूर्णत: बहुउद्देश्यीय विकास वित्तीय संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाए।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष मेरे बजट भाषण में मैंने आई.आर.बी.आई. को पूर्णत वित्तीय संस्थान में परिवर्तित करने हेतु कानून बनाने का आश्वासन दिया था तथा सभा के सभी पक्षों ने उस प्रस्ताव का स्वागत किया था और मेरा समर्थन किया था।

इस समय आई.आर.बी.आई. की लाभप्रदत्ता तथा अन्य मानदंडों पर अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों की अधिकता के कारण इसकी परिसम्पत्ति ढांचे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उपबंधीय मानदंडों के क्रियान्वयन के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है।

वास्तव में यदि मैं आई.आर.बी.आई. के कुछ अनुमानों का हवाला दूं तो यह पता चलेगा कि यह बहुत विपरीत है। प्रति शेयर लाभ केवल पांच पैसे हैं; प्रति शेयर वास्तविक कीमत 10.00 रुपये है, आनुमानिक ऋण सेवा अनुपात केवल 1.79 है; इक्विटी के लाभ के रूप में रिजर्व 0.01 है तथा एन.पी.एस. की प्रतिशतता 32.1 तक उच्च है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तीय क्षेत्र में कई परिवर्तनों ने वित्तीय क्षेत्र में कई परिवर्तनों ने वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी बाजार से प्रमुखत: संसाधन जुटाना आवश्यक बना दिया था। इसने आई.आर.बी.आई. के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी जिन्हें संसाधन जुटाने में अब तक प्रतिस्पर्धात्मक नहीं बनाया है। इसलिए विद्यमान वित्तीय प्रणाली में आई.आर.बी.आई. का अस्तित्व इसके प्रतिस्पर्धात्मक रूप से इक्विटी और ऋण जुटाने की क्षमता तथा इन्हें उच्च श्रेणी परिसम्पत्तियों में परिवर्तित करने पर निर्भर है। यदि आई.आर.बी.आई. को इसके विद्यमान स्वरूप में जारी रखा जाता है तो यह विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों के सृजन की स्थिति में नहीं होगा और यह अन्य सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ अस्पर्धी बना रहेगा। आई.आर.बी.आई. को इसके कृत्यों में अधिक कार्यात्मक स्वायतता तथा कार्यात्मक लचीलापन लाना भी आवश्यक है।

विधेयक केन्द्र सरकार को आई.आर.बी.आई. की इक्विटी पूंजी कम करने तथा/अथवा इक्विटी को ''रीडिमेबल परैफरेंस शेयर'' में बदलने की शक्ति प्रदान करता है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों के एक भाग को बेकार घोषित किया जा सकता है तथा दूसरे भाग को शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे तुलन पत्र ठीक हो जाएगा। इससे हमें कंपनी में और धन लगाने तथा बाजार में पूंजी मंगाने में भी मदद मिलेगी।

अब मैं यहां बैठा था तो मुझसे एक प्रश्न यह किया गया था ''आपका आई.आर.बी.आई. की प्राधिकृत पूंजी के लिए क्या प्रस्ताव है?'' मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस समय प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के विधान में मेरा आई.आर.बी.आई. के लिए 1,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी का प्रस्ताव है। इससे यह कलकत्ता में आधारित बड़ा वित्तीय संस्थान बन जाएगा। जैसाकि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में वादा किया था, इसका मुख्यालय कलकत्ता में रहेगा। यह आवश्यक है कि पूर्वी भारत में भी आज मुम्बई की तरह एक पूर्णत: वित्तीय संस्थान हो। इससे असम और पूर्वोत्तर समेत, भारत के पूर्वी भाग में उद्योग के विकास में मदद मिलेगी।

हमने आई.आर.बी.आई. की स्थिति की जांच और विभिन्न सुझाव देने हेतु सी.आर.आई.एस.आई.एल. नामक 'रेटिंग' एजेंसी की नियुक्ति

[श्री पी. चिदम्बरम]

की है। उन्होंने सभी संभावनाओं की जांच की और कुछ संभावनाओं की सिफारिश की। आई.आर.बी.आई. बोर्ड ने अन्ततः इस संभावना को चुना कि इसे कंपनी में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा इसकी पूंजी का पुनर्गठन किया जाए और कंपनी में और धन लगाया जाए। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया।

चूंकि यह आश्वासन पिछले जुलाई में किया गया था और तब से मैं उत्सुक हूं कि 31 मार्च से पहले कलकत्ता में नई कंपनी का उद्घाटन किया जाए मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं आशा कर रहा था कि संसद के पिछले सत्र में मुझे इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता। संसद के पिछले सत्र में मुझे विधायिका के लिए समय नहीं मिल सका। मेरे लिए केवल एक ही रास्ता था कि मैं इसे मार्च से पहले कर लूँ— मध्यांतर को अध्यादेश के लिए इस्तेमाल करूं ताकि एसोसिएशन का ज्ञापन और मसौदा प्रारूप का प्रारंभिक कार्य पूरा हो जाए। जैसे ही यह विधेयक इस सभा और राज्य सभा में पारित हुआ मुझे कलकत्ता जाने की आशा थी। बंगाल और अन्य हिस्सों से सभी सदस्यों के सहयोग से हमें इसके 31 मार्च से पहले चालू होने की आशा थी।

मेरे विचार से, यह स्वागत योग्य कदम है। यह आई.आर.बी.आई. के लिए बहुत उत्साहवर्धक होगा। अन्यथा आई.आर.बी.आई. कुछ महीनों में रुग्ण हो गया होता। आई.आर.बी.आई. को रुग्ण नहीं होना चाहिए। आई.आर.बी.आई. को पूर्ण संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा हमें इन प्रक्रिया को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले करने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने में सहयोग देने का अनुरोध करता हूं, मैं इस विधेयक को इस संस्था की, जिसकी विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई थी, संरक्षण के लिए और भारत के इस भाग में औद्योगिक पूँजी निवेश तथा विकास के लिए इसे एक समस्त सुविधाएं सम्पन्न वित्तीय संस्था में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण मानता हूँ।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित विधेयक का कड़ा विरोध करता हूँ।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने वक्तव्य में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया है यदि इसे सही ढंग से बताया जाए तो इसका मतलब यह है कि आई.आर.बी.आई. अलाभप्रद हो गई। यह काम करने की स्थिति में नहीं है और जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि इसका अशोध्य ऋण 35.10 प्रतिशत है जो कि 74.30 करोड़ रुपये के बराबर है, वित्तीय ज्ञापन में भी इतना ही बताया गया है। इस तथ्य को छिपाने के लिए 'अप्रयोज्य परिसम्पत्तियां' जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। हम चाहते हैं कि यह बैंक 74 करोड़ रुपये के बाद फिर से अपना कार्य शुरू करे, यह सरकारी धन है इसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इस सभा को इस बात का अनुमोदन करना चाहिए कि हम 74 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति देते हैं।

देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि इस धनराशि को बट्टे खाते में क्यों डाला जा रहा है। वित्त मंत्री महोदय ने इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा है कि किन किन औद्योगिक घरानों ने 74.30 करोड़ रुपये लिए हैं। यह सार्वजनिक धन है। यह सरकार का धन है जिसका अर्थ जनता से है और वे जनता के प्रति जबाबदेह हैं। यह हानि क्यों हुई? यह अशोध्य ऋण क्यों हुआ? इस ऋण की वसूली क्यों नहीं हुई? उन्होंने यह ऋण क्यों दिया? क्या यह सब कुछ पक्षपात या भाई-भतीजावाद अथवा भ्रष्टाचार के कारण हुआ? जमानत के बिना या यह सुनिश्चित किये बिना कि इसकी वसूली हो जाएगी, यह धनराशि कैसे दी गई। यह धनराशि कहां गई?

जब तक ये सब बातें जनता को नहीं बताई जायेंगी तब तक इस अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। सांविधिक बैंक को कम्पनी में बदलने की आड़ में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का यह एक तरीका है। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। मैं भारत की जनता को बेवकूफ बनाने, उसके साथ विश्वासघात करने, जनता के धन के प्रति विश्वास को समाप्त करने और उसके द्वारा भारत की जनता पर गम्भीर अत्याचार करने की कार्यप्रणाली का मैं कड़ा विरोध करता हूं।

दूसरे, महोदय, वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि पूँजी में कटौती की जाएगी। यह सर्वविदित है कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पूँजी में कटौती के लिए उच्च न्यायालय् की अनुमति लेनी पड़ती है। यह निर्णय उच्च न्यायालय करता है कि कम्पनी अपनी पूँजी में कटौती कर सकती है अथवा नहीं क्योंकि इसके बड़े गम्भीर और विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी को सांविधिक बैंक में बदलने के इस उपाय द्वारा उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पूँजी में कटौती कर रहे हैं और इसका परिसमापन कर रहे हैं।

मेरी आपत्ति यह है कि इस प्रकार का तरीका अपनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें सम्मानित सभा का निर्णय चाहते हैं। सभा में इस मामले पर विचार किया गया है इसलिए सभा को उनके नापाक इरादों को समझना चाहिए। हमें उन लोगों पर एहसान करने के लिए अपनाई जा रही इस अनुचित कार्य प्रणाली को समझना चाहिए जिन्होंने 75 करोड़ रुपये लिए हैं। ये लोग कौन हैं? क्या माननीय मंत्री महोदय इन घरानों की सूची उपलब्ध करायेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। इसके वह अनेक कारण बता देंगे। उच्च कोटि के अधिवक्ता होने के नाते वह इसके अनेक कारण बता देंगे जो कि प्रथम दृष्टि में सही प्रतीत होंगे। लेकिन यदि जांच कराई जाए तो यह पता चल जाएगा कि इसका उद्देश्य उन लोगों पर एहसान करना है और उन्हें मुक्त करना है जिन्होंने 75 करोड़ रुपये लिए हैं।

इसलिए सभा को इस विधेयक का पुरजोर विरोध करना चाहिए। आई.बी.आर.डी. जैसी स्थिति इस मामले में भी पैदा होगी। इस प्रकार

की स्थिति लगातार पैदा होती रहेगी। आप पहले कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी—किसी कम्पनी की सांविधिक कम्पनी बनायेंगे और उसके बाद उसे बंद करेंगे या उसे किसी दूसरी कम्पनी में बदलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि 100 करोड़ या 75 करोड़ की अप्रयोज्य परिसम्पत्तियां हैं। इस प्रकार के तरीके को रोका जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ।

कुछ समय पहले मैं संसदीय समिति के कार्य से चेन्नई गया था। चेन्नई में इस बात की चर्चा थी और यह रिकॉर्ड में है कि वहाँ इंडियन बैंक नाम का एक बैंक है। उस बैंक ने कुछ हजार करोड़ रुपये अपव्यय किए हैं। इस बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रभारी व्यक्तियों ने बिना किसी संकल्प कुछ विमान कम्पनियों, कुछ व्यक्तियों और कुछ फर्जी कम्पनियों को धनराशि दे दी। इस प्रकार हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपये का अपव्यय किया गया। यह बात मैं न्यायालय में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कह रहा हूँ। इस साजिश में लिप्त इस बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और व्यक्तियों के विरुद्ध मामले भी दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार की साजिश और इस प्रकार के अपराध की वजह से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब इस मामले को समिति का गठन करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि क्या यह स्थिति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के गलत इरादे अथवा इस प्रणाली के असफल होने के कारण पैदा हुई है।

प्रतिभूति घोटाले के समय में हर्षद मेहता और अन्य लोगों को अनुग्रहीत करने के लिए 'प्रणाली में गड़बड़ी' जैसे शब्द खोजे गए। उन्होंने कहा, ''देखो, मंत्रियों ने तो कोई गलत कार्य नहीं किया है, मंत्रालय ने गलती की है इसलिए मंत्रालय की गलती को गलती नहीं बल्कि प्रणाली में गड़बड़ी समझा जाए।'' जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो यह तरीका अपनाया जा रहा है उसे कामयाब न होने दिया जाए।

इस चर्चा से पहले मैंने इसका जिक्र किया था परन्तु वित्त मंत्री महोदय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इस देश में इस प्रकार का तरीका अपनाया जा रहा है। मैंने एक और बात का जिक्र किया है। यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें चपरासी या क्लेर्क जैसे गरीब लोगों की जीवन भर की बचत जैसे—पेंशन, भविष्य निधि आदि जमा है। परन्तु इस ट्रस्ट द्वारा इस धन का अपव्यय किया गया है। स्टाक एक्सचेंज में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के उच्च अधिकारियों की साजिश और सांठगांठ से शेयरों की मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि कर दी गई और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ही ये शेयर खरीद लिए और इस प्रकार जनता के धन का अपव्यय किया गया। इस प्रकार शेयर बाजार में काफी गिरावट आ गई। अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निवेशक धन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि उसके पास पैसा नहीं है।

इस मामले में वित्त मंत्री महोदय पूरी तरह चुप हैं उन्होंने इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ था ऐसा कैसे हुआ तथा सरकार इस मामले में क्या कर रही है? वित्त मंत्री महोदय सभी वित्तीय मामलों या कारोबार की निगरानी करते हैं। इसमें जनता की कड़ी मेहनत की कमाई अन्तर्निहित है। इन सभी तरीकों से बड़े बड़े व्यापारी लोग स्टाक एक्सचेंज, अपव्यय में जादूगरी दिखा रहे हैं तथा जनता के धन से जुआ खेल रहे हैं। इसकी वजह से हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है।

ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार में अचानक गिरावट आ जाती है, मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि पैदा कर दी जाती है। परन्तु वे सत्तापक्ष में मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। देश के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी के रूप में जनता के धन की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है। परन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब यह दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। मैं यह अपील करता हूँ कि इस प्रकार के तरीके को समाप्त किया जाना चाहिए और कम से कम सार्वजनिक धनराशि के अपव्यय को रोका जाना चाहिए। सभा ने अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों का अनुमोदन कर दिया है उस शब्द की खोज अशोध्य ऋण तथा व्यक्तिगत या राजनैतिक प्रभाव के कारण कुछ लोगों को ऋण देने में भाई-भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार तथा बाद में उसे अप्रयोज्य परिसम्पत्तियां घोषित करने जैसी बातों को दबाने के लिए की गई है।

इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि यह विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। कल इस बात का उल्लेख किया गया था कि स्थायी समिति इस मामले पर विचार कर रही है। यदि स्थाई समिति ने इस मामले पर विचार किया है तो उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूँ और मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे उन लोगों के हितों की रक्षा करें जो सभा में नहीं हैं, जो इस देश के विभिन्न शहरों, कस्बों तथा गांवों में बैठे हैं और यह देख रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि, जिनमें से प्रत्येक 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं अशोध्य ऋणों, लुका छुपी के इस खेल तथा सार्वजनिक धन व्यय करने के प्रति क्या क्रिया तथा प्रतिक्रिया करते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब कुमारी ममता बनर्जी बोल सकती हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय, मेरा सूचना का प्रश्न है। यह मूल विधेयक है और ऐसे सभी मूल विधेयकों को स्थायी समिति को भेजे जाने की आवश्यकता है। एक प्रस्ताव था हमने इस पर चर्चा की थी। उस समय, माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम इस प्रश्न की जांच करेंगे। अब, हम उस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और फिर चर्चा जारी रखी जा सकती है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आप की पार्टी इस पर पहले ही बोल चुकी है। अब दूसरे दलों को भी बोलने की अनुमति दी जाये... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप के बोलने पर कोई रोक नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा: बैठिए, बैठिए। ... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: क्यों बैठें। आपको बोलने से पहले ही बोलना चाहिए था। ... *(व्यवधान)* आपकी पार्टी की बात हो गयी है। ... *(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढा: ठीक है, आप बोलिये। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बोलने के बाद भी रैफर किया जा सकता है, वह बात दूसरी है। बोलने में कोई रुकावट नहीं है लेकिन स्पीकर साहब का जो फैसला होगा, वही माना जायेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: इसी वजह से मैं आपके बोलने का विरोध नहीं कर रहा हूँ; आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। मेरा एकमात्र प्रश्न यह है, कि इससे पहले कि मंत्री जी उत्तर दें, हमें स्थिति के बारे में जानना चाहिए ताकि वाद-विवाद उचित रूप से चलता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह देखूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं श्री राम नाईक की बात का विरोध नहीं कर रही हूं। मैंने यह कहा था कि उनकी पार्टी द्वारा यह चर्चा प्रारम्भ करने से पहले उन्हें सभा से अनुरोध करना चाहिए था और उसके पश्चात् ही इस पर निर्विरोध चर्चा की जानी चाहिए थी। उसमें कोई हानि नहीं हैं। मेरे विचार से भी इस विधेयक पर आज इस सभा में चर्चा करने की अपेक्षा, इस पर पहले स्थायी समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। इसका कारण यह है कि वित्त से संबंधित सभी विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक हैं। अत:, इस अध्यादेश को लाना और फिर इसको पारित कराने के लिए सभा में आना सरकार की अपनी कमजोरी है। अत: यह अच्छा होता कि इस अध्यादेश को लाने तथा इसे तुरन्त अथवा जल्दबाजी में पारित किये जाने की अपेक्षा, इस पर स्थायी समिति में चर्चा होती। केवल इस प्रयोजन के लिए स्वयं संसद द्वारा स्थायी समिति की स्थापना की गई है। हाँ, कई बार, परिस्थितियां सरकार को यह अध्यादेश सदन में लाने से रोकती है। यह सही है। लेकिन मैंने यह देखा है कि इस बार इन दो माह में सरकार काफी अध्यादेश लायी है। मुझे ऐसे अध्यादेशों की संख्या की जानकारी नहीं है। फिर, इस संसद की क्या आवश्यकता है? मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मुझे इस तरह की बातें देखकर वास्तव में ठेस पहुंची है। यह वित्त से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक है। वे संसद में अध्यादेशों के साथ आते हैं। मैं चिदम्बरम जी को दोष नहीं दे रही हूं क्योंकि हो सकता है कि परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेने के लिये वे यह विधेयक सभा के समक्ष लाये हो। यह ठीक है। लेकिन जब वित्त संबंधी स्थायी समिति है, तो इसे उसके पास क्यों नहीं भेजा गया? मुझे इसके कारणों की जानकारी नहीं है।

मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। लोक सभा में लोकपाल विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैंने इस मामले को उस स्थायी समिति में उठाया कि इसे स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।

पहले, यह स्थायी समिति के पास आना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अपने सुझाव देंगे। फिर इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। हमारी स्थायी समिति इस मामले में काफी उदार है और उन्होंने हमारे प्रस्तावों को स्वीकार किया है। अब, हम एक स्थायी समिति के रूप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके पश्चात् यह संसद में आयेगा। यह एक पद्धति है और एक परम्परा है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है।

माननीय मंत्री ने तीन प्रश्नों का उल्लेख किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया है कि वे कलकत्ता से मुख्यालय को स्थानान्तरित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्राधिकृत पूंजी के बारे में भी उल्लेख किया है। उन्होंने जो कहा है वह अच्छा है।

लेकिन आई.आर.बी.आई. के पास पुनर्निर्माण प्रस्ताव क्या था यद्यपि इसने प्रभावी रूप से कार्य नहीं किया? जब 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो आई.आर.बी.आई. की स्थापना रुग्ण इकाइयों की पहचान करने तथा एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए की गई थी ताकि इन कम्पनियों को पुनर्जीवित किया जा सके। कलकत्ता में केवल एक ही वित्तीय संस्थान है और वह है आई.आर.बी.आई.। मुझे मुम्बई पर नाज़ है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मुझे मुम्बई पर नाज नहीं है। महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। वहां पर बहुत विकास हो रहा है। अत: मुझे मुम्बई के लोगों को बधाई देनी चाहिए। हमें ऐसे राज्य के लोगों को बधाई देनी है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। निसंदेह तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री जी.एल. कनौजिया (खीरी): बंगाल नहीं?

कुमारी ममता बनर्जी: मैं आपको केवल पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं कह रही हूं बल्कि देश के अन्य भागों के बारे में भी कह रही हूं।

आपको भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन और समस्याओं की भी सराहना करनी चाहिए। निसंदेह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग संचार समस्या

के कारण वहां तक नहीं पहुंच सकते। वहां कुछ समस्याएं हैं। बिहार और उड़ीसा पिछड़े राज्य हैं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा राज्य नहीं है। वह प्रगतिशील राज्य है। लेकिन मुझे कहना है कि आई.आर.बी.आई. कंपनियों के पुनरुद्धार में पूर्णत: असफल रहा है। रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु सरकार ने 1987 में बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की थी लेकिन मैं नहीं जानती कि बी.आई.एफ.आर. की उपलब्धियां क्या हैं। मेरे मन में इस बारे में कुछ आशंकाएं हैं कि सरकार आई.आर.बी.आई. को कब निरस्त करने जा रही है। मेरा विश्वास है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। यदि कोई इच्छाशक्ति नहीं है तो रास्ता भी कोई नहीं निकलेगा। यदि इच्छाशक्ति है तो निसंदेह सरकार कुछ कर सकती है। लेकिन देश में हमने बहुत से कानून पारित किये हैं हमने बहुत से विधेयक पारित किए हैं लेकिन समस्या यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा एक वित्तीय संस्थान और दूसरे संस्थान के बीच समन्वय की कमी के कारण लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। कामकाजी वर्ग बहुत पीड़ित है यह मेरी पहली आशंका है।

मेरी दूसरी आशंका यह है कि रुग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार हेतु आई.आर.बी.आई. एक प्रभावित करने वाली संस्था है। अब आई.आर.बी.आई. के पास 321 मामले लंबित हैं। जब आई.आर.बी.आई. के पास पहले ही 321 मामले लंबित हों तो क्या ये मामले इस कंपनी द्वारा देखे जायेंगे या नहीं? नाम परिवर्तन हुआ है। यदि वे रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का पुनरुद्धार नहीं करते हैं तो इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए सरकार को मामले की जांच करनी है कि इस समय आई.आर.बी.आई. के पास कितनी कंपनियां हैं। मेरे विचार से 321 मामले हैं। इसलिए सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए यह देखना चाहिए कि उद्योग को नुकसान न हो।

सरकार ने उल्लेख किया है कि आई.आर.बी.आई. के सांविधिक प्राधिकरण से कंपनी में परिवर्तन से इसको इक्विटी और ऋण के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु तथा ऐसे ही अन्य बृहत वित्तीय संस्थानों में अधिक स्तरों के सृजन में सहायता मिलेगी। लेकिन मेरे मन में एक आशंका है। वह आशंका क्या है मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस ओर दिलाना चाहती हूं।

महोदय, यह कहा गया है कि इन कंपनियों को प्राधिकृत पूंजी के रूप में 1,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: यह दिया नहीं गया है, बल्कि देने का प्रस्ताव है।

कुमारी ममता बनर्जी: आपका देने का प्रस्ताव है। जब आप कहते हैं कि आपका देने का प्रस्ताव है, इसका अभिप्राय है कि यह एक आश्वासन है। आपको अब अपना आश्वासन वापस नहीं लेना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है। इक्विटी और ऋण हेतु पूंजी बाजार में प्रवेश के लिए तथा अन्य बृहत वित्तीय संस्थानों में अधिक स्तरों के सृजन के लिए।

वित्त मंत्री ने काले धन को सफेद करने की योजना की घोषणा की है। देश में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो ईमानदार हैं तथा कुछ बेईमान हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि सभी ईमानदार हैं और मैं यह भी नहीं कह सकती कि सभी बेईमान हैं। कुछ लोग हैं जो धन कमाते हैं, आयकर देते हैं और सब कुछ ईमानदारी से करते हैं। मेरा मुद्दा अन्य वर्ग के बारे में है जो काली सूची में आए लोगों, कालाबाजारियों तस्करों, जमाखोरों आदि से संबंधित है।

[हिन्दी]

जिसके पास काला धन है, उसको सफेद करने के लिए ऐसा मौका आएगा क्या?

[अनुवाद]

क्या उनको भी ये सुविधाएं मिलेगी या नहीं? मेरी यह आशंका है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हम केवल वाणिज्यिक सरोकार रखने वाले तथा काली सूची में डाले गए लोगों तथा उद्योगपतियों के ही हाथ मजबूत करेंगे। इसीलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इसकी निगरानी रखें।

[हिन्दी]

जिसके पास काला धन था, वह उसे सफेद करने के लिए 70 प्रतिशत देता था और 30 प्रतिशत लेता था। अब चेंज हो गया है।

[अनुवाद]

सरकार को केवल 30 प्रतिशत प्राप्त होगा और शेष 70 प्रतिशत काला धन्धा करने वाले अथवा ऐसे अन्य लोगों के पास जाएगा। मुझे शंका है कि क्या काली सूची के उद्योगपतियों को इस प्रक्रिया में उनकी पूंजी मिलेगी।

महोदय, भारतीय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पटसन, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ऐसे ही अन्य अनेक उद्योगों की देख-रेख करता है। वस्त्र उद्योग और विशेषरूप से पटसन उद्योग में क्या हुआ है। अनेक उद्योगपति प्रतिवर्ष एक औद्योगिक एकक खरीद लेते हैं और फिर उसे बन्द करके दूसरा खरीद लेते हैं। वे उस एकक के कामगारों के हितों का ध्यान नहीं रखते। वे उनके वेतन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि के पैसों का भुगतान नहीं करते। लेकिन ऐसे उद्योगपतियों को हर बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिल जाता है। सरकार को इन सब बातों की जानकारी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे उद्योगपतियों को काली सूची में क्यों नहीं डाल दिया जाता? मैं इस मुद्दे को केवल इस साल इसलिए नहीं उठा रही हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार सत्तासीन है बल्कि मैं यह मुद्दा पिछले छ:, सात साल से उठाती रही हूं। उद्योगपति, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं और उसका भुगतान नहीं करते। वे भुगतान करने के बजाय उस उद्योग

[कुमारी ममता बनर्जी]

को बन्द करके एक नया औद्योगिक एकक खरीद लेते हैं और, कामगारों को वास्तव में भूखों मरने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। सरकार ऐसे उद्योगपतियों को फिर से क्यों ऋण उपलब्ध करा देती है? सरकार को चाहिए कि वह ऐसे उद्योगपतियों, जो अपना उद्योग बन्द करने जा रहे हैं और ऋण का भुगतान नहीं करते हैं को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिये जाने पर रोक लगा दे। लेकिन इनकी कोई जांच ही नहीं होती।

बैंक घोटाले के बारे में कहना चाहूँगी कि इस देश में कुछ प्रभावशाली लोग हैं जो अपने बैंक ऋणों का भुगतान नहीं करते। परन्तु अगर गरीब किसान अपने ऋण का भुगतान नहीं करते तो बैंक के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित करते हैं और यहां तक कि उनके मकान और व्यापार पर ताला लगा देते हैं। परन्तु यदि बड़े उद्योगपति, नेता और बड़े लोग बैंक का पैसा वापस नहीं करते तब बैंक के कर्मचारी कुछ नहीं करते। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। इसीलिए मैं यह मुद्दा उठा रही हूं। देश और लोगों को धोखा देने वाले काली सूची में डाले गये ऐसे उद्योगपतियों और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): ऐसी कोई काली सूची बनी भी है?

कुमारी ममता बनर्जी: क्या?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, अगर माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन: क्या सरकार के पास ऐसी कोई काली सूची है?

कुमारी ममता बनर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कई कहानियां सुना सकती हूं जिन्हें माननीय वित्त मंत्री भी जानते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): निजी मामले मत उठाइए।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं कोई व्यक्तिगत मामला नहीं उठा रही हूं। मैं तो सामान्य मुद्दा उठा रही हूं। चिट फंड नाम की कुछ निवेश कंपनियां होती हैं।

आपको पता ही होगा कि 'चिट फंड कम्पनियां' देश भर में कितना पैसा इकट्ठा कर लेती है। वे घरेलू महिलाओं, गरीब किसानों, रिक्शा चालकों तथा मध्यमवर्गीय लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं। हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा करने के बाद लोगों को पता चलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि कम्पनी मालिकों ने कम्पनी बन्द कर दी है और विदेश चले गए हैं। मैंने यह मुद्दा अनेकों बार उठाया है और कई पत्र लिखे। मैंने पूर्व वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा। मुझे नहीं पता कि सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की। अगर ये वित्तीय कम्पनियां निहित स्वार्थों के लिए अपना धन बढ़ाती रही और देश के आम लोगों को धोखा देती रहीं तो देश का क्या होगा? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। वह काफी गतिशील और कुशल मंत्री हैं। समस्यायें तो समस्यायें हैं, प्रतिबद्धता तो प्रतिबद्धता है। तथा साख से साख बनती है। मंत्री को अपनी साख नहीं खोनी चाहिए। मैं स्पेन की एक कहावत उद्धृत करना चाहती हूं- "जीवन तो क्षणभंगुर होता है पर यश सदैव रहता है।" वह जो भी करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए जिससे कि यह श्रम व्यर्थ न जाए। मजदूर और आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी दुःखद स्थिति में फंस गया हूं। मैं चाहता हूं कि यद्यपि यह अध्यादेश है, तथापि इसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक 'बीमा विनियामक विधेयक' जिस पर मैंने संशोधन प्रस्तुत किये थे, पर अभी स्थायी समिति की बैठक में चर्चा हो रही है। फिर भी इस विधेयक के संबंध में बहुत सारी बातें कही जानी हैं।

मुझे खेद है कि इसे एक अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि इससे केवल एक काम हुआ कि इसे स्थायी समिति को नहीं सौंपा जा सका। माननीय मंत्री महोदय को एक वादा पूरा करना है। यह वादा उन्होंने तब दिया था जब उन्होंने अन्तिम बजट भाषण दिया था। तब भी, वह वादा पूरा करने के लिए हम यहां प्राथमिकता दे सकते थे क्योंकि इस अध्यादेश से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। हम जनवरी से अब तक कुछ नहीं कर पाए। उस अर्थ में इस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी। मुझे इसलिए खेद है कि स्थायी समिति इस समय बैंक क्षेत्र पर चर्चा में व्यस्त है। मैं स्वयं अनेक राज्यों की राजधानियों में गया और बैंक से जुड़े लोगों से बात की, और उनकी अनेक समस्याओं से अवगत हुआ। संभवतः हम बैंकिंग क्षेत्र पर एक आम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें परन्तु इस मामले में वह अवसर हाथ से निकल गया। मैं जानता हूं कि ऐसा दावा किया जाएगा, जैसा कि इस साल के बजट में किया गया था कि बैंकिंग क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक फायदे में चल रहा है, और सरकार को इससे और अधिक लाभ मिलेगा। यह अच्छा है फिर भी इस अच्छाई के नीचे, इस बैंक के मामले में भी अकल्पनीय घटनाएं घट रही हैं। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। लोग पांच-पांच करोड़ का ऋण लेकर उसका अन्यत्र उपयोग करते हैं। कुछ को तो दण्ड मिलता है और कुछ को नहीं। अलाभकारी संपत्ति में सुधार की सारी बातें बड़े अजीब ढंग से की जा रही है। कहीं तो ऋण माफ किये जा रहे हैं और कहीं समझौते किये जा रहे हैं। परन्तु इन सारे तरीकों से अलाभकारी संपत्ति में ह्रास हो रहा है। हम इन सब बातों पर चर्चा करना चाहते थे पर समय नहीं है और इन सब पर चर्चा भी नहीं करूंगा। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की सकल पूंजी, यदि इसमें एम.पी.ए. में कटौती के कारण वृद्धि हो रही है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: चटर्जी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी कहा था कि डिस्कशन के बाद भी यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जा सकता है। मैंने जानकारी ली है, यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जा सकता है क्योंकि यह बिल 3 अप्रैल से पहले पास होना है। इस बारे में मैने सीरियस बातें सुनी हैं। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि यह बिल जल्दबाजी में पास हो जाए।

[अनुवाद]

इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

चटर्जी साहब, अब आप अपनी बात कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैंने सुझाव दिया था कि स्थायी समिति को 10 से 15 दिन का समय दिया जाये जिससे कि वह अपनी रिपोर्ट दे सके। न केवल इस बैंक बल्कि अन्य बैंकों के लिए भी बहुत सी सामग्री इकट्ठी कर ली गई है लेकिन मैं अध्यक्षपीठ के विवेक से बंध गया हूं।

मैं बैंक घोटाले की अनेक समस्याओं को प्रकाश में लाना चाहता था। पिछले विधेयक पर मैंने टिप्पणी की थी कि कहानी के उस भाग का पता लगाना है। हर आदमी कहता है कि बैंक घोटाला 5000 करोड़ रुपये का है। यह सत्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले सदन में कहा था कि 14 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ था जिससे एक लाख करोड़ रुपए की आय हुई थी। वह आय कहाँ गई? पिछली सरकार ने कोई जांच कराने से इन्कार कर दिया था। हमें रिपोर्ट में भी सी.बी.आई. के कार्यकरण के खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ी। अब उन्होंने कहा है कि वे इस पर सोचेंगे और वे उसे फिर से प्राप्त करेंगे। परन्तु वर्तमान स्थिति और इस मामले में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता; मेरी तरह उन्हें भी नाम पता है। हमने किन बैंकों का दौरा किया, लगभग उन सभी में हमने पाया कि अलाभकारी संपत्ति प्राथमिक रूप से देय हैं जिसके लिए बैंक कर्मियों की ऋणकर्ताओं से कुछ मिलीभगत से बाहरी तत्व भी जिम्मेदार हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं इस नई व्यवस्था से प्रसन्न नहीं हूं। यदि कोई जांच होती है तो सबसे पहले एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जिसके पास आगे कार्यवाही करने के पूर्व सारी बातें भेजी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इससे बैंकिंग क्षेत्र से सारी कठिनाइयां दूर करने में सहायता मिलेगी। मैंने वित्त मंत्री का भाषण अन्य मंच पर भी सुना है जहाँ उन्होंने ऐसा कहा है और बैंक के लोगों ने भी कहा है कि वे इससे अचंभित हैं। उनका कहना है कि वे सही (बोनाफाईड) तरीके से भी कुछ करते हैं तो दूसरे की गलतियों के कारण उन्हें पकड़ा जा सकता है। यह सच है। वित्त मंत्री की सलाह है कि आप ऐसा करने की जोखिम उठा सकते हैं। वे जोखिम नहीं उठाते। वस्तुत: उन्हें यह सुरक्षा इसलिए उपलब्ध करायी जा रही है जिससे वे ऐसा कर सकें। मेरे विचार से बैंकिंग क्षेत्र और उदार ढंग से कार्य करें, उसका यह उपाय नहीं है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने के सुझाव को मैं नहीं मान सकता, जिसका एक साधारण कारण है। मैंने, उन सभी चेयरमैनों से जिनसे मैं मिला था, पुन: पूछा था कि उनके अपनी शाखाओं तथा विभिन्न बैंकों के शाखाओं के बीच कितने धन का मिलान नहीं किया जा सका है। अन्य बैंकों से प्राप्त विवरणों की जांच वे कैसे करते हैं? उनका या तो कहना है कि केन्द्रीयकरण करने से ही इन चीजों का पता लगाया जा सकता है या फिर वे चुपचाप देखते रहते हैं। यही समस्यायें हैं। ऐसी समस्याओं पर मैं चर्चा हेतु बल नहीं दे रहा। मैं इस बारे में इतना ही उल्लेख कर सकता हूँ। बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां तथा उसकी समस्याओं के संबंध में वित्त मंत्री जी अंत में चर्चा करने का वायदा करते हैं तो मुझे खुशी होगी, साथ ही, हम स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेंगे। चर्चा का वह भी एक आधार हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि चर्चा नियम 184 के अंतर्गत की जाए। मेरा यह कहना है कि चर्चा नियम 193 के अंतर्गत भी करायी जा सकती है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अन्य सभी क्षेत्रों में हमने विदेशी कम्पनियों को कुछ रियायतें दी हैं। वे कुछ तरीकों से कुछ कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बैंकों में एक विदेशी प्रभाग होता है जो बीमा क्षेत्र के लिए एक अलग छोटा सा द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी सुविधायें हैं। जब बजट पर चर्चा होगी तथा हम और बोलेंगे। लेकिन इस वक्त ज्यादा समय न लेकर इसे यहीं छोड़ता हूं। मैं नहीं जानता कि वह मुझसे सहमत होकर बैंकिंग क्षेत्र पर चर्चा करायेंगे। यदि वह सहमत होते हैं तो मैं अभी आम स्थिति पर चर्चा नहीं करुंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जैसे ही स्थायी समिति की रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी वैसे ही हम बैंकिंग क्षेत्र पर पूरी चर्चा करायेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: धन्यवाद। अत: मुझे उनकी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस विशिष्ट मुद्दे पर मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है। इन बैंकों का कार्यकरण, कम से कम सिद्धान्त: और व्यवहार्यत:, कुछ विशेष प्रकार के हैं जो अनेकों बैंकों के पास नहीं है। मैं यह जानता हूं। आज यह हो रहा है कि समस्त चीजों को भारतीय निवेश बैंक आफ इंडिया में हस्तांतरित किया जा रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अत:, वे सभी कार्य वैसे ही होंगे। लेकिन मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अपने पूर्व परिचालन को भूले बिना इसे एक दीर्घावधि वित्त निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं पूर्व परिचालन की गलतियों से सीख रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आपने बहुत सही ढंग से सीखा है। क्योंकि मुम्बई से बाहर एक ही दीर्घावधि वित्तीय संस्थान है और वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसी

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

आधार पर कलकत्ता में यदि एक दीर्घावधि वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराया जाए तो हमें खुशी होगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक संभव हो इसे अलग-अलग शहरों में ले जाया जाना चाहिए। कभी-कभी कतिपय चीजों के लिए लखनऊ का भी उपयोग किया जाता है। कलकत्ता का कतिपय कारणों से उपयोग नहीं किया जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम: खैर, कलकत्ता को अब यह प्राप्त होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: ऐसा इसलिए कि कम से कम एक प्रधान मंत्री ऐसा सोचते हैं कि कलकत्ता एक मरणासन्न शहर हो रहा है। मुझे खुशी है कि संयुक्त मोर्चा ऐसा नहीं सोचती। *(व्यवधान)*

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सिरमपुर)**:** हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: हम उनके विचारों का जोरदार विरोध करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दिया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मुझे बंगला में बोलना चाहिए ताकि जो मैं कह रहा हूं उसे सदस्यगण समझ सकें। क्या आप मुझे उसकी अनुमति देंगे? मैंने जो कहा है वे उसे भूल गए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: हम उसे भूले नहीं। उन्होंने कहा कि कलकत्ता को सुधारा जाना चाहिए। यह इन लोगों के कारण और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मा.) के कुशासन के कारण ही कलकत्ता की यह हालत है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: यह ऐसा हो जा सकता है, जो मैंने कहा मैं उसे दुबारा कहना चाहता हूं ताकि वे धैर्य के साथ इसे समझ सकें। मैंने यह कहा था, एक समय मैं जब राज्य सभा का सदस्य था, प्रधान मंत्री ने कलकत्ता को मरणासन्न शहर घोषित किया गया था ... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: यह मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के कुशासन के कारण हुआ है। हम चाहते थे कि कलकत्ता को सुधारा जाए।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस घोषणा शब्द का जोरदार विरोध करता हूं। यहां 'घोषणा' शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या इस सभा में कोई सार्वजनिक बैठक हुई थी? ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हां, आप ठीक कह रहे हैं। यह इस सभा में हुआ था... *(व्यवधान)*

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: महोदय, एक वक्तव्य मे उन्होंने उल्लेख किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं ... *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, जो अन्य लोगों के संदर्भ में कहा गया है ... *(व्यवधान)* एक प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चटर्जी, आप कृपया विषय पर ही बोलें।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, उन्होंने जो भी कहा है, वह संदर्भ से बाहर है ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैंने संदर्भ से बाहर नहीं बोला है... *(व्यवधान)* मैं झुकूंगा नहीं... *(व्यवधान)* मैंने जो कहा, मैं फिर कहता हूं.... *(व्यवधान)* यह राज्य सभा में कहा गया था। *(व्यवधान)*। महोदय, वह नए सदस्य हैं, वे इसके बारे में नहीं जानते हैं ... *(व्यवधान)*। यह मेरे प्रश्न के उत्तर में ही था... *(व्यवधान)* मैं प्रधान मंत्री का उल्लेख नहीं करना चाहता था ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बाहर के मुद्दे को छोड़ दें और मुख्य मुद्दे पर बोलें।

... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, उन्हें यह जानना चाहिए कि सच क्या है ... *(व्यवधान)* मैं इस संयुक्त मोर्चा सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, वह क्या कह रहे हैं? वे इस तरफ से ऑक्सीजन ले रहे हैं और वे संयुक्त मोर्चा सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं। वे दोहरे मापदण्ड अपना रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उस समय राज्य सभा में उपस्थित था... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सज्जनों, कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चटर्जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस मुद्दे को अभी छोड़ें।

... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: उन्हें ऐसी बातें यहां नहीं करनी चाहिए। इन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: कार्यवाही-वृत्तांत से निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चटर्जी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सुश्री बनर्जी, कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से आप पूछिए कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? महोदय, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के कारण कलकत्ता मर रहा है *... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, कोई भी व्यक्ति बिना सन्दर्भ के उद्धरण देने और विवादों को जन्म देने में निर्मलजी का मुकाबला नहीं कर सकता... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब वे और एक विषय रख रहे हैं।

... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, हम ऐसा नहीं होने देंगे... *(व्यवधान)* महोदय, उस पंक्ति को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए *... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तान्त की जांच करूँगा और देखूंगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ूंगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सज्जनों, उनको अपना भाषण समाप्त करने दो।

... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उस पंक्ति को कार्यवाही वृत्तान्त से क्यों निकाला जाए? उसमें कुछ भी गलत नहीं है *... (व्यवधान)* महोदय, कृपया आप इसको पढ़िए *... (व्यवधान)*

अब मैं बोर्ड के गठन के बारे में उल्लेख करूँगा। पुराने बोर्ड के गठन के अनुसार उसमें निम्नलिखित लोग होने चाहिएँ:

''एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा होगी; रिजर्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर जिनका नामांकन उस बैंक द्वारा होगा; एक निदेशक जिनका नामांकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा होगा; केन्द्र सरकार द्वारा 15 से अधिक निदेशकों का नामांकन नहीं होगा आदि; तथा इसमें तीन वैतनिक अधिकारी होने चाहिएँ, आदि।''

अन्य वाणिज्यिक बैंकों में कर्मचारी, अधिकारी एवं गैर-अधिकारी ग्रेडों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बैंक के लिए भी इस प्रस्ताव पर विचार करें। अब यहाँ पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था; मैं आश्वासन पर संदेह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने श्री राजीव गांधी जी के आश्वासन पर भी संदेह नहीं किया था... *(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मैं यहां पर कुछ जोड़ना चाहूँगी। *... (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने समय का उपयोग केवल इस विधेयक के लिए कीजिए।

... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: *... (व्यवधान)**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य: क्या राजीव गाँधी अथवा अन्य किसी के नाम की इस विधेयक में कोई प्रासंगिकता है? यदि है, तो इस विधेयक के अन्तर्गत अन्य किसी के भी भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की चर्चा की जा सकती है। *...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सच्चाई को सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए *... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसलिए यह टाइम उसके लिए युटिलाइज किया जाए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता था लेकिन मुझे यह आभास नहीं था कि इस प्रकार की तर्कपूर्ण प्रतिक्रियाएँ होंगी *... (व्यवधान)*

महोदय, एक घोषणा की गई है कि प्राधिकृत पूंजी को 200 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1000 करोड़ रु. कर दिया जाएगा। यह स्वागत करने योग्य घोषणा है। लेकिन मैं इस बात की आलोचना कर रहा हूँ कि इस अध्यादेश को लाने में जो जल्दबाजी की गई उसके कारण ऐसे एक संशोधन को विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

सका। आई.आर.बी.आई. अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रु. होगी। अब, क्या ऐसा किया जा सकता है? मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। जी हाँ, इस विधेयक की तरह इस मामले में भी ऐसी ही व्यवस्था की जा सकती है। वस्तुत: अध्याय चार भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 का संशोधन है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार पुनर्निर्माण बैंक आदि की शेयर पूँजी में कमी कर सकती है इसलिए मैं उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक सीधी-सादी बात कह रहा हूँ कि ऐसे मामलों में इस प्रकार के विधेयक स्थायी समिति को सौंप दिए जाने चाहिए। मैं उनके इस जबाब से संतुष्ट हूँ कि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उस पर सामान्य चर्चा होगी। फिर भी कलकत्ता को मरणासन्न शहर नहीं समझा जा रहा है इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1997 जो पेश हुआ है, उसमें जो विसंगतियां और अस्पष्टता है, उसकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अपराह्न 6.00 बजे

उद्देश्यों और कारणों का जो कथन कहा गया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जिसको अंग्रेजी में आई.आर.बी. कहते हैं, की स्थापना 1987 में की गयी थी और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि बोर्ड की स्थापना से पुनर्निर्माण का भार भिन्न-भिन्न पदाधिकारियों, जिसके अंतर्गत वित्तीय विकास संस्थान बैंक हैं, द्वारा उठाया गया है।

दूसरा कारण यह बताया गया है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंकों की प्रतिस्पर्द्धा करने की योग्यता इसमें होनी चाहिये और चार महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये गये हैं। पहला यह है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का एक कानूनी प्राधिकरण का एक कम्पनी से समपरिवर्तन।

कई माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय: छ: बज गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह बिल इम्पार्टेंट है। इस पर कई बोलने वाले हैं।

कई माननीय सदस्य: नहीं, आज नहीं बाकी कल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री सिंह कल अपना भाषण ज़ारी रखें।

अब सभा कल 5 मार्च, 1997/14 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 मार्च, 1997/14 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।